नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

मुख्य लेखा परीक्षक

की

वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

Placed in the Council
On 15th November-2006

मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

विषय-सूची

	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
सारांश		vii
1. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे		
प्रस्तावना	1.1	1
परिषद् की वित्तीय स्थिति	1.2	1
निधि के स्रोत एवं उसका व्यय	1.3	1
नई दिल्ली नगरपालिका निधि	1.4	2
राजस्व प्राप्तियां	1.5	3
कर राजस्व	1.6	5
गैर-कर राजस्व	1.7	6
सहायता अनुदान एवं ऋण	1.8	8
राजस्व प्राप्तियों के बकाया	1.9	10
व्यय	1.10	10
दिल्ली सरकार को ऋणों की अदायगी एवं इस पर ब्याज की देयता	1.11	13
गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता (गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान)	1.12	13
आधिक्य एवं आरक्षित निधि	1.13	14
व्यय को किसी खाते में न लेना	1.14	16
वार्षिक लेखों पर सामान्य टिप्पणियाँ	1.15	16
बजट प्रायोजना का विश्लेषण	1.16	18
व्यय की अत्याधिकता	1.17	27
आडिट रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.18	28
2. समीक्षा		
नई दिल्ली सिटी सेंटर-द्वितीय चरण का निर्माण	2.1	31
न.दि.न.पा.परिषद् में पेंशन लाभों का निपटान तथा संवितरण	2.2	53
3. सिविल इंजीनियरिंग विभाग		
भूमि के अधिग्रहण पर अनुत्पादक व्यय	3.1	69
भारतीय खेल प्राधिकरण से बकाया राशि की वसूली न होना	3.2	72

4. विद्युत विभाग		
स्विचगियर बोर्डों के अविवेकपूर्ण क्रय के परिणामस्वरूप निधि अवरुद्ध रही	4.1	75
मंहगे उपकरणों के उपयोग न होने के कारण निधि अवरुद्ध हुई	4.2	77
विद्युत सब-स्टेशनों की संस्थापना के कार्यों को निष्पादित करने में अत्याधिक विलम्ब	4.3	79
वास्तविक आवश्यकता से अधिक केबल का अविवेकपूर्ण क्रय	4.4	82
निविदा को अंतिम रूप देने में असामान्य विलम्ब के कारण हानि	4.5	85
5. प्रवर्तन विभाग		
पार्किंग स्थलों के लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न होना	5.1	87
विज्ञापन टावरों के लाईसेंस में असामान्य विलम्ब के कारण हानि	5.2	89
टैक्सी बूथ, स्टाल, तहबाजारी इत्यादि के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न होना	5.3	93
पार्किंग स्थलों के आवंटन में विलम्ब के कारण राजस्व की परिहार्य हानि	5.4	96
विज्ञापन कर के बकायों की वसूली न होना	5.5	97
6. गृह कर विभाग		
संपत्ति कर के बकायों की वसूली न होना	6.1	99
केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों के संबंध में सेवा-प्रभारों की वसूली न होना	6.2	101
संस्थानों से संपत्ति कर की वसूली न होना	6.3	103
करयोग्य मूल्य में संशोधन न करने के कारण संपत्ति-कर की कम वसूली	6.4	105
7. जन स्वास्थ्य विभाग		
दूरी की गलत गणना के कारण किराया प्रभारों का आधिक्य भुगतान	7.1	111
8. अनुलग्नक		
शून्य व्यय वाले लेखा शीर्षो का विवरण	I	115
संशोधित अनुमानों से 50 प्रतिशत आधिक्य बचत के लेखाशीर्षो का विवरण	II	117
संशोधित अनुमानों से लगातार 50 प्रतिशत से अधिक बचत वाले लेखाशीर्षों का विवरण	III	120
आधिक्य व्यय के लेखाशीर्षों का विवरण	IV	121
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा कार्यस्थल कार्यालय पर किया गया व्यय	V	122
असामान्य रूप में उच्च दर पर निष्पादित मदों का विवरण	VI	123
असामान्य निम्न दर पर निष्पादित/गैर निष्पादित मदें	VII	124
मै.एन.बी.सी.सी.लि. को भुगतान किये गये विशेष अग्रिम तथा गतिशीलता (मोबिलाइजेशन) अग्रिम तथा वसूली का विवरण दर्शाती विवरणिका	VIII	125
नक्शों को प्रस्तुत करने में अवरोधों का विवरण	IX	127

नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण के अंतर्गत निष्पादित अन्य कार्यों को दर्शाती विवरणिका	**X**	**128**
वर्ष 1997 से 2002 तक की अवधि हेतु पार्किंग स्थलों के संबंध में बकाया 1.67 करोड़ रुपये के लाईसेंस शुल्क का विवरण	**XI**	**130**
2002-03 से 2004-05 तक की अवधि हेतु पार्किंग स्थलों के संबंध में बकाया 1.12 करोड़ रुपये लाईसेंस शुल्क का विवरण	**XII**	**133**
पार्किंग स्थलों के आवंटन में विलम्ब के कारण 73.78 लाख रुपये की हानि का विवरण	**XIII**	**135**
10,000 रुपये से अधिक विज्ञापन कर के बकाया मामलों का विवरण	**XIV**	**137**
संस्थानों की ओर 11.54 करोड़ रुपये के संपत्ति-कर के बकायों का विवरण	**XV**	**139**
करयोग्य मूल्य में संशोधन न करने के कारण 53.41 लाख रुपये की राशि के संपत्ति कर की कम वसूली का विवरण	**XVI**	**142**

प्राक्कथन

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 59 की उपधारा 17 के अनुसार 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक आडिट रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये तैयार कर दी गई है। अधिनियम में यह परिकल्पना की हुई है कि मुख्य लेखा परीक्षक परिषद् के पूर्व वर्ष के समस्त लेखों की रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2004-05 के वार्षिक लेखों पर टिप्पणियों के साथ-साथ इस अवधि में विभिन्न विभागों के किये गये आडिट के दौरान पाई गई असंगतियों के मामलों को सम्मिलित किया गया है। तथापि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में मार्च, 2005 के पश्चात् की स्थिति की भी समीक्षा की गई और ऐसे मामलों के संबंध में परिषद् को अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के लिए इनको भी इसमें शामिल किया गया है।

सारांश

इस रिपोर्ट में सम्मिलित एक अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वर्ष 2004-05 की वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित है और अन्य छः अध्यायों में नई दिल्ली सिटी सेन्टर द्वितीय चरण के निर्माण तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में पेंशन लाभों के निपटान एवं संवितरण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 17 पैराग्राफों में परिषद् के विभिन्न विभागों के आडिट के परिणाम सम्मिलित है।

वित्तीय परिणाम

वर्ष 2003-04 में प्राप्त राजस्व 861.97 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 1077.91 करोड़ रुपये हो गया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 25.05 प्रतिशत अधिक था। कुल प्राप्त राजस्व में कर राजस्व 172.27 करोड़ रुपये था जो कि कुल राजस्व का 15.98 प्रतिशत था। गृहकर कर राजस्व का निरन्तर मुख्य स्रोत रहा । वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-कर राजस्व का हिस्सा 860.85 करोड़ रुपये था जो कि कुल प्राप्त राजस्व का 79.86 प्रतिशत था । गैर-कर राजस्व में वर्ष 2003-04 में 3.24 प्रतिशत की कमी की तुलना में वर्ष 2004-05 में 24.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई । गैर-कर राजस्व का प्रमुख अवयव ऊर्जा की बिक्री था जो कि कुल गैर-कर राजस्व का 62.03 प्रतिशत के साथ 533.99 करोड़ रुपये था ।

वर्ष 2003-04 में 801.48 करोड़ रुपये का व्यय 20.59 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2004-05 में 966.49 करोड़ रुपये हो गया। आर्थिक-सेवाओं पर व्यय 552.39 करोड़ रुपये था, जो कि कुल व्यय का 57.16 प्रतिशत था। पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में, वर्ष 2004-05 में सामान्य सेवाओं, समाज तथा विकास सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्रमशः 59.14 प्रतिशत, 9.14 प्रतिशत तथा 7.81 प्रतिशत बढ़ गया।

वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्व प्राप्ति के बजट अनुमान 997.54 करोड़ रुपये की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ 1077.91 करोड़ रुपये थी। अनुमानित स्तर पर वास्तविक प्राप्तियाँ एवं संशोधित अनुमान के मध्य अंतर यद्यपि 17.05 करोड़ रुपये था, छः मामलों में, 1.35 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में प्राप्तियाँ शून्य थी। अन्य छः मामलों में, संशोधित अनुमान की तुलना में प्राप्तियों में कमी की दर 64.33 प्रतिशत से 99.88 प्रतिशत के बीच रही। दूसरी ओर 22 मामलों में, वास्तविक प्राप्तियाँ संशोधित अनुमानों की तुलना में 50 प्रतिशत से 3095 प्रतिशत तक अधिक रही ।

वास्तविक व्यय संशोधित अनुमानों की तुलना में लगातार कम रहा । अधिकांशतः बचत गैर-योजनाओं के अधीन हुई । 197 मामलों में, 13.55 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों का कुछ भी उपयोग नहीं हुआ । 131 मामलों में, कुल बचत बजट अनुमानों की तुलना में 50.20 प्रतिशत से 99.30 प्रतिशत के मध्य थी । 17 मामलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार बचत देखी गई । 59 मामलों में व्यय, संशोधित अनुमान से 20 प्रतिशत से 886.95 प्रतिशत तक अधिक रहा । 10 मामलों में बिना बजट प्रावधानों के 17.09 लाख रुपये का व्यय किया गया ।

योजना व्यय के 11 शीर्षों के अन्तर्गत 38.28 प्रतिशत से 94.70 प्रतिशत के मध्य तक बचत हुई । एक मामले में, बिना किसी बजट प्रावधान के 0.73 लाख रुपये की राशि का व्यय किया गया तथा सात मामलों में संशोधित अनुमान की 7.60 लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं हुआ ।

वर्ष 2000-01 से वर्ष 2004-05 के दौरान, 93.10 करोड़ रुपये की राशि विविध अग्रिमों के रूप में ली गयी थी जिसमें से 65.20 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि अन्तिम मुख्य लेखा शीर्षों में समंजित की गई और वित्तीय वर्ष 2004-05 की समाप्ति पर 27.90 करोड़ रुपये की राशि असमंजित रही ।

नई दिल्ली सिटी सेंटर-द्वितीय चरण का निर्माण

मार्च 2005 में, नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण के निर्माण कार्य की समीक्षा लेखा परीक्षा द्वारा परियोजना पर हुए व्यय की मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावशीलता की जाँच हेतु की गई । सिविल तथा विद्युंत अभियांत्रिक विभागों के मध्य निर्माण योजना के निष्पादन, पर्यवेक्षण तथा समन्वय में कुछ गंभीर दोष पाये गये । परिणामस्वरूप, 1 सितम्बर 1997 की अनुसूचित कार्य समापन तिथि में लगभग साढ़े सात वर्ष के विलम्ब तथा 31 मार्च 2005 तक 44.06 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद परियोजना अपूर्ण थी। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2005 तक 90.02 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व हानि भी हुई, जो कि किराए के रूप में अर्जित की जा सकती थी ।

सिविल अभियांत्रिक विभाग ने मै. एन.बी.सी.सी. लि. को बिना किसी क्षतिपूर्ति की वसूली किये, बार-बार समय विस्तार की अनुमति दी थी। उप-मानक कार्य के निष्पादन के लिए फर्म के विरुद्ध तथा विलम्ब से नक्शे देने के लिए वास्तुविद् परामर्शदाता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। विद्युत अभियांत्रिक विभाग ने लिफ्ट शाफ्टों में त्रुटियाँ होने के बावजूद अनुचित रूप से लिफ्टों का क्रय किया । सिविल कार्यों में धीमी प्रगति के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा

वातानुकूलन एवं आन्तरिक संस्थापन के लिए उपकरण क्रय करने के परिणामस्वरूप परिषद् निधि अवरुद्ध हुई।

कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु दोनों इंजीनियरिंग विभागों द्वारा परियोजना की समीक्षा की अत्यंत आवश्यकता है।

(पैरा 2.1)

न.दि.न.पा.परिषद् में पेंशन लाभों का निपटान तथा संवितरण

वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि के लिए पेंशन लाभों के निपटान तथा संवितरण की समीक्षा से पता चला कि इसमें गंभीर त्रुटियाँ थी। केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियम 1972, में नियत प्रक्रिया तथा समय अनुसूची का सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया। महत्त्वपूर्ण रिकार्ड का उचित रखरखाव नहीं किया गया था । पारिवारिक पेंशन तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन मामलों के निपटान में 150 मास तक का असामान्य विलम्ब हुआ। पेंशन में से पेंशन की कम्यूटिड राशि कम नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 11 मामलों में 3.69 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। सात वर्ष की निर्धारित अवधि अथवा 65/67 वर्ष की आयु के पश्चात् पारिवारिक पेंशन भी संशोधित नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 8.90 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। कम्यूटिड पेंशन की राशि पारिवारिक पेंशन से अनियमित रूप से काटी गई। 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् भी पूरी पेंशन को पुन: बहाल नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 137 मामलों में पेंशन का कम भुगतान किया गया।

ये त्रुटियाँ कमजोर प्रबंधन सूचना प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण एवं अनुवीक्षण प्रणाली तथा कार्मिक एवं लेखा विभाग के मध्य समन्वय की कमी को इंगित करती थी । अत: संबंधित विभागों द्वारा ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार करने तथा अपने कार्यकलापों को सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है ।

(पैरा 2.2)

भूमि के अधिग्रहण पर अनुत्पादक व्यय

वर्ष 1996 में सराय काले खां पर भूमि के अधिग्रहण तथा ऑटो वर्कशाप के निर्माण हेतु इसके विकास पर किया गया 1.65 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय अनुत्पादक रहा क्योंकि परियोजना अभी प्रारम्भ नहीं की गई थी। निर्माण में अत्याधिक देरी के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में भी अत्याधिक वृद्धि होगी।

(पैरा 3.1)

भारतीय खेल प्राधिकरण से बकाया राशि की वसूली न होना

भारतीय खेल प्राधिकरण से तरणताल परिसर पर समय-समय पर किये गये व्यय की वसूली करने में सिविल इंजीनियरिंग तथा विद्युत विभाग असफल रहे परिणामस्वरूप भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर अगस्त, 2005 तक 1.82 करोड़ रुपये बकाया रहे।

(पैरा 3.2)

स्विचगियर बोर्डों के अविवेकपूर्ण क्रय के परिणामस्वरूप निधि अवरुद्ध रही

28 पैनलों वाले तीन स्विचगियर बोर्डों को मांग के दो वर्ष पश्चात् क्रय किया गया । इस बीच, जिन कार्यों के लिए इन बोर्डों/पैनलों की आवश्कता थी, वह पहले ही पूर्ण हो चुके थे। इसलिए बोर्ड/पैनल बिना किसी उपयोग के स्टोर में पड़े हुए थे जिसके परिणामस्वरूप 82.61 लाख रुपये की राशि अवरुद्ध हुई। चूंकि बोर्ड/पैनल खुले में पड़े थे अत: इन पैनलों के खराब होने की संभावना भी थी।

(पैरा 4.1)

मंहगे उपकरणों के उपयोग न होने के कारण निधि अवरुद्ध हुई

मई 2001 में प्राथमिकता के आधार पर 63.18 लाख रुपये की लागत पर क्रय किये गए 13 पैनलों वाले 11 के.वी. उच्च दाब बोर्ड का अभी तक उपयोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 63.18 लाख रुपये की राशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हुई। पैनल खुले में पड़े थे तथा मौसम के प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त होने की संभावना थी ।

(पैरा 4.2)

विद्युत सब-स्टेशनों की संस्थापना के कार्यों को निष्पादित करने में अत्याधिक विलम्ब

नवम्बर 1997 में स्वीकृत की गई दो विद्युतीय सब-स्टेशनों की स्थापना की परियोजनाएँ, निविदाओं के बार-बार आमंत्रण तथा परामर्शदाता को नियुक्त करने के बावजूद अभी भी आरंभ नहीं हुई थी । निविदाओं को बार-बार आमंत्रित करने तथा परामर्श-सेवा अनुबन्ध को बीच में ही समाप्त करने के परिणामस्वरूप पहले ही 39.26 लाख रुपये का बेकार व्यय हो चुका था । अत्याधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप इन महत्त्वपूर्ण कार्यों की लागत में भी अत्याधिक वृद्धि होगी।

(पैरा 4.3)

वास्तविक आवश्यकता से अधिक केबल का अविवेकपूर्ण क्रय

केबल की आवश्यकताओं के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 3 x 400 वर्ग मि.मी. एक्स. एल. पी. ई. केबल का क्रय वास्तविक मांग से अधिक हुआ जिसके परिणामस्वरूप 40.97 लाख रुपये की राशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रही।

(पैरा 4.4)

निविदा को अंतिम रूप देने में असामान्य विलम्ब के कारण हानि

निविदा को छः मास की वैधता अवधि के भीतर अंतिम रूप देने में विभाग की असफलता के कारण पुनः निविदा आमंत्रण की आवश्यकता पड़ी और 300 वर्ग मि.मी. x 3.5 कोर की उच्च दाब (एक्स.एल.पी.ई.) केबल उच्च दरों पर क्रय करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप, 15.75 लाख रुपये की हानि हुई ।

(पैरा 4.5)

पार्किंग स्थलों के लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न होना

विभाग पार्किंग स्थलों के पूर्व आवंटियों से लाईसेंस शुल्क के बकायों की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही करने में असमर्थ रहा । परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2005 तक लाईसेंस शुल्क के बकाया 2.79 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की गई ।

(पैरा 5.1)

विज्ञापन टावरों के लाईसेंस में असामान्य विलम्ब के कारण हानि

विज्ञापन टावरों के आवंटन हेतु निविदाओं को अंतिम रूप देने में लगभग तीन वर्ष के असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2001 से दिसम्बर 2004 के दौरान लगभग 2.83 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा 5.2)

टैक्सी बूथ, स्टाल, तहबाजारी इत्यादि के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न होना

टैक्सी बूथ, स्टाल, तहबाजारी इत्यादि के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2005 तक इन इकाईयों के आवंटियों विरूद्ध 99.26 लाख रुपये की बकाया राशि इकट्ठा हो गई ।

(पैरा 5.3)

पार्किंग स्थलों के आवंटन में विलम्ब के कारण राजस्व की परिहार्य हानि

पार्किंग स्थलों के नये अनुबंधों के आवंटन में 178 दिनों तक के असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान 73.78 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

(पैरा 5.4)

विज्ञापन कर के बकायों की वसूली न होना

विज्ञापन कर की वसूली के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2005 तक 935 पार्टियों की ओर 68.98 लाख रुपये के बकाया कर की वसूली की जानी शेष थी ।

(पैरा 5.5)

संपत्ति कर के बकायों की वसूली न होना

दोषी पार्टियों से संपत्ति कर की वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2005 तक 5792 पार्टियों से संपत्ति कर तथा जुर्माने की राशि सहित 330.10 करोड़ रुपये के बकायों की वसूली नहीं की जा सकी । इसके अतिरिक्त, 230.58 करोड़ रुपये की वसूली रिमांड के मामलों एवं स्टे मामलों में सम्मिलित थी ।

(पैरा 6.1)

केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों के संबंध में सेवा-प्रभारों की वसूली न होना

भारत सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, विभाग केन्द्रीय सरकार के कई विभागों की संपत्तियों के संबंध में सेवा-प्रभारों की वसूली नहीं कर सका । परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2005 तक केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों की ओर सेवा-प्रभारों की 36.86 करोड़ रुपये की राशि बकाया हो गई थी ।

(पैरा 6.2)

संस्थानों से संपत्ति कर की वसूली न होना

आडिट में पहले भी इंगित करने के बावजूद, संस्थानों से संपत्ति कर की वसूली के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2005 तक 48 संस्थानों की ओर 11.54 करोड़ रुपये की राशि बकाया हो गई थी ।

(पैरा 6.3)

करयोग्य मूल्य में संशोधन न करने के कारण संपत्ति-कर की कम वसूली

उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर करयोग्य मूल्य का संशोधन न करने के परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2005 तक 11 मामलों में, 53.41 लाख रुपये की राशि के संपत्ति-कर की कम वसूली हुई।

(पैरा 6.4)

दूरी की गलत गणना के कारण किराया प्रभारों का आधिक्य भुगतान

विभाग कूड़ा हटाने के लिए लगाये गये निजी ट्रकों के संबंध में किराया प्रभारों के नियमित भुगतान हेतु विभिन्न सर्कलों से सैनेटरी लैण्ड फिल स्थल तक वास्तविक दूरी अधिसूचित करने में असफल रहा । ठेकेदारों द्वारा किराया-प्रभार के लिए दावा की गई दूरी की पर्याप्त जॉच करने में भी विभाग असफल रहा । परिणामस्वरूप, वर्ष 2004-05 के दौरान 14.96 लाख रुपये के किराया-प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ ।

(पैरा 7.1)

वित्त

एवं

लेखा

अध्याय 1: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति से संबंधित है जो वर्ष 2004-05 के लिये परिषद् के लेखों में दी गई सूचना के विश्लेषण पर आधारित है। यह विश्लेषण परिषद् की प्राप्तियों एवं व्यय के रूझान और वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है।

1.2 परिषद् की वित्तीय स्थिति

परिषद् के लेखे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 58 के अनुसार तैयार किये जाते हैं। लेखे तैयार करने की प्रक्रिया पंजाब पालिका अधिनियम में निर्धारित प्रारूप के अनुसार है। तदानुसार प्रपत्र जी-4 में तैयार किये गये लेखे बजट/संशोधित अनुमानों के अनुरूप राजस्व और व्यय के विवरण शीर्षानुसार दर्शाते हैं। वर्तमान प्रक्रिया में लेखे में परिसम्पतियों और देयता का विवरण प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष की परिसम्पतियों एवं देयता की स्थिति को दर्शाता विवरण वार्षिक लेखे के साथ ऑडिट को प्रस्तुत नहीं किया गया यद्यपि ऑडिट ने अपनी पूर्व रिपोर्टों में भी ऐसे विवरणों की आवश्यकता के संबंध में इंगित किया है।

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्यत: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद द्वारा पोषित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रतिबिम्बित होती है। सभी प्राप्तियों और व्ययों को इस निधि के अधीन लेखांकित किया जाता है। वर्ष 2004-05 के दौरान 10.93 करोड़ रुपये के घाटे से 31 मार्च 2005 को समापन शेष 65.71 करोड़ रुपये हो गया।

1.3 निधि के स्रोत एवं उसका व्यय

निधि के मुख्य स्रोत में परिषद् के राजस्व की प्राप्ति सम्मिलित है। इनका विस्तृत रूप से उपयोग राजस्व एवं पूंजी व्यय पर होता है। वर्ष 2003-04 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ 861.97 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 1077.91 करोड़ रुपये हो गई । इस प्रकार 25.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वर्ष 2003-04 में 738.10 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय बढ़कर वर्ष 2004-05 में 899.20 करोड़ रुपये हो गया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2003-04 में 48.99 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2004-05 में 27.10 करोड़ रुपये हो गया।

1.4 नई दिल्ली नगरपालिका निधि

अधिनियम की धारा 44 के अनुसार "नई दिल्ली नगरपालिका निधि" के नाम से जानी जाने वाली निधि का रखरखाव परिषद् द्वारा किया जाता है। परिषद् द्वारा या परिषद् के नाम पर किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली राशि नई दिल्ली नगरपालिका निधि का हिस्सा मानी जाती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् की ओर से व्यय इस निधि में से किये जाते है। वर्ष 2004-05 के लिए इस निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ एवं व्यय निम्न प्रकार थी :

तालिका 1.1 : नई दिल्ली नगरपालिका निधि

(रुपये करोड़ में)

	2004-05	2003-04
1 अप्रैल को अथशेष (ओपनिंग बैलेंस)	76.64	68.49
(जमा) वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	2086.37	1471.62
योग	**2163.01**	**1540.11**
(कम) वर्ष के दौरान व्यय	2097.01	1463.47
वर्ष के दौरान आधिक्य (+)/ घाटा (-)	(-) 10.93	(+) 8.15
31 मार्च को समापन शेष	**65.71**	**76.64**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2004-05 में 10.93 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। वर्ष 2004-05 की समाप्ति तक जी-4 विवरण पर आधारित समापन शेष 65.71 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2006-07 की बजट पुस्तिका की विवरण संख्या-II के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 की समाप्ति पर समापन शेष 65.71 करोड़ रुपये था।

2086.37 करोड़ रुपये की प्राप्तियों में 1078.97 करोड़ रुपये की कुल साधारण प्राप्तियाँ (बजट प्रावधान), 177.50 करोड़ रुपये की जमा निधियाँ, 819.50 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि/सामान्य निधि निवेश तथा 10.40 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि सम्मिलित थी । निवेश पर ब्याज के रूप में 178.74 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ हुई ।

2097.30 करोड़ रुपये के व्यय में 966.49 करोड़ रुपये का कुल साधारण व्यय, 172.52 करोड़ रुपये की जमा निधि, 942.92 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि और 15.37 करोड़ रुपये की निलम्बित स्टाक एवं अग्रिम राशि सम्मिलित है।

1.5 राजस्व प्राप्तियां

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की राजस्व प्राप्तियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के अतिरिक्त मुख्यत: कर एवं गैर-कर राजस्व सम्मिलित है । पिछले पांच वर्षों के दौरान सहायता अनुदान सहित राजस्व प्राप्तियों का रूझान निम्न प्रकार था:

तालिका 1.2 : राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि (+)/कमी(-)
2004-2005	**1077.91**	**(+) 25.05**
2003-2004	861.97	(-) 2.28
2002-2003	882.11	(+) 14.65
2001-2002	769.42	(+) 2.97
2000-2001	747.20	(+) 23.84

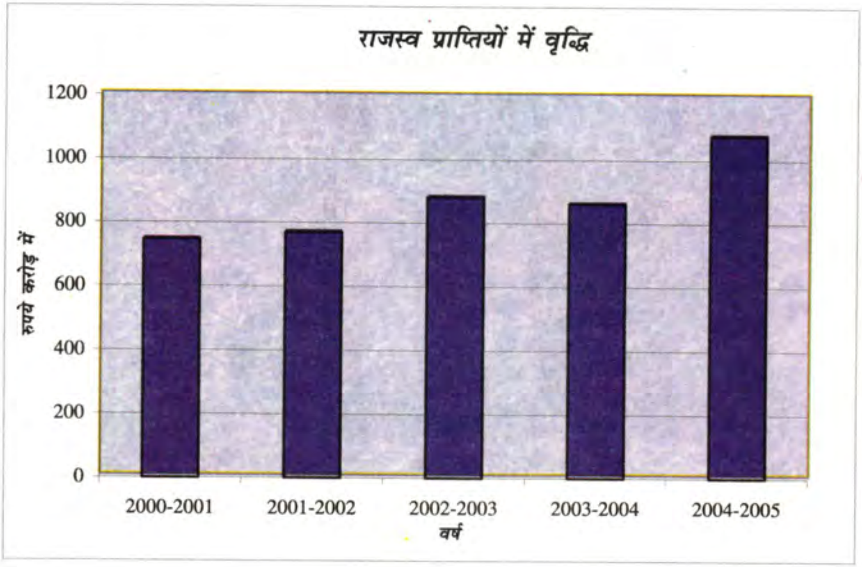

वर्ष 2004-05 में पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 25.05 प्रतिशत की वृद्धि कर एवं गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

1.5.2 राजस्व प्राप्तियों के संघटक

राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक कर एवं गैर-कर राजस्व तथा सहायता अनुदान हैं । पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों का विवरण निम्न प्रकार था :

तालिका 1.3 : राजस्व प्राप्ति के संघटक

(रुपये करोड़ में)

संघटक	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
कर राजस्व	172.27 (15.98)	142.31 (16.51)	144.71 (16.40)	120.70 (15.69)	99.96 (13.38)
गैर कर राजस्व	860.85 (79.86)	690.49 (80.11)	713.59 (80.90)	625.18 (81.25)	628.62 (84.13)
दिल्ली /केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	44.79 (4.16)	29.17 (3.38)	23.81 (2.70)	23.54 (3.06)	18.62 (2.49)
कुल राजस्व प्राप्तियां	**1077.91 (100.00)**	**861.97 (100.00)**	**882.11 (100.00)**	**769.42 (100.00)**	**747.20 (100.00)**

* कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

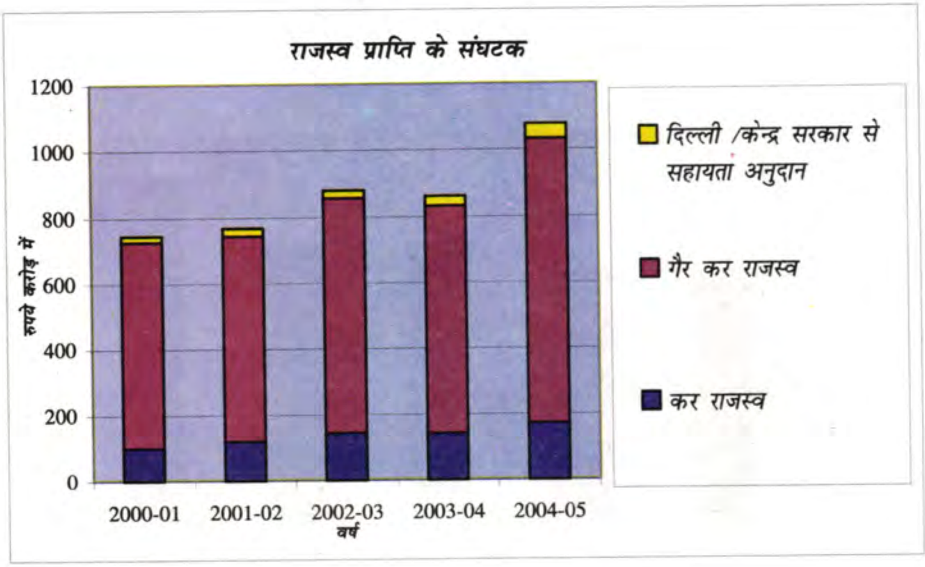

गैर-कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख घटक बना रहा। लेकिन, कुल राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के अनुसार गैर-कर राजस्व वर्ष 2000-01 में 84.13 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2004-05 में 79.86 प्रतिशत रह गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान जो कि कुल राजस्व का बहुत ही छोटा हिस्सा है, वर्ष 2000-01 में 2.49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 4.16 प्रतिशत हो गया। जबकि इसी अवधि के दौरान कर राजस्व का हिस्सा 13.38 प्रतिशत से बढ़कर 15.98 प्रतिशत हो गया ।

1.6 कर राजस्व

1.6.1. कर राजस्व में वृद्धि

परिषद् के कर राजस्व में गृहकर, सम्पत्ति के हस्तातंरण पर शुल्क, विज्ञापन कर आदि सम्मिलित हैं । वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक कर राजस्व में वृद्धि निम्न प्रकार थी :

तालिका 1.4 : कर राजस्व में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक कर राजस्व	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	कुल राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिशतता में कर राजस्व
2004-05	**172.27**	**21.05**	**15.98**
2003-04	142.31	(-)1.66	16.51
2002-03	144.71	19.89	16.40
2001-02	120.70	20.75	15.69
2000-01	99.96	29.52	13.38

पिछले पाँच वर्षों में कर राजस्व में वर्ष 2003-04 को छोड़कर लगातार वृद्धि का रूझान रहा है। वर्ष 2004-05 में कर राजस्व की प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 21.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि गृहकर, सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क और करों के निर्धारित हिस्सों में वृद्धि के कारण थी । कर राजस्व के अधीन प्राप्तियाँ वर्ष 2000-01 में 99.96 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 172.27 करोड़ रुपये हो गई । पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व में वृद्धि की दर (-) 1.66 प्रतिशत से 29.52 प्रतिशत के बीच घटती बढ़ती रही है। वर्ष 2000-01 में 29.52 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि की उच्च दर मुख्यत: गृहकर की दरों में वृद्धि के कारण हुई थी ।

1.6.2. कर राजस्व के संघटक

पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व के विभिन्न घटकों की वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.5 : कर राजस्व के सघंटक

(रुपये करोड़ में)

संघटक	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
गृह कर	147.60 (85.68)	127.89 (89.87)	132.81 (91.78)	110.26 (91.35)	89.46 (89.50)
सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क	13.28 (7.71)	7.94 (5.58)	5.58 (3.85)	6.10 (5.05)	7.10 (7.10)
विज्ञापन/ प्रदर्शन कर	0.10 (0.06)	0.09 (0.06)	0.04 (0.03)	0.06 (0.05)	0.04 (0.04)
करों का निर्धारित हिस्सा	11.29 (6.55)	6.39 (4.49)	6.28 (4.34)	4.28 (3.55)	3.36 (3.36)
कुल	**172.27 (100.00)**	**142.31 (100.00)**	**144.71 (100.00)**	**120.70 (100.00)**	**99.96 (100.00)**

* कोष्ठकों में दिये गये आकड़े कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

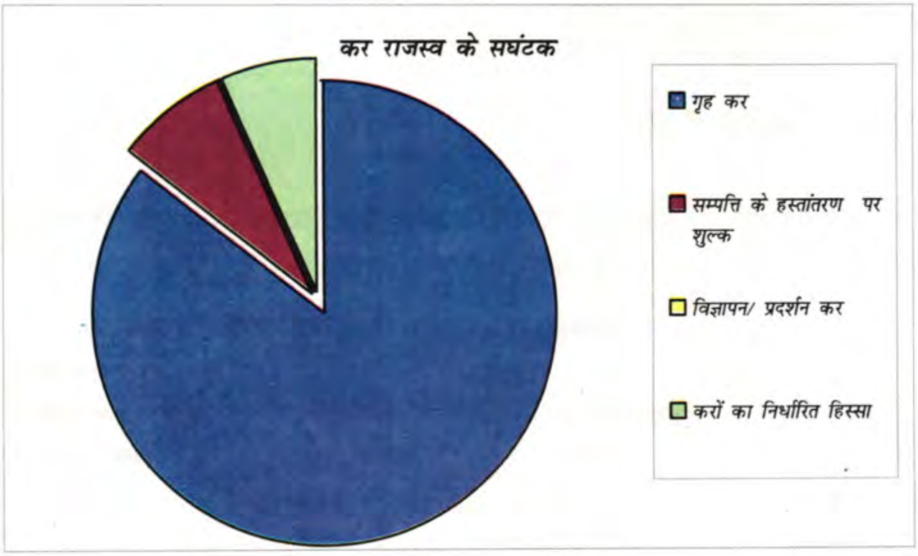

कर राजस्व का प्रमुख अंशदाता गृहकर बना रहा। वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान इस का हिस्सा कुल कर राजस्व का 85.68 प्रतिशत से 91.78 प्रतिशत के मध्य रहा । सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि वर्ष 2000-01 में 7.10 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 13.28 करोड़ रुपये हो गई । करों के निर्धारित हिस्सों की प्राप्तियों में वर्ष 2004-05 के दौरान पूर्णत: तथा सम्बन्धित, दोनो ही तौर पर वृद्धि हुई।

1.7 गैर-कर राजस्व

1.7.1 गैर-कर राजस्व में वृद्धि

वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.6 : गैर-कर राजस्व में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक गैर- कर राजस्व	पूर्व वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2004-05	**860.85**	**(+) 24.67**	**79.86**
2003-04	690.49	(-) 3.24	80.11
2002-03	713.59	(+) 14.14	80.90
2001-02	625.18	(-) 0.55	81.25
2000-01	628.62	(+) 23.50	84.13

वर्ष 2004-05 में परिषद् की कुल राजस्व प्राप्तियों का 79.86 प्रतिशत गैर-कर राजस्व रहा। वर्ष 2000-01 में इसका हिस्सा 84.13 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2004-05 में 79.86 प्रतिशत रह गया। पिछले पांच वर्षों में गैर-कर राजस्व की दर 24.67 प्रतिशत एवं (-) 3.24 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही है । वर्ष 2003-04 में 3.24 प्रतिशत की कमी

की तुलना में वर्ष 2004-05 में 24.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि किराये/लाईसेंस शुल्क की प्राप्तियों में वृद्धि तथा शुल्क व जुर्माने एवं निवेश पर ब्याज में हुई वृद्धि के कारण थी ।

1.7.2 गैर-कर राजस्व का संयोजन

परिषद् के गैर-कर राजस्व में ऊर्जा/जल की बिक्री, किराया/लाइसेंस शुल्क, निवेशों पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं । गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों की वृद्धि प्रतिमान का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.7 : गैर-कर राजस्व के संघटक

(रुपये करोड़ में)

घटक	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
ऊर्जा की बिक्री	533.99 (62.03)	532.50 (77.12)	531.85 (74.53)	480.96 (76.93)	467.77 (74.41)
जल की बिक्री	14.32 (1.66)	15.00 (2.17)	0.001	2.02 (0.32)	--
किराया/लाइसेंस शुल्क एवं वाणिज्यिक कार्यकलापों से प्राप्तियाँ	110.76 (12.87)	97.77 (14.16)	115.55 (16.19)	100.92 (16.14)	99.16 (15.78)
शुल्क जुर्माना और विविध प्राप्तियाँ	23.04 (2.68)	17.94 (2.60)	33.899 (4.75)	16.74 (2.68)	31.69 (5.04)
निवेश पर ब्याज	178.74 (20.76)	27.28 (3.95)	32.29 (4.53)	24.54 (3.93)	30.00 (4.77)
योग	**860.85 (100.00)**	**690.49 (100.00)**	**713.59 (100.00)**	**625.18 (100.00)**	**628.62 (100.00)**

* कोष्ठको में दिये गये आंकड़े कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते है ।

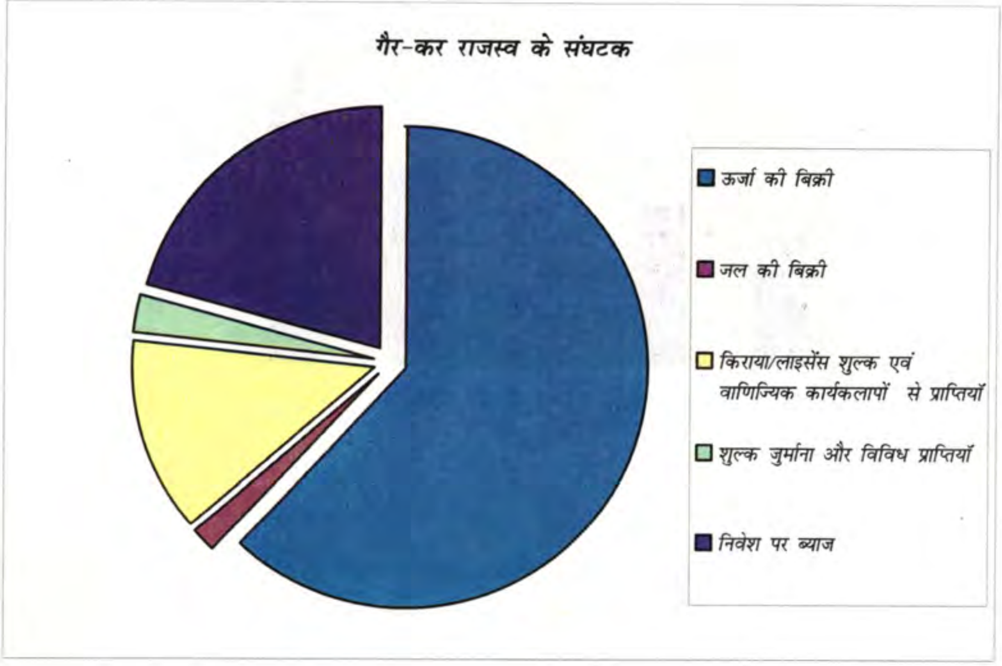

गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोत ऊर्जा की बिक्री, किराया/ लाइसेंस शुल्क व अन्य वाणिज्यिक कार्यकलापों से हुई प्राप्तियाँ थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कुल गैर-कर राजस्व के हिस्से के रूप में उर्जा की बिक्री के कारण प्राप्तियों में 62.03 प्रतिशत एवं 77.12 के मध्य घट-बढ़ रही ।

1.8 सहायता अनुदान एवं ऋण

परिषद् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋणों के रूप में सहायता प्राप्त करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता का रूझान निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.8 : सहायता अनुदान एवं ऋण

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	सहायता			कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
	अनुदान	ऋण	कुल	
2004-05	**44.79**	**--**	**44.79**	**4.16**
2003-04	29.17	-	29.17	3.38
2002-03	23.81	-	23.81	2.70
2001-02	23.54*	-	23.54	3.01
2000-01	18.62	5.75	24.37	3.26

* इसमें 0.37 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है ।

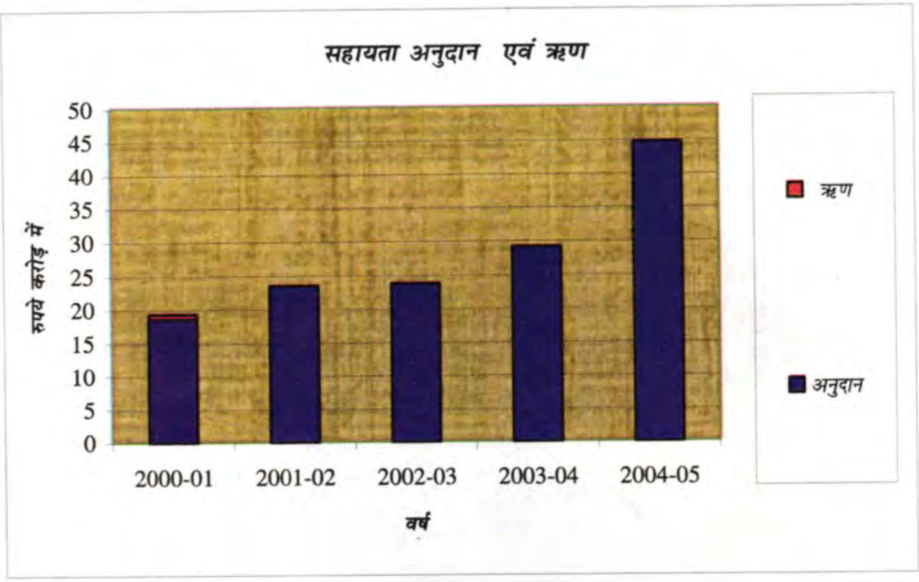

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुदान वर्ष 2000-01 में 18.62 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 44.79 करोड़ रुपये हो गया था। कुल प्राप्तियों के अनुपात में यह वर्ष 2000-01 में 3.26 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 4.16 प्रतिशत हो गया । परिषद् ने

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान कोई ऋण नहीं लिया ।

1.8.1 पिछले वर्ष के सहायता अनुदान का समायोजन न करना

वित्तीय वर्ष 2003-04 के अंत में कुछ योजनाओं की अनुदान सहायता राशि बिना व्यय किये शेष पड़ी थी । सामान्यत: आगामी राशि के भुगतान से पूर्व पिछले वर्ष की व्यय न की गई शेष राशि को खाते में जोड़ना आवश्यक होता है । आडिट जॉंच से पता चला है कि दो योजनाओं पर व्यय नहीं की गई शेष राशि का समंजन किये बिना 2004-05 के लिए सहायता अनुदान जारी किया गया है। जिसके विवरण निम्न प्रकार से हैं :

तालिका 1.9: अनुदान सहायता का समायोजन न करना

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	योजना	1.4.04 को व्यय न की गई शेष राशि	2004-05 के दौरान स्वीकृत अनुदान सहायता राशि	वास्तविक प्राप्त राशि	गैर समंजित बिना व्यय की शेष राशि
1.	नाला ढ़कना व बाढ़निरोध (योजना)	42.67	62.50	62.50	42.67
2.	मध्यान्ह भोजन योजना (गैर योजना)	13.20 (समंजन 8.77)	34.39	25.62	4.43

1.8.2 सहायता अनुदान का उपयोग नहीं करना

वर्ष 2004-05 के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार से 4 योजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्राप्त हुआ परन्तु पर्याप्त राशि का उपयोग नहीं हुआ । विवरण निम्न प्रकार से है :

तालिका 1.10: सहायता अनुदान का अनुपयोग

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	1.4.05 को व्यय नहीं की गई शेष राशि
1.	मध्यान्ह भोजन (योजना)	75.00	41.94	33.06
2.	साख्यिकीय इकाई	1.25	शून्य	1.25
3.	विधायक निधि	430.00	167.53	262.47
4.	मध्यान्ह भोजना (गैर योजना)	34.39	7.54	26.85

1.8.3 स्वीकृत सहायता अनुदान से अधिक व्यय

आडिट जॉंच से पता चला कि वर्ष 2004-05 के दौरान परिषद् द्वारा पांच योजनाओं पर स्वीकृत सहायता अनुदान से अधिक व्यय किया गया । विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है :

तालिका 1.11: स्वीकृत राशि से अधिक्य सहायता अनुदान का व्यय

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि	2004-05 के दौरान आधिक्य व्यय की राशि
1.	शिक्षा (योजना)	50.00	58.36	8.36
2.	चिकित्सा	100.00	146.86	46.86
3.	कूड़ा हटाना व सफाई का मशीनीकरण	40.00	52.33	12.33
4.	नाला ढ़कना व बाढ़ रोधी	62.50	77.15	14.65
5.	मलेरिया रोधी	10.00	19.05	9.05

सहायता अनुदान संबंधी रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार विभाग को प्राप्त सहायता अनुदान के लिए अलग लेखा रखना चाहिए । निर्धारित रिकार्ड के अभाव में आडिट द्वारा सहायता अनुदान के वास्तविक व्यय/उपयोगिता की जॉच नहीं की जा सकी ।

1.9 राजस्व प्राप्तियों के बकाया

वर्ष 2004-05 के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने विद्युत प्रभारों (49.54 प्रतिशत), गृहकर (13.69 प्रतिशत) और किराया/लाइसेंस शुल्क (10.34 प्रतिशत) के द्वारा राजस्व अर्जित किया। लेकिन बजट पुस्तिका और वार्षिक लेखों में गृहकर के अतिरिक्त वर्तमान देय और बकाया के लेखे की प्राप्तियों को अलग-अलग नहीं दर्शाया गया था। लेखों में बकायों के वर्षानुसार विघटन को भी इंगित नहीं किया गया था। इस संबंध में आडिट रिपोर्ट में पूर्व में भी इंगित किया गया था परन्तु विभाग द्वारा सुधारात्मक उपाय अभी उठाये जाने हैं।

1.10 व्यय

1.10.1 व्यय का रूझान

इस रिपोर्ट में कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी व्यय, दिल्ली सरकार से प्राप्त ऋण/बाह्य सहायता की अदायगी और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् कर्मचारियों को ऋण प्रदान करने सहित सभी व्यय सम्मिलित किये गये हैं। परिषद् ने वर्ष 2004-05 में कुल 966.49 करोड़ रुपये व्यय किये । वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान व्यय का रूझान निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.12 : व्यय का रूझान

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजी व्यय		दिल्ली सरकार/ बाह्य सहायता के रूप में प्राप्त ऋणों की अदायगी	न.दि.न.प. कर्मचारियों को ऋणों का भुगतान	कुल व्यय
		न.दि.न.पा. परिषद् के कार्य	जमा कार्य			
2004-05	**899.20**	**27.10**	**5.74**	**33.83**	**0.62**	**966.49**
2003-04	738.10	48.99	6.11	7.34	0.94	801.48
2002-03	723.16	33.01	8.03	10.46	1.04	775.70
2001-02	679.15	38.68	12.16	12.25	1.43	743.67
2000-01	650.12	39.84	15.60	40.23	1.44	747.23

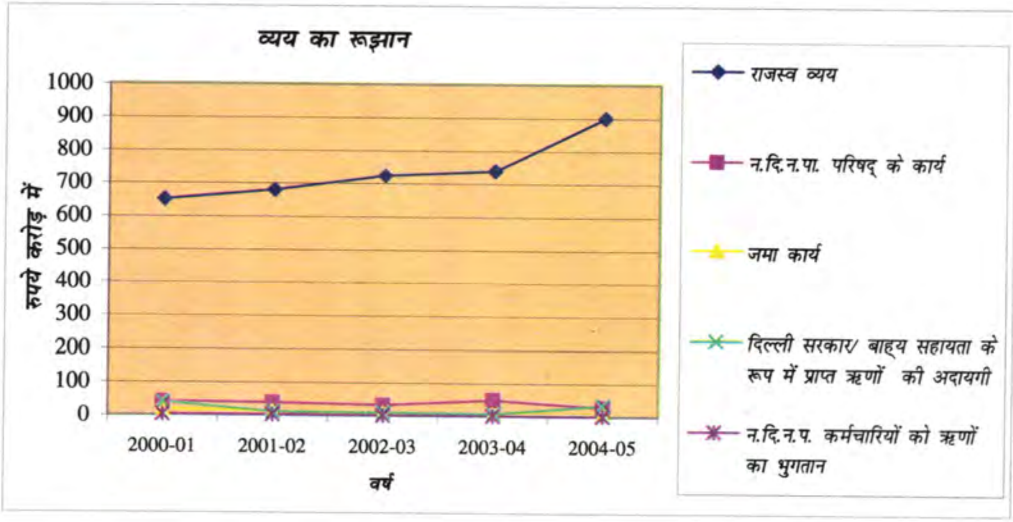

1. वर्ष 2000-01 में 747.23 करोड़ रूपये का कुल व्यय बढ़कर वर्ष 2004-05 में 966.49 करोड़ रुपये हो गया । वर्ष 2004-05 के दौरान व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 20.59 प्रतिशत बढ़ गया ।

2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2000-01 में 39.84 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2004-05 में 27.10 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में यह 44.68 प्रतिशत कम था । पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 21.83 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई ।

3. वर्ष 2004-05 के दौरान, सड़कों (26.24 प्रतिशत), विधायक निर्वाचन क्षेत्र निधि (70.16 प्रतिशत) और ऋणों पर ब्याज (60.94 प्रतिशत) के व्यय में कमी हुई जबकि जलापूर्ति (28.58 प्रतिशत), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (14.69 प्रतिशत), ऋणों की पुन: अदायगी (341.62 प्रतिशत) तथा प्रशासनिक सेवाओं (963.79 प्रतिशत) पर हुए व्यय में

वर्ष 2003-04 में हुए व्यय की तुलना में वृद्धि हुई। लेकिन विभिन्न शीर्षों में पूर्व वर्ष की तुलना में व्यय में हुई कमी/बढ़ोतरी के कारण रिकार्ड में नहीं थे ।

1.10.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार किया गया व्यय

तालिका 1.13 पिछले पांच वर्षों में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर हुये व्यय को दर्शाती है:

तालिका 1.13 : क्षेत्रवार व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.स.	क्षेत्र	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
1	सामान्य सेवायें	231.58 (23.96)	145.52 (18.16)	174.65 (22.52)	133.32 (17.93)	153.44 (20.53)
2	सामाजिक एवं विकास सेवायें	148.69 (15.38)	136.24 (17.00)	121.65 (15.68)	124.21 (16.70)	126.74 (16.96)
3	आर्थिक सेवायें	552.39 (57.16)	512.38 (63.93)	468.94 (60.45)	473.89 (63.72)	426.82 (57.12)
4	ऋणों की अदायगी /बिना खर्च हुए शेष धन की वापसी	33.83 (3.50)	7.34 (0.92)	10.46 (1.35)	12.25 (1.65)	40.23 (5.39)
	कुल	**966.49 (100.00)**	**801.48 (100.00)**	**775.70 (100.00)**	**743.67 (100.00)**	**747.23 (100.00)**

* कोष्ठको में दर्शाये गये आंकड़े कुल व्यय के संबंध में प्रतिशतता इंगित करते हैं ।

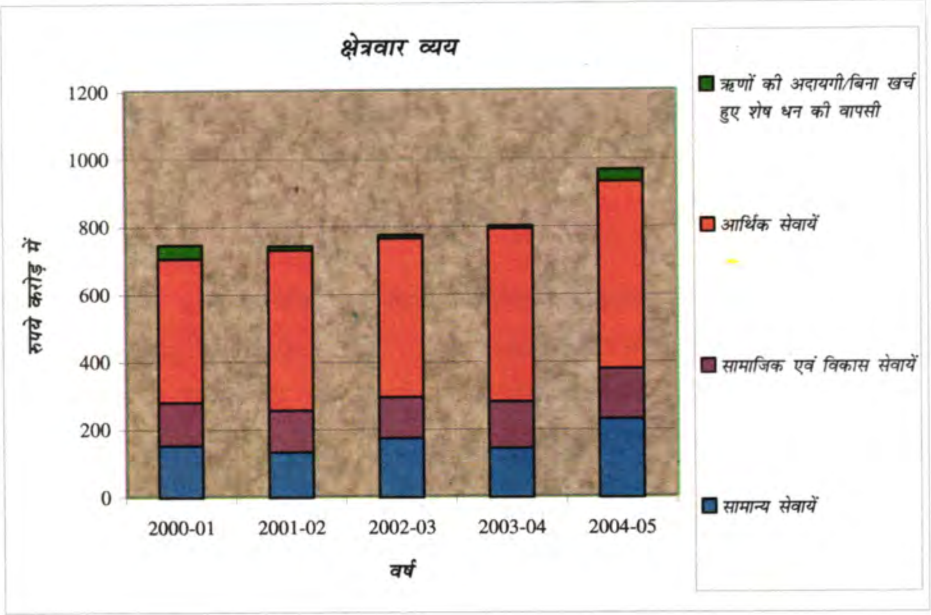

सामान्य सेवाओं के घटक वर्ष 2000-01 से वर्ष 2004-05 के दौरान घट-बढ़ का रुझान दर्शाते हैं । सामाजिक एवं विकास सेवाओं पर व्यय वर्ष 2000-01 में 16.96 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004-05 में 15.38 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2000-01 में 57.12 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 57.16 प्रतिशत हो गया। यद्यपि, पूर्व वर्ष 2003-04 के दौरान खर्च हुए व्यय की तुलना में 2004-2005 के दौरान सामाजिक एवं विकास सेवाओं पर (9.14 प्रतिशत), आर्थिक सेवाओं पर (7.81 प्रतिशत), सामान्य सेवाओं पर (59.14 प्रतिशत) तथा ऋण अदायगी/बाह्य सहायता (360.90 प्रतिशत) पर व्यय में वृद्धि हुई ।

1.11 दिल्ली सरकार को ऋणों की अदायगी एवं इस पर ब्याज की देयता

दिल्ली सरकार से प्राप्त ऋणों का वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित पुनर्भुगतान करना होता है और ब्याज का भुगतान ऋण स्वीकृति वाले वित्तीय वर्ष में लागू दरों के अनुरूप होता है ।

वर्ष 2000-2001 से 2004-05 के दौरान परिषद् द्वारा दिल्ली सरकार से प्राप्त ऋणों एवं दिल्ली सरकार को ऋणों की अदायगी का विवरण निम्न प्रकार था:

तालिका 1.14 : ऋणों की अदायगी

(रुपये करोड़ में)

	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
अथशेष	34.42	41.67	49.87	58.90	93.38
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण	--	--	-	-	5.75
वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	32.01	7.25	8.20	9.03	40.23
समापन शेष	2.41	34.42	41.67	49.87	58.90

1.12 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता (गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान)

परिषद् गैर-सरकारी संगठनों/विद्यालयों आदि को सहायता अनुदान प्रदान करती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा पिछले पांच वर्षों में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/विद्यालयों को प्रदान की गई सहायता अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.15 : परिषद् द्वारा सहायता अनुदान

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
1.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/गैर सरकारी संस्थान	3.80	7.45	11.40	9.10	6.30
2.	समाज कल्याण समिति	1.58	0.88	22.52	10.87	16.90
3.	नवयुग विद्यालय समिति	800.00	716.95	635.55	518.41	583.71
4.	रघुमल कन्या प्राथमिक विद्यालय	14.85	25.13	15.43	19.18	17.32
5.	रघुमल आर्य कन्या प्राथमिक विद्यालय	25.18	14.29	24.20	28.96	13.13
6.	निर्मल प्राथमिक विद्यालय	26.00	12.73	12.34	29.48	18.67
7.	खालसा बाल प्राथमिक विद्यालय	13.00	5.71	15.98	12.74	14.30
8.	पालिका सेवा अधिकारी संस्थान	--	--	10.70	-	--
	कुल	**884.41**	**783.14**	**748.12**	**628.74**	**670.33**

नवयुग विद्यालय समिति को जारी किए जाने वाले सहायता अनुदान में बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2004-05 में सहायता अनुदान की राशि 783.14 लाख रुपये से बढ़कर 884.41 लाख रुपये हो गई। समाज कल्याण समिति को सहायता अनुदान की दर्शायी गई राशि का समाज कल्याण समिति को सहायता अनुदान के रूप में भुगतान करने के बजाए लेखा शीर्ष डी.4.7.2-समाज कल्याण समिति के अंतर्गत बजट अनुदान के विरूद्ध सीधे व्यय के रूप में दर्शाया गया, जो कि अनियमित था। अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थान के रूप में समाज कल्याण समिति के लेखों का अलग से रखरखाव करना अपेक्षित था ।

वर्ष 2004-05 में अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदान के लेखे एवं उपयोग करने के प्रमाण-पत्र आडिट को जॉच के लिए उपलब्ध नहीं कराये गये ।

1.13 आधिक्य एवं आरक्षित निधि

नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत विशेष निधि सृजित करने का प्रावधान है। परिषद् ऐसी कई निधियों का रखरखाव कर रही है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :

तालिका 1.16 : आधिक्य एवं आरक्षित निधि

(रुपये करोड़ में)

निधि का नाम	1-4-04 को अथशेष	2004-05* में वृद्धि	कुल	2004-05 के दौरान व्यय	31-3-2005 को शेष राशि
ह्रास आरक्षित निधि विद्युत	219.83	50.00	269.83	1.24	268.59
ह्रास आरक्षित निधि जल	159.43	27.00	186.43	0.07	186.36
ह्रास आरक्षित निधि भवन	239.63	25.00	264.63	--	264.63
ह्रास आरक्षित निधि पेंशन एवं उपदान	685.70	271.50	957.20	113.54	843.66
समाज कल्याण निधि	0.49	0.30	00.79	00.26	0.53
करूणामूलक निधि	0.22	--	00.22	0.02	0.20
सामान्य आरक्षित निधि	453.07	434.70	887.77	827.80	59.97
सामान्य निधि (भवन /मार्किट निधि)	--	5.00	5.00	--	5.00
सामान्य भविष्य निधि(घाटा)	--	6.00	6.00	--	6.00
कुल	**1758.37**	**819.50**	**2577.87**	**942.93**	**1634.94**

* इसमें विभिन्न निधियों में विनियोजित ब्याज सम्मिलित है ।

आडिट द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई :

1. *नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 54 के अनुसार विशेष निधि की संरचना एवं उससे किया जाने वाला व्यय विनियमों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जायेगा, परन्तु ऐसे कोई विनियम आडिट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये ।*

2. *विवरण के अनुसार 31 मार्च 2005 को समापन शेष 1634.94 करोड़ रुपये थी जबकि बजट पुस्तिका के विवरण संख्या-II में 2117.80 करोड़ रुपये दिखाये गये । इस प्रकार 482.86 करोड़ रुपये का अंतर था । इसके कारण आडिट को स्पष्ट नहीं किये गये ।*

3. *इसी प्रकार 31 मार्च 2004 के समापन शेष 1758.37 करोड़ रुपये और बजट-पुस्तिका 2005-06 के विवरण संख्या-II में दर्शाये गये 1723.20 करोड़ रुपये में 35.17 करोड़ रुपये के अन्तर और 'ह्रास आरक्षित निधि के विवरण' के अनुसार 31 मार्च 2003 को 1490.85 करोड़ रुपये के समापन शेष एवं 1 अप्रैल 2003 को 1554.69 करोड़ रुपये के अथशेष के 63.84 करोड़ रुपये के अंतर को भी स्पष्ट नहीं किया गया था ।*

4. *वर्ष 2004-05 के दौरान पेंशन एवं उपदान सहित आरक्षण तथा आधिक्य निधि में 819.50 करोड़ रुपये की राशि को जोड़ा गया था । वर्ष के दौरान निधियों में योगदान का आधार रिकार्ड में नहीं थे । इसके साथ ही योगदान की राशि में ब्याज को भी शामिल किया गया था ।*

5. *वर्ष 2003-04 तथा वर्ष 2004-05 हेतु 'ह्रास एवं अन्य आरक्षित निधि' के वास्तविक योग, तथा इन वर्षों के लिए बजट पुस्तिका 2005-06 तथा 2006-07 क्रमशः में दिये गये वास्तविकों में भी निम्न विवरणानुसार अंतर था :*

तालिका 1.17 : ह्रास एवं आरक्षण निधि

(रुपये करोड़ में)

बजट पुस्तिका	*वर्ष के लिए वास्तविक*	*साधन एवं उपाय अनुमानों के विवरण-II के अनुसार आंकड़े*	*ह्रास एवं अन्य निधियों की स्थिति विवरण-II ए-2 के अनुसार आंकड़े*	*अंतर*
2006-07	**2004-05**	2117.80	1566.47	551.33
2005-06	**2003-04**	1723.20	1305.30	417.90

उपरोक्त दिखाये गये दो विवरणों में 551.33 करोड़ रुपये एवं 417.90 करोड़ रुपये के अंतर के कारण को भी स्पष्ट नहीं किया गया था।

1.14 व्यय को किसी खाते में न लेना

वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान 93.10 करोड़ रुपये विविध अग्रिमों के रूप में प्राप्त किया गया जिसमें से 65.20 करोड़ रुपये के अग्रिमों का समायोजन लेखों के अंतिम शीर्षों में कर दिया गया और वित्तीय वर्ष 2004-05 की समाप्ति पर 27.90 करोड़ रुपये असमंजित रह गये। इसके परिणामस्वरूप 27.90 करोड़ रुपये के व्यय को किसी खाते में नहीं लिया गया। वर्ष-अनुसार अग्रिमों की प्राप्ति एवं समंजन का विवरण निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.18 : विविध अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	जारी किये गये अग्रिमों की राशि	समंजित अग्रिमों की राशि	शेष असमंजित राशि
2004-05	**15.21**	**10.40**	**4.81**
2003-04	24.90	24.92	(-)0.02
2002-03	32.67	17.44	15.23
2001-02	4.28	5.92	(-) 1.64
2000-01	16.04	6.52	9.52
कुल	**93.10**	**65.20**	**27.90**

1.15 वार्षिक लेखों पर सामान्य टिप्पणियाँ

आडिट द्वारा लेखों की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान लेखा पद्धति में कुछ विसंगतियाँ/कमियाँ थी । इन्हें पहले भी वार्षिक आडिट रिपोर्ट तथा स्थानीय आडिट रिपोर्ट में दिखाया गया था । किन्तु विभाग ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये । विसंगतियों/कमियों पर निम्न प्रकार से टिप्पणियाँ थी :

1. व्यय स्वीकृत बजट प्रावधान के अन्तर्गत होना चाहिए। किन्तु बहुत से मामलों में वास्तविक व्यय बजट प्रावधान से अधिक हो गया था । संबंधित लेखा शीर्ष में व्यय को नियंत्रित रखने का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया । तद्नुसार, यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि व्यय की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान थी ।

2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ऊर्जा और जल की बिक्री, वाणिज्यिक दुकानों/ईकाइयों को किराये पर देना और खाद तैयार करना व बेचना जैसे वाणिज्यिक कार्यकलापों का संचालन करती है परन्तु इन वाणिज्यिक कार्यकलापों के संबंध में प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे और इस प्रकार इन कार्यकलापों से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण नहीं किया जा सका ।

3. वार्षिक लेखों की वर्तमान पद्धति में वर्ष के प्रारम्भ में करों, शुल्क एवं अन्य राजस्व और वसूल योग्य लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि तथा वर्ष के दौरान इनकी वसूली की राशि प्रतिबिम्बित नहीं होती । इस प्रकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वास्तविक बकाया राशि की वर्ष-बार जानकारी नहीं थी ।

4. प्रत्येक वर्ष वार्षिक लेखों में विभिन्न निलम्बित शीर्षों के अंतर्गत अत्यधिक व्यय दिखाया गया था, जिसे बाद में संमजित नहीं किया था । वार्षिक लेखों में सस्पेंस लेखों के वर्षानुसार अथशेष, समापन शेष और निलम्बित (सस्पेंस) लेखों का निपटान नहीं दिखाया गया और इस प्रकार निलम्बन शीर्षों के अधीन दिखाए गए अत्यधिक व्यय एवं इसके समंजन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

5. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के वार्षिक लेखे विभिन्न ऋणों, जमा तथा प्रेषित शीर्षों के अथशेष एवं समापन शेष नहीं दर्शाते और इस प्रकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सही और वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत नहीं करते ।

6. बैंक लेखे में जमा करवाये गये चैकों, जिनकी राशि खाते में वित्तीय वर्ष में जमा नहीं हुई, का विवरण वार्षिक लेखे के साथ संलग्न नहीं किया गया था। इसी प्रकार वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा जारी चैकों, जो बैंकों में भुगतान के लिये जमा नहीं करवाये गये, का विवरण भी वार्षिक लेखों के साथ संलग्न नहीं किया गया।

7. 'रोकड़ पुस्तिका' और 'बैंक खाते' के अथशेष एवं समापन शेष तथा इनमें विसंगति, यदि कोई थी तो उसकी अपेक्षित स्पष्टीकरण टिप्पणी सहित प्रस्तुत नहीं दर्शायें गये थे ।

8. सामान्य निधि से अग्रिमों को उदारता से बार-बार प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी और यह सामान्यतः काफी समय तक असंमजित रहे । अथशेष एवं समापन शेष तथा वर्ष में किये गये समंजन को दर्शाता विवरण वर्षानुसार स्थिति स्पष्ट नहीं करता ।

9. विभाग ने उपकर अधिनियम 1996, के अन्तर्गत उपकर प्रभार वसूल किए, जोकि निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड में 30 दिन के भीतर जमा करने/प्रेषित करने अपेक्षित थे । न.दि.न.पा.परिषद् ने निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की । परिणामस्वरूप, प्राप्तियाँ उस सीमा तक अधिक दिखाई गई ।

10. लेखा नियमों के अनुसार माइनस एन्ट्री को अन्तिम लेखे में नहीं दर्शाया जाता । यह पाया गया कि 14 लेखा शीर्षों में, विभाग ने जी-4 विवरण में माइन्स एन्ट्रियाँ दर्शायी थी । कुछ उदाहरण निम्न प्रकार थे :

तालिका 1.19 : माइनस एन्ट्री

(रुपये में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	विवरण	राशि
1.	डी.2.11.1	वेतन एवं भत्ते	(-) 5798
2.	एच-1.8.डी	कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण (पूँजी)	(-) 11595

1.16 बजट प्रायोजना का विश्लेषण

बजट में तीन प्रकार के आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं: (क) पूर्व वर्ष के लिए वास्तविक (ख) वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और (ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान । इस भाग में बजट प्रायोजना के संदर्भ में परिषद् के विभिन्न वित्तीय घटकों में भिन्नताओं पर विचार-विमर्श किया गया है ।

1.16.1 राजस्व के अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान का विवरण निम्न प्रकार था:

तालिका 1.20 : अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	बजट अनुमान पर वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (+)/कमी (-)	बजट अनुमान पर अधिक (+)/ कमी (-) प्रतिशतता
2004-05	**997.54**	**1060.86**	**1077.91**	**(+) 80.37**	**(+)8.06**
2003-04	885.13	884.99	861.97	(-) 23.16	(-) 2.62
2002-03	860.78	879.77	882.11	(+) 21.33	(+) 2.48
2001-02	829.66	786.42	769.42	(-) 60.24	(-) 7.26
2000-01	726.79	815.93	747.20	(+) 20.41	(+) 2.81

वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 80.37 करोड़ रुपये अधिक थी । लेकिन वर्ष 2004-05 के लिए संशोधित अनुमान के संदर्भ में 17.05 करोड़ रुपये अधिक थी ।

वास्तविक प्राप्तियों एवं संशोधित अनुमानों की शीर्षानुसार विस्तृत तुलना करने से निम्न प्रकार ज्ञात हुआ:

(क) लेखे के निम्न छः उपशीर्षों के अंतर्गत 1.35 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में प्राप्तियाँ शून्य रही :

तालिका 1.21 : शून्य प्राप्तियाँ

(रुपये लाख में)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2004-2005		संशोधित अनुमान 2004-2005		वास्तविक 2004-05
			राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	
1	ए.VIII (4)	धोबी लाईसेंस	0.05	--	0.05	--	शून्य
2	डी..XIX(ii)	राष्ट्रीय आपदा में अंशदान	--	--	50.00	--	शून्य
3	जे-2 (I)-ई(I)	चिकित्सा(पूंजी)	--	20.00	--	20.00	शून्य
4	जे-.2 (I)-जी.	शहरी विकास (पूंजी)	--	25.00	--	25.00	शून्य
5	जे-2 (I)जे	समाज कल्याण (पूँजी) (राजस्व)	-- --	20.00 --	-- 1.00	-- --	शून्य शून्य
6	एच.(xiii)	सड़कों,बाढ-रोधी,जलाआपर्ति,और सीवरेज कार्यों आदि पर विभागीय प्रभार	34.00	--	38.80	--	शून्य
		कुल	**34.05**	**65.00**	**89.85**	**45.00**	**शून्य**

चूंकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में तैयार किये जाते थे, अत: संशोधित अनुमान के विरुद्ध शून्य प्राप्तियाँ त्रुटिपूर्ण बजट इंगित करती थी ।

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के शीर्ष-अनुसार अन्तर के कारण आडिट को उपलब्ध नहीं कराए गये ।

(ख) निम्नलिखित छ: लेखा शीर्षों के अंतर्गत संशोधित अनुमानों की तुलना में प्राप्तियों में कमी 64.33 प्रतिशत और 99.88 प्रतिशत के बीच रही। इस के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे:

तालिका 1.22 : प्राप्तियों में कमी

(रुपये लाख में)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2004-05	संशोधित अनुमान 2004-05	वास्तविक 2004-05	कमी	भिन्नता की प्रतिशतता
1	ए.VIII(2)	प्लम्बिंग लाइसेंस	1.00	25.00	0.03	24.97	99.88
2	ए.VIII(10)	सीवर योजन शुल्क	60.00	70.00	1.27	68.73	98.18
3	ए.VIII(14)	शव वाहन प्रभाग	0.30	0.30	0.10	0.20	66.66
4	सी.(vii)	न.दि.न.पा.परिषद् विभागीय जलपान गृह से प्राप्तियाँ	33.00	33.00	11.77	21.23	64.33
5	एच-(xv)-(ए)	सम्पदा विभाग	20.00	15.00	3.74	11.26	75.06
6	जे.2-I(ए)	शिक्षा (पूंजी) (राजस्व)	80.00 120.00	40.00 139.00	6.25 43.75	33.75 95.25	84.38 68.53

शीर्ष ए-VIII(10).सीवर योजन शुल्क के अंतर्गत संशोधित अनुमान के संबंध में वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में भी 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी, जबकि लेखा शीर्ष

सी (vii)- नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् विभागीय जल पान गृह से प्राप्ति तथा जे. 2-I(ए)- शिक्षा के अंतर्गत प्राप्तियों में 2003-04 में संशोधित अनुमान से 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी ।

(ग) निम्नलिखित 22 लेखा-शीर्षों में प्राप्तियाँ निम्न विवरणानुसार संशोधित अनुमानों से 50 प्रतिशत से 3095 प्रतिशत तक अधिक थी :

तालिका-1.23 : प्राप्तियों की अधिक वसूली

(रूपये लाख में)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2004-05	संशोधित अनुमान 2004-05	वास्तविक 2004-05	भिन्नता	भिन्नता की प्रतिशतता
1.	ए-I (बी)	बकाया	10.00	1.00	31.95	30.95	3095.00
2.	ए-III	विज्ञापन कर	4.00	6.50	9.84	3.34	51.38
3.	ए-IV	थियेटर एवं शो-कर	0.40	0.40	0.74	0.34	85.00
4.	ए-VII-(ए)	नक्शा प्रस्तुतिकरण	20.00	26.00	73.18	47.18	181.46
5.	ए VII-(बी)	समुन्नति कर	10.00	42.00	70.64	28.64	69.19
6.	ए VII-(ई)	अतिरिक्त तल क्षेत्र पर प्रभार	--	31.00	47.79	16.79	54.16
7.	ए VIII-(15)	नक्शा तैयार करने पर शुल्क	--	0.08	0.14	0.06	75.00
8.	सी-(i)	विविध आय (सामान्य)	17.70	24.20	51.76	27.56	113.88
9.	सी-(v)	अवकाश वेतन अंशदान	--	0.44	1.08	0.64	145.45
10	सी-(vi)	पेंशन अंशदान	--	1.64	3.12	1.48	90.24
11	डी-I.(सी-)(iii)	नर्सरी स्कूल से शूल्क	0.40	0.20	0.30	0.10	50.00
12	डी- V	तरणताल	12.00	5.50	8.31	2.81	51.09
13	डी- VI	पशुबाड़ा	--	1.00	1.70	0.70	70.00
14.	डी-VIII	खाद्य संयंत्र से प्राप्तियाँ	50.00	35.00	64.94	29.94	85.54
15.	डी-XIV	सामुदायिक भवन, पंचकुइयाँ रोड से प्राप्तियाँ	2.00	0.15	0.44	0.29	193.33
16.	ई-(iii)	नए योजन/पुनर्योजन शुल्क	18.00	14.00	24.77	10.77	76.93
17.	ई- (vi)	अन्य प्राप्तियाँ (छुट-पुट मदें)	49.35	31.60	117.42	85.82	271.58
18.	एच-(vii)	पार्कों/खेल के मैदान का आरक्षण	7.00	11.00	18.37	7.37	67.00
19.	एच-(x)	तहबाजारी	25.00	30.00	47.39	17.39	57.67
20.	एच-(xv)(सी)	उद्यान विभाग	0.60	0.60	1.21	0.61	101.66
21.	एच-(xxii)I	कालातीत संचय सिविल इंजीनियरिंग विभाग	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
22.	के-(III)	विद्युत विभाग (पूंजी)	600.00	307.00	840.36	533.36	173.73

वर्ष 2003-04 के दौरान भी शीर्षों ए I.(बी)-बकाया, ए-III-विज्ञापन कर, सी-(i)-विविध आय(सामान्य), सी-(v)-अवकाश वेतन अंशदान, सी-(vi)-पेंशन अंशदान, एच(vii)-पार्को/खेल के मैदान का आरक्षण, के-(III)-विद्युत विभाग (पूंजी) के अंतर्गत संशोधित अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियाँ 50 प्रतिशत से अधिक थी । बजट अनुमानों से विचलन

अप्रत्याशित एवं सांयोगिक बाह्य घटनाओं या प्रणाली संबंधी कमी के कारण हो सकता था। चूंकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष की लगभग समाप्ति पर तैयार किये जाते हैं इसलिये उपरोक्त तालिका में उल्लेखित ऐसे अत्यधिक विचलन पर विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है।

1.16.2 कर राजस्व के अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली

पिछले पॉच वर्षों में कर राजस्व के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.24 : अनुमान की तुलना में कर राजस्व की वास्तविक वसूली

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक कर राजस्व	बजट अनुमान से अधिक कर राजस्व की प्राप्ति में बढ़ोतरी(+)/कमी(-)	बजट अनुमान से वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत
2004-05	**132.02**	**156.36**	**172.27**	(+) **40.25**	(+) **30.49**
2003-04	126.34	134.33	142.31	(+) 15.97	(+) 12.64
2002-03	106.20	112.44	144.71	(+) 38.51	(+) 36.26
2001-02	94.87	84.09	120.70	(+) 25.83	(+) 27.23
2000-01	72.86	89.37	99.96	(+) 27.10	(+) 37.19

वर्ष 2004-05 के दौरान कर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति बजट अनुमान से 30.49 प्रतिशत अधिक होने का मुख्य कारण बजट अनुमान से गृहकर का 30.04 प्रतिशत और सम्पत्ति हस्तांतरण शुल्क का 77 प्रतिशत अधिक वसूली होना था।

1.16.3 गैर-कर राजस्व के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली

पिछले पांच वर्षो में बजट अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व की वास्तविक वसूली निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.25 : गैर-कर राजस्व के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक गैर-कर राजस्व	बजट अनुमान से अधिक (+)/कम (-) प्राप्त गैर- कर राजस्व	बजट अनुमान में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
2004-05	**833.41**	**857.21**	**860.85**	**(+)27.44**	**(+)03.29**
2003-04	728.16	719.76	690.49	(-)37.67	(-)05.17
2002-03	724.28	736.74	713.59	(-) 10.69	(-)01.48
2001-02	700.37	675.26	625.18	(-) 75.19	(-)10.74
2000-01	633.26	722.29	628.62	(-)04.64	(-)00.73

वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-कर राजस्व बजट अनुमान से 27.44 करोड़ रुपये अधिक था ।

1.16.4 बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय

पिछले पांच वर्षों में वास्तविक व्यय संशोधित अनुमानों से निरंतर कम रहा और 2000-2001 को छोड़कर बजट अनुमान से भी कम रहा जैसा कि निम्न विवरण में दिया गया है:

तालिका 1.26 : बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय

(रूपये करोड़ में)

	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय			आधिक्य (+)/बचत (-)		
वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
2004-05	18.90	977.20	996.10	17.19	1043.96	1061.15	11.64	954.85	966.49	(-)7.26 * 38.41	(-)22.35 *2.29	(-)29.61 *2.97
2003-04	16.84	867.42	884.26	20.14	863.64	883.78	15.80	785.68	801.48	(-)1.04 *6.18	(-)81.74 *9.42	(-)82.78 *9.36
2002-03	16.90	844.00	860.90	16.80	858.23	875.03	9.80	765.90	775.70	(-) 7.10 * 42.01	(-)78.10 * 9.25	(-) 85.20 * 9.90
2001-02	20.82	807.90	828.72	16.14	824.50	840.64	19.61	724.06	743.67	(-) 1.21 *5.81	(-) 83.84 *10.38	(-) 85.05 *10.26
2000-01	52.15	684.13	736.28	18.55	803.20	821.75	14.99	732.24	747.23	(-) 37.16 *71.25	(+) 48.11 *7.03	(+) 10.95 *1.49

* प्रतिशत आधिक्य/बचत इंगित करता है।

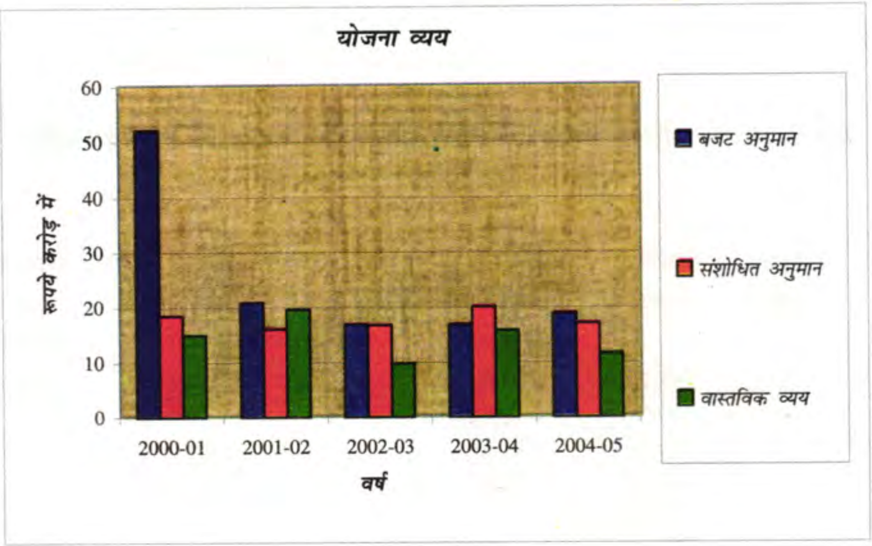

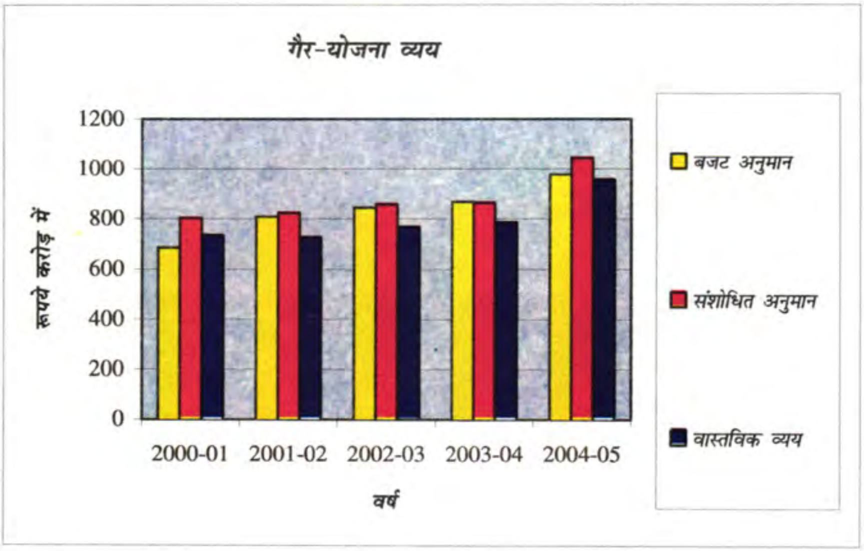

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि परिषद् व्यय का अधिक अनुमान लगा रही थी।

1.16.4.क योजना

कुल व्यय की तुलना में योजना व्यय का प्रतिशत बहुत कम रहा । वर्ष 2004-05 के दौरान योजना शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में कुल 38.41 प्रतिशत यानि 7.26 करोड़ रुपये की बचत हुई ।

संशोधित अनुमान के साथ वास्तविक व्यय की तुलना से यह प्रकट हुआ कि :

(क) लेखों के निम्नलिखित सात शीर्षों के अन्तर्गत 7.60 लाख रूपये में से कुछ भी व्यय नहीं किया गया :

तालिका 1.27 : शून्य व्यय वाले लेखा शीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान 2004-05	वास्तविक 2004-05
1	डी. 1.4.5(IV)	स्टेशनरी की निःशुल्क आपूर्ति	2.00	शून्य
2	डी. 1.4.5(IX)	ऊन/ऊनी स्वेटरों की आपूर्ति	1.20	शून्य
3	डी. 4.11.2	मूल कार्य (पूंजी)	4.00	शून्य
4	डी. 1.1.9	प्रशासनिक योजना तथा सांख्यिकी इकाई	0.10	शून्य
5	डी. 1.5.11	नर्सरी शिक्षा का विस्तार	0.10	शून्य
6	डी. 1.24.	प्रारंभिक शिक्षा(6-11)तथा (11-13) का विस्तार	0.10	शून्य
7	डी.1.25	(10+2) शिक्षा का ढ़ॉचा	0.10	शून्य
		कुल	**7.60**	**शून्य**

वर्ष 2003-04 के दौरान भी लेखा शीर्ष डी.1.25-(10+2) शिक्षा का ढ़ाँचा के अन्तर्गत एक लाख रूपये के संशोधित बजट के विरुद्ध व्यय शून्य था ।

(ख) निम्नलिखित 11 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों के संदर्भ में बचत 38.28 प्रतिशत से 94.70 प्रतिशत के बीच रही :

तालिका 1.28 : अत्याधिक बचत के साथ लेखा शीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान 2004-05	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशतता के अनुसार कमी
1.	डी. 1.26	शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन	5.00	2.49	2.51	50.20
2.	एच.4	विधायक निर्वाचन निधि (पूंजी)	525.00	167.52	357.48	68.09
3.	डी.2.17.11.(ए)	बाढ़रोधी कार्य	125.00	77.15	47.85	38.28
4.	डी. 1.4.5(ii)	नि:शुल्क पाठ्य पुस्तके	36.00	16.63	19.37	53.81
5.	डी. 1.4.5(iii)	नि:शुल्क वर्दी	20.00	1.06	18.94	94.70
6.	डी.1.22	नि:शुल्क जूते तथा जुराबे	11.00	4.25	6.75	61.36
7.	डी.1.19.4	छात्रवृति तथा अन्य प्रोत्साहन	3.50	1.62	1.88	53.71
8.	डी.1.3.8	प्रांरभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार	60.00	15.70	44.30	73.83
9.	डी.1.7.7.7 ए	कार्य अनुभव कार्यक्रम तथा अभिरूचि केन्द्र	2.00	0.46	1.54	77.00
10	डी.1.2.10 डी.1.4.7	पूंजीगत कार्य (पूंजी)	40.00	11.11	28.89	72.23
11.	डी.1.10.9(1)	मध्यकालीन भोजन	80.00	41.94	38.06	47.58

(ग) लेखा शीर्ष डी.4.2.4 (योजना) पूंजी के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था जबकि विभाग द्वारा 0.73 लाख रुपये व्यय किये गये । इसे सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा लिया जाये ।

(घ) निम्नलिखित चार शीर्षों के अंतर्गत संशोधित अनुमान से 25.41 प्रतिशत और 161.65 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया :

तालिका 1.29 : अधिक व्यय के लेखा शीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2004-05	संशोधित अनुमान 2004-05	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के संदर्भ सहित वृद्धि	प्रतिशतता के अनुसार आधिक्य
1.	डी.2.16.12	सफाई एवं कूडा हटाने की योजना का मशीनीकरण (पूंजी)	--	20.00	52.33	32.33	161.65
2.	डी.2.2.7 तथा डी.2.2.11	न.दि.न.पा.परिषद् अस्पताल मोती बाग की सेवाओं का सशक्तिकरण	30.00	30.00	59.06	29.06	96.87
3.	डी.2.3.16 तथा डी.2.2.ए 4	नये अस्पतालों, लोदी कालोनी एवं अन्य मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रो का सशक्तिकरण (पूंजी)	50.00	70.00	87.79	17.79	25.41
4.	डी.1.7.6(iii)	विज्ञान एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुधार	5.00	4.00	5.04	1.04	26.00

संशोधित अनुमान से अत्याधिक अंतर का कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आधिक्य व्यय नियमित किया जाना अपेक्षित था।

1.16.4 (ख) गैर-योजना

वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से 89.11 करोड़ रुपये अर्थात 8.54 प्रतिशत कम था। इसके साथ ही संशोधित अनुमान के संदर्भ में वास्तविक व्यय के शीर्षानुसार तुलनात्मक विवरण से ज्ञात हुआ कि :

(क) 197 लेखा शीर्षों के अंतर्गत 13.55 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से कुछ भी व्यय नहीं हुआ। एक लाख रुपये से अधिक संशोधित अनुमानों वाले 50 मामलों का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित चार लेखाशीर्षों के अंतर्गत संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान किया गया जबकि इनके विरुद्ध बजट अनुमान शून्य था। तथापि इन शीर्षों के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

तालिका 1.30 : संशोधित अनुमान के विरूद्ध शून्य व्यय वाले लेखा शीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2004-05	संशोधित अनुमान 2004-05	वास्तविक 2004-05
1.	सी.10.8	अवकाश यात्रा रियायत	शून्य	0.20	शून्य
2.	डी.1..6.4(बी)	श्रम कल्याण अधिकारी	शून्य	1.00	शून्य
3.	डी.1.7.6(1)	अनुग्रह राशि	शून्य	0.04	शून्य
4.	डी 4.1..2	भविष्य निधि में अंशदान	शून्य	0.05	शून्य

(ग) 131 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बचत बजट अनुमानों के 50.20 प्रतिशत से 99.30 प्रतिशत के बीच रही । विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है ।

(घ) 17 लेखा शीर्षों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान संशोधित अनुमान के मुकाबले लगातार 50 प्रतिशत से अधिक की बचत पायी गई जिसका विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है । 17 शीर्षों में से निम्न चार लेखा शीर्षों में पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया:

तालिका 1.31: गत तीन वर्षों के दौरान लगातार 100 प्रतिशत बचत वाले लेखा शीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. स.	शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बचत	बचत की प्रतिशतता
	योजना						
1	डी.1.25 शिक्षा का ढाँचा	2002-03 2003-04 2004-05	-- -- 1.00	5.00 1.00 0.10	-- -- --	5.00 1.00 0.10	100.00 100.00 100.0Q
	गैर योजना						
2	डी.1.2.ए.12 प्रयोगशाला/पुस्तकालय फर्नीचर	2002-03 2003-04 2004-05	2.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.20	-- -- --	1.00 1.00 0.20	100.00 100.00 100.00
3	डी.1.2.ए.13 खेल का सामान	2002-03 2003-04 2004-05	2.50 1.00 1.00	2.00 2.00 0.20	-- -- --	2.00 2.00 0.20	100.00 100.00 100.00
4	डी.2.18.4 वैनों को चलाना एवं रखरखाव	2002-03 2003-04 2004-05	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	-- -- --	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00

(ङ) 59 लेखा शीर्षों के अंतर्गत व्यय बजट प्रावधान से अधिक हुआ । आधिक्य व्यय संशोधित अनुमान से 20 प्रतिशत से 886.95 प्रतिशत के मध्य रहा । एक लाख रुपये से अधिक व्यय वाले 23 लेखा शीर्षों का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है । आधिक्य व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित कराया जाना अपेक्षित था ।

(च) निम्नलिखित दस लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय बिना किसी बजट प्रावधान के किया गया था:

तालिका 1.32: संशोधित अनुमान में किसी बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2004-05	संशोधित अनुमान 2004-05	वास्तविक 2004-05
1.	सी .2.7	आर्थिक सेवाएं/सचिवालय सेवाएं	1.00	--	0.07
2.	सी 3.10	*** सी.3.8(xi) के साथ विलयन	--	--	4.09
3.	सी.3.10 ए	*** सी.3.8(xi) के साथ विलयन	--	--	6.06
4.	सी.14.5	रिकवरी वैन का क्रय	20.00	--	0.16
5.	डी .1.1.13	विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना तथा विद्यालयों में अतिरिक्त कम्प्यूटरों की व्यवस्था	10.00	--	1.80
6	डी.1.10.9 (II)	अन्य मदें	2.00	--	1.67
7.	डी.2.10.5	अनुग्रह राशि	2.07	--	2.08
8.	डी.4.5.5	अन्य प्रभार	0.70	--	0.16
9.	ई. .12	दैनिक भत्ता/मंहगाई भत्ता	1.00	--	0.16
10.	एच..1.8.C	कमजोर वर्गों के लिए क्योस्कों/थड़ों, छोटी दुकानों का निर्माण	5.00	--	0.84

संशोधित अनुमानों से अत्याधिक अंतर के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे । आधिक्य व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाना अपेक्षित है ।

1.17 व्यय की अत्याधिकता

1.17.1 अत्याधिक कार्य मार्च में सम्पन्न

आडिट को पिछले 3 वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में दिये गये व्यय के विवरण और रिकार्ड की जॉच करने से ज्ञात हुआ कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कुछ विभागो की यह कार्य प्रणाली है कि वह अधिकतर व्यय मार्च के मास में करते हैं जबकि इसको पूरे वित्तीय वर्ष में अनुपातिक आधार पर व्यय किया जाना चाहिए था । जिन विभागों ने मार्च के महीनों में अत्याधिक व्यय किया था उनका विवरण निम्नप्रकार है :

तालिका-1.33 : मार्च में व्यय की अत्याधिकता

(रुपये करोड़ में)

विभाग	2002-03			2003-04			2004-05		
	वर्ष के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	03/03 में व्यय की प्रतिशता	वर्ष के दौरान व्यय	मर्च के दौरान व्यय	03/04 में व्यय की प्रतिशता	वर्ष के दौरान व्यय	मर्च के दौरान व्यय	03/05 में व्यय की प्रतिशता
जल आपूर्ति	22.48	7.12	31.68	35.21	12.87	36.55	33.63	4.96	14.73
सड़कें	12.38	2.26	18.23	21.90	4.94	22.55	15.57	2.41	15.45
जमा कार्य	7.68	1.56	20.33	5.89	0.90	15.23	5.42	0.74	13.66

1.17.2 पिछली तिमाही में अत्याधिक व्यय

तिमाही आधार पर व्यय की पद्धति की भी छानबीन की गई । यह पाया गया कि उपरोक्त वर्णित विभाग वर्ष की अंतिम तिमाही में भी अत्याधिक व्यय कर रहे थे । उन्हीं विभागों द्वारा खर्च किए गए तिमाही व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका-1.34 : वर्ष के अंतिम त्रैमासिक में व्यय की अत्याधिकता

(रुपये करोड़ में)

विभाग	2002-03			2003-04			2004-05		
	वर्ष के दौरान व्यय	जन0 से मार्च तक व्यय	अंतिम त्रैमासिक में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	जन0 से मार्च तक व्यय	अंतिम त्रैमासिक में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	जन0 से मार्च तक व्यय	अंतिम त्रैमासिक में व्यय की प्रतिशतता
जल आपूर्ति	22.48	12.24	54.44	35.21	18.72	53.18	33.63	10.69	31.77
सड़कें	12.38	4.62	37.32	21.90	7.52	34.32	15.58	4.74	30.00
जमा कार्य	7.68	2.95	38.42	5.89	2.27	38.59	5.42	1.22	22.48

1.18 आडिट रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.18.1 स्थानीय आडिट रिपोर्ट

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के प्रत्येक विभाग, कार्यालय और सहायता अनुदान प्राप्त संस्थान का आडिट मुख्य लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा किया जाता है । आडिट के दौरान की गई आडिट टिप्पणियों और आडिट के दौरान उत्तर न दिये गये/निपटान न कराई गई टिप्पणियों को स्थानीय आडिट रिपोर्टो के माध्यम से विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों को भेज दिया जाता है । विभागाध्यक्षों/ कार्यालय-प्रमुखों को स्थानीय आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर उत्तर देना होता है । 31 मार्च 2005 तक अनुपालन न करने के कारण 614 स्थानीय आडिट रिर्पोटों में 3182 पैरा लम्बित थे ।

31 मार्च 2005 को विभाग अनुसार लम्बित/बकाया आडिट पैरों का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.35 : विभाग अनुसार बकाया पैरों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	31 मार्च 2005 तक बकाया पैरों की संख्या
1.	लेखा विभाग	315
2.	वास्तुविद् विभाग	48
3.	सिविल इंजीनियरिंग विभाग	490
4.	वाणिज्यिक विभाग	57
5.	शिक्षा विभाग	454
6.	विद्युत विभाग	630
7.	प्रवर्तन विभाग	56
8.	सम्पदा विभाग	83
9.	अग्नि रखरखाव	41
10	सामान्य प्रशासन	88
11.	स्वास्थ्य विभाग	328
12.	उद्यान विभाग	65
13.	गृह कर विभाग	65
14.	सूचना प्रोद्योगिकी विभाग	20
15.	विधि विभाग	13
16.	कार्मिक विभाग	144
17.	जन सम्पर्क विभाग	40
18.	सुरक्षा विभाग	30
19.	कल्याण विभाग	215
	कुल	**3182**

अनुपालन में सुधार लाने के लिए परिषद् के प्रस्ताव दिनांक 3 मार्च 2005 के अन्तर्गत स्थानीय आडिट रिपोर्ट के पैरों के शीघ्र निपटान के लिए एक पद्धति लागू की गई है । इसके अन्तर्गत बकाया पैरों के निपटान के लिए आडिट, वित्त और सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों की एक तदर्थ समिति गठित की गई है ।

1.18.2 वार्षिक आडिट रिपोर्ट

परिषद् के प्रस्ताव दिनांक 10 फरवरी 1999 के अनुसार वार्षिक आडिट रिपोर्ट में दिये गये पैरों का उत्तर (की गई कार्यवाही नोट) विभागाध्यक्षों को वार्षिक आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छः सप्ताह के भीतर समन्वय विभाग के माध्यम से भेजने अपेक्षित थे । इन उत्तरों को पुनः जांच एवं पैरों के निपटान की सिफारिश करने हेतु मुख्य लेखा परीक्षक को भेजना अपेक्षित था ।

वार्षिक आडिट रिपोर्ट में उल्लेखित पैरों के उत्तर की स्थिति संतोषजनक नहीं थी । तद्नुसार, परिषद् ने प्रस्ताव दिनांक 3 मार्च 2005 द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत ऑडिट पर स्थायी समिति के गठन की अनुमति प्रदान की, जो मुख्य लेखा परीक्षक की वार्षिक आडिट रिपोर्ट पर विचार कर उस पर परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । वर्ष 2005-06 के दौरान समिति ने पुराने मामलों पर तेजी से कार्यवाही की और संबंधित विभागों को उचित निर्देश जारी किए ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वार्षिक आडिट रिपोर्टों में सम्मिलित पैरों एवं समीक्षा के बकाया उत्तर की दिनांक 31 मार्च 2006 को स्थिति निम्न प्रकार थी :

तालिका 1.36 : मुद्रित पैराग्राफ तथा बकाया

31 मार्च को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	रिपोर्ट में मुद्रित पैरों की संख्या	बकाया पैरों की संख्या
1997	124	58
1999	98	87
2000	45	28
2001	42	23
2002	38	21
2003	36	19
2004	36	25
कुल	419	261

समीक्षा

समीक्षा

2.1 नई दिल्ली सिटी सेन्टर के द्वितीय चरण का निर्माण

नई दिल्ली सिटी सेन्टर के द्वितीय चरण के निर्माण पर 44.06 करोड़ रुपये व्यय होने के बावजूद 31 मार्च 2005 तक इसका निर्माण कार्य अधूरा रहा यद्यपि मुख्य भवन के निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि 1 सितम्बर 1997 थी । सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने मै.एन.बी.सी.सी.लि. को बार-बार समय में वृद्धि की स्वीकृति बिना किसी क्षतिप्रभार के प्रदान की जिसके परिणामस्वरुप अप्रैल 2001 तक 1.74 करोड़ रुपये के वृद्धि प्रभार का परिहार्य भुगतान करना पड़ा । विभाग परियोजना का कुशलता पूर्वक पर्यवेक्षण करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरुप अवमानक कार्य निष्पादित हुआ । नक्शे विलम्ब से प्रस्तुत करने पर वास्तुविद सलाहकार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया। लिफ्ट शाफ्टों में त्रुटियाँ होने पर भी विद्युत अभियांत्रिक विभाग ने लिफ्टों का क्रय किया जिसके कारण लिफ्ट स्थापित नहीं हो सकी और 4.37 करोड़ रुपये की राशि अवरूद्ध रही । सिविल इंजीनियरिंग विभाग के साथ उचित समन्वय व सही ढ़ंग से योजना न बनाये जाने के कारण वातानुकूलन व आंतरिक विद्युतीय संस्थापन के अन्य विद्युतीय कार्य 8.25 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद अधूरे रहे। सिविल व विद्युत अभियांत्रिक विभागों को परियोजना के कार्य को तुरंत पूर्ण करने के लिए इस पर समीक्षा करने की जरुरत है क्योंकि कार्य पूर्ण न होने के कारण मार्च 2005 तक 90.02 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व की हानि पहले ही हो चुकी है ।

प्रमुखतायें

1. *सक्षम प्राधिकारी से व्यय की स्वीकृति व प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किये बिना अगस्त 1994 में नई दिल्ली सिटी सेंटर के द्वितीय चरण के मुख्य भवन के निर्माण के कार्य, 23.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सौंपा गया था । 31 मार्च 2005 तक सिविल एवं विद्युतीय कार्यों पर कुल 44.06 करोड़ रुपये व्यय होने के बावजूद मुख्य भवन का कार्य अधूरा था ।*

2. *सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा मै. एन.बी.सी.सी.लि. को क्षतिपूर्ति प्रभार लगाये बिना समय सीमा में वृद्धि प्रदान करने के कारण सितम्बर 1997 से अप्रैल 2001 तक वृद्धि प्रभार के रुप में 1.74 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिक समय लगने के कारण निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि हो जाने से 1.18 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ ।*

3. *केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली भाग- II के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मै. एन.बी.सी.सी.लि. को 1.40 करोड़ रुपये के विशेष अग्रिम का भुगतान किया गया।*

4. ***विभाग द्वारा जारी सामान, सचल अग्रिम और विशेष अग्रिमों के लेखों में 1.09 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई ।***

5. ***लिफ्ट शाफ्टों में त्रुटियों के बावजूद लिफ्टों का क्रय, वातानुकूलन उपकरणों को बिना आवश्यकता के खरीदने और विद्युत विभाग द्वारा आंतरिक विद्युत संस्थापन कार्य विलम्ब से निष्पादित करने के फलस्वरुप कार्य पूर्ण नहीं हुए और 12.62 करोड़ रुपये की राशि अवरूद्ध हो गई ।***

6. ***नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा भूमिगत तल में अस्थाई प्रकाश व्यवस्था पर अनियमित व्यय करने के परिणामस्वरुप 27.80 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।***

7. ***नई दिल्ली सिटी सेन्टर के द्वितीय चरण परियोजना का निर्माण कार्य समय पर न होने के कारण 90.02 करोड़ रुपये राजस्व का अनुमानित घाटा हुआ ।***

1. परिचय

नई दिल्ली सिटी सेन्टर (एन.डी.सी.सी.) की योजना 1970-71 में की गई थी। इस सेन्टर का निर्माण कार्य तीन चरणों में किया जाना प्रस्तावित किया गया था । प्रथम चरण, जिसमें कि 20 मंजिला पालिका केन्द्र शामिल था, का निर्माण 1984 में पूर्ण हो गया था । प्रारंभ में द्वितीय चरण 32 मंजिला टावर के रुप में प्रस्तावित किया गया था । तृतीय चरण में कलादीर्घा, समिति कक्ष और सभागार प्रस्तावित किये गये थे ।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 1986 में इस स्थान की एफ.ए.आर. सीमा एवं ऊंचाई पर प्रतिबंध में परिवर्तन किया गया था। तदनुसार, पालिका द्वारा अपने प्रस्ताव 1 अक्टूबर 1992 के अंतर्गत 61.60 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक अनुमान के साथ प्रस्तावित सिटी सेन्टर द्वितीय चरण में 10 मंजिला कार्यालय ब्लाक (10वीं मंजिल के ऊपर 7.32 मी. ऊंचाई का अतिरिक्त सर्विस तल) को अनुमोदन प्रदान किया गया था । वर्ष 1994 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सृजन होने पर परिषद् ने 9 जून 1997 को अपने प्रस्ताव संख्या 3 (ix) के अंतर्गत सिविल व विद्युतीय कार्य के लिए 61.60 करोड़ की राशि पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की थी ।

परिषद् के 1 अक्टूबर 1992 के प्रस्ताव में यह परिकल्पित था कि वर्तमान पालिका केन्द्र भवन (प्रथम चरण) का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जायेगा तथा प्रस्तावित भवन, नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण का उपयोग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कार्यालयों के लिए किया जाएगा। परंतु 26 मई 2000 के प्रस्ताव सं.-3(iii) के अंतर्गत सिटी सेन्टर के द्वितीय चरण का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्रस्तावित किया गया क्योंकि यह अनुभव किया गया कि यदि इसे किराये पर दिया गया तो इससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा और पालिका केन्द्र से नये परिसर में कार्यालयों के स्थानान्तरण पर होने वाले अनावश्यक व्यय की बचत होगी।

2. संगठनात्मक व्यवस्था

सिविल और विद्युतीय कार्यों को क्रमश: सी-VI (सिविल) प्रभाग और सी-V (विद्युत) प्रभाग द्वारा निष्पादित किया गया । दोनों प्रभागों का नियंत्रण इंजीनियर-इन-चीफ के अधीन है जिनकी सहायता सम्बन्धित मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता करते हैं ।

3. लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

समीक्षा का उद्देश्य नई दिल्ली सिटी सेन्टर के द्वितीय चरण के निर्माण पर हुए व्यय की मितव्ययिता, कुशलता व प्रभावकारिता की समीक्षा करना है। इस परियोजना के समय पर पूर्ण न होने के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों के विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया गया है ।

4. वित्तीय परिव्यय

आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड अनुसार नई दिल्ली सिटी सेन्टर द्वितीय चरण के निर्माण के लिए बजट प्रावधान एवं किया गया व्यय, निम्न प्रकार से है :

तालिका 1: बजट प्रावधान व व्यय

(रुपये लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	प्रभाग द्वारा सूचित व्यय		ब्राड शीट के आधार पर आडिट द्वारा निकाला गया सिविल प्रभाग का व्यय
		सिविल	विद्युत	
1992-93	50.00	34.07	-	34.08
1993-94	150.00	175.22	-	181.21
1994-95	175.00	118.62	-	105.19
1995-96	500.00	353.57	-	353.57*
1996-97	1200.00	260.04	-	285.73
1997-98	700.00	410.06	-	431.24
1998-99	600.00	423.18	23.85	503.58
1999-00	4264.00	371.39	246.32	381.10
2000-01	1400.00	383.63	804.23	382.41
2001-02	1996.00	182.60	139.45	182.58
2002-03	150.00	52.38	32.32	58.50
2003-04	1200.00	10.25	54.70	4.85
2004-05	500.00	139.75	16.07	184.75#
योग	**12885.00**	**2914.76**	**1316.94**	**3088.79**

* वर्ष 1995-96 के लिए बनाई गयी ब्राड शीट लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी । अत: प्रभाग द्वारा सूचित व्यय के आंकड़ों को स्वीकार किया गया।

मध्यस्थ निर्णय के लेखे के 161.61 लाख रूपये सम्मिलित हैं ।

नोट- वर्ष 1983-84 से 1991-92 की अवधि में योजना और गैर-योजना शीर्षों में कमश: 110 लाख रुपये और 39 लाख रुपये आवंटित किये गये थे परन्तु बजट पुस्तिका में इन शीर्षों से कोई व्यय नहीं दिखाया गया था ।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, नई दिल्ली सिटी सेन्टर के द्वितीय चरण के निर्माण के लिए सिविल एवं विद्युत कार्य हेतु बजट प्रावधान अलग से नहीं किया गया था । बजट पुस्तिका में केवल समेकित प्रावधान दिखाया गया था । वर्ष 1993-94 को छोड़कर हर वर्ष में समेकित प्रावधान में बहुत बचत हुई थी ।

यह भी जानकारी में आया कि सिविल प्रभाग उच्च प्राधिकारियों को वास्तविक व्यय से कम की सूचना देता था। सिविल प्रभाग द्वारा 29.15 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी गई थी जबकि ब्राड शीट के अनुसार 30.89 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था ।

5. लेखा परीक्षा की टिप्पणियाँ

नई दिल्ली सिटी सेन्टर द्वितीय चरण निर्माण के लिए सिविल और विद्युत विभाग द्वारा निम्नलिखित बड़े कार्य सौंपें गये थे :

तालिका 2: सौपें गये कार्यो का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	एजेंसी	अनुबंधित तिथि		इकरार राशि (रुपयों में)
			प्रारम्भ	समापन	
1.	मुख्य भवन का निर्माण	मै. एन.बी.सी.सी.लि.	02.09.1994	01.09.1997	23,80,81,978
2.	प्लंबिंग तथा सफाई कार्य	मै. नेशनल इन्सटॉलेशन कम्पनी	16.09.1998	15.12.1999	91,34,340
3.	अग्नि शमन कार्य	मै. स्पैक टर्न-की प्रोजेक्ट (प्रा.) लि.	22.02.2000	21.08.2001	1,18,52,669
4.	नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण में विद्युत संस्थापना प्रदान करना	मै. प्रिसिशन इजीनियरिंग	06.04.1998	05.04.2000	3,35,42,960
5.	नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण में एलीवेटर्स लगाना	मै. कोने एलीवेटर्स इंडिया लि.	08.01.1999	07.07.2000	6,61,72,000
6.	नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण में एच.वी.ए.सी. प्रणाली की व्यवस्था	मै. ई. टी. ए. इंजीनियरिंग प्रा. लि.	14.09.1999	07.09.2000	8,02,76,786

31 मार्च 2005 तक सिविल व विद्युत कार्यो पर 44.06 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ, जो कि कमश: 30.89 करोड़ रुपये और 13.17 करोड़ रुपये था । यद्यपि मुख्य भवन के कार्य के पूर्ण होने की तिथि 1 सितम्बर 1997 थी, परन्तु मार्च 2005 तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ । फलस्वरुप दूसरे निर्माण के कार्य भी प्रभावित हुए और नई दिल्ली सिटी सेन्टर द्वितीय चरण के निर्माण का उद्देश्य अपूर्ण रहा, जैसाकि अनुवर्ती पैरों में चर्चा की गई है ।

सिविल कार्य और विद्युतीय कार्यो के निष्पादन के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा की टिप्पणियाँ निम्न प्रकार हैं :

5.क सिविल कार्य

5.क.1 मुख्य भवन का निर्माण

1. प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय की स्वीकृति

(क) के.लो.नि.वि.नियमावली भाग-II के पैरा-2.1 में यह प्रावधान है कि कार्य से संबंधित जिम्मेदारी सौंपने से पूर्व निम्न चार मूलभूत अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है:

- i) प्रशासनिक अनुमोदन
- ii) व्यय की स्वीकृति
- iii) तकनीकी स्वीकृति
- iv) विनियोजन या पुनर्विनियोजन

रिकार्ड की जॉच करने से यह पता चला कि नई दिल्ली सिटी सेन्टर द्वितीय चरण, मुख्य भवन के निर्माण का कार्य मै. एन.बी.सी.सी.लि. को 18 अगस्त 1994 को सौंपा गया था । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, जो वर्ष 1994 में अस्तित्व में आई, की पहली बैठक 23 दिसम्बर 1995 को हुई । उसके बाद परिषद् ने 9 जून 1997 को प्रस्ताव सं. 3(ix) के अंतर्गत 61.60 करोड़ रुपये की राशि के प्रारम्भिक अनुमान पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की । सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा 15 फरवरी 1995 से 5 जून 1997 तक की अवधि में मै. एन.बी.सी.सी.लि. को 5.62 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी ।

बिना प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति के कार्य सौंपना और भुगतान करना अनियमित था और के.लो.नि.विभाग की नियमावली का उल्लंघन था ।

(ख) प्रारम्भिक अनुमान में फुटकर कार्यो के लिए 1.76 करोड़ रुपये का प्रावधान था परन्तु फुटकर प्रावधान से किये गये व्यय का विवरण उक्त प्रभाग द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया ।

2. परियोजना निर्माण में विलम्ब और इसके फलस्वरुप मूल्य वृद्धि के कारण 1.74 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय

मै. एन.बी.सी.सी.लि. के साथ 18 अगस्त 1994 को किये गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 1 सितम्बर 1997 थी । यह कार्य 31 मार्च 2005 तक पूरा नहीं हुआ । यह पाया गया कि ठेकेदार को 30 अप्रैल 2001 तक चरणबद्ध रुप से समय सीमा में वृद्धि प्रदान की गई थी । 2 सितम्बर 1997 से 15 दिसम्बर 1998 तक समय सीमा बढ़ाने की स्वीकृति बिना क्षतिपूर्ति लगाये प्रदान की गई थी । 16 दिसम्बर 1998 से 31 अगस्त 1999 तक तथा 1 सितम्बर 1999 से 31 दिसम्बर 1999 तक की अवधि के लिए

मै. एन.बी.सी.सी.लि. पर अनुमानित लागत का 0.5 प्रतिशत दण्ड क्रमश: 18 सितम्बर 1998 और 2 नवम्बर 1998 को लगाया गया था । परन्तु बाद में अप्रैल 2000 में समीक्षा की गई और इसे माफ कर दिया गया । पुन:, बिना कोई क्षतिपूर्ति लगाये 31 अक्टूबर 2000 तक समय सीमा में वृद्धि की गई। बिना क्षतिप्रभार के 30 अप्रैल 2001 तक अंतिम स्वीकृति का अनुमोदन 16 अप्रैल 2001 को किया गया । इस प्रकार कुल मिलाकर 2 सितम्बर 1997 से 30 अप्रैल 2001 तक 44 मास के लिए समय सीमा बढ़ाई गई।

रिकार्ड की जॉच करने से यह ज्ञात हुआ कि 44 महीने का विलम्ब हर बार न्यायोचित ठहराया गया और मै. एन.बी.सी.सी.लि. पर कोई प्रभार नहीं लगाया गया। यद्यपि मै.एन.बी.सी.सी.लि. पर साढ़े बारह महीने (16 दिसम्बर 1998 से 31 दिसम्बर 1999 तक) के लिए जुर्माना लगाया गया परंतु बाद में उस पर पुनर्विचार हुआ और इसे माफ कर दिया गया । फलस्वरुप, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को 2 सितम्बर 1997 से 30 अप्रैल 2001 तक सामग्री एवं मजदूरी की बढ़ी हुई लागत पर वृद्धि प्रभार के रूप में 1.74 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा ।

सभी अड़चनों का विस्तृत विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि सभागार एवं पुस्तकालय के लिए ढांचागत नक्शों की अनुपलब्धता, ब्लाक सी में कार्यालय क्षेत्र के फर्श की सतह के नीचे के विवरण/नक्शों की अनुपलब्धता, शौचालयों के नक्शे आदि की अनुपलब्धता के कारण इसमें विलम्ब हुआ । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने भवन की उपयोगिता और विभिन्न कार्यो के विस्तृत ब्यौरे में भी परिवर्तन कर दिये थे। अप्रैल 1999 में यह निर्णय लिया गया कि पालिका केन्द्र से पालिका के कार्यालायों को नये भवन में स्थानान्तरण करने की बजाय नई दिल्ली सिटी सेंटर के नये भवन में वाणिज्यिक कार्यालय ही रखे जायें । परंतु मै. एन.बी.सी.सी.लि. द्वारा निष्पादित विभिन्न कार्यो की प्रगति भी अत्यन्त धीमी थी। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् और वास्तुविद सलाहकार द्वारा जारी पत्रों से ज्ञात हुआ कि मै. एन.बी.सी.सी.लि. ने कार्य को समय पर पूरा करने के लिए जरुरी संसाधन नहीं जुटाये थे । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा ठेकेदार को अनुबंध की धारा 2 और 3 के अंतर्गत नोटिस भी जारी किये गये थे। परंतु विभाग, मै. एन.बी.सी.सी.लि. के कार्य की प्रभावी रुप से जॉच करने में असफल रहा और अन्तत: सभी बाधाओं को न्यायोचित ठहराया और मै. एन.बी.सी.सी.लि. द्वारा धीमी गति से किये जा रहे कार्य के लिए कोई जुमार्ना नहीं लगाया गया ।

इस प्रकार, परियोजना पर अधिक समय लगने के परिणामस्वरुप नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को बढ़े हुए प्रभारों का भुगतान करना पड़ा जिसके कारण 1.74 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

3. परिहार्य व्यय तथा ठेकेदार को 2.12 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ

(क) अधिक समय लगने के कारण 1.18 करोड़ रुपये का अधिक व्यय

मै. एन.बी.सी.सी.लि. को सौपें गये नई दिल्ली सिटी सेन्टर द्वितीय चरण के मुख्य भवन के निर्माण कार्य में असामान्य विलम्ब हुआ । कार्य पूर्ण होने में विलम्ब होने के कारण अनुबन्ध के अनुसार जारी किये जाने वाली निर्माण सामग्री की मार्किट दरों में 18.72 प्रतिशत तक की

वृद्धि हुई। परंतु ठेकेदार से वसूली अनुबन्ध में उल्लेखित दरों पर की जानी थी । अत: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को बढ़ी हुई मार्किट दरों पर सामान क्रय करने के लिए अतिरिक्त लागत का वहन करना पड़ा । अधिक समय के लगने से निर्माण सामग्री पर 8 अगस्त 2003 तक (फर्म को जारी सामग्री की समंजन अवधि) 1.18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया ।

(ख) 26.99 लाख रुपये का अधिक भुगतान

फरवरी 1995 से नवम्बर 2002 के दौरान मै. एन.बी.सी.सी.लि. को 66वें चालू लेखा बिलों तक 20.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था । नई दिल्ली सिटी सेन्टर द्वितीय चरण (मुख्य भवन निर्माण कार्य) के 66 वें चालू बिल की जांच करने पर पता चला कि 29 नवम्बर 2002 को मै. एन.बी.सी.सी.लि. को 26.99 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जबकि बिल के साथ संलग्न वसूली सूची के अनुसार विभाग द्वारा जारी सामान/अग्रिम राशि हेतु 84.31 लाख रुपये की वसूली की जानी शेष थी । उसके बाद लेखा परीक्षा की तिथि तक कोई भुगतान नहीं किया गया । ठेकेदार की ओर 84.31 लाख रुपये की बकाया वसूली को अनदेखा कर उसे 26.99 लाख रुपये का भुगतान करना, ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रकट करता है ।

(ग) विभागीय सामग्री जारी करने में 57.61 लाख रुपये की कम वसूली

बिल के साथ संलग्न वसूली विवरण में उल्लेखित इकरार की धारा 42 (ii) के अनुसार मै. एन.बी.सी.सी.लि. को सीमेन्ट और स्टील जारी किया गया । स्वीकार्य सीमा से अधिक सामग्री जारी की गई और उसकी खपत हुई । ठेकेदार को कार्य हेतु स्वीकार्य सीमा से अधिक जारी सामग्री की वसूली दुगनी दरों से की जानी चाहिए थी । परन्तु 65वें चालू बिल की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि वसूली सामान्य जारी दर पर की गई थी जिसके फलस्वरुप 57.61 लाख रुपये की कम वसूली निम्न विवरणानुसार की गई :

तालिका 3: विभाग द्वारा जारी सामग्री तथा कम वसूली

मद	कार्य के लिये जारी कुल सामग्री	सैद्धांतिक रूप से अपेक्षित	घट बढ की अनुमति		एकल दर वसूली हेतु कुल सामग्री (3+4)	दुगनी दर पर वसूली हेतु कुल सामग्री(2-5)	प्रति मी. टन वसूली की दर	कम वसूली गई राशि (रुपयों में)
			प्रतिशत	मात्रा				
सीमेंट	15173 मी.ट.	14135.12 मी.ट.	2 %	282.702 मी.ट.	14417.82 मी.ट.	755.177 मी.ट.	2163	1633448.00
स्टील	4156.101 मी.ट.(जारी) 4069.824 मी.ट. (खपत) 86.277.मी.ट. (कोई वसूली नही की गई)	3803.809 मी.ट.	3 %	114.114 मी.ट.	3917.923 मी.ट.	151.901 मी.ट. 86.277 मी.ट. x 2 x 12722	12722	1932485.00 2195232.00
							योग	5761165.00

(घ) अवरूद्ध कन्ड्यूट के लिए 8.59 लाख रुपये का भुगतान

अनुबंध के अनुसार मै. एन.बी.सी.सी.लि. को अन्य सिविल कार्यों के साथ-साथ भिन्न आकारों के एम.एस. कन्ड्यूट लगाने थे । अनुसूचि मद संख्या 113 के अनुसार उन्होनें एम. एस. कन्ड्यूट लगाये जिसके लिये उन्हें (मै. एन.बी.सी.सी.लि.) 29 नवम्बर 2002 के 66वें चालू लेखा बिल तक 8.59 लाख रुपये का भुगतान किया गया था ।

वैधानिक प्रावधानों की शर्तों (के. लो. नि. वि.नियमावली भाग-II के पैरा 7.31.1)के अनुसार कार्य की छिपी हुई मदों की 100 प्रतिशत जॉच सहायक अभियंता द्वारा की जानी चाहिए। इन मदों का भुगतान जॉच को सत्यापित करने के पश्चात् किया जाना चाहिए था । रिकार्ड में टेस्ट जॉच के संबंध में कुछ नहीं था परंतु अधिशासी अभियंता (विद्युत) ने विद्युत कार्यों के निष्पादन में हुई देरी का कारण कन्ड्यूट में खराबी बताया । अन्ततः अप्रैल 2001 में यह निर्णय लिया गया कि विद्युतीय कार्यों के निष्पादन हेतु सतह के ऊपर कन्ड्यूट लगाये जाएँ । यदि कार्य निष्पादन के समय इनकी जॉच की गई होती तो जिन खराबियों का सुधार नहीं किया जा सकता था, उन्हें रोका जा सकता था ।

(ड.) कार्य स्थल के कार्यालय पर खर्च हुई 0.74 लाख रुपये की वसूली न करना

अनुबंध के परिच्छेद 11.0 की शर्त के अनुसार "ठेकेदार वास्तुविद् तथा उनके कर्मचारियों के प्रयोग हेतु कार्य स्थल पर कम से कम 250 वर्ग फुट का कार्यालय स्थल अपनी लागत पर उपलब्ध करायेगा । ठेकेदार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कर्मचारियों के प्रयोग हेतु 120 वर्ग फुट का सैम्पल कक्ष तथा 250 वर्ग फुट का बैठक कक्ष भी उपलब्ध करायेगा जिसमें प्लास्तर वाली दीवारें, सीमेंट के फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ, छत, तापरोधी इत्यादि सहित उचित रूप से तैयार पक्का ढाँचा सम्मिलित होगा । ठेकेदार कार्यालय को 3 मजों, 6 कुर्सियों, एक स्टील की अलमारी तथा दीवार पर लगे 6 फुट x 4 फुट के दो पिन बोर्डों से सुसज्जित करेगा। इसमें विद्युत वायरिंग तथा विद्युत कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाएगें । ठेकेदार निर्माण अवधि के अंत में अथवा इंजीनियर प्रमुख के निर्देशों अनुसार ढाँचे को गिरायेगा/हटायेगा।"

रिकार्ड की जॉच करने से पता चला कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने कार्य स्थल आफिस पर 0.74 लाख रुपये (अनुलग्नक-V) का व्यय किया गया जोकि उपरोक्त उल्लेखित अनुबंध की धारा का उल्लंघन था। मै. एन.बी.सी.सी.लि. से राशि वसूल न करने के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

4. स्वीकृत सीमा से अधिक असामान्य ऊंची दरों/कम दरों की मदों में विचलन

के.लो.नि.विभाग नियमावली भाग-II के पैरा 20.16.1 से 20.16.3 के अनुसार कार्य के प्लिंथ सतह के उपर असामान्य रूप से ऊंची दरों/कम दरों वाली मदों में स्वीकृत सीमा से 5 प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं होना चाहिए ।

66वें चालू लेखा बिल की जॉच से ज्ञात हुआ कि असामान्य रूप से उच्च दर वाली मदों में स्वीकृत सीमा से अधिक विचलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप, 37.73 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ (अनुलग्नक-VI)।

इन मदों के कार्यों को अनुबंध में निर्धारित मात्रा से अधिक करने, जिसके परिणामस्वरूप 37.73 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ, की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आडिट को प्रस्तुत रिकार्डों में नहीं मिली ।

इसी प्रकार असामान्य रूप से न्यूतनम दरों वाली मदों का या तो बहुत कम निष्पादन किया गया अथवा निष्पादन ही नहीं किया गया। (अनुलग्नक-VII) । ऐसा करने के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

5. अग्रिमों का अनियमित भुगतान एवं कम वसूली

(i) सचल अग्रिम राशि का अनियमित भुगतान तथा 15.21 लाख रुपये (ब्याज सहित) की कम वसूली

के. लो. नि. विभाग नियमावली भाग-II के पैरा 31.6 की शर्तों के अनुसार कुछ विशेष तथा अधिक पूँजी वाले कार्यों, जिनकी लागत दो करोड़ रुपये से कम न हो, के लिए सचल अग्रिम दिया जा सकता है। निविदा की अनुमानित लागत का अधिकतम दस प्रतिशत अथवा एक करोड़ जो भी कम हो, का अग्रिम दिया जा सकता है। इसकी वसूली की शुरूआत ठेकेदार के बिलों से कार्य के निवल मूल्य का 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने अथवा दूसरे चालू बिल, जो भी पहले हो, से की जाएगी। यह वसूली किये गये कार्यों के बिलों के निवल मूल्य के यथानुपात आधार पर इस प्रकार की जायेगी ताकि कुल लागत का 80 प्रतिशत कार्य निष्पादित होने एवं इसके लिए किये गये भुगतान के समय तक समस्त अग्रिम राशि की वसूली हो जाये ।

लेकिन इस मामले में मै. एन.बी.सी.सी.लि. के साथ किये गये नई दिल्ली सिटी सेंटर के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु अनुबंध की शर्त संख्या 27 में, 1.10 करोड़ रुपये के सचल अग्रिम का दो किश्तों में देने का प्रावधान था । कार्य आरम्भ करने के आदेश के एक मास के भीतर ठेकेदार के अनुरोध पर 55 लाख रुपये की प्रथम किश्त दी जानी थी। तदनुसार सचल अग्रिम की 55 लाख रुपये की प्रथम किश्त 7 अक्टूबर 1994 को दी गई तथा शेष 55 लाख रुपये की राशि जुलाई 1995 से नवम्बर 1995 के मध्य दी गई (अनुलग्नक-VIII) । नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण आडिट को सूचित नहीं किये गये ।

प्रभाग द्वारा प्रस्तुत अग्रिमों एवं वसूली के विवरण के अनुसार 1.10 करोड़ रुपये अग्रिम के रुप मैं दिए गए जिसके विरूद्ध 1.02 करोड़ रुपये 60 वें चालू लेखा बिल तक वसूल किए जा चुके थे। 61वें से 66वें चालू लेखा बिलों से 7.59 लाख रुपये की शेष मूल राशि वसूल नहीं

की गई थी । इसके अतिरिक्त ब्याज की 7.62 लाख रुपये (शेष राशि पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से) की राशि भी 16 नवम्बर 1995 से 31 मार्च 2004 की अवधि के लिए बकाया हो गई थी । ठेकेदार से ब्याज सहित शेष राशि की वसूली न करने के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

(ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नियामवली के प्रावधानों के विरूद्ध 1.40 करोड़ रुपये की राशि के विशेष अग्रिम का भुगतान

के. लो. नि. विभाग नियमावली भाग-II में ठेकेदार को विशेष अग्रिम के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। नियमावली के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए मै. एन.बी.सी.सी.लि. के अत्याधिक आर्थिक संकट के उल्लेखित विशेष कारण से 1.40 करोड रुपये की राशि ठेकेदार को दी गई (एक करोड़ रुपये 16 नवम्बर 1998 को तथा 40 लाख रुपये 28 जून 2001 से 8 अक्टूबर 2001 की अवधि के दौरान) (अनुलग्नक-VIII) इसके लिए मै. एन.बी.सी.सी.लि. तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने एक संयुक्त खाता खोला था । अग्रिम राशि का भुगतान जिस प्राधिकार से किया गया, वह रिकार्ड में उल्लेखित नहीं था ।

(iii) विशेष अग्रिम की 36 लाख रुपये की कम वसूली

1.40 करोड़ रुपये के विशेष अग्रिम के विरूद्ध 65वें चालू लेखा बिल तक 1.04 करोड़ रुपये की राशि ठेकेदार से वसूल की गई थी (अनुलग्नक- VIII) । इसके पश्चात् मार्च 2004 तक कोई वसूली नहीं की गई जबकि 26.99 लाख रुपये की राशि के एक और चालू लेखा बिल का भुगतान किया गया था जबकि विशेष अग्रिम के 36 लाख रुपये (ब्याज छोड़ कर) की वसूली बकाया थी ।

जिन परिस्थितियों में विशेष अग्रिम की पूर्ण राशि की वसूली नहीं हुई थी, वे रिकार्ड में नहीं थे ।

6. अवमानक कार्य को स्वीकार करना

के. लो. नि. विभाग नियमावली भाग-II के पैरा 5.2.1 से 5.2.6 की शर्तों के अनुसार प्रभाग के इंजीनियरिंग स्टॉफ को कार्य के निष्पादन के समय प्रत्येक मद का निरीक्षण करना चाहिए था ताकि अवमानक कार्य के निर्माण को रोका जा सके। विभाग द्वारा अवमानक कार्य को स्वीकार करने से पहले कार्य के इंजीनियर-इंचार्ज को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी ।

मै. एन.बी.सी.सी.लि. द्वारा नई दिल्ली सिटी संेटर द्वितीय चरण के मुख्य ढॉचे के निर्माण कार्य में प्रयोग किया गया सामान एवं कार्य का स्तर अवमानक था। अवमानक सामान के प्रयोग तथा इसके निष्पादन तथ्य मई 1995 से सितम्बर 1999 के दौरान वास्तुविद् परामर्शदाता द्वारा फर्म को जारी विभिन्न पत्रों से स्पष्ट थे । परामर्शदाता ने ठेकेदार मै. एन.बी.सी.सी. लि. की रिपोर्ट इस सीमा तक की कि उनके पास उचित् तकनीकी जानकारी, कर्मचारी, सामान इत्यादि

नहीं थे । इसके अतिरिक्त वे घटिया गुणवत्ता वाले निर्माण कार्य को हटाने के संबंध में विभाग के अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे थे तथा मै. एन.बी.सी.सी.लि. द्वारा निष्पादित ऊपरी कंकरीट के घटिया स्तर के कार्य को गिराने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था । अंततः वास्तुविद् परामर्शदाता ने जनवरी 1999 में अधिशासी अभियंता (सि.-VI) को मै. एन.बी.सी.सी.लि. को निर्माण कार्य रोकने हेतु अनुदेश देने का परामर्श दिया। प्रभाग भी कार्य का स्तर अवमानक होने का मामला उठाता रहा था ।

फर्म द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता घटिया होने की जानकारी के बावजूद विभाग ने फरवरी 1995 से नियमित अन्तराल पर मै. एन.बी.सी.सी.लि. को भुगतान करना जारी रखा। यह उल्लेखित करना उचित होगा कि मई 1995 से अक्टूबर 1999 के दौरान जबकि वास्तुविद् परामर्शदाता तथा विभाग मै. एन.बी.सी.सी.लि. को अवमानक कार्य निष्पादन के लिए पत्र लिख रहे थे, उसी समय विभाग ने मै. एन.बी.सी.सी.लि. को 1.84 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया । सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अवमानक कार्य को स्वीकार करने के कारण रिकार्ड में नहीं थे ।

7. वास्तुविद् परामर्शदाता को अनुचित लाभ

मै. राज रेवल एवं कुलदीप सिंह नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय तथा तृतीय चरण के अंतर्गत सभी प्रस्तावित भवनों हेतु वास्तुविद् परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे। वास्तुविद् परामर्शदाता के साथ 25 मार्च 1987 को हुए अनुबंध के अनुसार द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिये क्रमशः 30 लाख रुपये तथा 15 लाख रुपये तक अधिकतम भुगतान किया जाना था। अनुबंध 17 अगस्त 1992 को संशोधित किया गया तथा इसमें दण्ड की धारा को सम्मिलित किया गया तथा अधिकतम सीमा को 45 लाख रुपये से संशोधित कर 162 लाख रुपये कर दिया गया। दिसम्बर 2002 तक वास्तुविद् परामर्शदाता को परामर्श प्रभारों के रूप में 1.27 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था ।

(क) कार्य स्थल पर लगे इंजीनियरों इत्यादि को वेतन का भुगतान

वास्तुविद् परामर्शदाता के साथ हुए इकरार की धारा 1.10 की शर्तों के अनुसार इन्हें अपनी ओर से इंजीनियरों, लिपिकों के साथ-साथ अन्य सहायक तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति करनी थी जिन्हें वे परियोजना को सफलतापूर्वक तथा समय पर पूर्ण करने हेतु तथा नियमित निरीक्षण हेतु आवश्यक समझते थे । इन इंजीनियरों, क्लर्कों आदि को वेतन देने का दायित्व वास्तुविद परामर्शदाता का था । विभाग ने 1996 से मार्च 2004 की अवधि में प्रभागीय कार्यालय के नियमित तकनीकी कर्मचारियों के अतिरिक्त परामर्शदाता द्वारा स्थल पर दिन-प्रतिदिन निरीक्षण हेतु नियुक्त कार्य स्थल इंजीनियर तथा तकनीकी परामर्शदाता के वेतन के लिए 7.17 लाख रुपये की राशि का अनियमित भुगतान किया । जिन परिस्थितियों में विभाग द्वारा उक्त कर्मचारियों को वेतन दिया गया, वे रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) नक्शों की प्रस्तुति में हुए विलम्ब के लिए 16.20 लाख रुपये का दण्ड न लगाना

वर्ष 1992 के अनुपूरक अनुबंध की धारा 1.16 के अनुसार ''यदि वास्तुविद डिजाइन तथा नक्शे प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो परामर्शदाता पर 1800 रुपये प्रतिदिन की दर से, अधिकतम उन्हें दिये जाने वाले शुल्क के 10 प्रतिशत तक, का क्षतिपूर्ति प्रभार लगाया जाए।''

अड़चन रजिस्टर के अनुसार वास्तुविद् परामर्शदाता द्वारा नक्शे समय पर न देने के कारण कार्य निष्पादन में देरी हुई (अनुलग्नक- IX) ।

यद्यपि वास्तुविद् परामर्शदाता द्वारा नक्शे इत्यादि प्रस्तुत करने में 1963 दिनों की देरी हुई, प्रभाग ने अनुबंध की धारा 1.16 की शर्तों के अनुसार दण्ड के 16.20 लाख रुपये (देय शुल्क का 10 प्रतिशत) की राशि वसूल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया ।

8. अन्य टिप्पणियाँ

(क) अन्य कार्यों के निष्पादन पर 16.65 लाख रुपये के व्यय की नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण के निर्माण पर अनियमित बुकिंग

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर अधिशासी अभियंता/अधीक्षक अभियंता की शक्तियों के अंतर्गत 34 कार्य निष्पादित किए गए (अनुलग्नक-X)। ये कार्य नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण के निर्माण/पूर्ण होने के लिए निष्पादित किये जाने अपेक्षित नहीं थे । किन्तु इन कार्यों पर कुल व्यय 16.65 लाख रुपये की राशि को नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण के निर्माण हेतु किये जा रहे व्यय में अनियमित रुप से जोड़ दिया गया।

(ख) 'ग्रेनाइट, मार्बल, स्टोन क्लेडिंग तथा एल्यूमिनियम ग्लेजिंग' के कार्य हेतु पूर्व-योग्यता निविदाओं पर निर्णय न होने के कारण व्यर्थ का व्यय

उपरोक्त उल्लेखित कार्य हेतु ठेकेदारों की पूर्व-योग्यता के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई जिसकी आवेदन प्राप्ति की निर्धारित तिथि 20 दिसम्बर 1999 थी। प्राप्त 31 आवेदनपत्रों में से, 8 फर्मो की एल्यूमिनियम ग्लेजिंग कार्य तथा छः फर्मो की ग्रेनाइट मार्बल ग्लेडिंग कार्य हेतु सिफारिश की गई थी। किन्तु मूल्य बोली पेशकश आमंत्रित करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया । पुनः इसी कार्य हेतु ठेकेदारों की पूर्व योग्यता के लिए नये आवेदनपत्र आमंत्रित करने के लिए 23 जनवरी 2003 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया । मार्च 2004 तक कार्य सौंपने हेतु अथवा मूल्य बोली पेशकश आमंत्रित करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

प्रैस नोटिस प्रकाशित करने हेतु निम्नलिखित भुगतान किए गए जो अन्ततः व्यर्थ सिद्ध हुए :

तालिका 4: विज्ञापनों पर व्यय

(रुपये लाख में)

वर्ष	राशि
1998-2001	1.87
2003-2004	2.57
योग	**4.44**

(ग) अनिवार्य रिकार्ड का रखरखाव न होना

(i) ठेकेदार का लेजर

प्रभागीय कार्यालय में ठेकेदारों के चिट्ठे का रखरखाव जारी किये गये सामान तथा चालू लेखा बिलों से की गई वसूलियों की जॉच करने के लिए किया जाता है। कार्य पर जारी/खपत किये गये सामान तथा उसकी वसूली की जॉच करने के लिए यह एक अनिवार्य रिकार्ड है । कार्य के निष्पादन हेतु उत्तरदायी सी–VI सिविल प्रभाग ने ठेकेदार के लेजर जांच हेतु आडिट को प्रस्तुत नहीं किए । यह समझ में नहीं आता कि इस मूल रिकार्ड के अभाव में प्रभागीय कार्यालय में जारी सामान की वसूली की जॉच कैसे की जा रही थी ।

(ii) कार्यो का सार

कार्यो के सार का भी प्रभाग (सिविल) में रखरखाव नहीं किया जा रहा था । इस अनिवार्य रिकार्ड के रखरखाव न करने के कारण आडिट को सूचित नहीं किए गए ।

5.क-II अग्निशमन कार्य

(i) कम दरों पर कार्य सौंपना

के.लो.नि.वि. नियमावली भाग- II के पैरा 20.10.1 में परिकल्पित है "जिस दर पर कार्य सौंपे गये है वे मार्किट की स्थितियों तथा कार्यो से संबंधित सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, तर्कसंगत होनी चाहिए। निविदाओं के आमंत्रण पर प्राप्त दरों तथा मार्किट में प्रचलित दरों में केवल 5 प्रतिशत तक के अंतर को नजरअंदाज किया जा सकता है। अत्याधिक आपात स्थिति के मामलों में 10 प्रतिशत तक की घटबढ़ की अनुमति दी जा सकती है किन्तु अन्य किसी भी स्थिति में मार्किट की दरों से स्वीकार्य प्रतिशतता से अधिक दरों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । कार्य के इंचार्ज अधिकारी को अपने अधिकारों के अंतर्गत आमंत्रित निविदाओं को स्वीकृत करते समय उक्त निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए । उनके लिए यह पर्याप्त नहीं है कि न्यूनतम निविदायें स्वीकार कर लें" ।

मै.स्पैक टर्नकी (प्रोजेक्ट) लि. ने अपनी दरें 20.58 प्रतिशत कम उद्धृत की । मामले को परिषद के समक्ष प्रस्तुत करते समय उपरोक्त प्रावधान परिषद की जानकारी में नहीं लाया गया, परिणामस्वरुप कार्य असामान्य रूप से कम दरों पर सौंपा गया । इसके फलस्वरुप सामान समय पर क्रय नहीं हुआ तथा कार्य का निष्पादन धीमा हुआ, जैसा कि नीचे पैरा (ii) पें वर्णित है।

(ii) *कार्य को पूर्ण करने में अनुचित विलम्ब*

नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण हेतु अग्निशमन का कार्य, मै. स्पैक टर्नकी (प्रोजेक्ट) लि. को 1.19 करोड़ रुपये की राशि पर सौंपा गया । कार्य आरम्भ करने तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 22 फरवरी 2000 तथा 21 अगस्त 2001 थी । रिकार्ड की जॉच करने से पता चला कि फर्म को 21 फरवरी 2003 तक समय की अस्थाई वृद्धि प्रदान की गई। यह भी पाया गया कि विलम्ब ठेकेदार की ओर से हुआ था । इस संबंध में जुलाई 2001 से अप्रैल 2002 तक कार्य की प्रगति तीव्रता से बढ़ाने के लिए और कार्य के लिए अपेक्षित सारे सामान का क्रय करने के लिए फर्म को पत्र भेजे गये। किन्तु फर्म ने कार्य की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु विभाग के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया । 29 नवम्बर 2001 को फर्म को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया । फर्म को कार्य पुन: आरम्भ करने तथा वास्तुविद परामर्शदाता को नक्शे प्रस्तुत करने के लिए 26 अप्रैल 2002 को अन्तिम पत्र जारी किया गया । परंतु 31 मार्च 2005 तक कार्य अपूर्ण था ।

(iii) *निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों का उल्लघंन करते हुए भुगतान*

रिकार्ड की जॉच से यह पता चला कि निविदा आमंत्रण सूचना में एक शर्त थी कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अतिरिक्त अन्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदार, को प्रथम चालू लेखा बिल का भुगतान करने से पूर्व स्वयं को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में पंजीकृत कराना होगा। निविदा आमंत्रण सूचना की उक्त शर्त का उल्लघंन करते हुए मै. स्पैक टर्नकी (प्रोजेक्ट) लि. को चौथे चालू लेखा बिल 20 दिसम्बर 2001 तक 26.40 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था ।

5.क.III *प्लम्बिंग तथा सेनीटरी कार्य*

i) *बढ़े हुए प्रभारों का भुगतान*

नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण के प्लम्बिंग तथा सेनीटरी का कार्य मै. नेशनल इन्स्टालेशन कम्पनी को 91.34 लाख रुपये पर 1 सितम्बर 1998 को सौंपा गया था । कार्य आरम्भ करने तथा पूर्ण करने की तिथि क्रमश: 11 सितम्बर 1998 तथा 15 दिसम्बर 1999 थी । परिषद् को दी गई सूचना के अनुसार 26 जुलाई 2004 तक कार्य की प्रगति 60 पतिशत थी ।

कार्यस्थल आदेश/अवरोध रजिस्टर, यदि कार्यालय द्वारा बनाये गये थे, आडिट को प्रस्तुत नहीं किये गए। किन्तु कार्य से संबद्ध फाईल से यह पाया गया कि, 30 जून 2004 तक समय में

अस्थाई वृद्धि प्रदान की गई थी ताकि अनुबंध को जारी रखा जाये । 31 मार्च 2005 तक कार्य अपूर्ण था ।

ठेकेदार को वृद्धि प्रभार के रूप में 5.81 लाख रुपये की राशि का उचित प्राधिकारी की स्वीकृति लबिंत रखते हुए बिना कोई क्षतिप्रभार लगाये 31 दिसम्बर 2001 को समाप्त अवधि हेतु भुगतान किया गया । चूंकि कोई अन्तिम समय वृद्धि नहीं दी गई थी, इसलिए 5.81 लाख रुपये का भुगतान इकरार की धारा 10 सी.सी. के प्रावधान, जिसके अंतर्गत बढ़े हुए प्रभारों का भुगतान किया गया, का उल्लंघन था ।

ii) निविदा आमत्रंण सूचना की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भुगतान करना

यह पाया गया कि मै. नेशनल इन्स्टालेशन कम्पनी को प्लम्बिंग तथा सफाई के कार्य हेतु 32वें चालू लेखा बिल के अनुसार 58.67 लाख रुपये का भुगतान किया गया था । चूंकि ठेकेदार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में पंजीकृत नहीं था, अतः उसे दिया गया भुगतान, निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तो का उल्लंघन था जिसके अनुसार यदि ठेकेदार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अतिरिक्त अन्य विभाग में पंजीकृत हो तो उसे प्रथम चालू लेखा बिल का भुगतान करने से पूर्व स्वयं को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में पंजीकृत कराना जरूरी था ।

5.ख विद्युतीय कार्य

नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण की परियोजना पर वर्ष 1998-99 से 2004-05 तक विद्युत विभाग द्वारा 13.17 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। विद्युत विभाग द्वारा तीन मुख्य कार्य निष्पादित किए जा रहे थे जैसे (i) आन्तरिक विद्युत संस्थापन (ii) एलीवेटर्स लगाना और (iii) हीट वेन्टीलेशन तथा एयर कन्डीशनिंग प्रणाली की व्यवस्था कराना। 13.17 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से 12.23 करोड़ रुपये उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यों के लिये व्यय किए गए, जो कि निम्न विवरणानुसार अवरूद्ध पड़े रहे :

(i) नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण में लिफ्टों का संस्थापन न होने के कारण 4.37 करोड़ रुपये की निधि अवरूद्ध होना

नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण में एलीवेटर्स लगाने के कार्य हेतु पूर्व योग्यता प्राप्त फर्मों से निविदा सूचना 9 दिसम्बर 1997 के द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की गई थी तथा उनकी बिक्री एवं खोलने की तिथि क्रमशः 31 दिसम्बर 1997 तथा 2 जनवरी 1998 निर्धारित की गई थी। प्राप्त की गई निविदाओं का विवरण निम्न प्रकार से है:

एजेन्सी	उद्धृत राशि
1. मै. कोने एलीवेटर्स इंडिया लि	6.75 करोड़
2. मै. ओटिस एलीवेटर्स इंडिया लि.	7.27 करोड़

मै. कोने एलीवेटर्स इंडिया लि. द्वारा निविदा में भरी गई अनुमानित राशि 7.26 करोड़ रुपये के विरुद्ध 6.62 करोड़ रुपये की वार्ता राशि पर यह कार्य उनको 31 दिसम्बर 1998 को सौंपा गया ।

लिफ्टों के अवयव दिसम्बर 1999 से फरवरी 2001 के मध्य प्राप्त किए गए । तद्नुसार 16 एलीवेटर्स के लिए सातवें चालू बिल, 3 अगस्त 2001 तक फर्म को 4.37 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था ।

लिफ्टों को क्रय करने तथा संस्थापन हेतु निविदाएँ आमंत्रित करने से पूर्व ही नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विद्युत विभाग ने लिफ्ट शाफ्टों में खराबी देख ली थी। मुख्य अभियंता (विद्युत) ने अपने 6 नवम्बर 1997 के नोट द्वारा मुख्य अभियंता (सिविल) को सूचित किया कि लिफ्ट शॉफ्ट ठीक नहीं लगे थे जो भविष्य में लिफ्टों के संस्थापन/परिचालन में परेशानी पैदा कर सकते थे। मार्च 1998 में अधिशासी अभियंता (सी-V) विद्युत ने अधिशासी अभियंता (सी-VI) सिविल को लिफ्ट शॉफ्टों की उर्ध्वता की जाँच करने को कहा। लिफ्ट शॉफ्टों की उर्ध्वता की वस्तुस्थिति जानने के बावजूद भी विद्युत विभाग ने 31 दिसम्बर 1998 को कार्य सौंपा। अधिशासी अभियंता (विद्युत) ने लिफ्ट शॉफ्टों में खराबी को ठीक करने के लिए मार्च 1999 से अगस्त 2000 के दौरान पत्र जारी किए ताकि संस्थापन समस्याओं तथा लिफ्ट उपकरण आदि के भण्डारण कक्ष में जल के रिसाव से बचा जा सके ।

उच्च अधिकार सम्पन्न समिति की 2 सितम्बर 2004 तथा 28 सितम्बर 2004 की बैठक में यह रिकार्ड में लाया गया कि 14 त्रुटिपूर्ण लिफ्ट शॉफ्टों में से आठ लिफ्ट शॉफ्टों की त्रुटियों को ठीक कर दिया गया था तथा अतिरिक्त ब्रेकेट्स तथा स्टील ढॉंचे के साथ लिफ्टों को संस्थापित किया जा सका था। यह भी सूचित किया गया था कि शेष छः लिफ्ट शॉफ्टों के लिए छोटे आकार की कारों में 1.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत पर अतिरिक्त संशोधित ब्रेकेट्स का प्रावधान किया जा सकता था जिसके लिये वास्तुविद सलाहकार द्वारा मै. एन.बी.सी.सी. लि. तथा सिविल अभियान्त्रिक विभाग के साथ परामर्श करने के बाद निर्णय लिया जाना था।

सिविल विभाग के साथ-साथ विद्युत विभाग भी लिफ्ट शॉफ्टों की त्रुटियों के बारे में अच्छी तरह से अवगत था । इसके बावजूद विद्युत विभाग ने लिफ्ट उपकरण खरीद लिये जिनका संस्थापन नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप 4.37 करोड़ रुपये की राशि अवरूद्ध हो गई।

विद्युत विभाग ने अपने उत्तर (मई 2005) में उल्लेख किया कि लिफ्ट उपकरण इसलिए क्रय किये गए थे, ताकि परियोजना को समय पर पूर्ण किया जा सके । यह उन्हीं के अनुशरण का परिणाम था कि 14 लिफ्ट शॉफ्टों में से 8 लिफ्ट शॉफ्टों को ठीक कराया गया तथा शेष छः त्रुटियुक्त लिफ्ट शॉफ्टों में छोटे आकार की लिफ्ट कार उपलब्ध कराने के लिए मै. कोने एलीवेटर ने सितम्बर 2004 में 1.21 करोड़ रुपये की राशि के अपने अनुमान को संशोधित कर 66.68 लाख रुपये करने के लिए सहमति प्रदान की ।

विद्युत विभाग का यह तर्क कि लिफ्ट उपकरणों का क्रय परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए किया गया था युक्तिसंगत नहीं था, क्योंकि दिसम्बर 1998 में कार्य सौंपने से पहले ही लिफ्ट शॉफ्टों की खराबी के बारे में विभाग अच्छी तरह से जानता था जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है । अन्ततः वास्तविकता तो यह है कि लिफ्टों को संस्थापित न करने के कारण 4.37 करोड़ रुपये की राशि अवरूद्ध हो गई ।

(ii) वातानुकूलन उपकरणों के अनावश्यक क्रय के परिणामस्वरूप 6.11 करोड़ रुपये की निधि का अवरूद्ध होना

नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण में ताप वायु आवाजाही तथा वातानुकूलन (एच.वी.ए.सी.) प्रणाली का कार्य मै. ई.टी.ए. इंजीनियरिंग प्रा. लि. को 8 सितम्बर 1999 को 8.03 करोड़ रुपये की राशि पर 7 सितम्बर 2000 तक समापन हेतु सौंपा गया था । कुल 6.11 करोड़ रुपये का भुगतान मार्च 2005 तक (5.64 करोड रुपये 26 वें चालू बिल तथा 46.72 लाख रुपये बढ़ी हुई राशि के 7वें चालू बिल तक) फर्म को उपकरणों की आपूर्ति एवं संस्थापन के लिये किया गया ।

रिकार्ड की जॉच करने पर पता चला कि सिविल कार्य की धीमी प्रगति से अवगत होने के बावजूद भी विद्युत विभाग ने वातानुकूलन उपकरण क्रय किए तथा इनके लिए भुगतान भी किया । 16 अप्रैल 2002 को हुई कार्य स्थल समन्वय बैठक में वास्तुविद् सलाहकार ने सलाह दी थी कि एयर कण्डीशनिंग, एलीवेटर तथा आंतरिक विद्युत संस्थापन इत्यादि जैसी सेवाओं के कार्यों को संबंधित सिविल कार्यों को पूर्ण होने तथा संवेदनशील एवं मंहगे उपकरणो के संस्थापन हेतु स्थान उपयुक्त हो जाने के उपरांत किया जाना चाहिए ।

12 नवम्बर 2003 को मै. इंजीनियरिंग प्रा. लि., कार्य निष्पादन एजेंसी, ने अधिशासी अभियंता (सी-V) (विद्युत) को बताया कि वे सिविल कार्यो के निष्पादन में निम्नलिखित बाधाओं के कारण संयंत्र के परिचालन का कार्य पूर्ण नहीं कर सके:

i) विभिन्न तलो पर कृत्रिम छतो का प्रावधान
ii) सभी एयर हेंडलिंग यूनिट कक्षों में स्थाई दरवाजों एवं खिड़कियों का प्रावधान
iii) सभागार तथा लाइब्रेरी ब्लॉक से संबंधित नक्शों का अनुमोदन
iv) ऊपरी छत (टेरेस) पर उपकरण के संस्थापन के लिये अपेक्षित नीवों को उपलब्ध कराना
v) उपकरणों के लिये अपेक्षित स्थाई तीन फेज कनैक्शन हेतु प्रावधान
vi) भूतल पर तीन पंखा कक्षों का प्रावधान

6 अक्टूबर 2004 को इंजीनियर-इन-चीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्थिति की पुनः समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि अधिशासी अभियंता (विद्युत) तथा अधिशासी अभियंता (सिविल) दोनों संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे तथा सिविल कार्यों की न्यूनतम अनिवार्य अपेक्षाओं को अंतिम रूप देंगे ताकि विद्युतीय कार्य किया जा सके ।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सिविल ढाँचे के तैयार होने का आँकलन किये बिना जल्दबाजी में विद्युत उपकरण क्रय किये गये थे। इससे कीमती उपकरणों की सुरक्षा एवं भण्डारण के साथ-साथ अनुपयोग के कारण उनके खराब होने की परिहार्य समस्या बन गई और संयंत्र के प्रारम्भ न होने के परिणामस्वरुप नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की 6.11 करोड़ रुपये की राशि अवरुद्ध हुई।

विद्युत विभाग ने 11 मई 2005 को अपने उत्तर में कहा कि अब तक 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका था तथा शेष कार्य सिविल कार्य के पूरा न हो पाने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संयंत्र अभी तक चालू नहीं किया गया । चूंकि कुछ उपकरणों को अभी संस्थापित किया जाना है, विद्युत विभाग को कीमती उपकरणों के भंडारण तथा क्षति एवं पानी की सीलन जिसे वर्ष 2001-04 के दौरान लगातार देखा गया था, इत्यादि से बचाव का दायित्व वहन करना होगा ।

(iii) अस्थाई प्रकाश व्यवस्था पर 27.80 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार मै. एन.बी.सी.सी.लि. कार्य की समाप्ति तक सामान्य प्रकाश तथा सुरक्षा इंतजामों को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी था । विभिन्न सेवाओं के लिये अनुबंधित की गई अन्य एजेन्सियों/ठेकेदारों को भी कार्यों के लिए अपनी लागत पर प्रकाश एवं विद्युत आपूर्ति के लिए स्वयं अपनी व्यवस्था करनी थी ।

रिकार्ड की जॉच करने से यह ज्ञात हुआ कि विद्युत विभाग को जून 2000 में तीन भूमिगत तलों में अस्थाई प्रकाश उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध किया गया था । 28 अगस्त 2000 को मुख्य अभियंता (विद्युत) ने टिप्पणी की, कि भवन अभी तक निर्माणाधीन था तथा तीन भूमिगत तलों में मै. एन.बी.सी.सी.लि. द्वारा काफी कार्य किया जाना शेष था । इसलिए उनके द्वारा अस्थाई प्रकाश व्यवस्था की जानी थी । मै. एन.बी.सी.सी.लि. ने जिद की कि प्रकाश व्यवस्था विद्युत विभाग द्वारा अथवा वातानुकुलन का कार्य कर रहे ठेकेदार द्वारा की जाए। अंततः 13 दिसम्बर 2000 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि पहले से काफी विलम्बित हो चुके कार्य को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से विद्युत विभाग सभी तलों में अस्थाई प्रकाश की व्यवस्था करेगा।

विद्युत विभाग ने किराए पर दो महीने के लिये 200 ट्यूबलर फिटिंग उपलब्ध कराने हेतु दरें प्राप्त की। मै. महालक्ष्मी लाईट हाउस को 15000 रुपये प्रतिमाह के आधार पर तीन माह हेतु कार्य 23 दिसम्बर 2000 को सौंपा गया । मार्च 2001 में तीन महीने की अवधि बीत जाने के उपरान्त 18750 रुपये प्रतिमाह की लागत पर 250 लाइटों के लिये दो महीने हेतु अनुबंध बढ़ा

दिया गया था। यह अनुबंध समय-समय पर बढ़ाया गया तथा मार्च 2005 तक चालू था । मार्च 2005 तक लगभग 27.80 लाख रुपये का कुल व्यय किराया प्रभार (9.30 लाख रुपये) तथा विद्युत खपत प्रभार (18.50 लाख रुपये) पहले ही हो चुका था ।

चूंकि मै. एन.बी.सी.सी.लि. कार्य की समाप्ति तक अस्थाई प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी था, अत: विद्युत विभाग द्वारा किया गया व्यय न्यायोचित नहीं था ।

इस प्रकार अस्थाई प्रकाश पर हुए व्यय की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए थी क्योंकि परियोजना अभी तक निर्माणाधीन थी तथा ठेकेदार ने परिसर का कब्जा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को नहीं सौंपा था ।

(iv) आंतरिक विद्युत संस्थापन कार्य के निष्पादन में विलम्ब

विद्युत विभाग ने आन्तरिक विद्युत संस्थापन का कार्य मै. प्रिसिशन इंजीनियरिंग को 26 मार्च 1998 को 3.35 करोड़ रुपये की राशि पर सौंपा था । कार्य प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने की तिथि क्रमश: 6 अप्रैल 1998 एवं 5 अप्रैल 2000 निर्धारित की गई थी । 31 मार्च 2005 तक कुल 2.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था तथा कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था।

रिकार्ड की जाँच करने पर पता चला कि वास्तुविद् सलाहकार आंतरिक विद्युत संस्थापन के कार्य के निरीक्षण के लिये अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने तथा समय पर विभिन्न नक्शों को भी प्रस्तुत करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक विद्युत संस्थापनों के कार्यों के निष्पादन में निम्न विवरणानुसार विलम्ब हुआ:

तालिका 5: रूकावटों का विवरण

क्र. सं.	रूकावटों की प्रकृति	अवधि		अतिव्यापित अवधि को छोड़कर दिनों की संख्या
		से	तक	
1	एम. एस. कान्ड्यूट्स तथा एम. एस. बाक्सों का अनुमोदन न होने के कारण	6.4.1998	18.11.99	592
2.	केबल ट्रेस के नक्शों का अनुमोदन न होने के कारण	1.9.1998	26.9.2000	313
3.	अर्थिंग नक्शों का अनुमोदन न होने के कारण	1.9.1998	31.5.2001	247
4.	क्यू-टाइप पैनल नक्शे जारी नहीं करना	29.6.2001	17.8.2001	50
			योग	**1202**

विभाग द्वारा जनवरी 2000 के उपरान्त सिविल अभियंत्रिक विभाग के साथ उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु समन्वय करने अथवा पर्यवेक्षण न करने के लिए परामर्शदाताओं को दण्ड देने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

विद्युत विभाग ने अपने उत्तर में कहा, कि लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका था । शेष कार्य सिविल कार्यों के पूर्ण न होने तथा वास्तुविद परामर्शदाता द्वारा कुछ विद्युत नक्शे प्रस्तुत न करने के कारण पूर्ण नहीं किये जा सके, जिसके लिए वास्तुविद् परामर्शदाता एवं सिविल अभियांत्रिक विभाग को निरंतर आग्रह किया जा रहा था ।

परंतु वास्तविकता यह है कि सभी महत्वपूर्ण निर्णायकों जैसे सिविल एवं विद्युत अभियांत्रिक विभागों के प्रतिनिधि, वास्तुविद् परामर्शदाता, मै. एन.बी.सी.सी.लि. की नियमित बैठकों के बावजूद समन्वय उपयुक्त नहीं रहा, जिसके परिणामस्वरूप 2.14 करोड़ रुपये के व्यय होने के बावजूद कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुए तथा अनावश्यक विलम्ब हुआ ।

(v) निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भुगतान

निविदा आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करते समय निम्न उल्लेखित कार्यों के लिये एक शर्त शामिल की गई थी कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अलावा अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार, प्रथम चालू लेखा बिलं के भुगतान प्राप्त करने से पूर्व अपने आप को पंजीकृत करा लें।

रिकार्ड की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि फर्मों को 6.51 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया था, किन्तु ऑडिट को प्रस्तुत रिकार्ड में उनके पंजीकृत संबंधी पेपर नहीं थे । किए गए भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 6 : निविदा आमंत्रण सूचना के उल्लघंन में किया गया भुगतान

(रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	बिल की क्रम संख्या	कुल भुगतान की राशि
1.	नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण में एलीवेटरों का प्रावधान	मै. कोने एलीवेटर्स इंडिया लि.	7वाँ	4,37,20,952
2.	नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण में विद्युत संस्थापनों का प्रावधान	मै. प्रिसिशन इजीनियरिंग	14वाँ	2,14,16,512
			योग	**6,51,37,464**

इस प्रकार फर्मों को निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों का उल्लघंन करते हुए भुगतान किया गया ।

अपने उत्तर में विद्युत विभाग ने कहा कि निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त सामान्य प्रकृति की थी तथा इस विशेष मामले में इसे लागू करना अपेक्षित नहीं था, क्योंकि पूर्व-योग्यता

की जॉच के दौरान फर्म के सभी विवरणों की अच्छी तरह से जॉच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में उच्च स्तर पर कर ली गई थी ।

उत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि निविदा आमंत्रण सूचना में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया था कि प्रथम चालू लेखा बिल के भुगतान करने से पूर्व फर्म को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में पंजीकृत होना चाहिए । यदि ये अपेक्षित नहीं था, तो अनुबंध की शर्त को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए था।

5.ग भवन के निर्माण में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप 90.02 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई

प्रारम्भ में नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कार्यालयों हेतु संकल्पना की गई थी। नई दिल्ली सिटी सेंटर के द्वितीय चरण के निर्माण के दौरान अप्रैल 1999 मे नई दिल्ली नगरपलिका परिषद् ने निर्णय लिया कि नए भवन को व्यावसायिक उपयोग हेतु किराए पर दिया जाए । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कार्यालय पालिका केन्द्र में ही रहेंगे। वास्तुविद् परामर्शदाता ने निधि उधार लेने पर 20 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा 70 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति मास की दर पर किराए की वापसी पर विचार करते हुए नई दिल्ली सिटी सेंटर के द्वितीय चरण को आर्थिक रूप से न्यायोचित बताया था । वास्तुविद परामर्शदाता के अनुसार भवन को किराये पर देने से परियोजना की कुल लागत ब्याज सहित सात से आठ वर्षों के भीतर वसूल की जा सकती थी। परंतु भवन निर्माण के पूर्ण होने में देरी के कारण अनुमानित राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका ।

2 सितम्बर 1997 से 30 अप्रैल 2001 तक प्रदान की गई समय वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए भवन अधिवास हेतु 30 अप्रैल 2001 तक तैयार हो जाना चाहिए था । यदि यह प्रगति प्राप्त की गई होती तो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् वर्ष 1992 में वास्तुविद द्वारा वर्णित दरों के आधार पर संरक्षित गणना के अनुसार 26,766 वर्ग मी. (26766 वर्ग मी. x 10.76 =288002.16 वर्ग फुट) के आच्छादित क्षेत्र हेतु 90.02 करोड़ रुपये का राजस्व निम्न विवरणनुसार अर्जित कर सकती थी:

तालिका 7 : किराये की गणना का विवरण

(रुपये में)

एक मास के किराये की राशि (70 रुपये प्रति वर्गफुट x288002.16 वर्गफुट)	2,01,60,151
47 मास का कुल किराया (1.5.2001 से 31.3.2005)	94,75,27,097
(कम) रखरखाव प्रभार 5 प्रतिशत की दर से	4,73,76,355
निवल राजस्व की हानि	**90,01,50,742**

निष्कर्ष

नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण (मुख्य भवन कार्य) के निर्माण की परियोजना जिसका निर्माण कार्य 1 सितम्बर 1997 तक पूर्ण किया जाना था, लगभग साढ़े सात वर्ष विलम्ब तथा विभिन्न सिविल एवं विद्युतीय कार्यों पर कुल 44.06 करोड रुपये व्यय के बावजूद मार्च 2005 तक अपूर्ण थी। परियोजना के समय पर पूर्ण न होने से 90.02 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व का घाटा हुआ जो कि परियोजना का कार्य समय पर पूर्ण होने की स्थिति में किराये के रूप में अर्जित किया जा सकता था ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने मै. एन.बी.सी.सी.लि. को समय समय पर बिना किसी क्षतिपूर्ति के समय सीमा में वृद्धि प्रदान की। अवमानक कार्य के लिए फर्म के विरूद्ध एवं नक्शे विलम्ब से जमा कराने के लिए वास्तुविद् सलाहकार के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई । समय अधिक हो जाने के कारण विभागीय तथा अनुबंधीय सामग्री तथा कर्मचारियों पर व्यय में भी वृद्धि हो गई । खराब योजना तथा समन्वय की कमी के परिणामस्वरुप लिफ्ट शॉफ्टों में खराबी के बावजूद लिफ्टों का क्रय किया गया और अन्ततः उनका संस्थापन नहीं किया गया। अन्य विभिन्न विद्युतीय कार्य जैसे आंतरिक विद्युत संस्थापन एवं वातानुकूलन के कार्य भी पूरे नहीं हुए जिसके परिणामस्वरूप परिषद् निधि अवरूद्ध हुई।

इस प्रकार सिविल तथा विद्युत अभियांत्रिक विभागों को नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण परियोजना के कार्य पूर्ण न होने की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरुप इसके लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तथा लम्बित कार्यों को पूर्ण करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मै. एन.बी.सी.सी. लि. के साथ अनुबंध जिस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाना लंबित पड़ा है, की भी शीघ्र समीक्षा करने की आवश्यकता है ।

2.2 न.दि.न.पा.परिषद् में पेंशन लाभों का निपटान तथा संवितरण

आडिट ने वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन, कार्यवाही में विलम्ब, अनुवेक्षण एवं नियंत्रण पद्धति की विद्यमानता आदि की जांच करने के लिए पेंशन विभाग के कार्यकलापों की 2000-01 से 2004-05 तक की अवधि के लिए समीक्षा की । पेंशन विभाग के कार्यकलाप त्रुटिपूर्ण पाये गये । केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियम 1972 में नियत पद्धति एवं समय सारणी का सख्ती से पालन नहीं किया गया । पारिवारिक पेंशन तथा स्वैच्छिक सेवा पेंशन निवृत्ति मामलों के निपटान में 150 मास तक का असामान्य विलम्ब हुआ। पेंशन की राशि से पेंशन की कम्यूटिड-राशि को कम नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 11 मामलों में 3.69 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। विभाग ने 7 वर्ष की नियत या 65/67 वर्ष की आयु के पश्चात् पारिवारिक पेंशन में संशोधन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 8.90 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। पेंशन की कम्यूटिड-राशि अनियमित रूप से पारिवारिक पेंशन से काटी गई, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक पेंशन का कम भुगतान हुआ । इसी प्रकार 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् भी पूर्ण पेंशन बहाल नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप 137 मामलों में 10.35 लाख रुपये का कम भुगतान हुआ। ये त्रुटियाँ कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा अनुवीक्षण प्रणाली इंगित करती है। पेंशन विभाग को ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलों की जांच करने तथा अपने कार्यकलापों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

प्रमुखतायें

1. *केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में नियत उचित प्रक्रिया तथा समय सारणी का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा था।*
2. *पारिवारिक पेंशन तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पेंशन मामलों के निपटान में 150 माह तक का असामान्य विलम्ब हुआ ।*
3. *पेंशन राशि में से पेंशन की कम्यूटिड-राशि कम नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप 11 मामलों में 3.69 लाख रुपये की राशि का अधिक भुगतान हुआ ।*
4. *सात वर्ष की नियत अवधि या 65/67 वर्ष की आयु के पश्चात् पारिवारिक पेंशन की राशि को संशोधित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 11 मामलों मे 8.90 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।*
5. *पारिवारिक पेंशन से कम्यूटिड राशि की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप पारिवारिक पेंशन का कम भुगतान हुआ ।*
6. *15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी पूर्ण पेंशन की बहाली न होने के परिणामस्वरूप 137 मामलों में 10.35 लाख रुपये की पेंशन राशि का कम भुगतान हुआ ।*

1. प्रस्तावना

न.दि.न.पा.परिषद् ने प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 19 अक्टूबर 1973 के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियम 1972 को तदर्थ अनुदान योजना के रूप में स्वीकृत तथा अनुमोदित किया था । तदनुसार, परिषद् के कर्मचारी विभिन्न प्रकार के पेंशन जैसे-अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, पारिवारिक पेंशन आदि के हकदार हैं । परिषद् ने पुनः प्रस्ताव सं. 22 (डी-4) दिनांक 27 अप्रैल 2005 के अन्तर्गत ''नई पेंशन योजना-2004'' को स्वीकृत तथा अनुमोदित किया ।

31 मार्च 2005 को 2249 पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं (पेंशनर्स) सहित कुल 6110 पेंशन प्राप्त कर्त्ता थे । 31 दिसम्बर 2004 को पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या न.दि.न.पा.परिषद् के कुल कर्मचारियों की संख्या के लगभग 40 प्रतिशत थी । पेंशन भुगतान पर 2004-05 को वास्तविक व्यय 40.51 करोड़ हुआ । यह वर्ष 2004-05 में न.दि.न.पा.परिषद् में वेतन पर हुये व्यय के 16.90 प्रतिशत के बराबर था ।

2. संगठनात्मक ढ़ाँचा

न.दि.न.पा.परिषद् कर्मचारियों के लिए पेंशन, स्थापना विभाग द्वारा तैयार किये गये सेवा रिकार्डों के आधार पर पेंशन विभाग द्वारा स्वीकृत व वितरित की जाती है। सगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है :

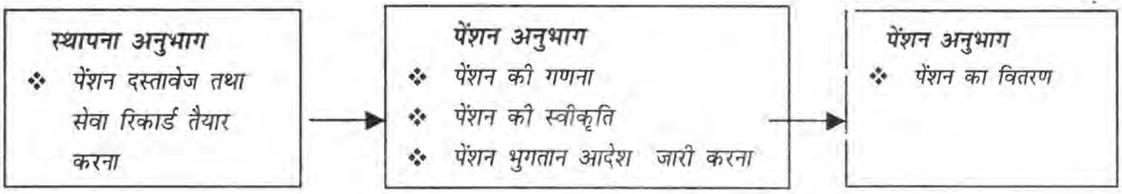

क) स्थापना विभाग

न.दि.न.पा.परिषद् के स्थापना अनुभाग, जो कि निदेशक (कार्मिक) के नियंत्रण में कार्यरत हैं, मुख्यतः न.दि.न.पा.परिषद् के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन दस्तावेज एवं अन्य सेवा रिकार्ड तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। वे पेंशन विभाग को पेंशन दस्तावेज पेंशन के निपटान एवं संवितरण हेतु भेजते हैं ।

ख) पेंशन विभाग

निदेशक (लेखा) के अधीन न.दि.न.पा.परिषद् का पेंशन विभाग मुख्यतः पेंशन की गणना, स्वीकृति व संवितरण तथा पेंशन लाभों जैसे डी.सी.आर.जी., पेंशन का कम्यूटेशन तथा न.दि.न.पा.परिषद् के सेवानिवृत्त या मृतक कर्मचारियों के परिवारजनों हेतु पारिवारिक पेंशन के लिए उत्तरदायी है । पेंशन विभाग में दो अनुभाग हैं। एक अनुभाग पेंशन के निपटान जैसे पेंशन

की गणना तथा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) तैयार व जारी करने का काम करता है। दूसरा अनुभाग पेंशन के वितरण, पारिवारिक पेंशन आदेश जारी करना, बैंक सूची विवरण की पावती, बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन से सामान्य पारिवारिक पेंशन की बहाली इत्यादि कार्य करता है ।

3. आडिट का कार्य क्षेत्र

स्थापना एवं पेंशन अनुभागों के वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि के लिए न.दि.न.पा.परिषद् कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित रिकार्ड की जॉच की गई ।

4. आडिट का उद्देश्य

आडिट का उद्देश्य निम्न की जॉच करना था :

(क) पेंशन की स्वीकृति तथा संवितरण में वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन
(ख) कार्यवाही में विलम्ब
(ग) स्वीकृत पेंशन का सही आकलन
(घ) अनुवीक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली
(ड) पेंशन संवितरण हेतु आकलन पद्धति

5. आडिट की कार्यपद्धति

11 स्थापना अनुभागों द्वारा रखरखाव किये जा रहे सेवा रिकार्डों के आधार पर पेंशन अनुभाग द्वारा पेंशन स्वीकृत एवं संवितरित की जाती थी । पेंशन विभाग तथा सिविल स्थापना-I, सिविल स्थापना-II, शिक्षा स्थापना-I, शिक्षा स्थापना-II तथा स्वास्थ्य स्थापना-II अनुभागों के रिकार्डों की निम्न तरह जॉच की गई :

- स्थापना अनुभाग द्वारा रखरखाव की जा रही सेवा पुस्तिकाओं तथा निजी फाईलों की जॉच ।
- बैंक स्क्रोल, बैंक विवरणिकाओं, डी.सी.आर.जी. रजिस्टर इत्यादि सहित पेंशन विभाग के रिकार्ड की जॉच ।
- पेंशन की स्वीकृति तथा संवितरण की प्रक्रिया की जांच ।

6. पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2005 तक पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं की कुल संख्या 6110 थी जिसमें से 2000-2005 के दौरान 2049 मामलों को अंतिम रूप दिया गया था । श्रेणी अनुसार 6110 पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :

तालिका 1: पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं का विवरण

विवरण	अधिवर्षिता पेंशन	पारिवारिक पेंशन	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन	अस्थाई पेंशन	अशक्तता पेंशन	विविध	कुल
वर्ष 1999-2000 तक कुल पेंशन प्राप्तकर्त्ता	1962	1720	119	6	11	18	*225	4061
वर्ष 2000-05 के दौरान निपटाये गये मामले	1345	529	119	8	13	35	-	2049
दिनांक 31.3.2005 तक कुल	3307	2249	238	14	24	53	225	6110

*पुराना रिकार्ड/पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर के प्रस्तुत न करने तथा पेंशन भुगतान (पीपीओ) रजिस्टर में पूर्ण जानकारी न भरने के कारण पेंशन की श्रेणियाँ निश्चित नहीं की जा सकी।

7. बजट प्रावधान और व्यय

वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक लेखा शीर्ष, पेंशन, डीसीआरजी तथा अनुग्रह राशि के अन्तर्गत बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय निम्न प्रकार से थे :

तालिका 2: बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

(रुपये लाख में)

वर्ष	लेखाशीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	वृद्धि (+) बचत (-) (प्रतिशतता)
2000-01	सी.3.9(ए) पेंशन	2800.00	2195.57	(-) 21.60
	सी.3.9(बी) डीसीआरजी	800.00	551.50	(-) 31.00
	सी.3.9(सी) अनुग्रह	10.00	3.07	(-) 69.30
	कुल	**3610.00**	**2750.14**	
2001-02	सी.3.9(ए) पेंशन	2600.00	2423.91	(-) 6.80
	सी.3.9(बी) डीसीआरजी	650.00	566.27	(-) 13.00
	सी.3.9(सी) अनुग्रह	10.00	1.37	(-) 86.00
	कुल	**3260.00**	**2991.55**	
2002-03	सी.3.9(ए) पेंशन	3000.00	2744.00	(-) 8.5
	सी.3.9(बी) डीसीआरजी	700.00	636.90	(-) 9.00
	सी.3.9(सी) अनुग्रह	10.00	8.00	(-) 15.00
	कुल	**3710.00**	**3389.40**	
2003-04	सी.3.9(ए) पेंशन	3200.00	3220.87	(+) 0.65
	सी.3.9(बी) डीसीआरजी	900.00	864.52	(-) 4.00
	सी.3.9(सी) अनुग्रह	10.00	8.60	(-) 14.00
	कुल	**4110.00**	**4093.99**	
2004-05	सी.3.9(ए) पेंशन	3700.00	3305.53	(-) 10.66
	सी.3.9(बी) डीसीआरजी	1000.00	736.17	(-) 26.40
	सी.3.9(सी) अनुग्रह	11.00	9.60	(-) 12.70
	कुल	**4711.00**	**4051.30**	

उपरोक्त उल्लेखित तालिका का विश्लेषण इंगित करता है कि वर्ष 2000-01 से वर्ष 2004-05 के दौरान लेखा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत बचत दर 6.8 प्रतिशत से 21.6 प्रतिशत, लेखा डीसीआरजी शीर्ष के अन्तर्गत बचत दर 4 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तथा लेखाशीर्ष अनुग्रह राशि के अन्तर्गत बचत दर 12 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के मध्य थी। अत्याधिक बचत यह भी इंगित करती है कि प्रत्येक वित्त वर्ष में पेंशन पर हुए व्यय का उचित निर्धारण नहीं किया गया था। बचत के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे।

8. आडिट की टिप्पणियॉं

क) प्रक्रिया

1. केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में नियत प्रक्रिया को न अपनाना

न.दि.न.पा.परिषद् के स्थापना विभाग पेंशन दस्तावेजों को तैयार करने तथा अन्य सम्बन्धित रिकार्ड हेतु उत्तरदायी है। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से 24 से 30 मास पूर्व आरम्भ की जाने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया को मुख्यत: स्थापना अनुभागों द्वारा प्रारंभ किया जाना था। न.दि.न.पा.परिषद् के इन अनुभागों द्वारा अपनाई जाने वाले प्रक्रिया की जांच हेतु, ऑडिट, ने सिविल स्थापना (I), सिविल स्थापना (II), स्वास्थ्य स्थापना (II), शिक्षा स्थापना (I) तथा शिक्षा स्थापना (II) द्वारा रखरखाव की जा रही 235 वैयक्तिक फाइलों की सेवा पुस्तकों सहित जॉंच की । इन फाईलों की जॉंच से ज्ञात हुआ कि जॉंच किये गये 235 मामलों में निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था :

तालिका 3 : न.दि.न.पा.परिषद् में प्रक्रिया का नहीं अपनाया जाना

क्र. सं.	नियम सं. (केन्द्रीय नागर सेवा पेंशन नियम)	केन्द्रीय नागर सेवा पेंशन नियम के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही	केन्द्रीय नागर सेवा पेंशन के अनुसार समय सारणी	न.दि.न.पा. परिषद् में स्थिति
1.	32	25 वर्ष की सेवा के पश्चात् अथवा सेवा-निवृत्ति से 5 वर्ष पूर्व मान्य सेवा का फार्म सं0 24 में सत्यापन	सेवा-निवृत्ति से पॉंच वर्ष पूर्व	विभाग द्वारा सही अनुपालन नही किया जा रहा ।
2.	56	24-30 मास के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को तैयार करना तथा एक प्रतिलिपि वेतन एवं लेखा कार्यालय (न.दि.न.पा.परिषद् के मामले में लेखा अधिकारी पेंशन) को भेजना	प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी/पहली जुलाई	-वही-
3.	57	बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सम्पदा अधिकारी को लिखना	सेवा निवृत्ति से पूर्व दो वर्ष	-वही-
4.	58	फार्म सं0 7 को तैयार करना (पेंशन,पारिवारिक पेंशन, उपदान कम्यूटेशन जहॉं भी लागू हो, निर्धारित करने हेतु फार्म)	सेवा निवृत्ति से दो वर्ष पूर्व	सेवा निवृत्ति की तिथि से केवल एक से तीन माह पूर्व किया गया
5.	59	सरकारी कर्मचारियों से फार्म सं0 5 प्राप्त करना (परिवार तथा स्वयं का विवरण तथा फोटो इत्यादि) जांच सूची एवं पेंशन प्रगति रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए ।	सेवा निवृत्ति से आठ माह पूर्व	नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया

6.	60	फार्म सं0 7 के भाग- I को पूर्ण करना (सेवा, छुट्टियों, परिलब्धियों, इत्यादि का रिकार्ड)	सेवा निवृत्ति से छः मास पूर्व	सेवा निवृत्ति से एक से तीन मास पूर्व किया गया
7.	61	वेतन एवं लेखा कार्यालय को पेंशन दस्तावेज तथा फार्म सं0 5 एवं 7 भेजना (न.दि.न.पा.परिषद् के मामले में लेखा अधिकारी पेंशन)	सेवा निवृत्ति से छः मास पूर्व	समय अनुसूची का सख्ती से पालन नहीं किया गया
8.	62	पेंशन संबंधी होने वाली किसी घटना की सूचना वेतन एवं लेखा कार्यालय को देना । (न.दि.न.पा.परिषद् के मामले में लेखा अधिकारी पेंशन)	तत्काल	निश्चित नहीं किया जा सकता ।
9.	63	उपदान से सरकार को देय की वसूली के संबंध में वेतन एवं लेखा कार्यालय को सूचित करना (न.दि.न.पा.परिषद् के मामले में लेखा अधिकारी पेंशन)	सेवा निवृत्ति से दो मास पूर्व	पालन किया जा रहा है
10.	64	यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति के पेंशन दस्तावेज के पूर्ण होने में विलम्ब की संभावना है तो छः मास हेतु वैकल्पिक पेंशन की स्वीकृति	सेवा निवृत्ति से दो मास पूर्व	नियम में दिये गये प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा था
11.	65	पेंशन भुगतान आदेश जारी करना	सेवा निवृत्त से एक मास पूर्व	पालन नहीं किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त पुन: निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थी :

(i) पेंशन दस्तावेज प्रदान करना

स्थापना विभाग द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन के फार्म उपलब्ध कराये जाने चाहिए । न.दि.न.पा.परिषद् में यह कार्य श्रम कल्याण विभाग को सौंपा हुआ है। इस कारण पेंशन मामलों का निपटान करने में एक अतिरिक्त स्तर का सृजन हुआ । ऐसे अतिरिक्त स्तरों से बचने के लिए, सम्बन्धित स्थापना विभाग को स्वयं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त फार्म उपलब्ध कराने चाहिए तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की एक सूची श्रम कल्याण कार्यालय में भेजी जानी चाहिए।

(ii) पेंशन फार्म को भरना

आगे जाँच से यह ज्ञात हुआ कि फार्मो का केवल एक ही सैट सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा भरा जाता और उसे ही पेंशन लाभों की गणना हेतु पेंशन विभाग को भेजा जाता था । उक्त फार्म की कोई कार्यालयी प्रतिलिपि संबंधित स्थापना विभाग द्वारा नहीं रखी जाती । कार्यालय प्रतिलिपि किए गए कार्य की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, आगामी संदर्भ हेतु तथा रिकार्ड के आडिट के समय भी अपेक्षित थी । इनके न होने से आडिट पेंशन दस्तावेजों की पूर्णता तथा स्थापना विभागों द्वारा की गई जाँच को प्रमाणित नहीं कर सका ।

(iii) सेवा पुस्तिका में पेंशन लाभों तथा सेवानिवृत्ति की प्रविष्टियों को रिकार्ड न करना

235 सेवा पुस्तिकाओं की जाँच से ज्ञात हुआ कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं में कुछ आवश्यक विवरणों को रिकार्ड नहीं किया गया था। यह निम्न प्रकार से है:

- सेवानिवृत्ति आदेश

- पारिवारिक पेंशन तथा सामान्य पेंशन की राशि दर्शाता हुआ पेंशन भुगतान आदेश
- भुगतान की गई उपदान की राशि तथा आदेश संख्या
- आदेश संख्या तथा तिथि के साथ भुगतान की गई कम्यूटिड राशि
- अन्य लाभ जैसे सामान्य भविष्य निधि, अवकाश के स्थान पर नकद भुगतान तथा पेंशन प्राप्तकर्त्ता को भुगतान की गई बीमाराशि

सेवा पुस्तिका में उपरोक्त प्रविष्टियों को रिकार्ड न करने से भविष्य में दोहरा भुगतान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

(iv) पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार के सिविल पेंशनरों को पेंशन के भुगतान हेतु योजना के पैरा 22 के अनुसार, पेंशन प्राप्तकर्त्ता के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद, पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों द्वारा स्वतः पारिवारिक पेंशन उस दर पर, स्वीकृत कर दी जानी चाहिए, जिस दर पर पेंशन भुगतान आदेश जारी करते समय विभाग द्वारा बैंक को पहले से ही सूचित किया हुआ है ।

परंतु रिकार्ड की जाँच से ज्ञात हुआ कि बैंक स्वयं पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं करता तथा इसके लिए पेंशन अनुभाग द्वारा पुनः स्वीकृति जारी की जाती थी जिसके परिणामस्वरूप मृतक-पेंशन प्राप्तकर्त्ता के पति अथवा पत्नी/कानूनी उत्तराधिकारी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान में परिहार्य विलम्ब होता था ।

(ख) पेंशन निपटान तथा संवितरण

1. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मामलों में पेंशन के निपटान में विलम्ब

रिकार्डों की जांच से पता चला कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के पेंशन मामलों के निपटान में काफी विलम्ब हुआ । अप्रैल 2000 से मार्च 2005 के दौरान 119 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली । इन मामलों के निपटान में एक मास से 145 मास तक विलम्ब हुआ, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

तालिका 4 : स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के निपटान में विलम्ब

विलम्ब की अवधि	मामलों की संख्या
1 मास से 3 मास	40
3 मास से अधिक किन्तु 6 मास से कम	33
6मास से अधिक किन्तु 12 मास से कम	31
12 मास से अधिक किन्तु 36 मास से कम	12
36 मास से अधिक किन्तु 60 मास से कम	1
60 मास से अधिक किन्तु 120 मास से कम	1
120 मास से अधिक	1
कुल	119

रिकार्ड में विलम्ब के कारण उपलब्ध नहीं थे ।

2. पेंशन, मंहगाई पेंशन इत्यादि के संवितरण में विसंगतियॉ

पेंशनरों की प्रदत्त सूची की जांच के दौरान, यह अवलोकन किया गया कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संवितरण के 18 मामलों में नियत पेंशन न्यूनतम पेंशन से भी कम थी। 23 मामलों में मंहगाई पेंशन स्वीकृत नहीं की गई तथा 5 मामलों में मंहगाई पेंशन/मंहगाई राहत के रूप में भुगतान की गई राशि मूल पेंशन से अधिक थी। इन मामलों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 5 : पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की सूची जिनको केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के अनुसार पेंशन का संवितरण नहीं किया गया

क्र. सं.	विसंगतियों का प्रकार	मामलों की सं.	पेंशन भुगतान आदेश सं.
1.	पेंशनर जो न्यूनतम नियत पेंशन से कम पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे	18	320/न.दि.न.पा.परिषद्,321/ न.दि.न.पा.परिषद्, 1158/न.दि.न.पा.परिषद,1543/न.दि.न.पा. परिषद,1567/ न.दि.न.पा.परिषद, 1706/न.दि.न.पा.परिषद, 1816/न.दि.न.पा.परिषद, 1926/न.दि.न. पा.परिषद, 2101/न.दि.न.पा.परिषद, 2833/न.दि.न.पा.परिषद, 3070/न.दि.न.पा.परिषद, डी पी 114/एस/न.दि.न.पा.परिषद, डी पी 391/आर,डी.पी 260(सी)(आर), डीपी 146(एस), 442(एस), 1781 तथा 66(एस.आर)
2.	पेंशनर जो मंहगाई राहत प्राप्त नहीं कर रहे थे	23	18/न.दि.न.पा.परिषद, 42/न.दि.न.पा.परिषद, 60/न.दि.न.पा.परिषद् 74 वी, 216/न.दि.न.पा.परिषद, 217/न.दि.न.पा.परिषद, 219/न.दि.न.पा.परिषद, 327/न.दि.न.पा.परिषद, 339/न.दि.न.पा.परिषद, 560/न.दि.न.पा.परिषद, 562/न.दि.न.पा.परिषद, 781/न.दि.न.पा.परिषद, 894/न.दि.न.पा.परिषद, 1284/न.दि.न.पा.परिषद, 1383/न.दि.न.पा.परिषद, 1408/न.दि.न.पा.परिषद, 1462/न.दि.न.पा. परिषद, 1651/न.दि.न.पा.परिषद, 2005/न.दि.न.पा.परिषद, 2514/न.दि.न.पा.परिषद, 3109/न.दि.न. पा.परिषद, 3473/न.दि.न.पा.परिषद,तथा 3783/न.दि.न.पा.परिषद,
3.	पेंशनर जो मूल पेंशन से अधिक मंहगाई पेंशन/ मंहगाई राहत प्राप्त कर रहे थे	5	1322/न.दि.न.पा.परिषद, 1460/न.दि.न.पा.परिषद, 1687/न.दि.न.पा.परिषद, 1950/न.दि.न.पा. परिषद तथा 1992/न.दि.न.पा.परिषद,

विभाग सभी मामलों की समीक्षा करे तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सही भुगतान को नियमित करने के लिए कदम उठाये जायें।

3. पेंशनरों को 3.69 लाख रुपये का अधिक भुगतान

केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियमावली 1981 के नियम 6 (1) के परिशिष्ट-I में निर्दिष्ट किया गया है कि (क) एक आवेदक जो लेखा कार्यालय अथवा कोष से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है, कम्यूटेशन के लेखे में पेंशन की राशि में कटौती, पेंशन की कम्यूटिड मूल्य की प्राप्ति की तिथि से अथवा पेंशन की कम्यूटिड मूल्य के भुगतान हेतु लेखा अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति के बाद तीन मास की समाप्ति, जो भी पहले हो, से चालू हो जायेगी। तथा (ख) एक आवेदक जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहा है के मामले में कम्यूटेशन के संबंध में पेंशन की राशि में कटौती उसी तिथि को लागू होगी जिस तिथि से आवेदक के लेखे, जिसमें पेंशन जमा होती है, में बैंक द्वारा पेंशन के कम्यूटिड मूल्य को जमा किया गया ।

बैंक के स्क्रोल तथा पेंशन फाइलों की जांच से पता चला कि निम्नलिखित पेंशनरों को पेंशन के कम्यूटेशन भाग की राशि की कटौती के बिना मूल पेंशन का भुगतान किया जा रहा था, यद्यपि इन सभी मामलों में पेंशनरों ने अपनी पेंशन कम्यूट कराई थी :

तालिका 6 : पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की कटौती न करना

क्र.स.	पेंशनर का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	सेवानिवृति की तिथि	कम्यूटिड मूल्य (रुपये में)	कुल मास (12/05 तक)	कुल (रुपये में)
1.	श्रीमती लीलावती	1647/न.दि.न.पा.परिषद्	31.03.97	192	105	20160
2.	श्री राम दास	1813/न.दि.न.पा.परिषद्	31.01.97	162	107	17334
3.	श्रीमती सोना देवी	2258/न.दि.न.पा.परिषद्	30.11.98	524	85	44540
4.	श्रीमती फूलवती	2507/न.दि.न.पा.परिषद्	30.09.99	997	75	74775
5.	श्री मुरली	2861/न.दि.न.पा.परिषद्	31.08.2000	510	64	32640
6.	श्रीमती बसंती देवी	3006/न.दि.न.पा.परिषद्	31.01.01	524	59	30916
7.	श्रीमती टुन्डा	3209/न.दि.न.पा.परिषद्	31.08.01	731	52	38012
8.	श्री राम सुमेर	3266/न.दि.न.पा.परिषद्	31.10.01	666	50	33300
9.	श्रीमती हरबाई	3560/न.दि.न.पा.परिषद्	31.08.02	642	40	25680
10.	श्री राम कुमार	3793/न.दि.न.पा.परिषद्	20.07.03	577	29	16733
11.	श्री करवीर सिंह	4229/न.दि.न.पा.परिषद्	31.12.03	1436	24	34464
					योग	**368554**

इस प्रकार नियमों का अनुपालन न होने तथा अनुवीक्षण पद्धति के अभाव के कारण 11 मामलों में ही 3.69 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

ग) पारिवारिक पेंशन का निपटान तथा संवितरण

(1) पारिवारिक पेंशन के निपटान में विलम्ब

रिकार्ड की जॉच से ज्ञात हुआ कि पारिवारिक पेंशन के मामलों के निपटान में असामान्य विलम्ब हुआ । अप्रैल 2000 से मार्च 2005 तक सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात् 529 मामलों में पारिवारिक पेंशन को निपटाया गया । मामलों के निपटान में एक मास से 150 मास तक का विलम्ब निम्न तालिका में देखा जा सकता है:

तालिका 7 : पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति में विलम्ब

विलम्ब की अवधि	मामलों की संख्या
1 मास से 3 मास	18
3 मास से अधिक किन्तु 6 मास से कम	65
6 मास से अधिक किन्तु 12 मास से कम	226
12 मास से अधिक किन्तु 36 मास से कम	186
36 मास से अधिक किन्तु 60 मास से कम	27
60 मास से अधिक किन्तु 120 मास से कम	6
120 मास से अधिक	1
योग	**529**

पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति में विलम्ब हेतु कारण न तो रिकार्ड में उपलब्ध थे न ही विभाग द्वारा इनका विश्लेषण किया गया ।

(2) पारिवारिक पेंशनरों को 8.90 लाख रुपये का अधिक भुगतान

केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54(3) के अनुसार बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का भुगतान सात वर्ष या उस तिथि तक जब तक मृतक सरकारी कर्मचारी यदि जीवित रहता तो 65/67 वर्ष की आयु पूर्ण करता, जो भी कम हो, तक किया जाना चाहिए। बढ़ी हुई दर से सामान्य दर में परिवर्तन की पद्धति स्वचालित है क्योंकि इसका उल्लेख पेंशन भुगतान आदेश नें ही होता है तथा बैंक को पेंशन भुगतान आदेश में किये गये उल्लेख के अनुसार भुगतान करना होता है।

संबंधित रिकार्ड की जॉच से यह ज्ञात हुआ कि बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन का निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी निरंतर भुगतान किया जाता रहा जिसके परिणामस्वरूप 11 मामलों में 8.90 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया जैसा कि निम्नलिखित तालिका से इंगित होता है:

तालिका 8: पारिवारिक पेंशनरों को अधिक भुगतान

क्र. स.	पेंशनर का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	संवितरित पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर	पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर	तिथि जिससे बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य नहीं थी	12/2005 तक अधिक भुगतान
1.	श्रीमती देवकी देवी	1897/न.दि.न.पा.परिषद्	1561	1275	16.10.02	18459
2.	श्रीमती अरूणा कुमारी	1905/न.दि.न.पा.परिषद्	2732	1275	04.12.04	33468
3.	श्रीमती लीलावती	0062/न.दि.न.पा.परिषद्	3737	1689	14.08.98	2748
4.	श्रीमती कमला देवी	0013/न.दि.न.पा.परिषद्	1764	1275	10.06.99	59449
5.	श्रीमती गणेशी	3074/न.दि.न.पा.परिषद्	1607	1275	01.02.05	6533
6.	श्री सोमदत्त	4139/न.दि.न.पा.परिषद्	1385	1305	07.04.02	5043
7.	श्री श्याम सुन्दर	0307/न.दि.न.पा.परिषद्	2732	1396	26.12.98	172087
8.	श्रीमती बिन्द्रा	1393/न.दि.न.पा.परिषद्	2524	1396	01.09.02	74930
9.	श्री जी.सी.धवन	1419/न.दि.न.पा.परिषद्	3550	2130	1.02.03	83485
10.	श्रीमती परमेली	114/न.दि.न.पा.परिषद्	2247	1377	09.06.99	105812
11.	श्री काली चरण	1177/न.दि.न.पा.परिषद्	2211	1353	02.10.02	55644
					योग	889658

विभाग ने दिनांक 19 जून 2006 को अपने उत्तर में गलती को स्वीकार किया और कहा कि बैंक पेंशन-भुगतान आदेश में किये गये उल्लेख के अनुसार भुगतान करने में असफल रहा। आडिट का विचार है कि यदि बैंक स्क्रोल का उचित मिलान तथा अनुवीक्षण/नियंत्रण पद्धति होती तो आधिक्य भुगतान का पता लगाया जा सकता था।

(3) पारिवारिक पेंशन का अनियमित भुगतान

नियम 54(6) में उल्लेखित है कि जिस अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन देय है, वह निम्नप्रकार से होगी :

क) विधवा या विधुर के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो;

ख) पुत्र के मामले में जब तक वह 25 वर्ष का नहीं हो जाता; और

ग) अविवाहित पुत्री के मामले में जब तक वह 25 वर्ष या विवाहित नहीं हो जाती, जो भी पहले हो।

रिकार्ड की जॉच से ज्ञात हुआ कि श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री देवा, पूर्व बेलदार, पारिवारिक पेंशनर (पेंशन भुगतान आदेश सं. 2922/न.दि.न.पा.परिषद्) 25 मार्च 2004 को 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करता रहा था । दिनांक 25 मार्च 2004 के पश्चात् पारिवारिक पेंशन का भुगतान अनियमित था और इसके परिणामस्वरूप मार्च 2004 से दिसम्बर 2005 तक 49188 रुपये का अनियमित भुगतान किया गया । इस पर ध्यान दिया जाए और अनियमित भुगतान को बन्द किया जाये एवं 49188 रुपये के आधिक्य भुगतान की वसूली की जाये तथा आडिट को सूचित किया जाये ।

4. कम्यूटेशन के लेखे में पारिवारिक पेंशन में गलत कटौती

मूल पेंशन से कम्यूटेशन की अनुमति है तथा पारिवारिक पेंशन से अनुमति नहीं है क्योंकि मूल पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाती है । इस प्रकार पेंशनर द्वारा अपनी मूल पेंशन पर कम्यूट कराई गई पेंशन का हिस्सा, पारिवारिक पेंशन से वसूल नहीं किया जा सकता क्योंकि पारिवारिक पेंशन उसकी पत्नी/उसके पति या परिवार के सदस्य को स्वीकृत की जाती है ।

फाईलों/रिकार्डो की जॉच से ज्ञात हुआ कि पेंशन का कम्यूटीड मूल्य मृतक की पारिवारिक पेंशन से काटा जा रहा था । इस प्रकार के कुछ मामलों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :

तालिका 9: पारिवारिक पेंशनरों को कम भुगतान

क्र. स.	पारिवारिक पेंशनर का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	पेंशन के कम्यूटीड मूल्य की कटौती (रुपये में)	जिस तिथि से कटौती की गई	दिनांक 12/2005 तक पारिवारिक पेंशन का कम भुगतान (रुपये में)
1.	श्रीमती सुबर्तन	1975/न.दि.न.पा.परिषद्	543	25.01.1998	51708
2.	श्रीमती पूर्णिमा	2186/न.दि.न.पा.परिषद्	510	29.12.1999	30649
3.	श्री फूल सिंह	2581/न.दि.न.पा.परिषद्	731	--	--
4.	श्रीमती अंगूरी देवी	3036/न.दि.न.पा.परिषद्	1065	11.12.2002	39061
5.	श्रीमती कमला	3261/न.दि.न.पा.परिषद्	51	13.11.2000	3142
6.	श्रीमती राधा देवी	3643/न.दि.न.पा.परिषद्	1160	22.12.2001	56054
7.	श्रीमती शकुंतला सेठ	3757/न.दि.न.पा.परिषद्	1502	24.01.2004	34934
				योग	215548

उपरोक्त इंगित अनियमितता न केवल नियमों का उल्लंघन बल्कि कुशल आंतरिक नियंत्रण तथा निरीक्षण प्रणाली की कमी को भी दर्शाता है ।

5. अन्य अनियमिततायें

i) श्री लीला राम के पेंशन भुगतान आदेश संख्या 376/न.दि.न.पा.परिषद् के रिकार्ड की जॉच करने से ज्ञात हुआ कि श्री लीला राम अधिवर्षिता आयु पर 31 दिसम्बर 1993 को सेवा निवृत हुआ । सेवा निवृति से पूर्व श्री लीला राम ने विभाग को सूचित किया था कि उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया था और पुन: विवाह कर लिया था । अत: वह पेंशन संबंधी

लाभ की हकदार नहीं होगी । अपने परिवार के विवरण (नियम-54(12) के अधीन) में भी श्री लीला राम ने केवल अपने बच्चों के नाम इंगित किये थे । तत्पश्चात् श्रीमती शांति, श्री लीला राम की तलाकशुदा पत्नी ने 7 अप्रैल 2005 के शपथ-पत्र में दावा किया कि श्री लीला राम की 3 जनवरी 2005 को मृत्यु हो गई थी और उसे पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाए । उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढ़ी हरसारू, गुड़गॉंव द्वारा जारी श्री लीला राम के नाम का एक मृत्यु प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया था ।

विभाग द्वारा प्रदत पेंशनरों की सूची की जॉंच करने तथा बैंक स्क्रोल से ज्ञात हुआ कि श्री लीला राम को अभी भी पेंशन का भुगतान किया जा रहा था । विभाग ने अभी तक तथ्यों की जॉंच नहीं की थी । अत: मामले की जॉंच की जाय तथा उचित कार्यवाही कर आडिट को सूचित किया जाए ।

ii) *रिकार्ड की जॉंच करने से ज्ञात हुआ कि कुमारी करिश्मा (श्री मोहनचन्द पाण्डेय की अभिभावकता में) के नाम से पेंशन-भुगतान आदेश सं.053/न.दि.न.पा.परिषद् जारी किया गया था परंतु पारिवारिक पेंशन का भुगतान कुमारी कृष्णा को किया जा रहा था ।*

विभाग को उपयुक्त पर्यवेक्षीय जॉंच की पद्धति नियत करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की केन्द्रीय नागर सेवा पेंशन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है ।

घ) पेंशन का कम्यूटेशन

(1) 15 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी पेंशन के कम्यूटिड मूल्य की पुन: बहाली न करना

केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम 1981 के अनुसार कम्यूटेशन के 15 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटीड मूल्य की बहाली हो जानी चाहिए । विभाग द्वारा प्रदत पेंशनरों की सूची की जॉंच करने से ज्ञात हुआ कि 137 मामलों में 15 वर्षों के बाद भी पूर्ण पेंशन की बहाली नहीं की गई और पेंशन का भुगतान अभी भी कम्यूटीड मूल्य की कटौती करने के पश्चात् किया जा रहा था । पेंशन के कम्यूटीड मूल्य की पुन:बहाली न करने से पेंशनरों को दिसम्बर 2005 तक कम भुगतान की गई राशि 10.34 लाख रुपये बनती थी ।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम 1981 के अनुसार संबंधित पेंशनर को पेंशन के कम्यूटीड मूल्य की पुन: बहाली के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आवेदन करना होता है ।

लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन सभी मामलों में पेंशनर पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए आवेदन करने में असफल रहे । 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् पेंशन के कम्यूटिड मूल्य की पुन: बहाली के प्रावधान के संबंध में विभाग को पेंशनरों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है ।

(2) अशक्तता पेंशन के मामले में कम्यूटेशन की अनुमति न होना

केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम 1981 के परिशिष्ट-I के नियम 2 और नियम 18 के अनुसार सरकारी कर्मचारी, जो केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अध्याय पॉच में वर्णित किसी श्रेणी की पेंशन, अशक्तता पेंशन सहित, के हकदार हैं या पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, अपनी पेंशन के अनुपात के अनुसार कम्यूटेशन करवाने के हकदार हैं ।

अशक्तता पेंशन के मामलों की जॉच से ज्ञात हुआ कि कम्यूटेशन नियमों की अवहेलना करते हुए विभाग अशक्कता पेंशन से कम्यूटेशन की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा था । विभाग से अनुरोध किया गया जिस नियम के अधीन अशक्कता पेंशन पर कम्यूटेशन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही थी, उसे स्पष्ट एवं इंगित करें ।

लेकिन विभाग से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

ड) मृत्यु एवं निवृति उपदान

(1) परिवार के सदस्यों में मृत्यु उपदान का बॅटवारा

केन्द्रीय नागर सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50 के अनुसार कर्मचारी द्वारा नियम 53 के अंतर्गत भरे गये नामांकन के अनुसार कर्मचारी के नामित को मृत्यु उपदान देय है ।

आडिट जॉच से ज्ञात हुआ कि रिकार्ड में विशिष्ट नामांकन एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा वचन-पत्र कि मृतक की पत्नी/के पति को मृत्यु-उपदान का भुगतान किया जाये, के बावजूद मृतक के परिवार के सभी सदस्यों में मृत्यु उपदान बॉटा जा रहा था । इस मनमानी प्रक्रिया का अनुपालन करने के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

च) लेखा

(1) बैंक को कमीशन् प्रभारों के रूप में 87,982 रुपये का अनियमित भुगतान

वर्ष 2000-01 से 2004-05 की बैंक विवरणिका के मासिक सार की जॉच करने से ज्ञात हुआ कि अनेक मामलों में बैंक ने पेंशनरों को पेंशन वितरण की राशि के साथ कमीशन भी वसूल किया था । इन विशिष्ट मामलों में कमीशन वसूल करने के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे । बैंक द्वारा वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक वसूल की गई कमीशन की कुल राशि निम्न विवरण के अनुसार 87982 रुपये बनती थी ।

तालिका 10 : बैंक द्वारा वसूल की गई कमीशन

(रुपये में)

वर्ष	राशि
2000-2001	4325
2001-2002	29961
2002-2003	22977
2003-2004	15308
2004-2005	15411
कुल	87982

विभाग ने इस के लिए कारण जाने बिना कमीशन देना जारी रखा ।

(2) पेंशन निधि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा एक पेंशन निधि गठित की गई है लेकिन निधि गठित करने की वास्तविक तिथि सुनिश्चित नहीं की जा सकी । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 54(2) में स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी निधियों के गठन एवं उसमें से निपटान विनियमों में नियत पद्धति के अनुसार किया जाये । परंतु पेंशन निधि के गठन एवं इस से भुगतान की स्वीकृति से संबंधित कोई नियम/विनियम रिकार्ड में नहीं पाये गये ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की बजट पुस्तिका के अनुसार वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान पेंशन और उपदान निधि में अंशदान एवं इससे किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार था:

तालिका 11 : पेंशन निधि एवं इससे किए गये व्यय

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	पेंशन एवं उपदान निधि	खर्च
2000-2001	60.00	--
2001-2002	65.00	--
2002-2003	141.00	37.10
2003-2004	140.00	41.10
2004-2005	190.00	47.10

पेंशन निधि में अंशदान का आधार रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था । पेंशन निधि में अंशदान तदर्थ प्रकृति का प्रतीत हुआ । अल्प-अवधि, मध्य अवधि या लम्बी अवधि में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के पेंशन दायित्वों के निर्धारण के लिए अभी तक कोई वास्तविक अध्ययन नहीं किया गया है । पेंशन निधि से व्यय के संबंध में बजट पुस्तिका की जॉच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2001-02 तक पेंशन निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था ।

तत्पश्चात्, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में नई पेंशन योजना 2004 भी प्रारम्भ की गई। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी नियुक्ति नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में 1 जनवरी 2004 को तथा उसके बाद हुई । तद्नुसार दो नये पेंशन शीर्ष सी.3-19.ए और सी.19.बी भी संचालित किये गये । 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात् सेवा में आने वाले

कर्मचारियों से 16.29 लाख रुपये की राशि नई पेंशन योजना में उनके अंशदान के रुप में काटी गई थी और लेखा शीर्ष 'सी.3.19.बी: नई पेंशन निधि में अंशदान' के अंतर्गत बैंक में जमा करवायी गयी थी । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के नई पेंशन योजना में अंशदान को नये लेखा शीर्ष 'सी.3.19.ए' में जमा करवाया गया था । परंतु नई पेंशन निधि के संचालन के लिए नियम एवं विनियम अभी तक तैयार नहीं किये गये थे ।

छ) अन्य मुद्दे

(1) पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर का अनुपयुक्त रखरखाव

विभाग, पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर का रखरखाव करता था जिसमें सभी पेंशनरों का विवरण दिया गया था जिन्हें उनकी निवृति के समय पेंशन भुगतान आदेश जारी किया गया था । पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर की जॉच से ज्ञात हुआ कि अनेक मामलों में आवश्यक सूचनायें पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर में रिकार्ड नहीं की गई थी । विवरण निम्न प्रकार दिया गया है:

तालिका 12 : पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

क्र.सं.	अनियमितता की प्रकृति	मामलों की संख्या
1.	निवृत सरकारी कर्मचारी की पदसंज्ञा	354 मामला
2.	पारिवारिक पेंशनर का नाम	816 गामला
3.	जन्म तिथि	414 मामला
4.	निवृति/मृत्यु तिथि	35 मामला
5.	अंतिम प्राप्त वेतन	843 मामला
6.	पेंशन विवरण	14 मामला

पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर, जो कि पेंशनरों के विवरण का मूल रिकार्ड है, में अपूर्ण विवरण इसके रखरखाव के उद्देश्य को ही समाप्त कर देता है ।

(2) दोहरे पेंशन भुगतान आदेश संख्या जारी करना

(i) पेंशनरों की सूची की जॉच करने से ज्ञात हुआ कि कई मामलों में एक ही पेंशन भुगतान आदेश संख्या दो बार जारी किये गये थे । यह एक बहुत ही गंभीर त्रुटि है क्योंकि इससे धोखा-धड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

(ii) यह भी अवलोकन किया गया कि कुछ मामलों में पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर में पेंशन भुगतान आदेश संख्या के सामने पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम उल्लेखित नहीं किया गया था और कुछ मामलों में पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर में उल्लेखित नाम सूची में दिये गये नामों से मेल नहीं खाते थे ।

निष्कर्ष

वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक की अवधि के लिए पेंशन लाभों के निपटान एवं संवितरण की समीक्षा से गंभीर त्रुटियाँ पता चली हैं । प्रबन्धन सूचना प्रणाली बहुत कमजोर थी । केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियम 1972 में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया था । पेंशन फार्मों की कार्यालय प्रतियाँ नहीं रखी गई थी । सेवा निवृत्तों को स्वीकृत पेंशन-लाभों को सेवा पुस्तिका में उल्लेखित नहीं किया गया था । पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर का उचित रखरखाव नहीं किया गया था और इसमें महत्त्वपूर्ण प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी जिससे ऐसे दस्तावेजों के रखरखाव का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ।

आंतरिक नियंत्रण एवं अनुवीक्षण प्रणाली कमज़ोर थी जिसके परिणामस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के मामलों के निपटान में असामान्य विलम्ब हुआ । पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अधिक भुगतान के मामले भी पाये गये ।

ये त्रुटियाँ कमज़ोर प्रबन्धन सूचना प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण एवं अनुवीक्षण प्रणाली इंगित करती थी । कार्मिक एवं लेखा विभाग के बीच उचित समन्वय की भी कमी पाई गई । अतः संबंधित विभागों को इन गंभीर क्षेत्रों में ध्यान देने एवं अपने कार्यकलापों को सुचारू बनाने की आवश्यकता है ।

सिविल
इंजीनियरिंग
विभाग

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

3.1 भूमि के अधिग्रहण पर अनुत्पादक व्यय

सराय काले खॉ में आटो वर्कशाप के निर्माण हेतु तीन एकड़ के एक भू-खण्ड के अधिग्रहण पर किया गया 1.65 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय अनुत्पादक रहा क्योंकि परियोजना अब तक आरम्भ नहीं हुई । असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में भी अत्याधिक वृद्धि होगी ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की मन्दिर मार्ग पर एक ऑटो वर्कशाप थी । वर्ष 1994 में, शहरी विकास मंत्रालय ने बाल्मिकी काम्पलैक्स के निर्माण हेतु इस भूमि को अधिग्रहण करने का निर्णय लिया । ऑटो वर्कशाप के स्थानांतरण हेतु, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1995 में 20 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को सराय काले खॉ में तीन एकड़ भूमि का आवंटन किया । आवंटन की शर्तों के अनुसार भूमि की लागत (60 लाख रुपये) एवं एक वर्ष के लिए भूमि किराया (1.50 लाख रुपये) के रूप में 61.50 लाख रुपये का भुगतान फरवरी 1996 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को कर दिया गया था । परंतु, भूमि का वास्तविक कब्जा अक्टूबर, 1996 में प्राप्त किया गया था ।

चूँकि मन्दिर मार्ग की भूमि को तत्काल खाली किया जाना था, इसलिए ऑटो वर्कशाप को अंशत: लक्ष्मी बाई नगर तथा अंशत: ओखला में स्थानान्तरित किया गया था । तत्पश्चात्, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के वाहनों के रखरखाव की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इन स्थानों पर दो पूर्ण रूप से सुसज्जित वर्कशापों का विकास कर दिया गया ।

अक्टूबर, 1996 में सराय काले खॉ में भूमि का कब्जा लेने के बाद इसके समतलन, चारदीवारी एवं सड़क के निर्माण तथा अक्टूबर, 2005 तक भूमि किराये के भुगतान पर 1.03 करोड़ रुपये का व्यय मार्च 2005 तक हुआ था । इस भू-खण्ड की देखभाल एवं निगरानी पर अभी तक किया गया कुल व्यय तत्काल उपलब्ध नहीं था ।

सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने सितम्बर, 2000 में अर्थात भूमि के अधिग्रहण के चार वर्ष बाद सराय काले खॉ पर नई वर्कशाप के निर्माण हेतु 4.56 करोड़ रुपये की राशि का प्रारंभिक अनुमान तैयार किया । वित्त विभाग ने अनुमान पर सहमति नहीं दी तथा विभाग को प्रस्तावित वर्कशाप की पूर्ण न्यायोचित्तता प्रस्तुत करने के लिए कहा तथा वर्तमान वर्कशापों की भावी स्थिति के बारे में भी अवगत कराने को कहा जो कि पूर्ण रूप से कर्मचारियों तथा मशीनरी से सुसज्जित थी । विभाग ने वित्त की टिप्पणियों का अनुपालन करने के बजाय फरवरी, 2002 में मामला परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तथा कार्य हेतु 4.56 करोड़ रुपये के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति प्राप्त कर ली । परिषद् ने मई, 2002 में प्रारंभिक अनुमान का भी अनुमोदन कर दिया ।

तत्पश्चात्, विभाग ने सितम्बर, 2002 में संरचनात्मक परामर्शदाता की पूर्व-योग्यता हेतु आवेदन आमंत्रित किये । संरचनात्मक परामर्शदाता की पूर्व योग्यताएँ निर्धारित करने हेतु दिसम्बर, 2002 में मुख्य अभियंता (सिविल-I) की अध्यक्षता में एक उप-समिति भी गठित की गई । उप-समिति ने कार्य हेतु पांच फर्मों को सूचीबद्ध करने की अनुशंसा की तथा फरवरी, 2003 में मामला वित्त विभाग को भेज दिया । चूँकि वित्त विभाग ने नई वर्कशाप की स्थाप्ना के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ की थी अतः मामले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तथा उन्होंने फिर जोर दिया कि निम्नलिखित टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए नई वर्कशाप पर किये जाने वाले भारी व्यय की समीक्षा की जानी अपेक्षित थी :

(i) ऑटो वर्कशापों में कार्यक्षमता की कमी के कारण अधिकतर विभाग अपने वाहनों जैसे टिप्पर्स, कम्पैक्ट्र्स इत्यादि के लिए वार्षिक रखरखाव इकरार कर रहे थे ।

(ii) स्टॉफ कारो की मरम्मत प्राधिकृत वर्कशापों से करायी जा रही थी क्योंकि विभाग प्रमुखों को ऐसे अधिकार दिये गये है ।

(iii) प्रस्तावित वर्कशाप नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र से काफी दूर थी तथा इससे अत्याधिक अनुपयोगी दूरी तय करनी पड़ेगी ।

(iv) वर्तमान वर्कशाप के कार्यों की समीक्षा की जाए कि क्या अतिरिक्त वर्कशाप न्यायोचित थी ।

वित्त विभाग द्वारा उठाये गये मुद्दों को स्पष्ट करने के बजाय विभाग ने मामला इस टिप्पणी के साथ वित्त विभाग को दिसम्बर, 2003 में पुनः प्रस्तुत किया कि प्रस्ताव का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय द्वारा अक्टूबर, 2003 में कर दिया गया था । किन्तु वित्त विभाग ने जनवरी, 2004 में अपनी पहले की टिप्पणियों को पुनः दोहराया तथा परिवहन नियंत्रक द्वारा वर्तमान वर्कशाप के निराशाजनक कार्य निष्पादन पर की गई टिप्पणी की तरफ भी इंगित किया ।

तत्पश्चात्, वर्तमान वर्कशाप को बन्द करने सहित वर्कशाप के मामलों की जॉंच करने तथा मरम्मत कार्य बाह्य स्रोतो से कराने के लिए अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया । समिति ने फरवरी, 2004 में अनुशंसा की कि ओखला वर्कशाप को स्थानांनतरित कर दिया जाए तथा इसे लक्ष्मीबाई नगर की वर्तमान वर्कशाप में विलय कर दिया जाए जो भारी मोटर वाहनों तथा हलके मोटरवाहनों की देखभाल करेगी । समिति ने यह भी अनुशंसा की कि सराय काले खॉं पर नई वर्कशाप के निर्माण के मुद्दे पर बाद में निर्णय किया जाए ।

तत्पश्चात्, अप्रैल, 2004 में सचिव, अभियंता प्रमुख तथा परिवहन नियंत्रक के विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह प्रस्तावित किया गया कि सराय काले खॉं वर्कशाप पर आगे के कार्य को तत्काल रोक दिया जाए । चूँकि भूमि केवल वर्कशाप के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि वापस सौपने तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस प्राप्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिए ।

इस प्रकार सराय काले खॉं पर भूमि के अधिग्रहण, इसके समतलन, चारदीवारी एवं देखभाल व निगरानी पर पिछले 6 से 10 वर्षों में किये गये 1.65 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय अनुत्पादक रहा । चूँकि भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण को वापिस सौंपी जानी प्रस्तावित की गई थी, अतः इसके समतलन, चारदीवारी, भूमि किराया तथा देखभाल व निगरानी इत्यादि पर लगभग 1.05 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय बेकार हो जाएगा ।

मामला विभाग को अप्रैल, 2006 में भेजा गया था ।

विभाग ने अपने उत्तर (मई, 2006) में कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि वापिस सौंपने के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया था तथा सराय काले खॉं में ऑटो वर्कशाप का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था जिसके लिए नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुमोदन हेतु भेज दिये गये थे ।

विभाग के उत्तर में प्रस्तावित वर्कशाप के निर्माण की वर्तमान लागत तथा नये विकासक्रम के कारणों/तथ्यों को सूचित नहीं किया गया । वास्तविकता यह है कि वर्ष 1996 में अधिगृहीत भूमि का अब तक लाभप्रद उपयोग नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1.65 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अवरुद्ध रही । यह मामला विभाग में महत्त्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में कोई स्थिर नीति न होने को भी इंगित करता है ।

3.2 भारतीय खेल प्राधिकरण से बकाया राशि की वसूली न होना

भारतीय खेल प्राधिकरण से तरणताल परिसर के वार्षिक रखरखाव पर किये गये व्यय की वसूली के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर अगस्त, 2005 तक 1.82 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ।

के.लो.नि.विभाग संहिता के पैरा 3.5.1 तथा पैरा 3.6.2 के प्रावधानों के अनुसार जब भी कोई जमा कार्य करना हो तो कार्य पर व्यय करने से पूर्व अंशदान प्राप्त कर लिया जाना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य हेतु प्राप्त जमा से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए ।

तालकटोरा तरणताल परिसर, जिसका पुन: नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल किया गया, का निर्माण वर्ष 1982 के एशियन खेलों हेतु नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा किया गया था । तत्पश्चात्, स्टेडियम भारतीय खेल प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया था । परंतु, परिषद् 9 अगस्त, 2005 तक जमा कार्य आधार पर भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से सिविल तथा विद्युत संबंधित परिसम्पत्तियों का सतत् रखरखाव करती रही है । इसके बाद परिसर का रखरखाव के के.लो.नि. विभाग को सौंप दिया जाना था ।

परिसर के रखरखाव पर सिविल इंजीनियरिंग तथा विद्युत विभाग द्वारा किये गये व्यय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जमा राशि की समीक्षा से पता चला, कि परिसर के रखरखाव पर परिषद् प्रत्येक वर्ष भारी व्यय करती रही । परंतु, भारतीय खेल प्राधिकरण से बकायों की वसूली की प्रगति धीमी रही । परिणामस्वरुप पिछले चार वर्षों से भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर बकाया राशि में वृद्धि होती रही जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(रुपये लाख में)

वर्ष	शुरूआती शेष	विभागीय प्रभार सहित वर्ष के दौरान व्यय		कुल राशि	प्राप्त राशि		कुल	शेष देय
		सिविल	विद्युत		सिविल	विद्युत		
2001-02	17.06	84.95	41.87	143.88	55.50	36.97	92.47	51.41
2002-03	51.41	223.69*	36.94	312.04	193.33	36.94	230.27	81.77
2003-04	81.77	51.64	45.07	178.48	41.73	30.00	71.73	106.75
2004-05	106.75	47.84	36.20	190.79	19.42	15.00	34.42	156.37
2005-06 (9.8.05 तक)	156.37	20.64	10.97	187.98	--	6.40	6.40	181.58

* *ऐफ्रो एशियन खेलों के संबंध में किए गये व्यय सहित*

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने परिसर के रखरखाव पर परिषद् द्वारा किए गए कुल वार्षिक व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की थी । परिणामस्वरुप, भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर 31 मार्च 2002 को 51.41 लाख रुपये की बकाया राशि बढ़कर 10 अगस्त 2005 को 181.58 लाख रुपये हो गई जिसमें से 135.84 लाख रुपये की राशि सिविल इंजीनियरिंग विभाग तथा शेष 45.74 लाख रुपये की राशि विद्युत विभाग से संबंधित थी ।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भुगतान न किये जाने के विस्तृत कारण आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से सुनिश्चित नहीं हो सके । देय राशि के बकाये में असामान्य वृद्धि से यह स्पष्ट था कि सिविल इंजीनियरिंग तथा विद्युत विभाग नियमाधीन भारतीय खेल प्राधिकरण से बकाया राशि की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही करने में असफल रहे ।

इस प्रकार, तरणताल परिसर के रखरखाव पर किए गए व्यय की वसूली में अपनाये गये उदासीन रवैये के परिणामस्वरूप 1.82 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई । इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण से शेष बकाया राशि पर ब्याज भी वसूलनीय था । चूँकि परिसर के रखरखाव को अब के.लो.नि.विभाग को सौंपा जाना था, भारतीय खेल प्राधिकरण से शेष बकायों की वसूली और अधिक मुश्किल हो सकती है ।

मामला विभाग को अप्रैल, 2006 में भेजा गया था ।

सिविल इंजीनियरिंग तथा विद्युत विभागों ने अपने उत्तर (जुलाई, 2006) में कहा चूँकि भारतीय खेल प्राधिकरण ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया था इसलिए परिसर को के.लो.नि.विभाग को हस्तांतरित करने के कार्य को अंजाम नहीं दिया गया । पुनः, भारतीय खेल प्राधिकरण ने जून, 2006 में 28.98 लाख रुपये की राशि भी जमा कराई थी । परंतु, उन्होंने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा विभागीय प्रभार लगाने का विरोध किया था तथा विभागीय प्रभारों को समाप्त करने का मुद्दा मत्रांलय स्तर तक उठाया था । विद्युत विभाग ने यह भी कहा कि 9 अगस्त, 2005 तक उनके द्वारा किया गये व्यय की प्रतिपूर्ति भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विभागीय प्रभारों को छोड़कर कर दी गई थी । विभागीय प्रभारों के भुगतान से संबंधित मामले का अब तक निपटान नहीं हुआ था ।

विभागों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे । के.लो.नि.विभाग संहिता के प्रावधानों के अनुसार सभी जमा कार्यों पर विभागीय प्रभार लगाये जाते है ताकि औजारों तथा सयंत्र, स्थापना, पेंशनरी प्रभार इत्यादि की लागत को वसूला जा सके । पुनः, दोनो विभाग के उत्तर से यह भी पाया

गया था कि जून, 2006 में 28.98 लाख रुपये के भुगतान के बावजूद 1.52 करोड़ रुपये की राशि (सिविल इजीनियरिंग विभाग के 1.22 करोड़ रुपये नवम्बर, 2005 तक तथा विद्युत विभाग के 0.30 करोड़ रुपये 9 अगस्त 2005 तक) भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर अभी तक बकाया है ।

विद्युत
विभाग

विद्युत विभाग

4.1 स्विचगियर बोर्डों के अविवेकपूर्ण क्रय के परिणामस्वरूप निधि अवरूद्ध रही

मॉग के दो वर्ष बाद 28 पैनलों वाले तीन स्विचगियर बोर्डों के क्रय हेतु आपूर्त्ति आदेश मॉग करने वाले विभाग से आवश्यकता की पुनः पुष्टि किए बिना दिया । इस बीच जिन कार्यों के लिए इन पैनलों की आवश्यकता थी, वह पहले ही पूर्ण हो चुके थे । इसलिए मॉग कर रहे विभाग ने पैनलों को नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप 82.61 लाख रुपये की राशि परिहार्य रूप से अवरूद्ध हुई ।

फरवरी, 2002 में 33 के.वी. भण्डार प्रभाग को निर्माण-VI प्रभाग से रिले पैनलों तथा रिमोट कंट्रोल सहित तीन 11 के.वी. एसबीबी एसएफ 6 वैक्यूम स्विचगियर बोर्डो की मॉग प्राप्त हुई । 28 पैनलों वाले इन स्विचगियर बोर्डो की आवश्यकता शाहजहाँ रोड, कनाट प्लेस तथा हनुमान रोड पर तीन विभिन्न स्वीकृत कार्यों हेतु थी ।

33 के.वी. भण्डार प्रभाग ने 1.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तीन स्विचगियर बोर्डो के क्रय हेतु मई, 2002 में दोहरा लिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत खुली निविदायें आमंत्रित की । निविदायें जुलाई 2002 में खोली गई । आठ पेशकशें प्राप्त हुई जिनकी वैधता जनवरी, 2003 से जून, 2003 के बीच थी । चूंकि कुछ पेशकशें निविदा आमंत्रण सूचना के नियम एवं शर्तो के अनुसार नहीं थी इसलिए उनकी पेशकशों को निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार लाने के लिए सभी आठ निविदादाताओं के साथ जनवरी, 2003 में तकनीकी-वाणिज्यिक विचार विमर्श किया गया । तकनीकी-वाणिज्यिक विचार विमर्श के बाद, पाँच फर्मो ने निविदा आमंत्रण सूचना की सभी शर्तों पर सहमति व्यक्त कर दी। फर्म 'क' तथा 'ख', जिन्होंने आई.ई.ई.एम.ए के अनुसार परिवर्तनशील मूल्यों की पेशकश की थी, ने भी परिवर्तनशील मूल्यों की शर्त को वापिस ले लिया तथा अपने मूल्यों को स्थिर कर दिया । तीन फर्मो ने अपनी शर्तो में परिवर्तन करने पर सहमति नहीं दी, इसलिए उनकी पेशकश रद्द कर दी गई ।

शेष पाँच निविदादाताओं की मूल्य बोलियाँ मई 2003 में खोली गई । फर्म 'क' की पेशकश 78.29 लाख रुपये (सभी सम्मिलित) सबसे न्यूनतम पाई गई । यह पेशकश 1.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 33.25 प्रतिशत कम तथा 94.30 लाख रुपये की न्यायोचित लागत से 16.98 प्रतिशत कम थी । इसलिए विभाग ने पेशकश को स्वीकार करने की अनुशंसा की तथा अगस्त, 2003 में मामला वित्त विभाग को सहमति हेतु भेज दिया । पेशकश जून, 2003 तक वैध थी किन्तु उसे सितम्बर, 2003 तक बढ़वा लिया गया था ।

वित्त ने (अगस्त, 2003) में टिप्पणी की कि फर्म 'क' ने मूल रूप से परिवर्तनशील मूल्यों की पेशकश की थी इसलिए उनकी पेशकश को, लागत संगणित करते समय उचित रूप से लोड करना चाहिए था । पेशकशों के पुन: मूल्यांकन के बाद, 84.73 लाख रुपये की पेशकश के साथ फर्म 'ग' को न्यूनतम निविदादाता के रूप में पाया गया तथा फर्म 'क' दूसरी न्यूनतम निविदादाता बनी । पेशकशों की वैधता को भी दिसम्बर, 2003 तक बढ़वा लिया गया । किन्तु दिसम्बर 2003 तक भी निविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। विभाग के अनुरोध पर, दोनों फर्मो 'क' तथा 'ग' ने पुन: 31 मार्च 2004 तक अपनी पेशकश की वैधता को बढ़ा दिया ।

फरवरी, 2004 में, वित्तीय सलाहकार ने विशेष रूप से यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या इन स्विचगियर बोर्डो/पैनलों की वास्तविक रूप से आवश्यकता थी क्योंकि पूर्व में भी विद्युत विभाग ने सामान क्रय किया था जो वर्षो तक भण्डार में ही रखा रहा था । विद्युत भवन में बड़ी संख्या में पैनल अभी भी कई वर्षो से खुले में पड़े थे ।

विभाग ने मॉग कर रहे प्रभाग से वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना, टिप्पणी कर दी (मार्च, 2004) कि स्विचगियर बोर्डो/पैनलों को तत्काल संस्थापित कर दिया जायेगा। विभाग की टिप्पणी को दृष्टिगत रखते हुए उद्धृत दरों में कमी हेतु फर्म 'ग' के साथ वार्ता करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा मार्च, 2004, में निविदा के खुलने के लगभग दो वर्षो बाद सहमति दे दी गई । अप्रैल, 2004 में हुई वार्ता के दौरान, फर्म ने अपनी पहले की उद्धृत दर पर 2.5 प्रतिशत की छूट देने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार उनकी पेशकश 84.73 लाख रुपये से कम होकर 82.61 लाख रुपये हो गई । अन्त में मांग की प्राप्ति के दो वर्षो से अधिक समय के पश्चात अप्रैल 2004 में, मांग कर रहे प्रभाग से पुष्टि किए बिना कि क्या पैनलों की अभी भी आवश्यकता है, फर्म को आपूर्त्ति आदेश जारी किया गया। फर्म ने मार्च, 2005 में 82.61 लाख रुपये की कुल लागत पर आपूर्त्ति पूर्ण कर दी ।

परंतु, मॉग कर रहे प्रभाग ने इस आधार पर भण्डार प्रभाग से बोर्ड/पैनलों को नहीं लिया कि जिन कार्यों के लिए इन पैनलों की आवश्यकता थी, वे पहले से पूर्ण हो चुके थे । भण्डार प्रभाग ने यह तथ्य मुख्य अभियंता (विद्युत) की जानकारी में लाया (जून, 2005) जिसमें उन्होंने यह भी उल्लेखित किया कि उन्होंने अन्य प्रभागों से भी अनुरोध किया था कि यदि वे इनका उपयोग कर सकते है तो वे इन बोर्डो/पैनलों को ले लें किन्तु कोई भी इन बोर्डो/पैनलों को उठाने के लिए सहमत नहीं हुआ । परिणामस्वरूप, 33 के.वी. स्टोर में 82.61 लाख रुपये की लागत पर क्रय किए गए बोर्ड/पैनल अभी तक खुले में पड़े हुए थे ।

इस प्रकार, मांग की प्राप्ति के दो वर्ष बाद आपूर्त्ति आदेश जारी करने से पूर्व, मांग कर रहे प्रभाग से पैनलों की वास्तविक आवश्यकता की जानकारी लेने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप मंहगे पैनलों का अनावश्यक क्रय हुआ तथा 82.61 लाख रुपये की निधि अवरूद्ध हुई। चूंकि यह पैनल खुले में पड़े थे अत: इन पैनलों के मौसम के प्रभाव से क्षतिग्रस्त एवं जीर्णशीर्ण होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता ।

शाहजहाँ रोड, कनाट प्लेस तथा हनुमान रोड पर जिन कार्यों के लिए स्विचगियर बोर्डो/पैनलों की मूलरूप से आवश्यकता थी, वे कब पूर्ण हुए तथा इन कार्यो हेतु पैनलों की व्यवस्था किन स्रोतों से की गई, के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं थी।

मामला विभाग को अप्रैल, 2006 में भेजा गया था।

विभाग ने अपने उत्तर (मई, 2006) में कहा कि निर्माण प्रभाग-VI की विशिष्ट माँग पर ही स्विचगियर बोर्डो/पैनलों का क्रय किया गया था किन्तु बार-बार अनुरोध करने के बाद भी उनके द्वारा इन्हें अभी तक नहीं उठाया गया था ।

विभाग का उत्तर आडिट में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आरम्भिक माँग से लगभग दो वर्षो की अवधि के बाद आपूर्ति आदेश देने से पूर्व मांग कर रहे प्रभाग से मांग की पुष्टि न करने के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस मामले में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप स्विचगियर बोर्डो/पैनलों का अनावश्यक क्रय हुआ तथा 82.61 लाख रुपये की राशि अवरूद्ध हुई।

4.2 मंहगे उपकरणों के उपयोग न होने के कारण निधि अवरूद्ध हुई

मई, 2001 में प्राथमिकता आधार पर क्रय किए गए एक 11 के.वी. उच्च दाब बोर्ड (13 पैनलों) का अभी तक उपयोग नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप 63.18 लाख रुपये की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हुई। इसके अतिरिक्त, मंहगे पैनल खुले में रखे हुए थे तथा मौसम के प्रभाव के कारण जल्दी खराब हो सकते थे ।

नई दिल्ली सिटी सेन्टर चरण-II पर विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना हेतु विद्युत विभाग के निर्माण-II प्रभाग को रिमोट कन्ट्रोल के साथ 13 पैनलों वाले एक 11 के.वी. उच्च दाब पैनल बोर्ड की आवश्यकता थी। तद्नुसार, उपकरण के क्रय हेतु सितम्बर, 1999 में भण्डार प्रभाग (11 के.वी.) ने खुली निविदायें आमंत्रित की ।

जनवरी, 2000 में निर्माण-II प्रभाग ने भण्डार प्रभाग से पुन: अनुरोध किया कि प्रस्तावित संब-स्टेशन पर संस्थापना हेतु उपकरण की आपूर्ति हेतु प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्यवाही करें क्योंकि मार्च, 2000 में वातानुकूलक संयंत्र, लिफ्टों इत्यादि जैसी भारी मशीनरी की जाँच हेतु उसकी जरूरत की संभावना थी ।

रिमोट कन्ट्रोल सहित 13 पैनलों वाले 11 के.वी. डी.बी.बी. बोर्ड (एस.एफ-6) की आपूर्त्ति हेतु आदेश जुलाई, 2000 में दिया गया । फर्म ने मई, 2001 में 63.18 लाख रुपये की कुल लागत पर उपकरण की आपूर्त्ति की। तत्पश्चात् उपकरण मार्च, 2002 में 65.67 लाख रुपये के सपुर्दी मूल्य के माँग नोट पर निर्माण-II प्रभाग (विद्युत) को जारी कर दिये गये । यद्यपि, उपकरण मार्च, 2002 में मांगकर्त्ता प्रभाग को जारी कर दिये थे तथा उनकी पुस्तकों में भी अंकित कर दिये गये थे, परन्तु उन्होंने उपकरण वास्तविक रूप से नहीं उठाये तथा वे भण्डार प्रभाग में ही रखे हुए थे ।

भण्डार में बोर्ड/पैनलों की प्राप्ति के साढ़े तीन वर्षो से अधिक की अवधि के बाद भण्डार प्रभाग ने दिसम्बर, 2004 में निर्माण-II प्रभाग को उपकरण उठाने का अनुरोध किया क्योंकि इससे उपयोगी भण्डार स्थल घिरा हुआ था तथा इसकी स्थिति भी जीर्णशीर्ण होने की संभावना थी । किन्तु, संबंधित प्रभाग ने उपकरण नहीं उठाये तथा अभी तक भण्डार प्रभाग में खुले में पड़े हुए थे ।

जनवरी, 2000 में उपकरण की तत्काल आवश्कता पर बल देने के बावजूद, निर्माण-II प्रभाग द्वारा भण्डार प्रभार से उपकरण न उठाने तथा प्रस्तावित स्थल पर संस्थापित न करने के कारण आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से सुनिश्चित नहीं हो सके । परंतु, चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक मंहगे उपकरण संस्थापित नहीं किए गये थे तथा खुले में पड़े हुए थे, इस तथ्य से यह स्पष्ट था कि उपकरण को क्रय करने के लिए जनवरी, 2000 में निर्माण- II प्रभाग द्वारा दिखाई गई अत्यावश्यकता न्यायोचित नहीं थी तथा उपकरण किसी तत्काल आवश्यकता के बिना क्रय किए गये थे ।

आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार, उपकरण की उत्पादन संबंधित त्रुटियों के लिए गारन्टी सपुर्दगी की तिथि से 18 मास तक थी। चूंकि गारंटी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है तथा उपकरण अभी तक संस्थापित तथा जाँचे नहीं गये हैं, अत: बाद में किसी त्रुटि के मामले में विभाग को कोई राहत नहीं मिलेगी । पुन:, 11 के.वी. डबल बुस बार (डी.बी.बी.) पैनलों के क्रय हेतु आपूर्त्ति आदेश जुलाई, 2000 में दिया गया था। बाद में, एक अन्य मामले में, अधीक्षक अभियंता(II) ने वर्ष 2002 के प्रारम्भ में सलाह दी थी कि डी.बी.बी. पैनलों की परिचालन तथा रखरखाव की समस्या के कारण, भविष्य में डी.बी.बी. के स्थान पर केवल सिंगल बुस बार (एस.बी.बी.) पैनलों का क्रय किया जाये । जल्दबाजी में 13 डी.बी.बी. 11 के.वी. के पैनलों के अविवेकपूर्ण क्रय करने से विभाग जब भी इन पैनलों को संस्थापित करेगा तब इनके रखरखाव की भी समस्या होगी ।

इस प्रकार मई 2001 से उपकरण के उपयोग न होने के परिणामस्वरूप 63.18 लाख रुपये की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हुई । चूंकि उपकरण खुले में रखे हुए थे, अत:

मौसम के प्रभाव से इनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता । बदली हुई परिस्थितियों में उपकरण की उपयुक्तता भी संदेहास्पद थी ।

मामला अप्रैल, 2006 में विभाग को भेजा गया था ।

विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त, 2006) में कहा है कि उपकरण के उपयोग में विलम्ब विद्युत विभाग के नियंत्रण से बाहर था । उपकरण को इसलिए संस्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि सब-स्टेशन स्थल तक उचित पहुँच नहीं थी तथा स्थल संस्थापन हेतु सुरक्षित भी नहीं था । सब-स्टेशन क्षेत्र में वांछित संशोधन नहीं किए गए थे तथा वर्ष 2002 के दौरान कार्य रोक दिया गया था । सब-स्टेशन में संशोधन करने के बाद ही उपकरण संस्थापित किये जाएगे । विभाग ने पुष्टि की कि उपकरण की गारंटी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी ।

विभाग की टिप्पणियाँ आडिट के मुद्दे की पुष्टि करती है कि मई, 2001 में 63.18 लाख रुपये की लागत पर क्रय किए गए पैनलों को अभी तक (अगस्त, 2006) संस्थापित नहीं किया गया था तथा उनको अभी भी खुले में रखा हुआ था ।

4.3 विद्युत सब-स्टेशनों की संस्थापना के कार्यों को निष्पादित करने में अत्याधिक विलम्ब

नये विद्युत सब-स्टेशनों से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देशों तथा नीति तैयार करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप बार-बार निविदायें आमंत्रित करनी पड़ी तथा परामर्श अनुबन्ध बीच में ही समाप्त करना पड़ा जिससे 39.26 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ । नवम्बर, 1997 में स्वीकृत महत्वपूर्ण परियोजनायों के कार्य के ठेके अभी तक सौंपें नहीं गये थे ।

परिषद् ने नवम्बर, 1997 में बी.डी. मार्ग पर 66 के.वी. का एक सब-स्टेशन तथा चर्च रोड पर 33 के.वी. का एक सब-स्टेशन क्रमश: 20.02 करोड़ रुपये तथा 6.43 करोड़ रुपये की लागत पर संस्थापित करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की थी । तत्पश्चात् टर्न-की के आधार पर 66 के.वी. तथा 33 के.वी. सब-स्टेशनों की संस्थापना हेतु फर्मों की पूर्व योग्यता निर्धारित करने हेतु सूचना मार्च, 1999 में प्रकाशित की गई तथा इस पर 3.66 लाख रुपये का व्यय किया गया । इस कार्य में सब-स्टेशन भवन की डिजाईनिंग, हर प्रकार के सामान की आपूर्त्ति, संस्थापना, जाँच तथा परिचालन सम्मिलित था । निविदा का उत्तर समुचित न होने के कारण निविदा रद्द कर दी गई । अप्रैल, 1999 में समाचार पत्रों में दुबारा निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित कराई गई तथा सूचना के प्रकाशन पर 4.23 लाख रुपये का व्यय हुआ था ।

पूर्व योग्यता हेतु तीन फर्मों की अनुशंसा की गई थी लेकिन कार्य सौंपने के लिए फर्म के अन्तिम चयन पर सहमति नहीं हुई । इसलिए यह निर्णय लिया गया (जून, 2000) कि टर्न-की के आधार पर दो सब-स्टेशनों की संस्थापना हेतु परामर्श सेवायें प्रदान करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाये । तद्नुसार, फर्मों की पूर्व योग्यता हेतु अप्रैल, 1999 में जारी निविदा आमंत्रण सूचना भी रद्द कर दी गई तथा अगस्त, 2000 में 0.94 लाख रुपये की लागत पर परामर्श सेवाओं हेतु नई निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई । इस प्रकार निर्णय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप मार्च, 1999 तथा अप्रैल, 1999 में पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन पर 7.89 लाख रुपये का व्यय बेकार हो गया ।

परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु निविदायें सितम्बर, 2000 में खोली गई थी तथा परामर्श हेतु अनुबन्ध जनवरी, 2001 में न्यूनतम निविदादाता को एक मुश्त परामर्श शुल्क 36 लाख रुपये तथा 7000 रुपये प्रति कार्यदिवस पर्यवेक्षक प्रभार पर सौंप दिया गया ।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सब-स्टेशनों को चालू करने तथा जाँच सहित सम्पूर्ण कार्य दो वर्ष के भीतर अर्थात् 31 मार्च, 2002 को पूर्ण किया जाना था । अनुबन्ध में दिये गये विवरण के अनुसार परामर्श सेवा शुल्क का भुगतान, विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्यों/प्रदत्त परामर्श सेवाओं के आधार पर छः किश्तों में देय था । अनुबन्ध में यह भी प्रावधान था कि किसी स्तर पर विलम्ब के लिए एक प्रतिशत प्रतिदिन एवं अधिकतम कुल अनुबन्ध मूल्य के 10 प्रतिशत तक की क्षतिपूर्ति की वसूली की जायेगी ।

परामर्शदाता द्वारा तैयार निविदा सूचना के आधार पर दो सब-स्टेशनों के संस्थापन हेतु ठेकेदारों की पूर्व योग्यता निर्धारण के लिए निविदायें मार्च 2001 में आमंत्रित की गई जिसके लिए विज्ञापनों पर 3.75 लाख रुपये का व्यय हुआ । चार फर्मों को कार्य हेतु अनुमोदित किया गया। अप्रैल, 2002 में इन फर्मों की तकनीकी बोली खोली गई । यद्यपि फर्म 'क' तथा 'ख' की पेशकश निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार पाई गई, अन्य दो फर्मों 'ग' एवं 'घ' की पेशकश में कुछ भिन्नता पाई गई । किन्तु फर्म 'ग' तथा 'घ' द्वारा जिन स्विचगियर की पेशकश की गई थी उन पर विभाग तथा परामर्शदाता के विचारों में गम्भीर मतभेद थे । परामर्शदाता की अनुशंसाएँ निविदा आमंत्रण सूचना के प्रावधानों में अपेक्षित कुछ तकनीकी विशिष्टताओं से असंगत पाई गईं । उनकी टिप्पणियाँ भी अनुमोदित निविदा आमंत्रण सूचना से भिन्न थी । परामर्शदाता के साथ अनेक बैठकें करने तथा 16 मास का महत्वपूर्ण समय बीत जाने के बाद भी मामले का समाधान नहीं हो सका । अध्यक्ष, न.दि.न.पा.परिषद् ने भी टिप्पणी की (अगस्त, 2003) कि परामर्शदाता की भूमिका भी असंगत रही जिससे समस्या और अधिक बढ़ गई थी । चूंकि गतिरोध जारी रहा इसीलिए मामला अगस्त, 2003 में (निविदा खुलने के 16 महीने बाद) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उनके विशेषज्ञ परामर्श हेतु भेजा गया। इसी दौरान परामर्शदाता के अनुरोध पर उनके अनुबन्ध की वैधता अस्थायी रूप से 31 मार्च, 2003 तक (कार्य के पाँचवे स्तर तक) बढ़ा दी गई ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के पश्चात् (अक्टूबर, 2003) परिषद् ने फर्म 'ग' एवं 'घ' की पेशकश को रद्द करने तथा फर्म 'क' एवं 'ख' की मूल्य पेशकश खोलने का निर्णय लिया । तद्नुसार, फर्म 'क' तथा 'ख' की मूल्य पेशकश मार्च 2004 में खोली गई तथा जाँच एवं मूल्यांकन हेतु परामर्शदाता को भेज दी गई । परामर्शदाता ने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट तीन महीने पश्चात् जून, 2004 में सौंपी जो कि अपूर्ण पाई गई । अत: परामर्शदाता को फर्मों द्वारा उद्धृत दरों की न्यायोचितता देने के लिए कहा गया । न्यूनतम निविदादाता फर्म 'क' के साथ वार्ता भी आयोजित की गई । वार्ता के पश्चात् फर्म 'क' ने अपनी पेशकश 29.7 करोड़ रुपये से कम कर 29 करोड़ रुपये कर दी । परामर्शदाता ने इस मूल्य को उचित बताया तथा फर्म 'क' को उनकी वार्ता पेशकश पर कार्य सौंपने की अनुशंसा की । तथापि कार्य सौंपने हेतु अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका ।

इसी दौरान, दिसम्बर, 2004 में मामला योजना विभाग को भेजा गया । योजना विभाग ने कुछ टिप्पणियाँ की (दिसम्बर, 2004) जिनकी जाँच सामान्यत: निविदा आमंत्रण सूचना के समय पर की जानी चाहिए थी । आश्चर्यजनक रूप से इस स्तर पर विभाग ने अपना निर्णय बदल दिया तथा कहा कि फर्म 'क' की पेशकश, जिसे पूर्व में उचित ठहराया गया था, मंहगी थी । इसीलिए विभाग ने निर्णय लिया (जुलाई/अगस्त 2005) कि कार्य सौंपने के लिए निविदायें पुन: आमंत्रित की जायें । परिवर्तित निर्धारण का आधार तथा कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे । परंतु इससे विभाग द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन प्रक्रिया पर निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न होता था । इसके बाद मामले में कोई आगामी कार्यवाही नहीं की गई ।

तत्पश्चात्, अधिशासी अभियंता, सी-VI प्रभाग ने भी (अगस्त, 2005) टिप्पणी की कि विशम्भर दास मार्ग तथा चर्च रोड पर 66 के.वी. तथा 33 के.वी. सब-स्टेशनों के संस्थापन कार्य हेतु निविदाओं को रद्द करने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए परामर्शदाता के अनुबन्ध को भी समाप्त कर दिया जाएगा । परामर्शदाता को कार्य अनुसूची के चतुर्थ स्तर तक कार्य करने के लिए 26.68 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका था ।

इस प्रकार बार-बार परिवर्तनों तथा स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण नवम्बर, 1997 में स्वीकृत महत्वपूर्ण कार्य लगभग नौ वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी शुरू नहीं हुए थे । विभाग ऐसा महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निष्पादन हेतु नीति तैयार करने में असमर्थ रहा। स्पष्ट नीति के अभाव तथा विभिन्न स्तरों पर विलम्ब के परिणामस्वरूप, कुल 39.26 लाख रुपये का निरर्थक व्यय, परामर्शदाता को भुगतान करने (26.68 लाख रुपये) तथा विभिन्न अवसरों पर निविदाओं के विज्ञापन पर (12.58 लाख रुपये), परिषद् को बिना किसी लाभ के हो चुका था । विभाग ने परामर्शदाता के विरूद्ध विलम्ब करने तथा असंतोषजनक कार्य निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही भी प्रस्तावित नहीं की थी । इन महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं की लागत में अत्याधिक वृद्धि होगी तथा विभाग की कार्यात्मक दक्षता भी प्रभावित होगी ।

मामला अप्रैल, 2006 में विभाग को भेजा गया ।

विभाग ने अपने अन्तरिम उत्तर (जून, 2006) में बताया कि ठेकेदारों की पूर्व योग्यता निर्धारण की नितिदा रद्द होने के पश्चात् परामर्शदाता की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था । कार्य सौंपने हेतु ठेकेदारों की पूर्व योग्यता निर्धारण के लिए मार्च, 2001 में आमंत्रित की गई परवर्ती निविदा भी अभियंता-प्रमुख की अनुशंसाओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द की गई थी । अब यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्य के निष्पादन हेतु बोली-प्रबन्धक को नियुक्त किया जाये । विभाग ने यह भी बताया कि इस निर्णय पर भी पुन: विचार होने की संभावना है ।

विभाग ने यह भी बताया (जुलाई, 2006) कि विभाग ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य किया था तथा स्वयं कोई नीति तय नहीं की थी । कुछ मुद्दों पर विचारों में भिन्नता थी तथा निर्णय लेने में अनिच्छा थी । यह सभी अवयव विलम्ब के कारण थे ।

विभाग का उत्तर स्पष्ट रूप से इंगित करता था कि विभाग ने ऐसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को निष्पादित करने की कोई स्पष्ट नीति/दिशा-निर्देश अभी तक तैयार नहीं किए हैं । इसके परिणामस्वरूप ऐसे महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के निष्पादन में पहले ही अत्याधिक देरी तथा 39.26 लाख रुपये का बेकार व्यय हो चुका था । चूंकि, यह कार्य अभी सौंपा जाना था अत: मूल्य वृद्धि के कारण हानि का निर्धारण नहीं किया जा सका ।

4.4 वास्तविक आवश्यकता से अधिक केबल का अविवेकपूर्ण क्रय

उच्च दाब केब्ल की आवश्यकताओं के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप वास्तविक आवश्यकता से अधिक केबल का क्रय हुआ । 40.97 लाख रुपये की कीमत की 1.8 कि.मी. केबल अनुपयोगी रूप से भण्डार में पड़ी हुई थी ।

विद्युत विभाग के फीडर रखरखाव प्रभाग ने मार्च, 2004 में वर्ष 2004-05 हेतु 5.780 कि.मी. उच्च दाब, 33 के.वी., 3 x 400 वर्ग मि.मी. एक्स. एल. पी. ई. केबल के क्रय की माँग तैयार की । इसमें से पुरानी फीडर (बे.सं. 4,10 तथा 16) को बदलने हेतु अनुमान संख्या ई. 86 के विरूद्ध 3.780 कि.मी. केबल तथा फीडर के दैनिक रखरखाव हेतु दो कि.मी. केबल की आवश्यकता थी । मुख्य अभियंता (विद्युत) द्वारा मार्च, 2004 में प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मंडी हाउस से स्कूल लेन तथा मंडी हाउस से विशम्भर दास मार्ग के मध्य फीडर बिछाने के लिए उसी आकार की 4.9 कि.मी. की केबल का प्रावधान एक अन्य अनुमान ई.-83 में भी किया गया था । इसके विरूद्ध निर्माण- VI प्रभाग के पास 3.9 कि.मी.

केबल उपलब्ध होने की सूचना भी थी । अतः, कार्य हेतु आवश्यक एक कि.मी. की शेष मात्रा को फीडर रखरखाव प्रभाग की माँग के साथ जोड़ दिया गया तथा 33 के.वी. 3 x 400 वर्ग मि.मी. एक्स.एल.पी.ई. केबल की कुल आवश्यकता छः कि.मी. निर्धारित की गई यद्यपि विशम्भर दास मार्ग पर सब-स्टेशन की संस्थापना का कार्य अभी सौंपा भी नहीं गया था तथा निकट भविष्य में केबल की आवश्यकता नहीं थी ।

1.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर छः कि.मी. 33 के.वी., 3 x 400 वर्ग मि. मी. एक्स.एल.पी.ई. केबल के क्रय हेतु जून, 2004 में निविदायें आमंत्रित की गई। एक केबल उत्पादनकर्ता ने अपने प्रतिवेदन (जुलाई, 2004) में कहा कि निविदा आमंत्रण अधिसूचना में वर्णित विनिर्दिष्टतायें भेदभाव मूलक थी इसीलिए निविदायें अगस्त, 2004 में रद्द कर दी गई ।

सितम्बर, 2004 में खोलने हेतु नई निविदायें अगस्त, 2004 में आमंत्रित की गई । परंतु निविदायें खोलने की तिथि बढ़ा दी गई तथा निविदायें अक्टूबर, 2004 में खोली गई । प्राप्त दो पेशकशों में से एक पेशकश निविदा आमंत्रण अधिसूचना के अनुसार नहीं थी इसलिए उस पर विचार नहीं किया गया । परंतु, द्वितीय निविदादाता की मूल्य बोली खोलने से पूर्व मामला जाँच हेतु योजना विभाग को नवम्बर, 2004 में भेजा गया ।

योजना विभाग ने नवम्बर, 2004 में टिप्पणी की कि अनुमोदित वार्षिक रखरखाव अनुमान में केवल 0.2 कि.मी. केबल का प्रावधान था । इस प्रकार फीडर रखरखाव प्रभाग द्वारा इस उद्देश्य हेतु 1.2 कि.मी. केबल की माँग उचित नहीं थी । पुनः विशम्भर दास मार्ग पर सब-स्टेशन की स्थापना का कार्य अभी सौंपा नहीं गया था इसलिए इस कार्य हेतु 1.10 कि.मी. केबल की भी तत्काल आवश्यकता नहीं थी ।

इस बीच फीडर रखरखाव प्रभाग ने नवम्बर, 2004 में इंगित किया कि पुराने फीडर (बे.सं. 4,10 तथा 16) को बदलने के कार्य हेतु अपेक्षित 3.780 कि.मी. केबल में से 1.828 कि.मी. केबल निर्माण -VI प्रभाग से प्राप्त हो गई थी तथा उसका उपयोग कर लिया गया था । इसीलिए प्रभाग को अब केवल 2.152 कि.मी. केबल (स्वीकृत कार्य हेतु 1.952 कि.मी. तथा रखरखाव हेतु 0.2 कि.मी.) की आवश्यकता थी । परंतु, इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया तथा भण्डार प्रभाग ने निर्णय लिया (नवम्बर, 2004) कि इस निविदा हेतु पाँच कि.मी. केबल क्रय की जाये ।

1.15 करोड़ रुपये की लागत पर पाँच कि.मी. केबल की आपूर्त्ति हेतु आदेश दिसम्बर, 2004 में जारी किया गया । फर्म ने फरवरी/सितम्बर 2005 में 4.955 कि.मी. केबल की आपूर्त्ति की । इसमें से मार्च, 2005 से फरवरी, 2006 तक फीडर रखरखाव प्रभाग को 3.176 कि.मी. केबल की आपूर्त्ति की गई यद्यपि नवम्बर, 2004 में उनकी सूचना के अनुसार उन्हें केवल 2.152 कि.मी. केबल की आवश्यकता थी । लगभग 40.97 लाख रुपये मूल्य की 1.779 कि.मी. शेष केबल प्रस्तावित ''विशम्भर दास मार्ग पर 66 के.वी. सब-स्टेशन से

डी.डी.बी. मंडी हाउस पर 33 के.वी. सब-स्टेशन तक 33 के.वी. फीडर बिछाने के कार्य के लिए'' 31 मार्च, 2005 को निर्माण-VI प्रभाग को जारी कर दी गई । यद्यपि, विशम्भर दास मार्ग पर सब-स्टेशन की संस्थापन का कार्य अभी तक सौंपा भी नहीं गया था तथा केबल की तत्काल आवश्यकता नहीं थी। परिणामस्वरूप, केबल भण्डार प्रभाग में अभी भी पड़ी हुई थी ।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट था कि केबल की आवश्यकता का निर्धारण सही नहीं किया गया था । फीडर रखरखाव प्रभाग ने फीडरों की प्रतिस्थापना के स्वीकृत कार्य हेतु तथा इसके साथ ही रखरखाव कार्य हेतु 3.98 कि.मी. केबल की वास्तविक आवश्यकता के विरूद्ध 5.780 कि.मी. केबल की माँग भेजी थी । इस माँग के विरूद्ध निर्माण-VI प्रभाग के पास 3.9 कि.मी. केबल पहले से ही उपलब्ध थी जिसकी अभी तत्काल आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विशम्भर दास मार्ग पर सब-स्टेशन के लिए कार्य अभी सौंपा जाना था । इस प्रकार, 1.15 करोड़ रुपये की लागत पर पाँच कि.मी. केबल के क्रय हेतु कोई न्यायोचितता नहीं थीं ।

फीडर रखरखाव प्रभाग को जारी 3.176 कि.मी. केबल का वास्तविक उपयोग तथा निर्माण-VI प्रभाग के पास रखी केबल की मात्रा की जाँच नहीं की जा सकी । यदि फीडर रखरखाव प्रभाग को जारी 3.176 कि.मी. केबल उनके द्वारा प्रयोग भी कर ली गई थी, तो भी 40.97 लाख रुपये लागत की 1.779 कि.मी. केबल अभी भी भण्डार प्रभाग में प्रयोग हुए बिना रखी हुई थी । गलत माँग निर्धारण के परिणामस्वरूप अधिक केबल क्रय की गई तथा लगभग 40.97 लाख रुपये की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध रही ।

पुनः, केवल बजट प्रावधान का उपयोग करने हेतु किसी अन्य कार्य पर केबल की लागत बुक करना अनियमित था । विशेष कर जबकि कार्य अभी शुरू नहीं हुआ था तथा केबल वास्तव में भण्डार में ही पड़ी थी ।

मामला मई, 2006 में विभाग को भेजा गया था ।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई, 2006) कि केबल की वास्तविक आवश्यकता पाँच कि.मी. से अधिक थी । लेकिन केवल पाँच कि.मी. केबल का ही क्रय किया गया चूंकि विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु इसकी तत्काल आवश्यकता थी । उन्होंने पुनः बताया कि केबल की कुल मात्रा बिना किसी विलम्ब के प्रयोक्ता प्रभागों को जारी कर दी गई थी ।

विभाग की यह टिप्पणी कि विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु तत्काल अपेक्षित केबल ही क्रय की गई थी, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थी । फीडर रखरखाव प्रभाग ने नवम्बर, 2004 में स्पष्ट रूप से कहा था कि पुराने फीडर बदलने हेतु 3.780 कि.मी. की कुल आवश्यकता में से 1.828 कि.मी. केबल निर्माण-VI प्रभाग से प्राप्त की गई थी इसलिए स्वीकृत कार्य एवं रखरखाव कार्य हेतु 2.152 कि.मी. केबल ही अपेक्षित थी । निर्माण-VI प्रभाग के पास रखी हुई

3.9 कि.मी. केबल की तत्काल आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विशम्भर दास मार्ग पर सब-स्टेशन के संस्थापन का कार्य अभी सौपा ही नहीं गया था ।

यद्यपि, केबल फीडर रखरखाव प्रभाग तथा निर्माण-VI प्रभाग को जारी कर दी गई थी परंतु, इस केबल के वास्तविक उपयोग तथा विभिन्न प्रभागों के पास पड़ी हुई केबल की कुल मात्रा की सूचना विभाग ने नहीं दी थी ।

4.5 निविदा को अंतिम रूप देने में असामान्य विलम्ब के कारण हानि

निविदा को छः मास की वैधता अवधि के भीतर अन्तिम रूप देने में विभाग की असफलता के कारण पुनः निविदा आमंत्रण की आवश्यकता पड़ी । तत्पश्चात्, केबल उच्च दरों पर क्रय करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप 15.75 लाख रुपये की हानि हुई ।

विभिन्न प्रभागों से मॉग प्राप्त होने के बाद 33 के.वी. भण्डार प्रभाग ने 62.58 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 300 वर्ग मि.मी. x 3.5 कोर की 13 कि.मी. एल.टी.(एक्स.एल.पी.ई.) केबल के क्रय हेतु जून, 2003 में खुली निविदायें आमंत्रित की ।

निविदायें जून, 2003 में खोली गई । 10 पेशकशें प्राप्त हुई । 57.14 लाख रुपये (उत्पाद शुल्क सहित) पर फर्म 'क' की पेशकश न्यूनतम पाई गई । यह पेशकश अनुमानित लागत से 8.69 प्रतिशत कम तथा डी.जी.एस.एण्ड डी. की अनुमोदित दर से 31.49 प्रतिशत कम थी । इसलिए विभाग ने फर्म 'क' की पेशकश को स्वीकार करने की अनुशंसा की तथा मामला वित्त को अपनी सहमति प्रदान करने के लिए अगस्त, 2003 में भेज दिया । पेशकश 26 दिसम्बर, 2003 तक वैध थी।

वित्त ने विभाग के अनुमान जिसके विरूद्ध केबल की आवश्यकता थी, डी.एस.आर. के आधार तथा दरों के रूझान पर दरों की न्यायोचितता, वर्ष 2003-04 के दौरान क्रय की गई केबल के विवरण सहित कुछ जानकारी देने के लिए कहा (अगस्त 2003) । तत्पश्चात्, किसी न किसी कारण से अनेक बार विद्युत विभाग तथा वित्त विभाग के बीच मामले का आदान-प्रदान होता रहा लेकिन निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया तथा पेशकश की वैधता 26 दिसम्बर, 2003 को समाप्त हो गई ।

फर्म 'क' को अपनी पेशकश की वैधता को बढ़ाने का अनुरोध (दिसम्बर, 2003) किया गया । लेकिन फर्म ने कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि के कारण वैधता को बढ़ाने से मना कर दिया (जनवरी, 2004) । इसलिए विभाग ने मामला फरवरी, 2004 में वित्त विभाग को

उनके परामर्श लेने के लिए प्रस्तुत किया कि क्या निविदायें पुन: आमंत्रित की जाये । फर्म द्वारा पेशकश की वैधता को बढ़ाने से मना करने के बाद विभाग के पास वर्तमान निविदा को रद्द करने तथा नई निविदायें आमंत्रण के अलावा कोई विकल्प नहीं था । दुर्भाग्यवश, विभाग तथा वित्त इस मसले को भी शीघ्रतापूर्वक सुलझाने में असफल रहे । वर्तमान निविदा को रद्द करने तथा नई निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव को पाँच महीने के विलम्ब के बाद जुलाई, 2004 में सहमति दी गई । अंतत:, निविदा को इसके खुलने के एक वर्ष बाद जुलाई, 2004 में रद्द कर दिया गया ।

सितम्बर, 2004 में पुन: निविदायें आमंत्रित की गई तथा अक्टूबर, 2004 में खोली गई। प्राप्त की गई चार पेशकशों में से फर्म 'ख' की पेशकश 71.11 लाख रुपये (16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क तथा शुल्क पर दो प्रतिशत उप-कर सहित) को सबसे न्यूनतम पाया गया । 71.11 लाख रुपये की कुल लागत पर 300 वर्ग मि.मी./3.5 कोर आकार की 13 कि.मी. केबल की आपूर्त्ति हेतु आदेश फर्म 'ख' को जनवरी 2005 में दे दिया गया । तत्पश्चात्, फर्म को मार्च, 2005 में इन्हीं दरों पर 3.25 कि.मी. केबल की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्त्ति हेतु कहा गया । फर्म ने जून, 2005 में आपूर्त्ति पूर्ण की । इसी दौरान दिल्ली में अप्रैल, 2005 से वैट लागू हो गया । वैट के लागू होने से पूर्व विद्युत वितरण हेतु अपेक्षित सामान को बिक्री कर छूट प्रमाणपत्र दिखाने पर बिक्री कर की छूट मिल जाती थी । परंतु, वैट के लागू होने के बाद सभी छूटें वापिस ले ली गई थी । इसलिए विभाग को 13 कि.मी. केबल के क्रय पर 1.78 लाख रुपये की राशि के वैट का भुगतान भी करना पड़ा ।

इस प्रकार छ: मास की वैधता के भीतर प्रथम निविदा को अंतिम रूप देने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप निविदायें पुन: आमंत्रित करनी पड़ी तथा उच्च दरों पर केबल क्रय करने पर अकेले 13 कि.मी. केबल क्रय करने पर ही 15.75 लाख रुपये को हानि हुई ।

मामला अप्रैल, 2006 में विभाग को भेजा गया था।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई, 2006) में कहा कि मामला वित्त विभाग को 4 अगस्त, 2003 को न्यूनतम निविदादाता को आपूर्त्ति आदेश देने की अनुशंसाओं के साथ भेज दिया था। यह तथ्य की न्यूनतम निविदादाता वैधता को नहीं बढ़ायेगा, भी रिकार्ड कर दिया गया था । किन्तु मामले को समय पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सका ।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं था । वास्तविकता यह है कि, न्यूनतम निविदादाता अपनी पेशकश की वैधता नहीं बढ़ायेगा तथा केबल की दरों में वृद्धि होने की संभावना है, इस तथ्य की जानकारी के बावजूद भी पेशकश की वैधता अवधि के भीतर निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया । इसीलिए निविदायें पुन: आमंत्रित करनी पड़ी थी तथा विभाग को उच्च दरों पर केबल क्रय करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप 15.75 लाख रुपये की हानि हुई ।

प्रवर्तन विभाग

प्रवर्तन विभाग

5.1 पार्किंग स्थलों के लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न होना

पार्किंग स्थलों के पूर्व लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क की बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई । परिणामस्वरूप लाईसेंस शुल्क के बकाया की राशि दिनांक 31 मार्च 2005 को 2.79 करोड़ रुपये तक पहुँच गई ।

पार्किंग स्थलों की निविदा के नियम एवं शर्तों में यह निर्दिष्ट है कि आवंटी को लाईसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक मास की 7 तारीख तक नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम रूप से कर देना चाहिए अन्यथा ठेकेदार को विलम्ब की अवधि हेतु 24 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा । पुनः, यह निर्दिष्ट किया गया है कि यदि लगातार दो मास तक भुगतान नहीं किया जाता तो निविदा अनुबंध दो मास के उपरांत स्वतः रद्द हो जाएगा एवं जमा प्रतिभूति राशि जब्त हो जाएगी ।

मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 29, मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 4.1 एवं पुनः मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक परीक्षा लेखा रिपोर्ट के पैरा 6.1 में यह उल्लेख किया गया था कि पार्किंग स्थलों के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क की बकाया राशि की वसूली हेतु पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप लाईसेंस शुल्क की बकाया राशि लगातार बढ़ती रही ।

लाईसेंस शुल्क के बकायों की स्थिति की पुनः समीक्षा करने से ज्ञात हुआ कि लेखा परीक्षा में पहले उल्लेख करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ था । वास्तव में स्थिति और अधिक बिगड़ गई । लेखा परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये माँग एवं संग्रहण रजिस्टरों के अनुसार पार्किंग स्थलों के लाईसेंसधारियों के विरूद्ध लाईसेंस शुल्क की बकाया राशि 31 दिसम्बर, 2002 को 1.93 करोड़ रुपये से 45 प्रतिशत की दर से बढ़कर 31 मार्च, 2005 को 2.79 करोड़ रुपये हो गई ।

2.79 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि में से 1.67 करोड़ रुपये की राशि 111 पूर्व आवंटियों से वर्ष 1997 से वर्ष 2002 तक बकाया थी (अनुलग्नक-XI) । इन मामलों की समीक्षा करने पर पुनः यह ज्ञात हुआ कि इन पार्टियों के विरूद्ध पूर्व में आडिट द्वारा उल्लेखित बकायों की स्थिति में दिसम्बर, 2002 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था । इस प्रकार विभाग पिछले

4 से 9 वर्षों के दौरान इन पूर्व आवंटियों से किसी प्रकार की राशि वसूल करने में असफल रहा । इन दोषी पार्टियों की तरफ बकाया राशि पर ब्याज का आकलन भी विभाग द्वारा नहीं किया गया था ।

विभाग द्वारा पूर्व आवंटियों से वर्ष-अनुसार बकाया राशि को दर्शाते हुए एक समेकित रिकार्ड का रखरखाव न किये जाने के कारण पार्किंग स्थलों के लाईसेंसधारियों से इस अवधि से पूर्व लाईसेंस शुल्क की बकाया राशि की सुनिश्चितता नहीं की जा सकी ।

शेष 1.12 करोड़ रुपये की बकाया राशि 65 लाईसेंसधारियों से वर्ष 2002-03 से वर्ष 2004-05 तक संबंधित थी (अनुलग्नक-XII) ।

बकाया राशि का विश्लेषण करने से पुन: ज्ञात हुआ कि वैयक्तिक पार्टियों से 97 रुपये से 22.13 लाख रुपये के मध्य राशि बकाया थी । बकाया राशि का विस्तृत विश्लेषण निम्न तालिका में दिया गया है:

क्र.स.	बकाया राशि की सीमा	दोषी पार्टियों की संख्या
1.	50,000 रुपये तक	84
2.	50,000 रुपये से अधिक लेकिन 1,00,000 रुपये से कम	29
3.	1,00,000 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5,00,000 रुपये से कम	50
4.	5,00,000 रुपये से अधिक लेकिन 10,00,000 रुपये से कम	8
5.	10,00,000 रुपये से अधिक	5
	योग	176

चूँकि सभी पुराने माँग एवं संग्रहण रजिस्टर आडिट को उपलब्ध नहीं कराये गये थे तथा माँग एवं संग्रहण रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ भी अद्यतन नहीं थी, अत: आडिट द्वारा बकाया राशि की सही-सही मात्रा का सत्यापन नहीं किया जा सका । कुछ मामलों में लाईसेंस शुल्क की दर एवं संबंधित बकाया राशि की अवधि रिकार्ड नहीं की गई थी । आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन दोषी लाईसेंसधारियों की जमा प्रतिभूति राशि वापस कर दी गई थी या उक्त राशि अभी भी विभाग के पास सुरक्षित थी ।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट था कि विभाग अनुबंध की शर्तों के अनुसार लाईसेंसधारियों से नियमित रूप में लाईसेंस शुल्क की वसूली करने में असमर्थ रहा । विभाग लाईसेंस की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी लाईसेंस शुल्क की बकाया राशि वसूल करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने में असमर्थ रहा । परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2005 तक 2.79 करोड़ रुपये की राशि का लाईसेंस शुल्क वसूल नहीं किया जा सका । पार्किंग स्थलों के पूर्व आवंटियों के विरूद्ध बकाया राशि को वर्ष दर वर्ष दर्शाने वाले किसी समेकित रिकार्ड के अभाव में काफी वर्षों के गुजर जाने के उपरांत, बकाया राशि की वसूली का प्रभावी पर्यवेक्षण काफी कठिन था।

मामला जून, 2006 में विभाग को प्रेषित कर दिया गया था परंतु उनका उत्तर अभी प्रतीक्षारत था (अगस्त, 2006) ।

5.2 विज्ञापन टावरों के लाईसेंस में असामान्य विलम्ब के कारण हानि

प्रथम आमत्रंण में निविदाओं को अविवेकपूर्ण रूप से रद्द करने के कारण तथा नये अनुबन्ध को अंतिम रूप देने में असामान्य विलम्ब के कारण नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में 13 विज्ञापन टावर लगभग तीन वर्षों तक आवंटित नहीं किये जा सके । परिणामस्वरूप अक्टूबर, 2001 से दिसम्बर, 2004 के दौरान लगभग 2.83 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व का नुकसान हुआ ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने विज्ञापनों के प्रदर्शन हेतु कुल 14 टावरों का प्रावधान कनॉट प्लेस (12 टावर), यशवंत प्लेस (1 टावर) एवं ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग (1 टावर) पर किया है । इन टावरों का लाईसेंस, 2/3 वर्ष के लिए विज्ञापन प्रर्दशन हेतु खुली निविदाओं के द्वारा लाईसेंस शुल्क के भुगतान पर निजी पार्टियों को दिया जाता था । इन टावरों से परिषद् को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो रहा था ।

दिनांक 25 अक्टूबर, 2000 से तीन वर्षों की अवधि के लिए 11.28 लाख रुपये प्रति मास के लाईसेंस शुल्क पर इन 14 टावरों के लिए अनुबंध फर्म 'ए' को प्रदान किया गया था । आरम्भ से ही लाईसेंसधारी ने विभिन्न कारणों से लाईसेंस शुल्क के भुगतान में अवहेलना आरम्भ कर दी । परिणामस्वरूप, अगस्त, 2001 तक लाईसेंसधारी के विरूद्ध लाईसेंस शुल्क की 53.21 लाख रुपये की राशि बकाया हो गई । सितम्बर, 2001 में अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया।

पार्टी ने इस समाप्ति के विरूद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी । माननीय उच्च न्यायालय ने अक्टूबर, 2001 के अपने आदेशों में मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु परिषद् पर रोक लगा दी । माननीय उच्च न्यायालय ने पार्टी को भी दो टावरों के लाईसेंस शुल्क को छोड़कर, जिनकी नीव और ढ़ॉचे के कमजोर होने का आरोप लगाया गया था, सभी बकाया राशि जमा कराने का निर्देश दिया । परंतु, पार्टी ने कोई भुगतान नहीं किया । माननीय उच्च न्यायालय ने तत्पश्चात् अक्टूबर, 2001 में प्रदान किये गये स्थगन को समाप्त कर दिया एवं मई, 2002 में परिषद् को टावरों का कब्जा लेने तथा बकाया राशि, जो कि दिनांक 31 मई, 2002 तक बढ़कर 98.68 लाख रुपये इकट्ठा हो गई थी, की वसूली के लिए 45.12 लाख रुपये की बैंक गारंटी का नकदीकरण कराने का निर्देश दिया ।

टावरों के लाईसेंस हेतु नई निविदाएँ जुलाई, 2002 में आमंत्रित की गई । इस दौरान दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन से एक पत्र प्राप्त हुआ कि कनॉट प्लेस के आंतरिक सर्कल के बी-सी ब्लॉक के एक टावर को समाप्त किया जाना अपेक्षित था । अतः लाईसेंस हेतु केवल तेरह टावर बचे । दो निविदाएँ प्राप्त हुई थी । फर्म 'बी' ने, 14 टावरों के लिए 11.28 लाख रुपये प्रतिमास की पूर्व दर के विरूद्ध, 13 टावरों के लिए 7.27 लाख रुपये प्रतिमास की उच्चतम पेशकश दी ।

विभाग ने जुलाई, 2002 में टिप्पणी की कि दरों में कमी, कुछ तो टावरों की संख्या में कमी के कारण (14 टावरों की बजाय 13 टावर) थी, एवं कुछ इस तथ्य के कारण कि शौचालयों, पैदल पार-पथों एवं बस क्यू-शेल्टरों पर बड़े एवं बढ़िया स्थलों पर अधिक आकर्षक प्रदिप्त विज्ञापनों की उपलब्धता के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान विद्युत खम्भों एवं टावरों पर विज्ञापन की दरों में अधोमुखी रूझान था । इन तथ्यों के वावजूद विभाग ने पेशकश रद्द करने एवं नई निविदाएँ आंमत्रित करने का सुक्षाव दिया तथा मामला वित्त विभाग को उनके दृष्टिकोण हेतु प्रेषित कर दिया ।

वित्त विभाग ने जुलाई, 2002 में टिप्पणी दी की विभाग ने एक तरफ तो निम्न दरों के कारणों का उल्लेख किया है तथा दूसरी तरफ निविदा को रद्द करने की अनुशंसा की है । वित्त विभाग को निविदा रद्द करने के लिए कारण पर्याप्त नहीं लगे अतः वो ये जानना चाहते थे कि क्या विभाग नई निविदाओं में उच्च दरें प्राप्त करने के लिए विश्वस्त था ।

उत्तर में विभाग ने अगस्त, 2002 में कहा कि उन्होंने निविदा को रद्द करने की अनुशंसा इस कारण की थी क्योंकि एक अन्य मामले में वित्त विभाग ने कम दरों के कारण निविदाएँ रद्द करने की अनुशंसा की थी । विभाग ने पुनः कहा कि भावी दरों के बारे में भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं था ।

तत्पश्चात्, वित्त विभाग द्वारा अगस्त, 2002 में निविदा रद्द करने एवं नई निविदाएँ आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी गई । तद्नुसार, सितम्बर, 2002 में निविदा रद्द कर दी गई । परंतु निविदादाताओं को निविदाओं के रद्द करने के बारे में सूचित नहीं किया गया ।

नई निविदाएँ सितम्बर, 2002 में खोली गई जिसमें दो पेशकश प्राप्त हुई । इस बार काफी कम दरें प्राप्त हुई । जुलाई, 2002 में प्रथम निविदा में प्राप्त 7.27 लाख रुपये की उच्चतम पेशकश की तुलना में इसबार, फर्म 'सी' की 5.05 लाख रुपये प्रतिमास की पेशकश उच्चतम थी । इस दौरान प्रथम निविदा में उच्चतम निविदादाता फर्म 'बी' ने यह प्रतिवेदन दिया कि उन्हें अपनी पेशकश, जो हाल ही के निविदा में विभाग द्वारा प्राप्त दरों की तुलना में काफी

अधिक थी, के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि अनुबंध उन्हें प्रदान किया जाए ।

फर्म 'बी' से प्राप्त प्रतिवेदन एवं इस तथ्य के कारण कि द्वितीय निविदा में प्राप्त दरें काफी कम थी, विभाग ने अक्टूबर, 2002 में अनुशंसा की कि परिषद् के वित्तीय हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम निविदा में प्राप्त फर्म 'बी' की 7.27 लाख रुपये की पेशकश को स्वीकार किया जाए तथा फर्म 'सी' (द्वितीय निविदा) की 5.05 लाख रुपये की पेशकश को रद्द कर दिया जाए । परंतु, वित्त विभाग ने अक्टूबर, 2002 में टिप्पणी की कि एक निविदा, जिसे पहले ही रद्द किया जा चुका है, को स्वीकार करना नियमों के विरूद्ध था । अत: विभाग ने फर्म 'सी' की 5.05 लाख रुपये की पेशकश को स्वीकार करना प्रस्तावित किया । प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा भी नवम्बर, 2002 में सहमति प्रदान कर दी गई ।

तत्पश्चात्, विभाग ने अपने मत में परिवर्तन किया एवं तर्क दिया कि फर्म 'सी' की 5.05 लाख रुपये प्रतिमास की पेशकश को स्वीकार करने से कानूनी अड़चने उत्पन्न हो सकती है क्योंकि फर्म 'बी' की 7.27 लाख रुपये प्रतिमास की पेशकश उच्चतम थी एवं निविदा को रद्द करने के बारे में निविदादाता को सूचित नहीं किया गया था । अत:, उन्होंने अनुशंसा की कि द्वितीय निविदा को भी रद्द कर दिया जाए तथा दोनो निविदाओं को रद्द करने के बारे में निविदादाताओं को सूचित किया जाए तथा नई निविदाएँ आमंत्रित की जाए ।

नई निविदाएँ (तृतीय निविदा) जनवरी, 2003 में खोली गई । पुन: केवल दो पेशकशें ही प्राप्त हुई । इस बार फर्म 'बी' ने 5.26 लाख रुपये प्रतिमास की उच्चतम पेशकश प्रस्तुत की । विभाग ने जनवरी 2003 में इंगित किया कि फर्म की पेशकश निविदा की कुछ शर्तों को पूरा नहीं करती थी एवं उन्होंने मामला वित्त विभाग को उनकी राय के लिए प्रस्तुत कर दिया कि क्या पेशकश को स्वीकार किया जाए । वित्त विभाग ने जनवरी, 2003 में कहा कि विभाग को मामला स्पष्ट अनुशंसाओं के साथ प्रेषित करना चाहिए । तदोपरान्त, फरवरी, 2003 में वित्त विभाग ने यह भी जानना चाहा कि क्या इन टावरों को संरचनात्मक स्थायित्व के कारण गिराये जाने की संभावना थी ।

अंतत: तृतीय निविदा को भी मार्च, 2003 में रद्द कर दिया गया एवं नई निविदाएँ (चतुर्थ निविदा) आमंत्रित की गई एवं अप्रैल, 2003 में खोली गई । पाँच पेशकशें प्राप्त हुई । परंतु, तीन पेशकश निविदा की शर्तों के अनुसार वैध नहीं पाई गई अत: रद्द कर दी गई । इस बार, फर्म 'डी' की 5.77 लाख रुपये प्रतिमास की पेशकश उच्चतम पेशकश थी । विभाग ने मई, 2003 में इस पेशकश को स्वीकार करने की अनुशंसा की । परंतु, वित्त विभाग ने यह इच्छा व्यक्त की कि इन टावरों को गिराने के मुद्दे का पहले हल निकाला जाए तथा विभाग को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि 5.77 लाख रुपये की पेशकश न्यायोचित थी ।

यद्यपि, फर्म 'ए' ने भी टावरों की संरचनात्मक कमजोरी के मुद्दे को उठाया था, परंतु मुख्य अभियंता सिविल ने मई, 2001 में यह प्रमाणित कर दिया था कि सभी टावरों के वर्तमान ढ़ॉंचे मजबूत थे तथा उन्हें और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता नहीं थी । इसके बावजूद, इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से लम्बा खीचा गया तथा निविदा पर निर्णय नहीं लिया गया । अंतत: विभाग ने एक वर्ष के विलम्ब के उपरांत अप्रैल, 2004 में नई निविदाएँ आमंत्रित करना प्रस्तावित किया । अप्रैल, 2003 में खोली गई चतुर्थ निविदा को रद्द करने के कोई कारण नहीं बताये गये ।

13 टावरों के दो वर्ष की अवधि के लिए आवंटन हेतु नई निविदाएँ (पॉंचवीं निविदा) जुलाई, 2004 में खोली गई । चार निविदाएँ प्राप्त हुई तथा फर्म 'बी' की 6.07 लाख रुपये प्रतिमास की पेशकश उच्चतम थी । विभाग ने पेशकश स्वीकार करने की अनुशंसा के साथ मामला जुलाई, 2004 में वित्त विभाग को भेज दिया । परंतु, निविदा को अगले पॉंच महीनों तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका ।

अंत में बिना वित्त विभाग की सहमति के ठेका दिसम्बर, 2004 में, पिछले अनुबंध की समाप्ति (सितम्बर, 2001) के तीन वर्षों से अधिक अवधि के उपरांत, फर्म 'बी' को प्रदान कर दिया गया । कार्य प्रदान करने का पत्र जारी करने के उपरांत पार्टी ने दिसम्बर, 2004 में प्रतिवेदन किया कि कुल 13 टावरों में से तीन टावर मैट्रो के निर्माण के कारण उपयोग में नहीं आ रहे थे । अत: उन्होंने लाईसेंस शुल्क में समानुपातिक रूप से कमी करने का अनुरोध किया । पार्टी के अनुरोध को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया एवं लाईसेंस शुल्क 6.57 लाख रुपये से संशोधित कर 4.67 लाख रुपये प्रतिमास कर दिया गया ।

विभाग इस तथ्य से भली प्रकार अवगत था कि शौचालयों तथा पार-पथों पर आकर्षक प्रद्विप्त विज्ञापनों के लिए बड़े एवं खुले स्थलों की उपलब्धता के कारण विद्युत खम्भों एवं टावरों पर विज्ञापन हेतु दरें वर्षों से अधोमुखी रूझान दर्शा रही थी । इसके अतिरिक्त जुलाई, 2002 में प्रथम निविदा में प्राप्त दरें पूर्व में आवंटित 14 टावरों के स्थान पर 13 टावरों के लिए थी । इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम् निविदा में 7.27 लाख रुपये प्रतिमास की पेशकश को रद्द करना न्यायोचित नहीं था । जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि अनुवर्ती पॉंच निविदाओं में प्राप्त सभी पेशकशें काफी कम थी । लाईसेंस आखिरकार तीन वर्षों से अधिक विलम्ब एवं पॉंच निविदाओं के उपरांत काफी कम दरों पर उसी पार्टी को प्रदान किया गया जो कि प्रथम निविदा में उच्चतम बोलीदाता थी ।

इस प्रकार विज्ञापनों हेतु इन टावरों को लाईसेंस पर देने में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरुप अक्टूबर, 2001 से दिसम्बर, 2004 के दौरान लगभग 2.83 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई । इसके अतिरिक्त अन्तत: इन टावरों को कम दरों पर आवंटन करने पर भी हानि हुई । पॉंच अवसरों पर निविदाएँ आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन पर परिहार्य व्यय की सुनिश्चितता नहीं की जा सकी ।

मामला अप्रैल, 2006 में विभाग को प्रेषित किया गया था ।

विभाग ने अप्रैल, 2006 में अपने उत्तर में सामान्यत: लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लाये गये तथ्यों को दोहराया और बताया कि इन टावरों के आवंटन में विलम्ब परिस्थितिजन्य था क्योंकि संरचनात्मक स्थायित्तता एवं प्राप्त कम बोली जैसे विभिन्न कारणों से किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सका ।

विभाग की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं थी । तथ्य ये है कि विभाग मार्केट की स्थतियों से पूर्णत: अवगत होने के बावजूद समय पर निर्णय लेने में असफल रहा जिसके कारण परिषद् को लगभग 2.83 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

5.3 टैक्सी बूथ, स्टाल, तहबाजारी आदि के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क के बकायों का वसूल न होना

टैक्सी बूथ, स्टाल, तहबाजारी आदि के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क की वसूली की प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी । परिणामस्वरुप 31 मार्च, 2005 तक टैक्सी बूथ, स्टाल तथा तहबाजारी के लाईसेंसधारियों के विरूद्ध लाईसेंस शुल्क के बकाया के रूप में 99.26 लाख रुपये की राशि इक्ट्ठा हो गई ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 363 में प्रावधान है कि इस अधिनियम या ऐसे किसी उप-नियम के अंतर्गत किसी प्रभार, लागत, व्यय, शुल्क, दर, या किराया या किसी अन्य लेखा के अंतर्गत परिषद् को देय राशि को किसी भी व्यक्ति से, जो कि इस अधिनियम के अतंर्गत देनदार हो, वसूल किया जाये । परंतु इस धारा के अंतर्गत ऐसी राशि के बकाया होने की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति के उपरांत बकाये की वसूली के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जाएगी ।

परिषद् का प्रवर्तन विभाग वैयक्तिकों को टैक्सी बूथ, स्टाल तथा तहबाजारी आदि के लिए लाईसेंस देता है । विभाग इन इकाईयों के लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क की सही वसूली हेतु भी उत्तरदायी है । परंतु, यह देखा गया कि विभाग ने अधिनियम के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार लाईसेंस शुल्क की वसूली हेतु पर्याप्त कार्यवाही नहीं की । परिणामस्वरूप, इन इकाईयों के काफी लाईसेंसधारियों के विरुद्ध लाईसेंस शुल्क का काफी अधिक बकाया इकट्ठा हो गया ।

टैक्सी बूथ, स्टाल एवं तहबाजारी के माँग एवं संग्रहण रजिस्टर की जाँच से यह प्रकट हुआ कि इन इकाईयों के लाईसेंसधारियों कि विरुद्ध 31 मार्च, 2005 तक लाईसेंस शुल्क की 99.26 लाख रुपये की राशि नीचे दिये गये विवरणानुसार बकाया थी :

(रुपये लाख में)

क्र.स.	इकाई का नाम	दोषियों की संख्या	दिनांक 31.03.05 को बकाया राशि
1	टैक्सी बूथ	67	81.03
2	तहबाजारी (उत्तर)	75	9.25
3	तहबाजारी (दक्षिण)	24	2.01
4	स्टॉल (थरेजा समिति द्वारा सत्यापित)	267	6.97
	योग	**433**	**99.26**

99.26 लाख रुपये के बकायों में क्योस्क एवं पान-थड़ों के विरुद्ध लाईसेंस शुल्क का बकाया सम्मिलित नहीं था । 31 मार्च, 2005 को इन इकाईयों के विरुद्ध बकाया राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि इन इकाईयों के माँग एवं संग्रहण रजिस्टर आडिट को उपलब्ध नहीं कराये गये । इसके अतिरिक्त माँग एवं संग्रहण रजिस्टर में अपूर्ण सूचना के कारण बकाया राशि की सत्यता भी आडिट में सत्यापित नहीं की जा सकी ।

टैक्सी बूथ, तहबाजारी एवं स्टाल के विरुद्ध बकायों की जाँच से निम्नलिखित अन्य तथ्यों का पता चला :

(1) टैक्सी बूथ

टैक्सी बूथ के लाईसेंसधारियों के विरुद्ध बकाया की स्थिति पिछले दो वर्षों में काफी अधिक खराब हुई । मार्च, 2003 में 44 लाईसेंसधारियों से 40.06 लाख रुपये की राशि बकाया थी । परंतु, बकाया की राशि बढ़कर 31 मार्च, 2005 को 67 लाईसेंसधारियों से 81.03 लाख रुपये हो गई जो कि दो वर्ष की अवधि में लगभग 102 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । 81.03 लाख रुपये की राशि में लाईसेंस शुल्क का बकाया 22.05 लाख रुपये तथा 58.98 लाख रुपये ब्याज प्रभार सम्मिलित थे । व्यक्तिगत लाईसेंसधारियों से बकाया राशि 240 रुपये से 3.30 लाख रुपये के मध्य थी । परंतु, लाईसेंसधारियों से जिस अवधि के लिए यह राशि देय थी, वह आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

(2) तहबाजारी (उत्तर)

31 मार्च, 2005 को 75 लाईसेंसधारियों से 9.25 लाख रुपये की राशि बकाया थी । व्यक्तिगत लाईसेंसधारियों के विरुद्ध बकाया राशि 40 रुपये एवं 56,656 रुपये के मध्य थी। परंतु,

जिन तिथियों से बकाया राशि देय थी, वे सुनिश्चित नहीं की जा सकी । 31 मार्च, 2005 को बकायों की स्थिति की तुलना पूर्व वर्ष से नहीं की जा सकी क्योंकि पुराना रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था ।

(3) तहबाजारी (दक्षिण)

24 लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क की दो लाख रुपये की राशि बकाया थी । व्यक्तिगत लाईसेंसधारियों के विरुद्ध बकाया राशि 130 रुपये एवं 1.31 लाख रुपये के मध्य थी । पुराना रिकार्ड न मिलने के कारण 31 मार्च, 2005 को बकाया की स्थिति की तुलना पूर्व वर्ष से नहीं की जा सकी ।

(4) स्टॉल

31 मार्च, 2005 को थरेजा समिति द्वारा सत्यापित स्टालों के 267 लाईसेंसधारियों के विरुद्ध लाईसेंस शुल्क की 6.97 लाख रुपये की राशि बकाया थी । व्यक्तिगत लाईसेंसधारियों के विरुद्ध बकाया राशि 4 रुपये से लेकर 19,296 रुपये के मध्य थी । इन स्टालों के लाईसेंसधारियों के विरुद्ध बकाया राशि की तुलना पूर्व वर्षों से नहीं की जा सकी क्योंकि आडिट को संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था ।

बकायों की उपरोक्त स्थिति दर्शाती है कि विभिन्न व्यावसायिक इकाईयों के लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क की वसूली प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी तथा दोषी लाईसेंसधारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप इन इकाईयों के विरुद्ध 31 मार्च, 2005 को लाईसेंस शुल्क की राशि 99.26 लाख रुपये तक इक्ट्ठा हो गई । टैक्सी बूथ के लाईसेंसधारियों के विरूद्ध बकाया राशि की स्थिति अधिक खराब थी ।

मॉग एवं संग्रहण रजिस्टर का रखरखाव भी उपयुक्त रूप से नहीं किया गया था तथा उसमें पूर्ण सूचना रिकार्ड नहीं की गई थी । जिन तिथियों से बकाया राशि देय थी उनको भी रजिस्टर में नहीं लिखा गया था । काफी मामलों में रजिस्टर में अद्यतन प्रविष्टियॉं नहीं की गई थी । काफी मामलों में बकाया राशि पर देय ब्याज भी अद्यतन रूप से जोड़कर रजिस्टरों में रिकार्ड नहीं किया गया था ।

मामला विभाग को मई, 2006 में भेजा गया था परंतु, उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षारत् था (अगस्त, 2006) ।

5.4 पार्किंग स्थलों के आवंटन में विलम्ब के कारण राजस्व की परिहार्य हानि

पार्किंग स्थलों के नये अनुबंधो के आवंटन में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरुप वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान 73.78 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई ।

परिषद् के क्षेत्राधिकार में वाहनों के पार्किंग हेतु विभिन्न स्थानों पर काफी संख्या में स्थल चिन्हित किये गये हैं । परिषद् का प्रवर्तन विभाग इन पार्किंग स्थलों के आवंटन एवं प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है । पार्किंग स्थल सामान्यत: खुली निविदायें आमंत्रित करने के उपरांत निश्चित मासिक लाईसेंस शुल्क पर एक वर्ष की अवधि हेतु आवंटित किये जाते हैं । ये पार्किंग स्थल परिषद् के लिए काफी राजस्व अर्जित करते हैं अत: यह आवश्यक है कि पार्किंग स्थलों के लिए अनुबंधों का प्रबंधन दक्षतापूर्ण हो ।

रिकार्ड की लेखा परीक्षा की जॉच से यह प्रकट हुआ कि काफी मामलों में पार्किंग स्थलों की निविदाओं को तत्परता से अंतिम रूप नहीं दिया गया तथा नये अनुबंध पुराने अनबंधों की समाप्ति के उपरांत तत्काल प्रदान नहीं किये गये । यह पाया गया कि वर्ष 2003-04 के दौरान 31 पार्किंग स्थलों के लिए नये अनुबन्ध 25 दिन से 137 दिन के विलम्ब के उपरांत प्रदान किये गये थे । इसी प्रकार 2004-05 के दौरान 29 पार्किंग स्थलों के संबंध में नये अनुबंध 15 दिन से 178 दिन के विलम्ब के उपरांत प्रदान किये गये थे ।

इन पार्किंग स्थलों के आवंटन में विलम्ब के विस्तृत कारण तत्काल उपलब्ध नहीं थे । आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड यह भी संकेत नहीं देते कि वर्तमान अनुबंधों की वैधता बढ़ाई गई थी या नये अनुबंधों के आवंटन तक इन पार्किंग स्थलों के परिचालन हेतु कोई अस्थाई व्यवस्था की गई थी । इन मामलों में पार्किंग स्थलों के नये अनुबंधों को प्रदान करने में अनुचित विलम्ब के परिणामस्वरुप वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान लगभग 73.78 लाख रुपये के लाईसेंस शुल्क की हानि हुई (अनुलग्नक-XIII) ।

चूँकि, पार्किंग स्थलों के अनुबंध एक निर्दिष्ट अवधि हेतु प्रदान किये जाते हैं अत: विभाग को अग्रिम रुप से उनके नये अनुबंधों की प्रक्रिया शुरू कर पूर्ण कर लेनी चाहिए । अत:, पार्किंग स्थलों के लिए नये अनुबंधों के आवंटन में 6 मास तक का विलम्ब न्यायोचित

नहीं था तथा इसके परिणामस्वरुप वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान 73.78 लाख रुपये की राशि के राजस्व की परिहार्य हानि हुई ।

मामला मई, 2006 में विभाग को प्रेषित किया गया था । परंतु, उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षारत था (अगस्त, 2006) ।

5.5 विज्ञापन कर के बकायों की वसूली न होना

विभाग विज्ञापन कर के बकायों की वसूली के लिए पर्याप्त कार्यवाही करने में असफल रहा । फलस्वरूप 31 मार्च, 2005 तक विज्ञापन कर की 68.98 लाख रुपये की राशि वसूल नहीं की जा सकी ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् क्षेत्र में किसी भू-खण्ड, भवन, आदि पर प्रदर्शित विज्ञापनों पर नियत दर से विज्ञापन कर लगना चाहिए । पुन: अधिनियम की धारा 100 के अनुसार कर की राशि का 15 दिन के अंदर भुगतान न करने की स्थिति में छठवीं सूची के अनुसार माँग नोटिस भेजा जाना चाहिए । नोटिस जारी करने के 30 दिन के अंदर कर का भुगतान प्राप्त न होने पर पार्टी को दोषी माना जाए और अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत उस पर कुल कर राशि के 20 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जाए । तब भी कर का भुगतान न किए जाने की स्थिति में वारंट के साथ दोषी व्यक्ति की चल/अचल सम्पत्ति की कुर्की या बेच कर जुर्माने सहित कर वसूल किया जाए ।

मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 4.4 तथा मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 6.3 में यह उल्लेख किया गया था कि विभाग द्वारा विज्ञापन कर के बकायों की वसूली के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई । फलस्वरुप, कर की बकाया राशि बहुत अधिक रही । 31 मार्च, 2003 तक 1678 पार्टियों, की ओर विज्ञापन कर का 70.56 लाख रुपये बकाया था ।

स्थिति की पुन: समीक्षा करने पर पता चला कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ । 31 मार्च, 2005 को 935 पार्टियों के विरूद्ध अभी भी 68.98 लाख रुपये की कर राशि बकाया थी । 867 मामलों में विज्ञापन कर की बकाया राशि 100 रुपये से 10,000 रुपये तक की सीमा के मध्य थी तथा 68 मामलों में बकाया राशि 10,061 रुपये और 5.26 लाख रुपये के बीच थी । विज्ञापन कर के बकायों का विस्तृत विश्लेषण तालिका में नीचे प्रस्तुत है:

क्र.स.	बकाया की सीमा	दोषियों की संख्या	राशि (रुपये लाख में)
1	10,000 रुपये तक	867	15.99
2	10,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये तक	37	5.33
3	25,000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपये तक	21	7.65
4	50,000 रुपये से अधिक और एक लाख रुपये तक	4	2.72
5	एक लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक	4	7.47
6	5 लाख रुपये से अधिक	2	29.82
	कुल	**935**	**68.98**

मॉग एवं संग्रहण रजिस्टर से यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि किस पार्टी पर किस तिथि से कर की राशि बकाया थी ।

जिन 68 पार्टियों पर कर की देनदारियाँ 10,000 रुपये से अधिक थी, उनका ब्यौरा अनुलग्नक-XIV में दिया गया है । इन मामलों के विस्तृत अध्ययन करने से यह भी ज्ञात हुआ है कि 58 पार्टियों के विरूद्ध बकायों की स्थिति में मार्च, 2002 से कोई सुधार नहीं हुआ था तथा उनके विरूद्ध 52.99 लाख रुपये का कर अभी भी बकाया था । इससे स्पष्ट था कि गत तीन वर्षों के दौरान विभाग इन पार्टियों से वसूली करने में बिल्कुल असफल रहा ।

लेखा परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से यह भी पता नहीं चला कि अधिनियम की धारा 101 के अन्तर्गत दोषी पार्टियों पर जुर्माना लगाया गया या नहीं ।

विज्ञापन कर की काफी अधिक बकाया राशि स्पष्टत: दर्शाती है कि कर की बकाया राशि की वसूली के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2005 तक 68.98 लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली नहीं हुई ।

उक्त मामला विभाग को अप्रैल, 2006 में प्रेषित किया गया । परंतु, उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त, 2006) ।

गृह कर

विभाग

गृह कर विभाग

6.1 संपत्ति कर के बकायों की वसूली न होना

दोषी पार्टियों से संपत्ति कर की वसूली हेतु उचित कदम नहीं उठाये गए थे । परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2005 तक 5792 पार्टियों से संपत्ति कर तथा जुर्माने की राशि सहित 330.10 करोड़ रुपये के बकायों की वसूली नहीं की जा सकी । पुनः, 230.58 करोड़ रुपये की वसूली रिमांड तथा स्टे मामलों में सम्मिलित थी ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत यदि किसी कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति मांग के नोटिस के 30 दिन के अंदर कर का भुगतान नहीं करता और यदि इस प्रकार के कर के विरूद्ध अपील नहीं की गई है तो उसे दोषी माना जाए तथा अध्यक्ष द्वारा नियत जुर्माना, जो कि कर राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, लगाया जाए और इस जुर्माने को, कर की राशि के अतिरिक्त, कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाए । अधिनियम की धारा 102 में यह भी प्रावधान है कि कर देने के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति यदि मांग नोटिस जारी करने के 30 दिन के भीतर कर का भुगतान नहीं करता है तो, सभी लागतों एवं जुर्माने सहित कर की राशि की वसूली दोषी की चल अथवा अचल संपत्ति को वांरट के द्वारा डिस्ट्रेस सेल या कुर्की द्वारा की जाए ।

मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 6.1, मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 2.2.4 VII तथा मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 6.1 में यह उल्लेख किया गया था कि विभाग द्वारा संपत्ति कर की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में पार्टियों की ओर संपत्ति कर की बहुत अधिक राशि वर्षों से बकाया के रूप में जमा हो गई थी ।

संपत्ति कर के शेष बकायों की पुनः समीक्षा से यह पता चला है कि बार-बार लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने के बाद भी संपत्ति कर के बकायों की स्थिति असंतोषजनक बनी रही । विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2005 तक 5792 पार्टियों की ओर कर तथा जुर्माने सहित 330.10 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। कुल बकाया राशि 330.10 करोड़ रुपये में 321.20 करोड़ रुपये की कर राशि तथा 8.90 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि शामिल थी । यह राशि इन पार्टियों की ओर किस तिथि से बकाया थी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि इस संबंध में कोई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं थी ।

कर तथा जुर्माने की 330.10 करोड़ रुपये की बकाया राशि के अतिरिक्त संपत्ति कर की 230.58 करोड़ रुपये की राशि की वसूली विवादास्पद थी। 230.58 करोड़ रुपये की इस राशि में से 141.08 करोड़ रुपये की राशि 538 रिमांड मामलों में तथा 89.50 करोड़ रुपये की राशि 524 स्टे मामलों में सम्मिलित थी। यह मामले किस तिथि से लंबित थे तथा विवाद के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे। परन्तु, यह स्पष्ट था कि विभाग 230.58 करोड़ रुपये के कर राजस्व के इन मामलों को निपटाने में असमर्थ रहा ।

321.20 करोड़ रुपये की राशि के बकाया कर के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 3486 मामलों में प्रत्येक पार्टी की ओर एक लाख रुपये तक तथा 41 मामलों में प्रत्येक पार्टी की ओर एक करोड़ रुपये से अधिक का कर बकाया था। संपत्ति कर तथा जुर्माने के बकायों का विस्तृत विश्लेषण निम्न तालिका में दिया गया है :

(रुपये करोड़ में)

बकायों की राशि	गृह कर		जुर्माना		कुल बकाया
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
50,000 रुपये तक	2815	3.38	1876	1.97	5.35
50,000 रुपये से अधिक एवं 1 लाख रुपये तक	671	4.92	158	1.07	5.99
1 लाख रुपये से अधिक एवं 5 लाख रुपये तक	1517	35.97	119	2.44	38.41
5 लाख रुपये से अधिक एवं 25 लाख रुपये तक	616	63.63	16	1.77	64.80
25 लाख रुपये से अधिक एवं 50 लाख रुपये तक	85	29.07	3	1.01	30.08
50 लाख रुपये से अधिक एवं 1 करोड़ रुपये तक	47	32.33	1	0.64	32.97
1 करोड़ रुपये से अधिक	41	152.50	0	0	152.50
कुल	**5792**	**321.20**	**2173**	**8.90**	**330.10**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 5792 पार्टियाँ गृहकर के भुगतान में दोषी थी । परंतु अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत अपेक्षित जुर्माना केवल 2173 मामलों में लगाया था । पुन: जुर्माना अधिकतर उन मामलों में लगाया गया था जिन मामलों में कर का बकाया 5 लाख रुपये तक था (कुल 5003 मामलों में से 2153 मामले अथवा 43.03 प्रतिशत) किन्तु 5 लाख रुपये से अधिक के शेष 789 मामलों में से जुर्माना केवल 20 मामलों में लगाया गया जो कि मात्र 2.53 प्रतिशत था। जिन 41 मामलों में कर की बकाया राशि एक करोड़ रुपये एवं उससे अधिक थी, उनपर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। बकाया राशि एवं रिमांड/स्टे मामलों की वर्षानुसार स्थिति उपलब्ध नहीं थी ।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि सम्पत्ति कर की बकाया वसूली 560.68 करोड़ रुपये थी जिसमें से 230.58 करोड़ रुपये की वसूली रिमांड तथा स्टे मामलों में सम्मिलित थी। अत: कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर थी और यह इंगित करती थी कि विभाग ने अधिनियम के

अनुसार कर वसूली तथा विवादों के निपटान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जिससे परिषद् पर्याप्त कर राजस्व की वसूली करने से वंचित रही ।

मामला मई 2006 में विभाग को भेजा गया था ।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई, 2006) में कहा कि बकायों में वृद्धि इस कारण से हुई क्योंकि अनेक मामलों में कर बिल रिमांड करयोग्य मूल्यों पर जारी किए गए थे जबकि करदाता, कर का भुगतान या तो स्व-निर्धारण आधार पर कर रहे थे अथवा कुछ भुगतान ही नहीं कर रहे थे। इसी प्रकार, काफी संख्या में कर-निर्धारण कम हुए किराए पर संशोधित करना चाहिए था किन्तु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।

विभाग ने पुनः बताया कि विभाग को स्व-अधिवासित संपत्तियों के संबंध में मार्किट किराये के आधार पर निर्धारित कर की वसूली करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था । लंबे समय से लंबित पड़े कोर्ट के मामलों तथा रिमांड मामलों के कारण होटलों से संपत्ति-कर की वसूली मांग की तुलना में विशेषतः बहुत कम थी। विभाग ने यह भी उल्लेखित किया कि उन सभी मामलों में जुर्माना लगाया गया था जिनकी ओर दिनांक 31 मार्च, 1999 को कर राशि बकाया थी ।

संपत्ति कर के भारी बकायों को दृष्टिगत रखते हुए, लंबे समय से लंबित पड़े विवादों को निपटाने तथा कर की वसूली हेतु अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने अपेक्षित है।

6.2 केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों के संबंध में सेवा-प्रभारों की वसूली न होना

केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों के संबंध में सेवा-प्रभारों की वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे जिसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2005 तक केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों की ओर सेवा प्रभारों की 36.86 करोड़ रुपये की राशि बकाया हो गई ।

संविधान के अनुच्छेद 285 में यह प्रावधान है कि जब तक संसद कानून द्वारा अथवा अन्यथा उपबंधित ना करे, संघ की संपत्तियाँ राज्य या किसी प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित सभी करों से मुक्त रहेंगी । न.दि.न.पा.परिषद् अधिनियम की धारा 65 में भी यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों पर संपत्ति कर की छूट होगी ।

संविधान के अनुच्छेद 285 में इस प्रावधान के बावजूद, वित्त मंत्रालय ने स्थानीय वित्त जाँच समिति द्वारा की गई अनेक अनुशंसाओं तथा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श के उपरांत मई

1954 में निर्णय लिया कि केन्द्र सरकार की संपत्तियों के संबंध में सेवा-प्रभारों का भुगतान स्थानीय निकायों को 1 अप्रैल 1954 से किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों के संबंध में न.दि.न.पा.परिषद् तथा दिल्ली नगर निगम को 75 प्रतिशत पर सेवा-प्रभारों के भुगतान के लिए अलग आदेश (अप्रैल 1964) जारी किए थे ।

उपरोक्त आदेशों में आंशिक संशोधन कर निर्माण एवं आवास मंत्रालय ने सूचित (अगस्त 1975) किया कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार की संपत्तियों के संबंध में 75 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत सेवा-प्रभार का भुगतान किया जायेगा।

वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा निर्माण एवं आवास मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों ने न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में स्थित अपनी संपत्तियों पर सेवा-प्रभारों का भुगतान नहीं किया । परिणामस्वरूप, इन विभागों पर दिनांक 31 मार्च, 2005 को 36.86 करोड़ रुपये की राशि के सेवा-प्रभार बकाया हो गये थे ।

पुनः, यह पाया गया कि 36.86 करोड़ रुपये के सेवा-प्रभारों के कुल बकायों में से 36.19 करोड़ रुपये के सेवा-प्रभार उन 133 संपत्तियों के संबंध में बकाया थे जिनमें प्रत्येक की ओर बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक थी । मुख्य दोषी विभागों तथा उनकी ओर बकाया सेवा-प्रभारों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	संपत्तियों की संख्या	बकाया
1.	के.लो.नि.वि./लो.नि.वि.	78	15.63
2.	अस्पताल(श्रीमतीसुचेता कृपलानी अस्पताल, राममनोहर लोहिया एवं सफदरजंग अस्पताल)	7	7.10
3.	गैरीसन इंजीनियर तथा अन्य रक्षा स्थापना	11	5.87
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण	1	3.65
5.	रेलवे	32	2.76
6.	आयकर विभाग	1	0.53
7.	केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल	1	0.44
8.	डाक विभाग	2	0.21
	कुल	**133**	**36.19**

इन विभागों की ओर सेवा-प्रभारों का भुगतान किस तिथि से बकाया था एवं भुगतान न करने के कारण तत्काल उपलब्ध नहीं थे । आडिट को उपलब्ध कराया गया रिकार्ड इंगित करता था कि किसी भी मामले में बकाया राशि पर जुर्माना अथवा ब्याज नहीं लगाया गया था।

सेवा-प्रभारों का अत्याधिक बकाया इंगित करता था कि सेवा-प्रभारों की वसूली हेतु उचित कदम नहीं उठाये गये थे । परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2005 तक 36.86 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली शेष थी ।

मामला मई 2006 में विभाग को भेजा गया था ।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2006) में कहा कि के.लो.नि.वि./लो.नि.वि. कुल मांग का 50/75 प्रतिशत ही भुगतान कर रहे थे । कुछ अन्य विभाग जैसे रेलवे, डाक एवं तार, रक्षा इत्यादि भी किसी न किसी कारण से भुगतान नहीं कर रहे थे। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए न.दि.न.पा.परिषद् को सेवा-प्रभारों के संग्रहण हेतु न.दि.न.पा.परिषद् अधिनियम में संशोधन करने का परामर्श दिया गया है । यह प्रस्ताव गंभीरतापूर्वक विचाराधीन है ।

सेवा प्रभारों के भारी बकायों को दृष्टिगत रखते हुए मामले पर उपयुक्त स्तर पर कार्यवाई की जाए ताकि मामले को निपटाया जाये तथा सेवा प्रभारों के बकायों की शीघ्र वसूली हो ।

6.3 संस्थानों से संपत्ति कर की वसूली न होना

आडिट में पहले भी इंगित करने के बावजूद दोषी संस्थानों से संपत्ति कर की वसूली के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2005 तक संस्थानों की ओर संपत्ति कर की 11.54 करोड़ रुपये की राशि बकाया हो गई थी ।

मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक आडिट रिपोर्ट के पैरा 6.3 में उल्लेख किया गया था कि कई संस्थानों/संगठनों से संपत्ति कर वसूल नहीं किया गया था । परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2004 तक 46 संस्थानों की ओर जुर्माने तथा संपत्ति कर की 10.92 करोड़ रुपये की राशि बकाये के रूप में जमा हो गई थी ।

संस्थानों से संपत्ति कर के बकाये की स्थिति की पुनः समीक्षा से पता चला कि आडिट में इंगित करने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ । वस्तुतः, स्थिति और खराब हो गई थी । संस्थानों की ओर संपत्ति कर का कुल बकाया 31 मार्च 2004 को 46 संस्थानों की ओर 10.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2005 को 48 संस्थानों की ओर 11.54 करोड़ रुपये हो गया (अनुलग्नक-XV)। 11.54 करोड़ रुपये के कुल बकाया में से 4.17 लाख रुपये की वसूली उन पाँच मामलों से संबंधित थी जो कि स्टे के अन्तर्गत थे तथा 33.76 लाख रुपये की वसूली दो रिमांड मामलों में बकाया थी । पुनः, यह भी पाया गया था कि ज्यादातर संस्थानों की

ओर कर राशि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई थी, जो कि विभाग द्वारा मामले में की गई कार्यवाही की अपर्याप्तता इंगित करती थी ।

प्रत्येक संस्थान की ओर 160 रुपये से 1.13 करोड़ रुपये तक की राशि बकाया थी । दोषी संस्थानों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 11 मामलों में, प्रत्येक संस्थान की ओर एक लाख रुपये तक तथा छः मामलों में प्रत्येक संस्थान की ओर 50 लाख रुपये से अधिक तथा 1.13 करोड़ रुपये तक की राशि बकाया थी । संस्थानों की ओर कर के बकायों का विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	बकायों का विवरण	पार्टियों की संख्या	राशि
1.	1 लाख रुपये तक	11	0.03
2.	1 लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 लाख रुपये से कम	15	0.67
3.	10 लाख रुपये से अधिक किन्तु 25 लाख रुपये से कम	4	0.66
4.	25 लाख रुपये से अधिक किन्तु 50 लाख रुपये से कम	12	4.61
5.	50 लाख रुपये से अधिक	6	5.57
	योग	**48**	**11.54**

जिस तिथि से संस्थानों ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया था तथा कुल बकायों का वर्षवार ब्यौरा रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं था । यह भी पाया गया था कि बहुत से मामलों में, संस्थानों ने अपने कर का भुगतान नहीं किया था तथा उनकी ओर कर का भारी बकाया शेष था परन्तु उन पर नियमाधीन जुर्माना भी नहीं लगाया गया था। दोषी संस्थानों के विरूद्ध जुर्माना न लगाने के कारण भी रिकार्ड में नहीं थे ।

संस्थानों की ओर संपत्ति कर की भारी बकाया राशि स्पष्ट रूप से यह इंगित करती थी कि इन संस्थानो से संपत्ति कर की वसूली के लिए विभाग द्वारा पर्याप्त कार्रवाही नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2005 तक 48 संस्थानों की ओर सम्पत्ति कर की 11.54 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली नहीं हुई ।

मामला मई, 2006 में विभाग को भेजा गया था । परन्तु उनका उत्तर अभी तक (अगस्त, 2006) प्रतीक्षित था ।

6.4 करयोग्य मूल्य में संशोधन न करने के कारण संपत्ति-कर की कम वसूली

उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर करयोग्य मूल्य का संशोधन न करने के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2005 तक 11 मामलों में 53.41 लाख रुपये की राशि के संपत्ति-कर की कम वसूली हुई ।

न.दि.न.पा.परिषद् अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, किसी भू-खण्ड अथवा भवन का करयोग्य मूल्य उस भू-खण्ड अथवा भवन से वर्ष दर वर्ष प्राप्त होने वाले अनुमानित किराये, मरम्मत आदि के लिए 10 प्रतिशत राशि कम करने के बाद, की राशि के समान होगी । अधिनियम की धारा 77 में यह भी प्रावधान है कि संपत्ति के करयोग्य पूल्य के निर्धारण के संबंध में, अध्यक्ष संपत्ति के स्वामी एवं अधिवासी से उसकी वास्तविक लागत तथा उससे प्राप्त किराया, यदि संपत्ति से प्राप्त हो रहा है, सहित संपत्ति का पूर्ण विवरण मॉग सकता है ।

कुछ संपत्तियों के कर निर्धारण मामलों की जांच से पता चला कि यद्यपि कुछ मामलों में विभाग के पास संपत्ति के वास्तविक किराये अथवा लागत का पूर्ण विवरण था, फिर भी विभाग करयोग्य मूल्य में उचित रूप से संशोधन करने में असफल रहा अथवा वर्षों तक संशोधन किया ही नहीं तथा पुराने करयोग्य मूल्य पर ही कर वसूल किया जाता रहा । इन मामलों में करयोग्य मूल्य के संशोधन में असामान्य विलम्ब/गलत संशोधन के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2005 तक 11 मामलों में 53.41 लाख रुपये की राशि के संपत्ति कर की कम वसूली हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) संपत्ति 'ए' डी.सी.एम. भवन :

विभाग में उपलब्ध पट्टा-विलेख के अनुसार, संपत्ति को अक्टूबर 1999 में तीन वर्षो हेतु 8 लाख रुपये प्रतिमास के किराये पर एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को किराये पर दिया गया था। तत्पश्चात्, तीन और वर्षो हेतु 10 लाख रुपये प्रतिमास के मासिक किराये पर पट्टे का नवीनीकरण किया जाना था । स्वामी ने 96 लाख रुपये की प्रतिभूति राशि भी प्राप्त की थी।

यद्यपि, पट्टा विलेख के अनुसार, उपरोक्त संपत्ति का किराया 15 अक्टूबर 2002 से बढ़कर 10 लाख रुपये हो गया था, पार्टी ने वर्ष 2003-04 हेतु अपनी संपत्ति की रिर्टन में घोषित किया कि मासिक किराया 9.15 लाख रुपये है। विभाग ने पट्टा विलेख में वर्णित वास्तविक किराये को नजरअंदाज किया तथा संपति के करयोग्य मूल्य को 15 अक्टूबर, 2002 से 1.11 करोड़ रुपये करने के स्थान पर वर्ष 2003-04 हेतु 91.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.02 करोड़ रुपये किया जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	नियत किया करयोग्य मूल्य	वास्तविक करयोग्य मूल्य
(i)	वार्षिक किराया	10980000 *	12000000 #
(ii)	6 मास के किराये से अधिक प्रतिभूति राशि पर 9 प्रतिशत की दर पर ब्याज की राशि	369900	324000
(iii)	योग	11349900	12324000
(iv)	10 प्रतिशत कम	1134990	1232400
(v)	**नेट करयोग्य मूल्य**	10214910	11091600

* 9.15 लाख रुपये प्रति माह की दर से

\# 10 लाख रुपये प्रतिमाह की दर से

करयोग्य मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 2002-03 से 2004-05 के दौरान 7.89 लाख रुपये की राशि के कर की वसूली कम हुई (अनुलग्नक-XVI) ।

(ii) संपत्ति 'बी', डी सी एम भवन :

वर्ष 1998-99 हेतु संपत्ति का करयोग्य मूल्य 25,800 रुपये नियत किया गया । वर्ष 2002-03 हेतु स्वामी द्वारा दायर विवरणिका के अनुसार संपत्ति को जून, 2002 से 24,500 रुपये के मासिक किराये पर दिया गया था । तद्नुसार, विभाग ने अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 हेतु करयोग्य मूल्य को 25,800 रुपये से बढ़ाकर 2,64,600 रुपये करने का नोटिस जारी किया (मार्च 2003) । यद्यपि प्रस्तावित करयोग्य मूल्य पार्टी की स्वयं की घोषणा पर आधारित था, फिर भी इसको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया तथा 25,800 रुपये के करयोग्य मूल्य पर ही कर वसूल किया जा रहा था । करयोग्य मूल्य को संशोधित न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान 1.35 लाख रुपये के कर की कम वसूली हुई (अनुलग्नक-XVI) ।

(iii) संपत्ति 'सी', कंचनजंगा :

विभाग ने किराये के आधार पर वर्ष 1998-99 के लिए करयोग्य मूल्य 1,89,950 रुपये को संशोधित कर 15,96,290 रुपये तथा वर्ष 1999-2000 हेतु 19,32,370 रुपये करने का नोटिस मार्च, 1999 में जारी किया था । तथापि, वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 हेतु प्रस्तावित संशोधित करयोग्य मूल्य को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जिसके कारण रिकार्ड में नहीं थे । तत्पश्चात्, अधिनियम की धारा 77 तथा धारा 72 के अन्तर्गत अनुवर्ती वर्षों हेतु नोटिस जारी नहीं किये गये तथा 1,56,900 रुपये के करयोग्य मूल्य पर ही कर वसूल किया जा रहा था। विभाग के, मार्च, 1999 के अपने प्रस्ताव के अनुसार, संपत्ति के करयोग्य मूल्य में संशोधन करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप वर्ष 1998-99 से वर्ष 2004-05 के दौरान 30.47 लाख रुपये की राशि के संपत्ति कर की कम वसूली हुई (अनुलग्नक-XVI)।

(iv) संपत्ति 'डी' कंचनजंगा :

वर्ष 1999-2000 की पर्यवेक्षण रिपोर्ट से पता चला कि संपत्ति 63,054 रुपये प्रतिमाह पर किराये पर दी हुई थी । तद्नुसार, विभाग ने संपत्ति के करयोग्य मूल्य को 2,15,700 रुपये से बढ़ाकर 7,80,240 रुपये संशोधित करने का नोटिस फरवरी, 2000 में जारी किया। पार्टी ने प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति की (मार्च, 2000) । परंतु, मामला निपटाया नहीं गया तथा संपत्ति पर पुराने दरों पर ही कर लगाना जारी रखा गया ।

वर्ष 2002-03 में स्वामी द्वारा दायर संपत्ति कर रिर्टन से पता चला कि, संपत्ति का वर्तमान किराया 48,816 रुपये प्रतिमाह था । तद्नुसार, विभाग ने करयोग्य मूल्य 2,15,700 रुपये से संशोधित कर 5,27,213 रुपये करना प्रस्तावित किया । वर्ष 2003-04 के लिए भी स्वामी ने अपनी संपत्ति रिर्टन में 48,816 रुपये मासिक किराये की पुन: पुष्टि की (फरवरी, 2004) । इन तथ्यों के बावजूद, विभाग पिछले 6 वर्षो से करयोग्य मूल्य को संशोधित करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 6.14 लाख रुपये की राशि के संपत्ति कर की कम वसूली हुई (अनुलग्नक-XVI) ।

(v) संपत्ति 'ई', कंचनजंगा बिल्डिंग :

वर्ष 1999-2000 के लिए उपरोक्त संपत्ति का करयोग्य मूल्य 54,000 रुपये निर्धारित किया गया था । फरवरी, 2002 में किराएदार द्वारा दायर विवरण अनुसार, उसे यह संपत्ति अक्टूबर, 2001 से 23,000 रुपये मासिक किराये पर दी गई थी । इस आधार पर, अक्टूबर, 2001 से संपत्ति का करयोग्य मूल्य 2,48,400 रुपये बनता था । परंतु, विभाग ने अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत उसी भवन में दूसरे फ्लैट के तुलनात्मक किराये के आधार पर, अक्टूबर, 2001 से करयोग्य मूल्य 54,000 रुपये से बढ़ाकर 3,70,900 रुपये करने का नोटिस फरवरी, 2002 में जारी किया । किन्तु वर्ष 2001-02 के लिए करयोग्य मूल्य ना तो किरायेदार की घोषणा के आधार पर और न ही विभाग द्वारा प्रस्तावित तुलनात्मक किराये के आधार पर नियत किया जा सका ।

पूर्व प्रस्तावित करयोग्य मूल्य 3,70,900 रुपये नियत करने के निर्णय को लंबित छोड़, विभाग ने अप्रैल, 2004 से संपत्ति का करयोग्य मूल्य 54000 रुपये से संशोधित कर 4,38,400 रुपये करने का एक और नोटिस मार्च, 2005 में जारी किया । परंतु, यह करयेाग्य मूल्य भी नियत नहीं किया गया तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्धारित करयोग्य मूल्य 54000 रुपये पर ही कर लिया जाता रहा । करयोग्य मूल्य में संशोधन न करने के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे । किराएदार के विवरणानुसार भी, करयोग्य मूल्य में संशोधन न करने के परिणामस्वरुप वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान 1.41 लाख रुपये की राशि के कर की कम वसूली हुई (अनुलग्नक-XVI) ।

(vi) संपत्ति 'एफ', कंचनजंगा :

उपरोक्त संपत्ति का वर्ष 1994-95 से 1996-97 के लिए करयोग्य मूल्य अप्रैल, 1997 में 2,50,100 रुपये नियत किया गया था । परंतु, बिना किसी कारण के संशोधित करयोग्य मूल्य लागू नहीं किया गया तथा कर पूर्व मूल्य 1,70,500 रुपये पर ही लिया जाता रहा । अक्टूबर, 2001 में, पार्टी ने सूचित किया कि संपत्ति को दो भागों में विभाजित कर दो पार्टियों में हस्तांतरित कर दिया गया है । उन्होंने तद्नुसार संपत्ति के नामांतरण हेतु आवेदन दिया। विभाग ने जनवरी 2002 में संपत्ति से प्राप्त किराये की आय तथा लाभार्थियों के नामों के बारे में पूछताछ की । स्वामियों द्वारा अप्रैल, 2002 में प्रेषित किराएदार के सितम्बर, 2001 के पत्र के अनुसार प्रत्येक पार्टी को 14,717 रुपये प्रतिमाह किराये का भुगतान किया जा रहा था । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विभाग ने (मई 2002) संपत्ति को दो भागों, 903 तथा 903-अ, में विभाजित कर दिया । किन्तु वास्तविक किराये के आधार पर करयोग्य मूल्य उचित रूप से संशोधित नहीं किया गया।

चूंकि संपत्ति 29,434 रुपये प्रतिमाह (14,717 रुपये प्रत्येक हिस्से के लिए) किराए पर थी, अतः सम्पूर्ण संपत्ति का करयोग्य मूल्य 3,17,887 अथवा प्रत्येक भाग के लिए 1,58,944 रुपये बनता था । परंतु, संपत्ति के कर का निर्धारण 1,70,500 रुपये के करयोग्य मूल्य पर ही किया जाता रहा । दस्तावेज़ी साक्ष्य के आधार पर विभाग द्वारा करयोग्य मूल्य संशोधित न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2001-02 से वर्ष 2004-05 के दौरान 1.25 लाख रुपये की राशि के कर की कम वसूली हुई (अनुलग्नक-XVI) ।

(vii) संपत्ति 'जी', कंचनजंगा :

विभाग ने अप्रैल 1999 से करयोग्य मूल्य 1,01,400 रुपये को संशोधित कर 5,77,962 रुपये करने का नोटिस मार्च, 2000 में जारी किया । पार्टी ने अप्रैल, 2000 में प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति की, कि अप्रैल, 1999 से संपत्ति का किराया 9,399 रुपये से बढ़ाकर 14,085 रुपये प्रतिमाह हुआ था । इसलिए करयोग्य मूल्य 1,52,100 रुपये से अधिक नियत नहीं किया जा सकता । विभाग ने इस मामले पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की । पार्टी ने अपनी संपत्ति विवरणिका में वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान 17,771 रुपये प्रतिमाह किराये से आय की पुनः घोषणा की । यद्यपि, लगभग छः वर्ष बीत चुके हैं, विभाग ने पार्टी द्वारा घोषित किराए की आय की जॉच तथा करयोग्य मूल्य के संशोधन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की । पार्टी की घोषणा के बावजूद, पिछले छः वर्षों से करयोग्य मूल्य में संशोधन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 0.84 लाख रुपये कर की कम वसूली हुई (अनुलग्नक- XVI) ।

(viii) *संपत्ति 'एच', कंचनजंगा :*

वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के लिए वास्तविक किराए पर आधारित संपत्ति का करयोग्य मूल्य 99,570 रुपये सितम्बर, 1999 में नियत किया गया था । तत्पश्चात्, विभाग ने मार्च, 2000 में तुलनात्मक किराए के आधार पर वर्ष 1999-2000 के लिए 5,47,668 रुपये पर करयोग्य मूल्य के संशोधन का प्रस्ताव किया । पार्टी ने प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति की (अप्रैल, 2000) कि वर्ष 1999-2000 के लिए करयोग्य मूल्य सितम्बर, 1999 में पहले ही 99,570 रुपये निर्धारित कर दिया गया था । उन्होंने पुन: सूचित किया कि अप्रैल, 1999 से संपत्ति का किराया प्रतिमास 9,220 रुपये से बढ़कर 13,830 रुपये हो गया था । इसलिए करयोग्य मूल्य 1,49,364 रुपये से अधिक निर्धारित नहीं किया जा सकता । यद्यपि, लगभग पाँच वर्ष बीत चुके, अभी तक संपत्ति का करयोग्य मूल्य संशोधित नहीं किया गया तथा अभी तक कर की मांग 99,570 रुपये के करयोग्य मूल्य पर ही की जा रही थी । पार्टी की सूचना के बावजूद, पिछले पाँच वर्षो से करयोग्य मूल्य को संशोधित न करने के परिणास्वरूप वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 0.67 लाख रुपये की राशि के कर की कम वसूली हुई (अनुलग्नक- XVI) ।

(ix) *संपत्ति 'आई', अम्बा दीप :*

वर्ष 1997-98 के लिए संपत्ति का करयोग्य मूल्य लागत के आधार पर अक्टूबर, 1997 में 52000 रुपये नियत किया गया था। तत्पश्चात्, अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत करदाता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर विभाग ने अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत मार्च, 2000 में 15 नवम्बर, 1999 से करयोग्य मूल्य 52000 रुपये से संशोधित कर 2,16,000 रुपये करने के प्रस्ताव का नोटिस जारी किया । यद्यपि, पाँच वर्ष बीत चुके प्रस्तावित संशोधन जो कि करदाता की घोषणा पर आधारित था, मार्च, 2005 तक नियत नहीं किया गया था तथा वर्ष 1997-98 से 52,000 रुपये के करयोग्य मूल्य पर ही संपत्ति कर की वसूली की जा रही थी । लगभग पाँच वर्षो से करयोग्य मूल्य में संशोधन न करने के परिणामस्वरूप, वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान लगभग 1.93 लाख रुपये की राशि के कर की कम वसूली हुई (अनुलग्नक- XVI) ।

(x) *संपत्ति 'जे', अम्बा दीप :*

वर्ष 1994-95 से 1997-98 के लिए संपत्ति का करयोग्य मूल्य मार्च, 1998 में 87,300 रुपये नियत किया गया था । विभाग में उपलब्ध दिनांक मार्च, 2001 के पट्टा विलेख की प्रतिलिपि से पता चला कि संपत्ति अक्टूबर, 2000 से 14,660 रुपये के मासिक किराये पर दी हुई थी तथा तीन वर्षो के उपरान्त किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि होनी थी । इस आधार पर अक्टूबर, 2000 से सितम्बर, 2003 तक की अवधि के लिए संपत्ति का करयोग्य नूल्य 1,58,320 रुपये तथा अक्टूबर, 2003 से 1,97,910 रुपये बनता था । परंतु, पट्टा विलेख की उपलब्धता के बावजूद, संपत्ति का करयोग्य मूल्य अक्टूबर, 2000 से सितम्बर, 2003 तक 1,58,320 रुपये तथा अक्टूबर, 2003 से 1,97,910 रुपये के स्थान पर अक्टूबर, 2000 से केवल 99,100 रुपये पर

संशोधित किया गया । करयोग्य मूल्य 99,100 रुपये पर तय करने के आधार को निश्चित नहीं किया जा सका । करयोग्य मूल्य के गलत निर्धारण के परिणास्वरूप वर्ष 2000-2001 से 2004-05 के दौरान 0.70 लाख रुपये के कर की कम वसूली हुई (अनुलग्नक- XVI) ।

(xi) *संपत्ति 'के', खान मार्किट :*

वर्ष 1991-92 के लिए, संपत्ति का करयोग्य मूल्य 900 रुपये निर्धारित किया गया था । तत्पश्चात्, विभाग को यह ज्ञात हुआ (नवम्बर 2002) कि उपरोक्त संपत्ति दिसम्बर, 2001 में 14.10 लाख रुपये में दूसरी पार्टी को बेच दी गई थी । इसलिए विभाग ने वर्ष 2003-04 के लिए लागत के आधार पर करयोग्य मूल्य 900 रुपये को संशोधित कर 1,41,000 रुपये (10 प्रतिशत कम करके) तय करने का नोटिस जुलाई, 2003 में जारी किया । यद्यपि पार्टी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की थी परंतु, करयोग्य मूल्य अभी तक, संशोधित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2002-03 से 2003-04 के दौरान 0.76 लाख रुपये के कर की कम वसूली हुई (अनुलग्नक- XVI) । चूंकि विभाग ने वर्ष 2002-03 के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया था, इसलिए उस वर्ष के लिए वास्तविक कर की वसूली नहीं की जा सकती ।

इस प्रकार, उपरोक्त मामलों में संपत्तियों के करयोग्य मूल्य के संशोधन में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप 53.41 लाख रुपये की राशि के कर की वसूली नहीं हुई । इन मामलों में, दस्तावेजी साक्ष्य की उपलब्धता के बावजूद प्रस्तावित करयोग्य मूल्य नियत न करने के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

यह मामला जून, 2006 में विभाग को भेजा गया था । परंतु, उनका उत्तर अभी तक (अगस्त, 2006) प्रतीक्षित था ।

जन-स्वास्थ्य
विभाग

जन स्वास्थ्य विभाग

7.1 दूरी की गलत गणना के कारण किराए प्रभारों का आधिक्य भुगतान

आडिट में पहले भी इंगित किये जाने के बावजूद, विभाग विभिन्न सर्कलों तथा सैनेटरी लैण्डफिल स्थल के बीच वास्तविक दूरी को अधिसूचित करने में असमर्थ रहा। अधिसूचित दूरी के अभाव में वास्तव में तय की गई दूरी की उचित जांच के बिना ठेकेदार को किराये प्रभार का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2004-2005 में 14.96 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

नवम्बर, 2001 में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कूड़ा हटाने के लिए किराए पर लिए गए निजी वाहनों द्वारा तय की गई दूरी की गणना सर्कल कार्यालय से सैनेटरी लैण्डफिल स्थल तक की दूरी तथा सर्कल के अंतर्गत विभिन्न स्थानों से कूड़ा उठाने के लिए अतिरिक्त पाँच कि.मी. के आधार पर की जानी चाहिए । यह भी स्पष्ट किया गया था कि सर्कल-1 से सैनेटरी लैण्डफिल स्थल तक की दूरी 15 कि.मी. थी । इसलिए, सर्कल-1 से सैनेटरी लैण्डफिल स्थल तथा वापसी तक के एक फेरे में तय की गई कुल दूरी 35 कि.मी (15 x 2 + 5) होगी ।

मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के पैरा 7.2 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि कूड़ा हटाने के लिए किराए पर लिए गए निजी वाहनों द्वारा सर्कल-1 से सैनेटरी लैण्डफिल स्थल तक तय की गई दूरी की गणना नवम्बर 2001 में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं की गई थी । विभाग ने अन्य शेष सर्कलों के संबंध में वास्तविक प्रभार्य दूरी भी अधिसूचित नहीं की थी। अधिसूचित दूरी के अभाव में, ठेकेदारों ने विभिन्न तिथियों पर एक ही सर्कल के लिए अलग-अलग दूरियों के लिए किराए प्रभारों का दावा किया था जिसके परिणामस्वरूप किराए प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ था ।

इस संबंध में वर्ष 2004-05 के दौरान स्थिति की पुन: समीक्षा करने से ज्ञात हुआ कि आडिट द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद भी विभाग ने अभी तक सभी सर्कलों के लिए प्रभार्य दूरी अधिसूचित नहीं की थी। अधिसूचित दूरी के अभाव में, ठेकेदार द्वारा दावा की गई दूरी की उचित जाँच नहीं की गई थी और उनको विभिन्न तिथियों को विभिन्न दूरियों के लिए किराये प्रभारों का भुगतान किया गया। यह भी देखा गया कि निजी ट्रकों द्वारा दावा की गई दूरी सामान्यत: उसी सर्कल में विभागीय ट्रकों द्वारा बताई गई दूरी से अधिक थी यद्यपि विभागीय

ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी में वर्कशाप से सर्कल तक जाने तथा वापिस आने की दूरी भी सम्मिलित थी ।

वर्ष 2004-05 के दौरान छः सर्कलों से संबंधित रिकार्ड की सीमित जॉच से ज्ञात हुआ कि विभागीय ट्रकों की तुलना में ठेकेदार द्वारा दावा की गई दूरी औसतन 2.37 कि.मी. से 15.30 कि.मी. प्रति फेरा अधिक थी । विभाग ने वास्तविक दूरी की उचित जॉच तथा इतने बड़े अंतर होने के कारण की जॉच के बिना किराए प्रभारों के भुगतान की अनुमति दी । निजी ट्रकों द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी की उचित जांच के बिना निजी ट्रकों को किराये प्रभारों का भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2004-05 के दौरान निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार 10.75 लाख रुपये का गलत भुगतान किया गया :

क्र. सं.	सर्कल सं.	निजी वाहन		प्रति फेरा औसतन दूरी		प्रति फेरा में अन्तर	दूरी		अधिक	अधिक भुगतान
		संख्या	फेरा	निजी (कि.मीं)	विभागीय (कि.मी.)	(कि.मी.)	वसूल की गई (कि.मी.)	देय (कि.मी.)	(कि.मी.)	(रुपये में)
1.	III	DL-IG 8106	777	54.30	42	12.3	42192	32634	9558	139547
2.	VII	DL-IGB 2784	1002	56.30	41	15.30	56410	41082	15328	223789
		DL-IGB 4784	1012	55.49	41	14.49	56160	41492	14668	214153
3.	IX	DLIGB 8029 8027 4780	749	50.37	48	2.37	37727	35952	1775	25915
4.	X	DL-IGB 4029 4867 2187	2925	57.65	50	7.65	168629	146250	22379	326733
5.	XI	DL-IGB 4780 8029 8027 9989 2784	1478	49.78	46	3.78	73574	67988	5586	81556
6.	XIII	DL-IGB 4780	843	47.12	42	5.12	39725	35406	4319	63057
कुल योग							474417	400804	73613	1074750

(ख) पुनः, यह पाया गया कि विभाग, सर्कल-1 में लगाए गए निजी ट्रकों के संबंध में किराए प्रभारों के भुगतान को नवम्बर, 2001 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित करने में भी असमर्थ रहा।

वर्ष 2004-05 में सर्कल-1 में चार निजी ट्रक लगाए गए । इन ट्रकों द्वारा नियत 35 कि.मी. प्रति फेरा के विरूद्ध 46.26 कि.मी. से 48.23 कि.मी. प्रति फेरा की दूरी के लिए किराया प्रभार वसूल किये गये । इन ट्रकों ने वर्ष 2004-05 के दौरान 2380 फेरे लगाये थे जिसके लिए ठेकेदार को 112130 कि.मी. हेतु भुगतान दिया गया जबकि 35 कि.मी. प्रति फेरे की दर से 2380 फेरों के लिए वास्तविक भुगतान केवल 83300 कि.मी. का बनता था । इसके परिणामस्वरूप सर्कल-1 में निम्न विवरणानुसार वर्ष 2004-05 के दौरान 28830 कि.मी. के लिए 4.21 लाख रुपये के किराया प्रभारों का अधिक भुगतान किया गया :

क्र. सं.	वाहन सं.	अवधि	फेरे	दावा की गई कुल दूरी (कि.मी.में)	औसतन प्रति फेरा (कि.मी.में)	35 कि.मी. प्रति फेरे की दर पर कुल दूरी (कि. मी.में)	अतिरिक्त किलोमीटर का भुगतान	14.60 रु. प्रति कि.मी. की दर से अधिक भुगतान (रुपये में)
1.	DL-1G B-1145	अप्रैल, 04 से मार्च, 05	1044	48300	46.26	36,540 (1044x35)	11760	171696
2.	DL1G B-4783	जून, 04 से मार्च, 05	852	40766	47.85	29820 (852x35)	10946	159812
3.	DL-1G B-3780	जनवरी, 05 से मार्च, 05	231	10863	47.03	8085 (231x35)	2778	40559
4.	DL-1G 8106	जनवरी, 05 से मार्च, 05	253	12201	48.23	8855 (253x35)	3346	48852
		कुल योग	**2380**	**112130**	**47.11**	**83300**	**28830**	**420919**

इस प्रकार विभाग कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा विभिन्न सर्कलों से सैनेटरी लैण्डफिल स्थल तक तथा वापसी की उचित प्रभार्य दूरी अधिसूचित करने में असमर्थ रहा । विभाग नवम्बर, 2001 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सर्कल-1 में लगे निजी ट्रकों के किराये का भुगतान नियमित करने में भी असमर्थ रहा । मामले में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप वर्ष 2004-05 के दौरान लगभग 14.96 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मामला जून, 2006 में विभाग को भेजा गया था ।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई, 2006) में बताया कि दूरी के संबंध में ठेकेदार का दावा लॉग बुक से सत्यापित किया गया था जोकि वास्तव में तय की गई दूरी के आधार पर भरी गई थी । दूरी में अन्तर विभिन्न तथ्यों के कारण था जैसे कि रास्ते में अवरोध/रूट में परिवर्तन, त्यौहारों के दिन, रैलियाँ, पुलिस द्वारा कुछ सड़कों को बंद करना, अति-अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का आवागमन, निर्माण गतिविधियाँ आदि । विभाग ने यह भी कहा कि सभी सर्कलों के संबंध में प्रति फेरा कुल प्रभार्य दूरी की गणना करने के लिए आडिट का परामर्श नोट कर लिया गया है तथा इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रयास किए जायेंगे। यद्यपि कभी-कभी ऐसा करना उपरोक्त वर्णित तथ्यों के कारण कठिन हो सकता है।

विभाग की टिप्पणियाँ स्वीकार्य नहीं है । दूरी में विभिन्नता हेतु विभाग द्वारा दिए गए कारण सामान्य प्रकृति के हैं । ऐसे अवसर कभी-कभी ही हो सकते हैं जबकि ट्रकों ने रूट में परिवर्तन आदि के कारण लम्बी दूरी तय की हो । ऐसे मामलों में, अतिरिक्त दूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए । सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अभाव में, इसकी वैधता सुनिश्चित नहीं हो सकती। पुन:, ऐसी स्थिति में निजी तथा विभागीय ट्रक समान रूप से प्रभावित होने चाहिए । अत: विभागीय ट्रकों की तुलना में निजी ट्रकों द्वारा उसी सर्कल में अतिरिक्त दूरी का दावा न्यायोचित नहीं था।

पुन:, चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, विभाग ने विभिन्न सर्कलों से सैनेटरी लैण्डफिल स्थल (सर्कल-1 के अतिरिक्त) तक की वास्तविक प्रभार्य दूरी अधिसूचित नहीं की। अधिसूचित दूरी के अभाव में, ठेकेदारों के दावों की उचित जाँच संभव नहीं थी।

मीनाक्षी गुप्ता

(मीनाक्षी गुप्ता)
मुख्य लेखा परीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: सितम्बर, 2006

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

(पैरा 1.16.4.ख (क))

शून्य व्यय वाले लेखा शीर्षों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.स.	लेखाशीर्ष	बजट अनुमान 2004-05	संशोधित अनुमान 2004-05
1	सी.1.11.यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (प्रशा.वि.)	1.00	1.00
2	सी.3.8. (II) मानव संसाधन विभाग	23.50	7.50
3	सी.3.9(सी) मृतक के परिवारजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान	11.00	10.00
4	सी.7.5 (II) खेल एवं क्रीड़ा	10.00	10.00
5	सी.7.5.(v) ग तथा घ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु क्लब की संस्थापना	10.00	1.00
6	सी.7.6 (1) क्षतिपूर्ति का भुगतान	10.00	10.00
7	सी.7.10 पहाड़ी स्थानों पर न.दि.न.पा.परिषद् कर्मचारियों हेतु होलीडेहोम	10.00	10.00
8	डी.1.3.5 (1) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें	1.00	1.00
9	डी.1.3. (XIII) खेल का सामान	1.00	1.00
10	डी.1.4.9.(II)(जी) अवकाश यात्रा रियायत	0.20	0.10
11	डी.4.9 (II)(ए) वेतन एवं भत्ता	8.92	9.77
12	डी.1.6.4(ए) समाज शिक्षा	--	2.00
13	डी.1.6.4(बी) श्रम कल्याण विभाग	--	1.00
14	डी.1.7.6 मेधावी छात्रवृत्ति सेमीनारों का आयोजन	1.00	1.00
15	डी.1.7.ए(1) वेतन एवं भत्ते	8.66	9.63
16	डी.1.8.1 वेतन एवं भत्ते	1.33	1.43
17	डी.1.10.14 अवकाश यात्रा रियायत	0.20	2.00
18	डी.1.19.1 वेतन एवं भत्ते	18.16	20.44
19	डी.1.20.4 अन्य प्रभार (न.दि.न.पा.परि. स्कूलों में योग शिक्षा आरम्भ करना)	2.00	2.00
20	डी.2.3.13 मूल कार्य (पूंजी)	24.00	19.00
21	डी.2.4.8 मूल कार्य (पूंजी)	1.00	6.00
22	डी.2.5.8 मूल कार्य (पूंजी)	1.00	1.00
23	डी.2.8.11 अवकाश यात्रा रियायत	1.40	1.40
24	डी.2.10.6 बोनस	--	2.07
25	डी.2.17.4 सुरक्षा उपकरणों का क्रय	10.00	1.00
26	डी.2.17.7 डीजल पम्पों की मरम्मत एवं रखरखाव	0.50	1.00
27	डी.2.17.10 अन्य प्रभार	3.00	1.00
28	डी.2.17.12 (ए) पुराने सीवरों का पुर्नस्थापन (संशोधित) (पूंजी)	2.00 --	-- 500.00
29	डी.2.17.14 पिकअप वैन/वाहनों का क्रय	4.00	4.00
30	डी.2.17.15 पम्पों का क्रय	6.00	6.00
31	डी.2.18.4 वैनों की मरम्मत एवं रखरखाव	1.00	1.00
32	डी.2.20.1 वेतन एवं भत्ते (आवारा कुत्तों का जन्म नियंत्रण)	10.68	11.15
33	डी.4.1.4 रखरखाव (सिविल)	10.00	10.00
34	डी.4.1.6 मूल कार्य (पूंजी)	18.00	9.50
35	डी.4.3.1 शव वाहन सेवाएं (वेतन एवं भत्ते)	11.25	12.42
36	डी.4.3.9 अवकाश यात्रा रियायत	1.00	1.00
37	डी.4.4.7 सड़क पटरी पर जल छिड़काव हेतु वाटर टैंकर सहित वाहनों का क्रय	25.00	1.00
38	डी.4.4.9 संयंत्र तथा उपकरणों का क्रय	15.00	1.00
39	डी.4.5.1 पशु बाड़ा (वेतन एवं भत्ते)	54.34	59.07

40	डी.4.5.6 अनुग्रह राशि	1.07	1.09
41	डी.4.6.6.10 मूल कार्य (पूंजी)	5.00	3.00
42	डी.4.11.3 झुग्गी झोपड़ी समूहों की पुर्न स्थापना	40.00	4.00
43	डी.4.13.6 अवकाश यात्रा रियायत	1.00	1.00
44	डी.8.7 अवकाश यात्रा रियायत	1.11	1.00
45	ई-2.1. बिजली/पानी प्रभार बिल के कम्प्यूटरीकरण हेतु भुगतान	10.00	5.00
46	एफ.10 पिकअप वैनों का क्रय	5.00	5.00
47	जी 1.1.3 कार्यालय फर्नीचर तथा उपकरणां एवं संयंत्रों की केनिंग तथा मरम्मत	--	1.00
48	एच 1.4 भवन की मरम्मत तथा रखरखाव (II) विशेष मरम्मत (III) व्यवसायिक परियोजनाओं की मरम्मत	 30.00 10.00	 20.00 10.00
49	एच 2.6 सिविल अभियंत्रण विभाग(मशीनों तथा उपकरण का क्रय	1.00	1.00
50	एच 3.4 (ए) दि.वि.प्रा. को भुगतान	1.00	1.00

अनुलग्नक-II

(पैरा 1.16.4 ख(ग))

संशोधित अनुमानों से लगातार 50 प्रतिशत से अधिक बचत वाले लेखाशीर्षों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं0	लेखाशीर्ष	बजट अनुमान 2004-2005	संशोधित अनुमान 2004-2005	वास्तविक 2004-2005	बचत	प्रतिशत
1	ए 1.4 अन्य प्रभार	16.00	2.00	0.46	1.54	77.00
2	ए 1.5 अनुग्रह राशि	1.30	1.24	1.16	0.08	64.52
3	ए 1.7 मानदेय/समयोपरि भत्ता	10.00	10.00	1.51	8.49	84.90
4	ए 1.8 अवकाश यात्रा रियायत	1.00	1.00	0.05	0.95	95.00
5	सी 2.4 अन्य प्रभार	3.00	2.00	0.25	1.75	87.50
6	सी 2.9 अवकाश यात्रा रियायत	1.00	0.40	0.01	0.39	97.50
7	सी 3.8(XIII) अग्निरोधी	10.00	60.00	19.24	40.76	67.93
8	सी 3.16 लेखा की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को अपनाना	100.00	70.00	14.24	55.76	79.66
9	सी 4.4. (I) वादों के लिए शुल्क	5.00	5.00	0.74	4.26	85.20
10	सी 4.8 अवकाश यात्रा रियायत	1.05	0.50	0.02	0.48	96.00
11	सी 5.7 बोनस	0.10	0.09	0.03	0.06	66.67
12	सी 6.4 फोटोग्राफी उपकरण तथा टेपरिकार्डर के क्रय सहित प्रचार हेतु योजना	2.00	2.00	0.49	1.51	75.50
13	सी 6.6 जीपों की मरम्मत एवं परिचालन	1.00	0.50	0.09	0.41	82.00
14	सी 7.11 प्रबन्धन बैठक	1.00	1.00	0.31	0.69	69.00
15	सी 7.17 अवकाश यात्रा रियायत	0.25	0.20	0.01	0.19	95.00
16	सी 8.8 मानदेय/समयोपरि भत्ता	1.00	1.00	0.46	0.54	54.00
17	सी 10.7 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0.20	0.05	0.01	0.04	80.00
18	सी 11 पंजाबी का प्रचार	1.00	1.50	0.66	0.84	56.00
19	सी 12.7 अन्य प्रभार	33.00	30.00	12.15	17.85	59.50
20	सी 14.7 अन्य प्रभार	4.00	4.00	1.43	2.57	64.25
21	सी 14.11 बोनस	0.12	0.12	0.05	0.07	58.33
22	सी 14.13 अवकाश यात्रा रियायत	0.75	0.75	0.10	0.65	86.67
23	सी 14.15 भवन एवं रख रखाव	8.00	8.00	0.48	7.52	94.00
24	सी 15.1 वेतन एवं भत्ते	62.99	37.56	17.11	20.45	54.45
25	सी 15.4 कम्पयूटरों की संस्थापना	600.00	353.00	133.46	219.54	62.19
26	सी 15.5 अन्य प्रभार	50.00	25.00	1.23	23.77	95.08
27	डी 1.1.6 (जीपों की मरम्मत एवं रखरखाव)	1.00	1.00	0.44	0.56	56.00
28	डी 1.1.8 बोनस	0.58	0.75	0.12	0.63	84.00
29	डी 1.1.11 अवकाश यात्रा रियायत	0.50	1.00	0.02	0.98	98.00
30	डी 1.2.4 छात्रवृत्ति	1.00	0.20	0.06	0.14	70.00
31	डी 1.2.5 वैज्ञानिक उपकरण	1.00	1.00	0.47	0.53	53.00
32	डी 1.2.8(i)पुस्तकालय पुस्तकें	2.00	2.00	0.98	1.02	51.00
33	डी 1.2.8(ii)फर्नीचर तथा उपकरण की मरम्मत का क्रय	1.00	0.50	0.06	0.44	88.00
34	डी 1.2.15 मानदेय/समयोपरि भत्ता	2.00	2.00	0.68	1.32	66.00
35	डी 1.2.16 अवकाश यात्रा रियायत	3.00	3.00	1.31	1.69	56.33
36	डी 1.2.ए.4 अन्य प्रभार	2.50	2.00	0.07	1.93	96.50
37	डी 1.2.ए.11 अवकाश यात्रा रियायत	2.00	2.00	0.54	1.46	73.00
38	डी 1.3.5 (V) अन्य मदें	3.00	2.00	0.77	1.23	61.50

39	डी 1.3.6 मूल कार्य(पूंजी)	61.00	36.50	3.93	32.57	89.23
40	डी 1.3.8 प्ररम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार	60.00	60.00	15.70	44.30	73.83
41	डी 1.3.12 अवकाश यात्रा रियायत	1.00	1.00	0.22	0.78	78.00
42	डी 1.4.5(III) नि:शुल्क वर्दी	25.00	20.00	1.06	18.94	94.70
43	डी 1.4.5(VIII) अन्य मदें	5.00	5.00	1.46	3.54	70.80
44	डी 1.4.6 डा.लेन स्थित आर.एम.बालिका प्रथमिक स्कूल नं.1, को अनुदान सहायता	32.00	37.36	14.85	22.51	60.25
45	डी 1.4.7 मूल कार्य(पूंजी)	137.50	56.70	23.55	33.15	58.47
46	डी 1.4.7 ए अनुग्रह राशि	4.88	4.90	2.34	2.56	52.24
47	डी 1.4.9(ii) डी बोनस	0.12	0.12	0.02	0.10	83.33
48	डी 1.5.4 अन्य प्रभार	4.50	1.90	0.32	1.58	83.15
49	डी 1.5.12 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0.10	0.10	0.02	0.08	80.00
50	डी 1.5.13 अवकाश यात्रा रियायत	0.40	1.00	0.11	0.89	89.00
51	डी 1.6.6 समाज शिक्षा हेतु योजना	2.00	2.00	0.04	1.96	98.00
52	डी 1.7.4 अन्य प्रभार	0.50	0.50	0.15	0.35	70.00
53	डी 1.7.7.1 वेतन एवं भत्ते	2.54	2.85	0.02	2.83	99.30
54	डी 1.7.7.7(क) कार्य अनुभव एवं अभिरुचि योजनाएं	1.00	2.00	0.46	1.54	77.00
55	डी 1.10.5 वैनों का परिचालन एवं रखरखाव	1.00	1.00	0.01	0.99	99.00
56	डी 1.10.11 अनुग्रह राशि	0.43	0.42	0.20	0.22	55.00
57	डी 1.14.4 अन्य प्रभार	2.50	2.50	0.73	1.77	70.80
58	डी 1.16.1 वेतन एवं भत्ते	28.10	30.30	11.49	18.81	62.08
59	डी 1.16.6 बोनस	0.15	0.15	0.02	0.13	86.67
60	डी 1.19.4 अन्य प्रभार	3.50	3.50	1.62	1.88	53.71
61	डी 1.26 शैक्षिक व्यावसायिक दिशा निर्देश	7.00	5.00	2.49	2.51	50.20
62	डी 2.1.10 बोनस	0.29	0.29	0.14	0.15	51.72
63	डी 2.1.12 अवकाश यात्रा रियायत	1.78	2.20	0.82	1.38	62.73
64	डी 2.1.13 यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	0.50	0.50	0.12	0.38	76.00
65	डी 2.2.11 मूल कार्य (पूंजी)	20.00	9.00	2.35	6.65	73.89
66	डी 2.2.11 सी मानदेय/समयोपरि भत्ता	0.55	0.55	0.04	0.51	92.73
67	डी 2.2.ए.12 अस्पताल के कूड़े का निपटान	13.00	7.00	3.26	3.74	53.43
68	डी 2.2.ए 13 ईपीएबी एक्स/टेलीफोन प्रभार	1.00	1.00	0.23	0.77	77.00
69	डी 2.3.20 अवकाश यात्रा रियायत	6.00	6.00	2.11	3.89	64.83
70	डी 2.4.13 अवकाश यात्रा रियायत	1.55	1.55	0.14	1.41	90.97
71	डी 2.5.6 अन्य प्रभार	0.30	0.30	0.01	0.49	96.67
72	डी 2.5.13 अवकाश यात्रा रियायत	1.50	1.50	0.30	1.20	80.00
73	डी 2.7.1 वेतन एवं भत्ते	22.79	16.88	7.87	9.01	53.38
74	डी 2.7.7 अनुग्रह राशि	0.10	0.13	0.05	0.08	61.54
75	डी 2.7.8 बोनस	0.34	0.27	0.03	0.24	88.89
76	डी 2.7.9 वैनों को चलाना एवं रखरखाव	0.25	0.25	0.03	0.22	88.00
77	डी 2.12.6 अन्य प्रभार	1.25	1.15	0.54	0.61	53.04
78	डी 2.12.15 अवकाश यात्रा रियायत	2.50	2.52	0.21	2.31	91.67
79	डी 2.13.1 वेतन एवं भत्ते	27.64	31.39	2.94	28.45	90.63
80	डी 2.13.8 बोनस	0.20	0.20	0.05	0.15	75.00
81	डी 2.15.1 वेतन एवं भत्ते	116.64	127.75	39.44	88.31	69.13
82	डी 2.15.9 अनुग्रह राशि	1.03	1.06	0.20	0.86	81.13
83	डी 2.15.12 अवकाश यात्रा रियायत	2.95	2.25	0.19	2.06	91.56
84	डी 2.16.13 कूड़ेदानों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव	2.00	7.00	0.06	6.94	99.14
85	डी 2.16.17 अवकाश यात्रा रियायत	24.80	23.61	0.85	22.76	96.40

86	डी 2.18.11 अवकाश यात्रा रियायत	0.24	0.24	0.02	0.22	91.67
87	डी 2.19.7 अन्य प्रभार	10.00	3.00	2.00	1.00	67.67
88	डी 2.19.13 अवकाश यात्रा रियायत	1.20	1.20	0.10	1.10	91.67
89	डी 2.20.9 अवकाश यात्रा रियायत	0.20	0.20	0.01	0.19	95.00
90	डी 2.21.7 स्वास्थ्य शिक्षा यूनिट का सशक्तिकरण	10.00	10.00	4.98	5.02	50.20
91	डी 2.21.9 बोनस	0.17	0.15	0.02	0.13	86.67
92	डी 3.1.4 अन्य प्रभार	1.00	1.00	0.45	0.55	55.00
93	डी 3.1.15 अवकाश यात्रा रियायत	1.00	0.50	0.02	0.48	96.00
94	डी 4.1.1 वेतन एवं भत्ते	65.44	71.40	28.05	43.35	60.71
95	डी 4.1.9 अनुग्रह राशि	0.94	0.79	0.29	0.50	63.29
96	डी 4.1.10 बोनस	0.20	0.29	0.13	0.16	55.17
97	डी 4.2.1.5 अन्य प्रभार	3.00	0.50	0.18	0.32	64.00
98	डी 4.2.2.7 बोनस	0.57	0.45	0.19	0.26	57.78
99	डी 4.3.5 वैनों को चलाना एवं रखरखाव	0.50	0.50	0.15	0.35	70.00
100	डी 4.4.4 बी सिविल	30.00	30.00	9.42	20.58	68.06
101	डी 4.4.13 खाद संयंत्र (पूंजी)	50.00	5.00	0.07	4.93	98.60
102	डी 4.4.14 मानदेय/समयोपरि भत्ता	5.00	5.00	0.45	4.55	91.00
103	डी 4.6.4 ए वैनों को चलाना एवं रखरखाव	2.00	2.00	0.60	1.40	70.00
104	डी 4.6.7.1 वेतन एवं भत्ते	34.10	37.94	4.99	32.95	86.85
105	डी 4.7.1 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थापना	12.00	8.00	3.80	4.20	52.50
106	डी 4.7.2 समाज कल्याण समिति	30.00	30.00	1.58	28.42	94.73
107	डी 4.12.1 मूल कार्य (पूंजी)	527.50	250.00	102.97	147.03	58.81
108	डी 8.1 वेतन एवं भत्ते	56.96	59.00	0.52	58.48	99.12
109	डी 8.3 अन्य प्रभार	50.00	50.00	7.63	42.37	84.74
110	ई 1.2 भविष्य निधि में अंशदान	4.00	4.00	0.02	3.98	99.05
111	ई 4.3 उपकरण एवं संयंत्र	--	31.40	0.27	31.13	99.14
112	ई 6(VII) सामान्य भण्डारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान	0.50	0.50	0.01	0.49	98.00
113	ई 11 भण्डार का क्रय	500.00	500.00	46.39	453.61	90.72
114	एफ 11 मूल कार्य (पूंजी)	127.00	81.00	40.30	4070	50.25
115	एफ 14 बोनस	12.25	15.46	0.33	15.13	97.86
116	एफ 16 अवकाश यात्रा रियायत	5.00	10.00	1.14	8.86	88.60
117	जी 1.1.4 कास्टिंग यार्ड को चलाना एवं रखरखाव	15.00	20.00	8.77	11.23	56.15
118	जी 2.5 टॉवर लैडर्स का क्रय	16.00	12.00	0.15	11.85	98.75
119	एच 1.8 मूल कार्य	1238.00	675.62	337.17	338.45	50.09
120	एच 1.13 भण्डारों का परिचालन एवं रखरखाव	4.50	5.50	2.04	3.46	62.91
121	एच 1.13 ए सामान परीक्षण प्रयोगशाला का परिचालन व रखरखाव	5.00	5.00	0.98	4.02	80.40
122	एच 1.19 मानदेय/समयोपरि भत्ता	15.00	15.00	6.21	8.79	58.60
123	एच 1.21 यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	1.00	1.00	0.25	0.75	75.00
124	एच 2.5 वैनों को चलाना एवं रखाव	7.00	5.00	1.99	3.01	60.02
125	एच 2.12 मानदेय/समयोपरि भत्ता	1.00	1.00	0.06	0.94	94.00
126	एच 2.13 अवकाश यात्रा रियायत	2.95	3.00	0.05	2.95	98.33
127	एच 3.8 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0.50	0.50	0.22	0.28	56.00
128	एच 3.10 यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	1.50	1.50	0.13	1.37	91.33
129	आई (ए) वाहनों का क्रय	30.00	30.00	3.00	27.00	90.00
130	आई (बी) गृह निर्माण अग्रिम	40.00	40.00	1.33	38.67	96.67
131	आई (डी) कम्प्यूटर क्रय अग्रिम	2.00	1.50	0.56	0.94	62.67

अनुलग्नक-III

(पैरा 1.16.4 ख (घ))

संशोधित अनुमानों से लगातार 50 प्रतिशत से अधिक बचत वाले लेखाशीर्षों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र0सं0	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत प्रतिशत में
1	डी 1.25 शिक्षा पद्धति	2002-03	--	5.00	--	5.00	100.00
		2003-04	--	1.00	--	1.00	100.00
		2004-05	1.00	0.10	--	0.10	100.00
2	सी 2.4 अन्य प्रभार	2002-03	1.00	3.00	0.30	2.70	90.00
		2003-04	3.00	3.00	0.47	2.53	84.33
		2004-05	3.00	2.00	0.25	1.75	87.50
3	सी 12.7 अन्य प्रभार	2002-03	28.00	30.00	10.10	19.90	66.33
		2003-04	32.00	32.00	10.26	21.74	67.94
		2004-05	33.00	30.00	12.15	17.85	59.50
4	डी 1.2.ए.12 पुस्तकालय फर्नीचर	2002-03	2.00	1.00	--	1.00	100.00
		2003-04	1.00	1.00	--	1.00	100.00
		2004-05	1.00	0.20	--	0.20	100.00
5	डी 1.2.ए.12 खेद-कूद का सामान	2002-03	2.50	2.00	--	2.00	100.00
		2003-04	1.00	2.00	--	2.00	100.00
		2004-05	1.00	0.20	--	0.20	100.00
6	डी 1.3.6 मूल कार्य (पूंजी.)	2002-03	56.00	59.20	8.99	50.21	84.81
		2003-04	69.00	65.50	13.80	51.70	78.93
		2004-05	61.00	36.50	3.93	32.57	89.23
7	डी 1.4.7 मूल कार्य (पूंजी)	2002-03	109.00	132.50	15.81	116.69	88.07
		2003-04	223.00	157.00	30.42	126.58	80.62
		2004-05	137.50	56.70	23.55	33.15	58.47
8	डी 2.17.4 सुरक्षा उपकरणों का क्रय	2002-03	5.00	4.00	0.71	3.29	82.25
		2003-04	4.00	4.00	--	4.00	100.00
		2004-05	10.00	1.00	--	1.00	100.00
9	डी 2.18.4 वैनों को चलाना एवं रखरखाव	2002-03	1.00	1.00	--	1.00	100.00
		2003-04	1.00	1.00	--	1.00	100.00
		2004-05	1.00	1.00	--	1.00	100.00
10	डी 4.2.1.5 अन्य प्रभार	2002-03	3.00	2.00	0.21	1.79	89.50
		2003-04	4.00	1.00	0.17	0.83	83.00
		2004-05	3.00	0.50	0.18	0.32	64.00
11	डी 4.4.4. बी- सिविल	2002-03	50.00	50.00	19.08	30.92	61.84
		2003-04	30.00	75.00	17.05	57.95	77.27
		2004-05	30.00	30.00	9.42	20.58	68.06
12	डी 4.4.8 उपकरणों का क्रय	2002-03	15.00	20.00	1.11	18.89	94.45
		2003-04	15.00	10.00	--	10.00	100.00
		2004-05	9.00	0.10	--	0.10	100.00
13	जी 1.1.4 कास्टिंग यार्डो को चलाना तथा रखरखाव	2002-03	20.00	20.00	5.05	14.95	74.75
		2003-04	20.00	20.00	7.10	12.90	64.50
		2004-05	15.00	20.00	8.77	11.23	56.15
14	एच 1.13 भण्डारों को चलाना तथा रखरखाव	2002-03	4.00	5.00	0.64	4.36	87.20
		2003-04	4.00	5.00	0.11	4.89	97.80
		2004-05	4.50	5.50	2.04	3.46	62.91
15	डी 1.5.4 अन्य प्रभार	2002-03	6.50	2.70	0.26	2.44	90.37
		2003-04	4.50	3.30	1.10	2.20	66.67
		2004-05	4.50	1.90	0.32	1.58	83.15
16	डी 4.1.6 मूल कार्य (पूंजी)	2002-03	9.00	15.00	2.18	12.82	85.47
		2003-04	20.50	21.00	0.04	20.96	99.81
		2004-05	18.00	9.50	--	9.50	100.00
17	डी 2.11 महत्त्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण	2002-03	15.91	14.08	2.17	11.91	84.59
		2003-04	13.81	13.96	(-)0.11	14.07	100.79
		2004-05	25.18	21.76	4.58	17.18	78.95

अनुलग्नक-IV
(पैरा 1.16.4 ख (ड))

आधिक्य व्यय के लेखाशीर्षों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं0	लेखाशीर्ष	बजट अनुमान. 2004-05	संशोधित अनुमान 2004-05	वास्तविक 2004-05	संशोधित अनुमान से अधिकतम व्यय	प्रतिशत
1	सी 3.8 (II) (ए) टेलीफोन प्रभार/ पीबी एक्स विद्युत भवन	13.00	10.75	23.18	12.43	115.63
2	सी 3.15 (अवकाश यात्रा रियायत)	6.46	3.00	6.49	3.49	116.33
3	सी 3.17 (यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता)	1.50	0.50	3.54	3.04	608.00
4	सी 7.1 (वेतन एवं भत्ते)	21.47	23.28	49.59	26.31	113.02
5	सी 7.5(ग) खेल एवं क्रीड़ा(पूंजी)	7.00	1.00	2.94	1.94	194.00
6	डी 1.1.4 (अन्य प्रभार)	60.00	60.00	85.67	25.67	42.78
7	डी 1.4.7 सी (मानदेय/समयोपरि भत्ता)	6.00	1.00	3.17	2.17	217.00
8	डी 1.6.1 (वेतन एवं भत्ते)	105.92	93.62	133.44	39.82	42.53
9	डी 1.7.1 (वेतन एवं भत्ते)	4.82	5.38	17.97	12.59	234.01
10	डी 2.2.11 डी (अवकाश यात्रा रियायत)	2.00	2.00	3.71	1.71	85.50
11	डी 2.16.12 सफाई योजना का मशीनीकरण	30.00	20.00	58.25	38.25	191.25
12	डी 2.17.9 (वैनों को चलाना एवं रखरखाव	2.00	3.00	5.06	2.06	68.67
13	डी 2.17.11(ए) बाढ़रोधी	462.00	55.50	88.78	33.25	59.91
14	डी 4.2.2.1(वेतन एवं भत्ते)	24.31	22.20	49.81	27.64	124.37
15	डी 4.2.5.1 (वेतन एवं भत्ते)	9.24	7.33	9.18	1.85	25.24
16	डी 4.6.1 (वेतन एवं भत्ते)	28.75	31.50	48.00	16.50	52.38
17	डी 7.4 (इन्डोर स्टेडियम का रखरखाव)(विद्युत भवन)	30.00	25.00	33.97	8.97	35.88
18	ई 6(I)(ए) वाहनों का क्रय	25.00	6.00	11.58	5.58	93.00
19	एफ 13 अनुग्रह राशि	9.09	4.51	16.72	12.21	270.73
20	एच 1.5 भूमि हेतु भूमि का किराया क) सिविल ख) उद्यान ग) खाद संयंत्र	38.41	 21.40 0.05 3.39	41.93	17.09	68.80
21	एच 1.7 अन्य प्रभार	300.00	200.77	314.22	113.45	56.51
22	एच 1.8.ए (सड़क एवं नालों के साथ पर्यावरण सुधार)	25.00	20.00	197.39	177.39	886.95
23	एच 1.20 अवकाश यात्रा रियायत	5.00	5.00	6.26	1.26	25.20

अनुलग्नक-V

(पैरा- 2.1.5.क.1.3 (ड.))

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा कार्यस्थल कार्यालय पर किया गया व्यय

क्र सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	व्यय (रुपये में)
1.	नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण के कार्यस्थल कार्यालय के बैठक कक्ष में सूती परदे लगाना	श्रीमती किरन गुप्ता	4,738
2.	नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण के अस्थाई कार्यालय में कॉयर मैट उपलब्ध कराना	मैसर्स केरला स्टेट कायर कारपोरेशन लि.	18,015
3.	बैठक कक्ष में खिड़कियाँ लगाना	श्री रोशन लाल शर्मा	2,590
4.	परियोजना के कार्यस्थल के कार्यालय की मरम्मत	मै. पी.के. इंटरप्राइजेज	6,605
5.	नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण की परियोजना के कार्यस्थल पर कार्यालय का नवीकरण	मै. मैक बिल्डर्स	24,403
6.	परियोजना कार्यालय-स्थल कार्यालय में कृत्रिम छत बनाना	मै. विजय कुमार	18,111
		योग	74,462

अनुलग्नक- VI
(पैरा-2.1.5.क.1.4)

असामान्य रूप में उच्च दर पर निष्पादित मदों का विवरण

मद संख्या तथा इकरार के अनुसार विवरण	दर (रुपये में)	इकरार के अनुसार मात्रा	इकरार के अनुसार राशि (रुपये में)	वास्तविक निष्पादित मात्रा	भुगतान की गई राशि (रुपये में)	अन्तर (रुपये में)
2(बी) 37.5 से.मी. व्यास के बल्ब	4822 एफआर' 3617 पी आर'	114	549708	497 10	2432704	1882996
7 आरसीसी अथवा आरबी कार्य में प्रबलित खम्भों की कटाई हेतु अतिरिक्त	177	193 वर्ग मी	34161	220.23 वर्ग मी.	38981	4820
9 आर.सी.सी. खम्भों के अंतर्गत यथावत निर्मित की कम अथवा अधिक गहराई करने हेतु बढ़ाना अथवा घटाना (ख) 37.5 से. मी. व्यास के खम्भे	641 एफ आर 570 पी आर	37 मी	23717	41.06 वर्ग मी. 166.56 वर्ग मी.	121259	97542
16 समतल सतह पर 20 मि मी मोटी 1.4 सीमेंट कंकरीट वाली पहली सतह पर समस्त(सम्पूर्ण) एक्रिलिक आधारित जलरोधी उपचार करना।	520 पी आर 531एफ आर 500 पी आर	12842 वर्ग मी.	6677840	13582.57 वर्ग मी. 250.60 वर्ग मी.	7188236	510396
36 सैन्टरिंग तथा शटरिंग तथा पुश्ताबन्दी इत्यादि सहित। के लिए ढांचे को हटाना (ख) पलास्तर, ईंट गारे की चिनाई, कुर्सी क्षेत्र तथा दरारें भरने संबंधी अन्य कार्यों सहित दीवारें (कितनी भी मोटाई हो)	77 एफ आर 75 पी आर	65653 वर्ग मी	4923975	72035.95 वर्ग मी.	5402696	478721
(घ) लिन्टेल, बीम्स, गर्डर एवं छज्जा	94 एफ आर 84 पीआर	12572 वर्ग मी.	1181768	12573 वर्ग मी. 9547.20 वर्ग मी.	1983827	802059
119. सीमेंट की पटरी पर बिछाई गई पत्थर की स्लेबों को तोड़ना तथा 50 मी. के क्षेत्र में अनुपयोगी सामग्री के निपटान एवं उपयोगी सामग्री का चट्टा लगाने सहित	18	200 वर्ग मी.	3600	492.33 वर्ग मी.	8862	5262
योग			**13394769**		**17176565**	**3781796**
0.22 प्रतिशत की दर से छूट			**29468**		**37788**	**8320**
निवल राशि			**13365301**		**17138777**	**3773476**

'एफ आर का अर्थ पूर्ण दरें तथा पी आर का अर्थ अशत: दरों से है।

अनुलग्नक-VII
(पैरा- 2.1.5.क.1.4)

असामान्य निम्न दर पर निष्पादित/गैर निष्पादित मदें

मद संख्या तथा इकरार के अनुसार विवरण	दर (रुपये में)	इकरार के अनुसार मात्रा	इकरार के अनुसार राशि (रुपये में)	वास्तविक निष्पादित मात्रा	देय राशि (रुपये में)	अंतर (रूपये में)
3 खम्भे के दबाव भार परीक्षण करना (क) 50 से मी व्यास	27115	4.	108460	2	54230	54230
9 आरसीसी खम्भों के अंतर्गत यथावत् निर्मित की अधिक अथवा कम गहराई हेतु बढ़ाना अथवा घटाना (क) 50 से मी व्यास के खम्भे	292	152 मी.	44384	45.9 मी.	13403	30981
35 एम 20 ग्रेड के सीमेंट के स्थान पर एम 40 सीमेंट कंकरीट हेतु अतिरिक्त	397	50 सेंमी.	19850	शून्य	शून्य	19850
40 बिजली के वैल्डिंग द्वारा स्टील की लैप वैल्डिंग						
(क) 32 मि. मी. व्यास छड़े	118	75 मी.	8850	शून्य	शून्य	8850
(ख) 28 मि. मी. व्यास छड़े	112	75 मी.	8400	शून्य	शून्य	8400
(ग) 25 मि. मी. व्यास छड़े	106	75 मी.	7950	शून्य	शून्य	7950
(घ) 20 मि. मी. व्यास छड़े	106	75 मी.	7950	शून्य	शून्य	7950
(ङ) 16 मि. मी. व्यास छड़े	100	75 मी.	7500	शून्य	शून्य	7500
46 पीवीसी वाटर स्टाप्स सही स्थिति में लगाना	230	552 मी.	126960	शून्य	शून्य	126960
50 सतह को अपेक्षित रूप से काट एवं सतहीकरण कर नक्शे के अनुरूप अनुमोदित निओप्रिन युक्त पैड्स का प्रावधान कर सही स्थिति में लगाना।	01	55200 क्यू.मी.	55200	शून्य	शून्य	55200
64 40 से. मी. लम्बे एवं 40 गुणा 3 मि. मी. के सीधे मजबूत लोहे का प्रावधान	15	2058	30870	शून्य	शून्य	30870
68 एल्यूमिनियम हेन्डलों को लगाना	26	343	8918	शून्य	शून्य	8918
98 45गुणा45 से. मी. आकार के खुरा बनाना	53	266	14098	शून्य	शून्य	14098
102 बाहरी आर. सी. सी. की सतह की फिनीशींग हेतु अतिरिक्त	130 एफआर 125 पीआर 50 पीआर	24012 वर्ग मी.	3001500	6347..91 681.80	827579	2173921
111 आर. सी. सी. की गहरी भूमिगत नीव को हटाना	171 पी आर 177 एफ आर	350 क्यू.मी.	59850	253.04 क्यू.मी.	43270	16580
118 50 मी. के भीतर अनुपयोगी सामान के निपटान सहित डब्ल्यू बी एम सड़क की कटाई	20 पी आर 24 एफ आर	2000 वर्ग मी	40000	1365.91 वर्ग मी	27318	12682
योग			**3550740**		**965800**	**2584940**
0.22 प्रतिशत की दर से छूट			**7812**		**2125**	**5687**
निवल राशि			**3542928**		**963675**	**2579253**

- **एफ आर का अर्थ पूर्ण दरें तथा पी आर का अर्थ अंशतः दरें।**

अनुलग्नक-VIII

(पैरा- 2.1.5.क.1-5 (i), (ii) एवं (iii))

मै.एन.बी.सी.सी.लि. को भुगतान किये गये विशेष अग्रिम तथा गतिशीलता (मोबिलाइजेशन) अग्रिम तथा वसूली का विवरण दर्शाती विवरणिका

बिल क्र सं. तथा दिनांक	एमबी क्रं. तथा पृष्ठ	अग्रिम की राशि		वसूली			
				गतिशील अग्रिम		विशेष अग्रिम	
		गतिशील (रुपये में)	विशेष (रुपये में)	मूलधन (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	मूलधन (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)
07.10.94	5598/पी.4	5500000	.	.	.		
पहला/16.2.95	.	.	.	.	.		
दूसरा/03.05.95	2/पी.11	.	.	49300	370685		
जुलाई 95		2000000	.	.			
अगस्त 95		1500000	.	.			
सितम्बर 95		1600000	.	.			
तीसरा/28.9.95	2/21	.	.	215000	257568		
15 नवम्बर.95		400000	.	.	.		
चौथा 13/12/95	2/33	.	.	143327	305344		
5वां/11.1.96	2/35	.	.	380566	141270		
6वां/ 22.2.96	2/49	.	.	173215	104077		
7वां/29.3.96	2/69	.	.	324673	132014		
8वां/16.5.96	2/89	.	.	148890	130939		
9वां/27.6.96	52/25	.	.	171970	161162		
10वां	.	.	.	.	.		
11/23.9.96	52/51	.	.	217681	232062		
12वां/5.11.96	52/73	.	.	162541	191475		
13वां	.	.	.	.	.		
14वां/8.1.97	52/94	.	.	178296	162972		
15वां/19.3.97	.	.	.	.	.		
16वां/25.4.97	55/46	.	.	204393	334018		
17वां/28.5.97	55/81	.	.	213340	99306		
18वां	.	.	.	.	.		
19वां/20.6.97	9/32	.	.	178179	69180		
20वां/19.8.97	9/64	.	.	186478	154858		
21वां/11.9.97	9/99	.	.	179056	60888		
22वां/6.10.97	55/99	.	.	.	.		
23वां/20.10.97	18/38	.	.	190438	100948		
24वां/8.12.97	18/85	.	.	162845	116187		
25वां/15.1.98	25/48	.	.	139576	101363		
26वां/19.2.98	25/100	.	.	82329.61	87349.64		
27वां/30.3.98	56/52	.	.	92181.66	93573.16		
28वां/22.4.98	18/91	.	.	194231.59	47380.11		
29वां/22.5.98	59/49	.	.	222082.96	71459.60		
30वां/22.6.98	60/42	.	.	189103.38	66964.04		
31वां/22.7.98	59/89	.	.	143611	67268.88		
32वां/24.8.98	60/83	.	.	102010.37	70050.73		
16.11.98		.	10000000	.	.		

34वाँ/3.12.98	28/39	-	-	107705.29	129278.40		
35वाँ/11.1.99	29/86	-	-	110463.60	157605.71		
8वाँ वृद्धि होने का बिल/1.2.99	29/86	-	-	112015.96	30855.93		
36वाँ/18.1.99	28/82	-	-	495140.50	15427.97	1000000	200547.95
37वाँ/1.3.99	42/49	-	-	448198.82	44075.26	1000000	130191.78
38वाँ/31.3.99	42/94	-	-	137976.29	49027.42	1000000	81534.25
39वाँ/22.4.99	43/46	-	-	37962.86	32259.51		48328.76
40वाँ/9.6.99	43/86	-	-	134322.17	70292.51		108164.38
41वाँ/7.7.99	61/44	-	-	156874.32	38315.27	224663.32	64438.36
42 वाँ/3.8.99	62/46	-	-	257219.67	32969.12	445598.27	62370.22
43 वाँ/23.8.99	61/85	-	-	237139.08	25877.50	410811.37	43701.21
44वाँ/1.10.99	62/86	-	-	225276.34	43863.34	386188.01	73946.04
45वाँ/3.11.99	69/17	-	-	134795.83	33487.29	233515.54	56388.46
46वाँ/3.12.99	69/34	-	-	-	31077.56		52266.31
47वाँ/30.12.99	69/52	-	-	-	32113.46		54008.52
48वाँ/21.1.2000	69/70	-	-	263554.16	24862.05	456571.91	41813.05
49वाँ/21.2.00	69/89	-	-	-	26579.58		44578.92
50वाँ/16.3.00	29/95	-	-	-	21833.23		36618.41
51वाँ/7.5.00	71/20	-	-	951351.56	43666.45		73236.81
10वाँ एस्कलेशन बिल/19.5.00	71/21	-	-	-	-	1648087.82	
52 वाँ/1.6.00	71/42	-	-	129896.56	19731.43	225828.21	44478.71
53 वाँ/7.7.00	71/64	-	-	173319.56	17813.76	300252.68	29288.57
54वाँ/10.8.00	71/86	-	-	160149.83	16641.11	277437.91	27204.75
55वाँ/11.9.00	76/22	-	-	259290.36	18398.01	449185.45	29881.68
56वाँ/18.10.00	76/45	-	-	133481.75	15956.48	231239.07	25547.30
मध्यस्थता दावा बिल/19.12.00	76/74	-	-	346710.50	5913.70	1480730.13	9249.49
57वाँ/5.12.00	76/69	-	-	133164.99	15266.19	230690.31	24194.33
58वाँ/22.1..01	71/89	-	-	150000	6115.07		
59वाँ/1.3.01	124/25	-	-	150000	4882.19		
60वाँ/29.3.01	124/50	-	-	150000	2663.01		
61वाँ/	124/78	-	-	-			
62 वाँ/	71/92	-	-	-			
63 वाँ/	129/25	-	-	-			
64वाँ/	129/53	-	-	-			
28.6.01		-	2000000	-			
24.8.01		-	1000000	-			
8.10.01		-	1000000	-			
65वाँ/11.1.02	129/81	-	-	-		393573.55	209095.87
66वाँ/28.11.02	43/95	-	-				
	योग	11000000	14000000	10241324.57		10394373.55	

अनुलग्नक-IX
(पैरा-2.1. 5.क.1.7(ख))

नक्शों को प्रस्तुत करने में अवरोधों का विवरण

क्र सं.	कारण	अवधि	विलम्ब के दिनों की संख्या	अतिव्यापी अवधि	अतिव्यापित अवधि के अतिरिक्त दिनों की संख्या
1.	सभागार तथा पुस्तकालय खण्ड हेतु नक्शों का संशोधन	02.08.1995 से 16.12.1995	137	-	137
2.	बी ब्लॉक में विभाजन व्यवस्था की योजना	16.12.1995 से 06.07.1996	204	01	203
3.	नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण के बी ब्लॉक में खम्भों की कैप शाफ्ट तथा प्रतिधारित दीवारों का संरचनात्मक डिजाइन	08.06.1996 से 23.06.1997	381	29	352
4.	सभागार एवं पुस्तकालय ब्लाक हेतु संरचनात्मक नक्शों का उपलब्ध न होना	23.06.1997 से 24.03.1999	640	01	639
5.	सभागार एवं पुस्तकालय ब्लॉक हेतु संरचनात्मक नक्शों का उपलब्ध न होना	31.12.1998 से 07.04.1999	98	84	14
6.	फर्श की निचली परत हेतु विवरण उपलब्ध न होना	15.02.1999 से 13.03.2000	393	52	341
7.	शौचालय के नक्शों का उपलब्ध न होना	22.03.1999 से 07.06.1999	78	78	-
8.	शौचालय फर्श हेतु नक्शों/विवरणों का उपलब्ध न होना	22.03.1999 से 15.03.2000	360	358	2
9.	साज सज्जा मदो हेतु नक्शों/विवरणों का उपलब्ध न होना	03.04.1999 से 15.03.2000	348	348	-
10.	शौचालय हेतु नक्शों/विवरणों का उपलब्ध न होना	16.03.2000 से 13.12.2000	273	-	273
11.	साज सज्जा मदो हेतु नक्शों/विवरणों का उपलब्ध न होना	16.03.2000 से 15.12.2000	275	273	2
		योग	3187	1224	1963

अनुलग्नक- X
(पैरा- 2.1.5.क.1.8 (क))

नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण के अंतर्गत निष्पादित अन्य कार्यों को दर्शाती विवरणिका

क्र.सं.	कार्य आदेश/अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	किया गया व्यय (रुपये में)
1	का.आ.7/92.93	शिवाजी स्टेडियम पर एम एस स्क्वायर बार ग्रिल लगाना	मैसर्स सुभाष चन्द्र	9,146.00
2	अनुबंध 10/92.93	शहीद भगतसिंह मार्ग पर पॉली क्लीनिक के भूमिगत तल पर लकड़ी के विभाजक लगाना	मैसर्स सुरिन्दर पाल	21,824.00
3	अनुबंध 12/92.93	पालिका केन्द्र के भूमिगत तल में लकड़ी के विभाजक लगाना	मैसर्स पी के इंटरप्राइजिज	16,642.00
4	अनुबंध 11/92.93	प्रगति भवन के भूमिगत तल में लकड़ी के विभाजक लगाना	मैसर्स सुरेन्द्र पाल	21,684.00
5	अनुबंध 13/92.93	36 महादेव रोड के साथ भूखण्ड पर स्वास्थ्य विभाग हेतु कमरे का निर्माण	श्री मोहन लाल चौहान	35,368.00
6	अनुबंध 14.92.93	पालिका केन्द्र के ऊपरी भूमिगत तल पर कैबिनों का निर्माण	मैसर्स सुभाष चन्द्र	29,581.00
7	अनुबंध 15/92.93	शिवाजी स्टेडियम में लकड़ी का विभाजक लगाना	मैसर्स सुभाष चन्द्र	66,086.00
8	अनुबंध 16/92.93	पालिका केन्द्र के पीछे स्वास्थ्य , प्रवर्तन हेतु अस्थायी शैड का निर्माण	मैसर्स मोहल लाल चौहान	32,905.00
9	अनुबंध 17/92.93	पालिका केन्द्र, प्याजा स्तर पर लकड़ी का विभाजक लगाना	मैसर्स सुभाष चन्द्र	1,07,527.00
10	अनुबंध 21/92.93	प्रवर्तन विभाग के भण्डार हेतु सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे चार दीवारी तथा अस्थाई शैड का निर्माण	मैसर्स अरविन्द्र बिल्डर्स	89,926.00
11	अनुबंध 4/93.94	पालिका केन्द्र , प्याजा स्तर पर अधि.अभि. (ऑटो) हेतु कैबिनों का निर्माण	मैसर्स सी.एस. कान्ट्रेक्टर	12,400.00
12	अनुबंध 5/93.94	मोहन सिंह प्लेस के तीसरे तल पर कैबिनों का निर्माण	श्री सुभाष चन्द्र	2,40,682.00
13	अनुबंध 7/93.94	पालिका केन्द्र के ऊपरी भूमिगत तल में कैबिनों का निर्माण	श्री सुरिन्दर पाल	18,037.00
14	अनुबंध 11/93.94	स्वास्थ्य, प्रवर्तन के भण्डार हेतु सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे चार दीवारी तथा अस्थाई शैड का निर्माण	मैसर्स शैलेन्दर कुमार सिंह	1,13,752.00
15	अनुबंध 12/93.94	कोष विभाग हेतु स्ट्रॉग रूम का निर्माण	श्री सुभाष चन्द्र	1,88,758.00
16	अनुबंध 10/93.94	रसोई घर हेतु अस्थाई शैड का निर्माण	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	95,049.00
17	अनुबंध 13/93.94	मैजनीन तल पर सुरक्षा अधिकारी तथा अग्नि शमन अधिकारी के कैबिनों का निर्माण	मैसर्स पी. के. इंटरप्राइजिज	24,300.00
18	अनुबंध 15/93.94	पालिका केन्द्र पर कैश काउंटर/ इन्क्लोजर का निर्माण	मैसर्स खन्ना इंन्टरप्राइजिज	2,13,766.00
19	अनुबंध 16/93.94	पालिका केन्द्र के ऊपरी भूमिगत तल पर कैबिनों का निर्माण	श्री सुभाष चन्द्र	31,969.00
20	अनुबंध 17/93.94	पालिका केन्द्र के प्याजा तल पर आयुर्वेदिक औषधालय के एन्क्लोजर का निर्माण	श्री सुभाष चन्द्र	92,203.00
21	अनुबंध 13/93.94	प्रवर्तन भण्डार हेतु सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे चार दीवारी पर तार तथा एम. एस. एंगल लगाना	मैसर्स एन. वी. बिल्डर्स	2,938.00
22	का आ.16/93.94	प्रवर्तन भण्डार हेतु सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे अस्थाई शैडों में शीशे लगाना।	मैसर्स एन. वी. बिल्डर्स	1,088.00
23	का आ. 20/93.94	मोहन सिंह प्लेस के तीसरे तल पर थरेजा आयोग हेतु शौचालयों की व्यवस्था	मैसर्स शैलेन्द्र कुमार	6,505.00
24	का आ.22/93.94	पालिका केन्द्र एनेक्सी भवन से कैन्टीन का स्थानान्तरण	मैसर्स प्रेम नाथ मोटर्स लि.	21,843.00
25	का आ. 26/93.94	शिवाजी स्टेडियम पर एम एस स्कवेवयर बार ग्रिल लगाना	श्री सुरेन्दर पाल	3,658.00
26	का आ. 27/93.94	ऊतरी प्रभाग ए आर (एलआरसी) , केयर टेकर सेवा केन्द्र हेतु कैबिनों का निर्माण	श्री सुरेन्दर पाल	4,366.00
27	का.आ.1/94.95	स्वास्थ्य प्रवर्तन स्टोर हेतु सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे अस्थाई शैड में चार दीवारी का निर्माण	श्री अनिल महाजन	4,219.00
28	का.आ. 3/94.95	सहा.अभि. (उतर) , सहा.सचिव (कोष) तथा टाइपिंग विभाग हेतु विभाजक लगाना	श्री सुरिन्दर पाल	3,284.00
29	का.आ..5/94.95	सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे स्वास्थ्य प्रवर्तन भण्डार हेतु एम एस ग्रिल लगाना	श्री मुकेश मिश्रा	7,310.00

30	अनुबंध /3/94.95	पालिका केन्द्र के नवें तल में रसोई- घर का सुधार कार्य	मैसर्स आर एस पाण्डे	43,990.00
31	अनुबंध 5/94.95	पालिका केन्द्र के नवे तल पर रसोई गैस हेतु एम एस पाईप की व्यवस्था	मैसर्स प्रेम नाथ मोटर्स लि	88,459.00
32	अनुबंध 4/95.96	रसोई घर भण्डार हेतु पालिका केन्द्र के ऊपरी भूमिगत तल में कैबिनों का निर्माण	श्री सुरिन्दर पाल	7,887.00
33	का.आ. 1/99.2000	कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत	श्री रघुवीर सिंह	3,090.00
34	का आ. 4/2001.02	कुर्सियों की मरम्मत	मैसर्स अनमोल फर्नीचर डेकोरेटर्स	4,860.00
			योग	16,65,102.00

अनुलग्नक -XI
(पैरा 5.1)

वर्ष 1997 से 2002 तक की अवधि हेतु पार्किंग स्थलों के संबंध में बकाया 1.67 करोड़ रुपये के लाईसेंस शुल्क का विवरण

क्र.सं.	परिसर सं0 एवं स्थल	अधिवासी का नाम	निष्कासन की तिथि	लाईसेंस शुल्क की दर	बकाया लाइसेंस शुल्क (रुपय में)
1.	आई पी एस्टेट, हंस प्लाजा	श्री धर्मदेव	2/2002	80700	211852
2.	आत्माराम हाउस, रोहित हाउस, टालस्टाय मार्ग	नायक वीरेन्द्र सिंह	2/2002	14160	126867
3.	एच ब्लाक, कनाट सर्कस	श्री ए.के.कपिला	2/2002	12300	112065
4.	के ब्लाक रेडियल रोड नं. 4,कनाट प्लेस	कैप्टन पी.एस.आहलुवालिया	1/2002	25000	181774
5.	जी ब्लाक, रेडियल रोड, कनाट प्लेस	नायब सूबेदार सूरज सिंह	12/2001	16666	80104
6.	डी. एवेन्यू, सरोजिनी नगर	श्री देविन्द्र सिंह दहिया	2/2002	31999	354738
7.	जी एवेन्यू, सरोजिनी नगर मंदिर से पहली ासिंग	श्री रमेशचन्द्र	2/2002	22999	141022
8.	गोपालदास टावर के सामने, कनाट प्लेस	श्री समय सिंह	8/2000	74000	67922
9.	ई.सी.ई. हाउस के सामने	श्री समय सिंह	9/2000	9211	89733
10.	एम ब्लाक आउटर सर्कल, कनाट प्लेस	श्री कवनजीत सिंह	6/2000	50200	398093
11.	हिन्दुस्तान टाईम्स भवन के पीछे	कमाण्डर डी.जे. सिंह	3/2000	200500	2212855
12.	एफ ब्लाक इन्नर सर्कल, कनाट प्लेस	श्री राजबीर सिंह	11/1999	142000	1167647
13.	एन ब्लाक, कनाट सर्कस स्टेटमेन के सामने	श्री राजसिंह	10/1999	31000	241610
14.	बी ब्लाक, रेडियल रोड -3	श्री एस.सी आचार्य	3/2000	12200	176412
15.	भगवान दास रोड, सर्वोच्च न्यायालय के सामने	श्री एस.वी.शर्मा	8/1999	31102	246552
16.	कैलाश भवन, के.जी. मार्ग	आन. कैप्टन ए.एस.रावत	9/1998	6051	14724
17.	जीवन विहार तथा जीवन दीप के सामने	सुबेदार आर.पी.धनकर	3/1998	6776	27104
18.	थापर हाउस, जनपथ	मेजर के.एल.बतरा	9/1998	14769	190089
19.	मोहनदेव बिल्डिंग के सामने, टालस्टाय मार्ग	कैप्टन पी.एस.आहलूवालिया	9/1998	9317	26694
20.	आकाशदीप बिल्डिंग	कैप्टन अनिल जोशी	9/1998	4477	57800
21.	पटियाला हाउस	कैप्टन आर.एल.दुआ	8/1998	20704	69702
22.	हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग के सामने	हवलदार धर्मजीत सिंह	8/1998	5700	133323
23.	सूर्य किरण बिल्डिंग, के.जी. मार्ग	सार्जन्ट आर.बी.एस.वर्मा	8/1998	7866	10657
24.	हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग के पीछे	कमाण्डर डी. जे. सिंह	2/1999	55000	143393
25.	सफदरजंग मकबरा	आन. सुबेदार मेजर ए.एन.शर्मा	8/1998	2200	781
26.	मर्कन्टाइल बिल्डिंग के सामने	सुबेदार ओ. पी. शर्मा	8/1998	8250	35927
27.	अम्बादीप बिल्डिंग	हवलदार एस. एन. कौशिक	9/1998	7150	37180
28.	आत्माराम हाउस	विंग कमाण्डर ए. जे. सिंह	2/1999	5500	84207
29.	डीसीएम बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड	कैप्टन चन्द्र प्रकाश	5/1998	43575	114374
30.	टालस्टाय हाउस	नायब जे. डब्ल्यू. ओ. रामकिशन	9/1998	5378	15596
31.	अंतरिक्ष बिल्डिंग, के. जी. मार्ग	कैप्टन गुरूदेव सिंह	10/1998	6050	50742
32.	केनिंग लेन	कैप्टन वी. पी.कपूर	8/1998	18750	62903
33.	यशवंत प्लेस	आन. सूबेदार मेजर डी. एन. राय	12/1998	13000	86387
34.	पार्क होटल तथा इलाहाबाद बैंक	सार्जेन्ट आर. एन. द्विवेदी	1/1999	10500	98565

35.	ईस्टर्न कोर्ट के सामने	श्री एस.सी.शर्मा	7/1998	7877	88125
36.	दिल्ली हाईकोर्ट के चारो ओर	लेफ्टी. कर्नल एस.एल. भंडारी	8/1998	17440	58508
37.	ए ब्लाक, इन्नर सर्कल	हवलदार करतार सिंह	11/1998	18940	59345
38.	बी ब्लाक, इन्नर सर्कल	सार्जेन्ट मोहिन्द्र सिंह	10/1998	18940	45212
39.	सी ब्लाक, कनाट प्लेस	मेजर भोला नाथ	8/1998	8440	36755
40.	डी ब्लाक, कनाट प्लेस	हवलदार एस.सी. कालरा	3/1999	7310	56122
41.	ई ब्लाक, कनाट प्लेस	लेफ्टी.कर्नल जी.पी. सक्सैना	9/1998	18375	30625
42.	एफ ब्लाक कनाट प्लेस	कर्नल शिव राम	2/1999	20060	43579
43.	पी ब्लाक के सामने, कनाट प्लेस	कर्नल भूपिन्द्र सिंह	3/1999	8256	45242
44.	जी ब्लाक, मद्रास होटल के सामने	एस.सी.पी.ओ. तरसेम सिंह	2/1999	7690	15910
45.	जी ब्लाक, पंचकुइया रोड के सामने	कर्नल एस.के.कपूर	8/1998	12190	101845
46.	एच ब्लाक, कनाट सर्कस	विंग कमांडर के.एल.मेहरा	2/1999	10690	471466
47.	के ब्लाक, कनाट सर्कस	सक्वाडन लीडर आर.के.बॅदिश	1/1999	8440	14157
48.	एल ब्लाक, कनाट सर्कस	सार्जेन्ट ए.एस.दहिया	10/1998	12560	42542
49.	एम ब्लाक, कनाट सर्कस	लेफटी.कर्नल एच.ढींगरा	12/1998	23060	457561
50.	एन ब्लाक, कनाट सर्कस, I, स्टेटसमेन के सामने	सार्जेन्ट ओ.पी.शर्मा	3/1999	6190	52915
51.	एन ब्लाक, कनाट सर्कस, II-सिंधिया हाउस के सामने	कैप्टन एस.पी.मान	3/1999	11060	154800
52.	एफ ब्लाक रेडियल रोड, कनाट प्लेस	लेफ्टी. कर्नल पी.सी. गौतम	3/1999	4690	64537
53.	एफ ब्लाक रेडियल रोड, बी के रोड	ब्रिगेडियर आर.के.वर्मा	8/1998	4690	48564
54.	ई ब्लाक मिडल सर्कल	सार्जेन्ट कुलदीप राय	12/1998	10500	21677
55.	सी ब्लाक मिडल सर्कल	विंग कमांडर एम.के.तनेजा	8/1998	3000	61065
56.	के ब्लाक रेडियल रोड, कनाट प्लेस	बिग्रेडियर एस.आर.कपूर	1/1999	4310	11540
57.	एच ब्लाक रेडियल रोड, कनाट प्लेस	सार्जेन्ट के.एल.पुटादुण्डा	7/1998	4310	83349
58.	बी ब्लाक मिडल रोड, कनाट प्लेस	कर्नल आर.एस.कंसल	8/1998	8810	47176
59.	एच ब्लाक आउटर सर्कल	लेफ्टी कर्नल बी.सी.गर्ग	10/1999	3375	89895
60.	एम ब्लाक रेडियल रोड, जनपथ	विंग कमांडर एन.के.राय	8/1998	1690	12430
61.	एन ब्लाक रेडियल रोड, जनपथ	विंग कमांडर ए.एस.बेदी	8/1998	1875	10040
62.	एफ ब्लाक रेडियल रोड, जनपथ	कर्नल मंगत शंकर	8/1998	2060	731
63.	ई ब्लाक रेडियल रोड बी के रोड	श्री शांति स्वरूप	8/1998	940	334
64.	डी ब्लाक मिडल सर्कल कनाट प्लेस	कर्नल जगजीत सिंह	8/1998	1875	6290
65.	सी ब्लाक रेडियल रोड कनाट प्लेस	श्री एस.एस.चौहान	12/1998	3190	3859
66.	बी ब्लाक रेडियल रोड कनाट प्लेस	आन. लेफ्टी. जगदीश रावत	3/1999	3190	17391
67.	ए ब्लाक मिडल सर्कल	मेजर एस.एस.राय	11/1998	3750	1327
68.	मोहन सिंह प्लेस, कनाट प्लेस	श्री आर.एस.रावत	8/1998	3190	1327
69.	इण्डियन ओवरसीज बैंक, जनपथ	सार्जेन्ट टोनी अब्राहिम	8/1998	5625	24496
70.	सी-2, एम.पी.स्टेट इम्पोरियम के पीछे, बी.के.एस. मार्ग	श्री एच.एस.बेदी	3/1999	1875	2843
71.	इण्डियन काफी हाउस के सामने डीएलएफ बिल्डिंग	सूबेदार राम सिंह	8/1998	13875	46548
72.	नया विकसित क्षेत्र सरोजिनी नगर	कर्नल जनक राज	5/1998	24565	514125
73.	कमानी आडिटोरियम के सामने	आन. सूबेदार डी.पी. बडोला	3/1999	5625	95625
74.	एफ ब्लाक मिडल सर्कल, कनाट प्लेस	लेफ्टी कर्नल एस.पी.सिंह	5/1998	8440	19875
75.	नई दिल्ली हाउस के सामने	पूर्व सार्जेन्ट अरवेश कुमार	5/1998	1690	3980
76.	दूरदर्शन पी.एन.बी. बिल्डिंग	नायक राजिन्द्र सिंह	10/1998	9000	48484
77.	डी ब्लाक मिडल सर्कल, कनाट प्लेस	श्री सुरेन्द्र सिंह	8/1998	3560	15503

78.	सरोजिनी नगर सब्जी मार्किट के पीछे	नायब ओम प्रकाश	3/1999	6000	150000
79.	बाबू मार्किट के सामने सरोजनी नगर	श्री किशनलाल	1/1999	2250	23500
80.	सिंधिया हाउस, जनपथ	नायब सूबेदार सुरजीत सिंह	8/1998	4690	15790
81.	हिमालय हाउस के.जी. मार्ग	केप्टन सरफराज हुसैन	12/1998	2625	679
82.	मयूर भवन	मेजर के.के. गद्दी	10/1998	50000	191936
83.	पालिका बाजार	श्री गोपाल राय	1/1999	6375	5758
84.	अंसल भवन, के.जी. मार्ग	कर्नल राजेश कुमार	8/1998	2440	3306
85.	हंस प्लाजा के बाहर	श्री एम.पी.सेठी	8/1998	3375	7948
86.	नरेन्द्रा प्लेस, डीएलएफ बिल्डिंग संसद मार्ग	श्री एच.एस.चड्डा	8/1998	12190	291675
87.	पटियाला हाउस चार दिवारी	श्री रमेश कुमार	-	56600	768504
88.	बी.के.एस. मार्ग, 2 टायर कार पार्किंग	लेफ्टी. कर्नल पी.सी. गौतम	-	82200	622038
89.	फैडरल मोटर्स के सामने, सिंधिया हाउस	श्री जगन्नाथ	-	28800	288032
90.	ए.एवं बी एस्टेट इम्पोरियम बी. के. एस. मार्ग	श्री ईश्वर सिंह		-	123031
91.	हंस प्लाजा के बाहर	मेजर के.एल. बतरा	-	-	244472
92.	आई. एन. ए. मार्किट के बाहर	कर्नल एस.एस. भंडारी		-	1353800
93.	सिंधिया हाउस जनपथ पर त्रिभुवन दास बिल्डिंग	नायब सूबेदार सुरजीत सिंह		-	298190
94.	नई दिल्ली हाउस	श्री सरदार सिंह		-	201416
95.	अंसल भवन	श्री मोहिन्द्र सिंह दहिया		-	241941
96.	एच ब्लाक आउटर सर्कल कनाट प्लेस	श्री देवेन्द्र प्रकाश	-	-	20204
97.	एच ब्लाक चैम्सफोर्ड रोड	श्री दयाराम सिंह	-	-	19611
98.	एच ब्लाक मिडल सर्कल कनाट प्लेस	श्री सुखबीर सिंह	-	-	3742
99.	जीवन भारती बिल्डिंग	लेफ्टी कर्नल बी.एस. काला	-	-	35390
100.	पालिका प्लेस, पंचकुइया रोड	श्री मोहिन्द्र सिंह	3/2002	19024	34928
101.	सी ब्लाक, कनाट सर्कस	श्रीमती प्रेमलता	11/1999	90000	625940
102.	सिंधिया हाउस, कनाट सर्कस	श्री एल.डी काण्डपाल	7/1998	6375	19125
103.	ए ब्लाक मिडल सर्कल, कनाट प्लेस	श्री आर.के.सरीन	7/1997	12560	315521
104.	सुपर बाजार, कनाट प्लेस	श्री एच.एस. आनन्द	3/1999	5065	42807
105.	सोना रूपा के सामने पार्किंग स्थल	श्री साजन सिंह राणा	8/1998	6190	2268
106.	जनपथ गैस्ट हाउस	श्री एच.एस.कालरा	8/1998	7500	2750
107.	आकाश दीप बिल्डिंग	श्री डी.एन. पांडे	8/1998	4125	1907
108.	एफ ब्लाक रेडियल रोड, बी.के.रोड	श्री कृष्ण पाल	-	12444	44076
109.	मयूर भवन	श्री पी.बी. मुलतानी	-	81101	181888
110.	मोहन सिंह प्लेस	श्री गुलाब चन्द	-	38805	176016
111.	बैंक आफ बड़ोदा के बाहर	श्री अजय	-	21005	286680
		योग			**16741983**

अनुलग्नक- XII
(पैरा 5.1)

2002-03 से 2004-05 तक की अवधि हेतु पार्किंग स्थलों के संबंध में बकाया 1.12 करोड़ रुपये लाईसेंस शुल्क का विवरण

1.	डी ब्लाक इनर सर्कल, कनाट प्लेस	गरूड़ ऐविएशन	132796	658791	49805	708596
2.	ई ब्लाक इनर सर्कल, कनाट प्लेस	श्री गुरदीप सिंह	267223	267223	5344	272567
3.	एफ ब्लाक इनर सर्कल, कनाट प्लेस	गरूड़ ऐविएशन	322786	1599291	125235	1724526
4.	एम ब्लाक आउटर सर्कल, कनाट प्लेस	गरूड़ ऐविएशन	175786	871641	66876	938517
5.	ई ब्लाक रेडियल रोड नं. 6 बी के रोड	श्री अजीत कुमार	30206	30200	4228	34428
6.	जी ब्लाक रेडियल रोड बी. के. मार्ग	श्री एस के मोहन्तरी	25878	101390	6624	108014
7.	जी ब्लाक मद्रास होटल के सामने	श्री ए के अरोड़ा	78900	3530	355	3885
8.	पालिका भवन, आर. के. पुरम	श्री मनोज यादव	55201	83871	3863	87734
9.	के ब्लाक रेडियल रोड नं. 5, मस्जिद वाली पार्किंग कनाट प्लेस के समीप	श्री चन्द्र भूषण कुमार	117888	171330	18862	190192
10.	एन ब्लाक, स्टेटसमेन के सामने	श्री विकास यादव	77999	77999	1560	79559
11.	मयूर भवन, विशिष्ट पार्किंग	श्री मिन्श चौपड़ा	153787	307574	9227	316801
12.	सुपर बाजार	श्री अंकुर लाल	66666	124001	15572	139573
13.	इण्डियन काफी हाउस, जनपथ नई दिल्ली	श्री विपिन कुमार	227999	15199	1824	17023
14.	ए ब्लाक मिडल सर्कल रेडियल रोड नं. 2 कनाट प्लेस	श्री सुनील कुमार	29780	29340	2356	31696
15.	बी ब्लाक इन्नर सर्कल कनाट प्लेस	मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रेडिंग कम्पनी	172202	61876	17007	78883
16.	बी ब्लाक मिडल सर्कल कनाट प्लेस	मेजर टीसी यादव	81999	163998	4920	168918
17.	ई ब्लाक रेडियल रोड नं.6, बी के रोड	श्री मनोज कुमार	20100	20100	804	20904
18.	एच ब्लाक मिडल सर्कल कनाट प्लेस	श्री जयवीर सिंह	20100	20100	804	20904
19.	एल ब्लाक आउटर सर्कल कनाट प्लेस	श्रीमती रीता कपूर	152786	143618	11856	155474
20.	एन ब्लाक सिंधिया हाउस के सामने	श्री पप्पू	55789	-	600	600
21.	ए ब्लाक मिडल सर्कल कनाट प्लेस	श्रीमती सुधा शर्मा	53204	17735	1065	18800
22.	रेडियल रोड नं. 7, एम ब्लाक कनाट प्लेस	श्री रंजीत सिंह	36900	1191	62	1253
23.	एच ब्लाक आउटर सर्कल कनाट प्लेस	श्री देवेन्द्र प्रकाश	19055	179485	22645	202130
24.	एफ ब्लाक रेडियल रोड कनाट प्लेस	श्री डी एन राय	35551	71102	7110	78212
25.	कमानी आडिटोरियम मंडी हाउस के सामने	श्री टोनी अब्राहिम	6525	24416	1272	25688
26.	आईएनए मार्किट के बाहर	श्री एस एस भंडारी	68000	1156000	294780	1450780
27.	रेलवे संग्रहालय चाणक्यपुरी	लेफटी कर्नल के आर जयसवाल	5100	2303	46	2349
28.	संगीत भारती मंडी हाउस	श्री रंजीत सिंह	658	419	8	427
29.	क्वालिटी रेस्टोरेन्ट		6000	36000	2520	38520
30.	एफ ब्लाक मिडल सर्कल कनाट प्लेस	मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रेडिंग कम्पनी	61000	25000	-	25000
31.	जी ब्लाक बी के एस मार्ग	श्री नरेश महेश्वरी	16723	6721	-	6721
32.	पालिका बाजार	श्री दलीप सिंह	115890	10090	-	10090
33.	एफ ब्लाक, रेडियल रोड कनाट प्लेस	श्री परवेज आलम	87999	37999	-	37999
34.	आकाश दीप बिल्डिंग	श्री अनिल कुमार राठी	212212	50234	-	50234
35.	पटियाला हाउस चार दिवारी	मैसर्स सार्थक इन्टरप्राईजिज	91111	637777	51022	688799
36.	दिल्ली हाट	श्री मोहिन्द्र पाल सिंह	159200	20541	31840	52381
37.	कनाट होटल के बाहर	श्री एन महेश्वरी	31288	31288	1878	33166
38.	आकाशदीप बिल्डिंग से वर्ल्ड ट्रेड टावर	श्री अनिल कुमार राठी	112424	-	50234	50234

39.	डी ब्लाक इनर सर्कल कनाट प्लेस	गरूड़ ऐविएशन	132796	658791	49805	708596
40.	ई ब्लाक इनर सर्कल कनाट प्लेस	श्री गुरदीप सिंह	267223	267223	5344	272567
41.	एफ ब्लाक इनर सर्कल कनाट प्लेस	गरूड़ ऐविएशन	322786	1599291	125235	1724526
42.	एम ब्लाक आउटर सर्कल कनाट प्लेस	गरूड़ ऐविएशन	175786	871641	66876	938517
43.	ई ब्लाक रेडियल रोड नं. 6 बी के रोड	श्री अजीत कुमार	30206	30200	4228	34428
44.	जी ब्लाक रेडियल रोड बी के मार्ग	श्री एस के मोहन्तरी	25878	101390	6624	108014
45.	जी ब्लाक मद्रास होटल के सामने	श्री ए के अरोड़ा	78900	3530	355	3885
46.	पालिका भवन आर के पुरम	श्री मनोज यादव	55201	83871	3863	87734
47.	के ब्लाक रेडियल रोड नं. 5, मस्जिद वाली पार्किंग कनाट प्लेस के समीप	श्री चन्द्र भूषण कुमार	117888	171330	18862	190192
48.	एन ब्लाक स्टेटसमेन के सामने	श्री विकास यादव	77999	77999	1560	79559
49.	मयूर भवन विशिष्ट पार्किंग	श्री मिन्श चौपड़ा	153787	307574	9227	316801
50.	सुपर बाजार	श्री अंकुर लाल	66666	124001	15572	139573
51.	इण्डियन काफी हाउस, जनपथ नई दिल्ली	श्री विपिन कुमार	227999	15199	1824	17023
52.	सिंधिया हाउस टी. बी. दास ज्वैलरी जनपथ के सामने	श्री लोकपाल सिंह	71251	65635	8242	73877
53.	कैलाश बिल्डिंग (केवल सिंगल रो)	श्री मिन्टो सिंह वालिया	135000	135000	5400	140400
54.	अंतरिक्ष भवन	श्री एस बी सिंह	43166	40577	6968	47545
55.	एच ब्लाक एन्ट्री (आर्च) केवल स्कूटर के लिए	श्री जयवीर सिंह	45806	132308	8602	140910
56.	यशवंत प्लेस, सत्य मार्ग आफिस काम्पलैक्स गैराज एवं पार्क के बीच	श्री नीरज जैन	31368	-	629	629
57.	आर.आर. जाकिर हुसैन मार्ग	श्री अशोक कुमार	151501	151501	8090	159591
58.	आर.आर. तिलक मार्ग	श्री उत्तम सिंह	28222	56444	1693	58137
59.	आर.आर. चिल्र्डन पार्क	श्री उत्तम सिंह	141000	135368	14044	149412
60.	सर्वोच्च न्यायालय के सामने, भगवान दास रोड	श्री प्रदीप कुमार	86112	253514	18234	271748
61.	दिल्ली उच्च न्यायालय के चारों ओर	श्री एस.पी. शर्मा एम.एस. एण्ड सन्स	48000	1874	37	1911
62.	कमानी आडिटोरियम एवं प्रसार भारती	श्री मोहन राव	36157	36157	4338	40495
63.	तालसेन मार्ग पर संगीत भारती एवं फिक्की आडिटोरियम	श्री अंकुर लाल	74774	143656	17619	161275
64.	8, जनतर मंतर रोड, एस.बी.बी.पी. मार्ग के सामने	मै. हिन्दुस्तान ट्रेडिंग कम्पनी	67300	233307	13908	247215
65.	नेशनल आर्ट गैलरी जयपुर हाउस	श्री लोकेश भारद्वाज	12786	12786	256	13042
			योग	**10104849**	**1090147**	**11194996**

अनुलग्नक- XIII
(पैरा 5.4)

पार्किंग स्थलों के आवंटन में विलम्ब के कारण 73.78 लाख रुपये की हानि का विवरण

क्र.सं.	परिसर सं. एवं स्थान	अवधि जिस दौरान पार्किंग स्थलों का आवंटन नहीं हुआ	कुल अवधि (दिनों में)	लाईसेंस शुल्क की दर (प्रति मास)	लाईसेंस शुल्क की हानि (रुपयों में)
2003-04					
1.	बी ब्लाक इनर सर्कल, कनाट प्लेस	01-05-2003 to 15-06-2003	46	186666	279999
2.	एफ ब्लाक, इनर सर्कल, कनाट प्लेस	01-05-2003 to 15-06-2003	46	155555	233332
3.	बी. ब्लाक रोड सं.-3,ए ब्लाक के सामने, पैट्रोल पम्प	01-05-2003 to 15-06-2003	46	23323	34984
4.	डी ब्लाक, मिडल सर्कल, कनाट प्लेस	01-05-2003 to 15-06-2003	46	19000	28500
5.	शंकर मार्किट	01-05-2003 to 15-06-2003	46	103151	154726
6.	दिल्ली हॉट	01-05-2003 to 15-06-2003	46	128000	192000
7.	प्रथम क्रासिंग रोड, 6 एवेन्यू, सरोजनी नगर	01-05-2003 to 15-06-2003	46	112666	168999
8.	पुराना किला रोड, एनएससीआई क्लब के निकट	01-05-2003 to 15-06-2003	46	7777	11665
9.	भगवान दास रोड सुप्रीम कोर्ट के सामने	01-05-2003 to 15-06-2003	46	31000	46500
10.	सब्जी मंडी के पीछे, सरोजनी नगर	01-05-2003 to 15-06-2003	46	9999	14999
11.	रेल म्यूजियम	01-05-2003 to 15-06-2003	46	15551	23326
12.	मालचा मार्किट	01-09-2003 to 31-10-2003	61	49157	98314
13.	मयूर भवन	16-11-2003 to 15-12-2003	30	125125	125125
14.	ए एवं बी एस्टेट एम्पायर के मध्य बी. के. एस. मार्ग	01-09-2003 to 30-09-2003	30	15345	15345
15.	आर.आर.इण्डिया गेट चिल्र्डन पार्क	01-09-2003 to 31-10-2003	61	117222	234444
16.	इलाहाबाद बिल्डिंग के सामने	20-02-2004 to 05-04-2004	46	44777	67680
17.	सब्जी मंडी सरोजनी नगर के पीछे	16-11-2003 to 31-03-2004	137	9999	44996
18.	दिल्ली उच्च न्यायालय के आस-पास	20-02-2004 to 05-04-2004	46	73137	110547
19.	दिल्ली हाट	05-03-2004 to 05-04-2004	32	107777	111833
20.	पालिका प्लेस	16-11-2003 to 31-03-2004	137	28000	126000
21.	कमानी आडिटोरियम	16-11-2003 to 10-12-2003	25	24201	19908
22.	पालिका भवन	20.02.2004 to 05.04.2004	46	22786	34441
23.	ए ब्लाक, इनर सर्कल, कनाट प्लेस	01-08-2003 to 31-08-2003	31	182030	182030
24.	डी ब्लाक, रेडियल रोड नं. 6, कनाट प्लेस	01-08-2003 to 31-08-2003	31	41786	41786
25.	एफ ब्लाक, बी.के. रोड, नई दिल्ली	01-08-2003 to 31-08-2003	31	30889	30889
26.	जी. ब्लाक पी. के. रोड के सामने	01-08-2003 to 25-08-2003	25	30000	24194
27.	एच ब्लाक, मिडल सर्कल	01-08-2003 to 31-08-2003	31	28201	28201
28.	एम ब्लाक, रेडियल रोड सं. 7, कनाट प्लेस	01-08-2003 to 31-08-2003	31	30000	30000
29.	एन ब्लाक, पेट्रोल पम्प, मिडल सर्कल	01-08-2003 to 31-08-2003	31	5555	5555
30.	ए. एवं बी. एम्पोरियम के मध्य, बी. के. एस. मार्ग	01-08-2003 to 31-08-2003	31	16000	16000

31.	दिल्ली उच्च न्यायालय के आस-पास	01-08-2003 to 31-08-2003	31	41000	41000
2004-05					
1.	सोना रूपा के सामने	01.09.2004 to 30.09.2004	30	114444	114444
2.	पंडारा रोड मार्किट	01.09.2004 to 19.09.2004	19	101000	63967
3.	बी.के.एस. मार्ग, पुलिस स्टेशन	01.09.2004 to 28.09.2004	28	175888	164162
4.	आई.एन.ए. मार्किट के बाहर	01.09.2004 to 19.09.2004 05.12.2004 to 18.03.2005	19 104	156000 163333	98800 563763
5.	पंडारा रोड मार्किट	01.09.2004 to 19.09.2004 05.12.2004 to 04.02.2005	19 62	101000	63967 203397
6.	डी.पी.एस. लाईब्रेरी, सरोजनी नगर के पीछे	01.09.2004 to 19.09.2004 05.12.2004 to 31.05.2005	19 178	251000	158967 1473613
7.	पालिका भवन, आर के पुरम	01.09.2004 to 15.10.2004	45	24927	36988
8.	ईस्टर्न कोर्ट के सामने	01.09.2004 to 18.10.2004	48	37000	58484
9.	आर.आर. जाकिर, हुसैन मार्ग	01.09.2004 to 16.09.2004	16	151501	80800
10.	आर.आर.चिल्र्डन पार्क	01.09.2004 to 16.09.2004	16	141000	75200
11.	भगवान दास रोड, उच्चतम न्यायालय के सामने	01.09.04 to 19.09.2004	19	86112	54538
12.	ए ब्लाक, मिडल सर्कल, कनाट प्लेस	01.09.2004 to 15.09.2004	15	69400	34700
13.	एफ ब्लाक, रेडियल रोड, कनाट प्लेस	01.09.2004 to 16.09.2004	16	129111	68859
14.	एल ब्लाक, रेडियल रोड, कनाट प्लेस	01.09.2004 to 15.09.2004	15	56000	28000
15.	बी ब्लाक, मिडल सर्कल, कनाट प्लेस	01.09.2004 to 17.09.2004	17	108000	61200
16.	सी ब्लाक, मिडल सर्कल, कनाट प्लेस	01.09.2004 to 16.09.2004	16	121166	64622
17.	के ब्लाक, कनाट सर्कस	01.09.04 to 15.09.2004	15	102333	51166
18.	एल ब्लाक, आउटर सर्कल	01.09.2004 to 16.09.2004	16	195555	104296
19.	मयूर भवन	01.09.04 to 16.09.2004	16	153787	82020
20.	टू टायर पार्किंग	01.09.2004 to 15.09.2004	15	189500	94750
21.	बंगाली मार्किट	01.09.2004 to 01.11.2004	62	48000	97600
22.	रेल संग्रहालय	01.09.2004 to 02.11.2004	63	30009	62018
23.	जन्तर मन्तर के सामने	01.09.2004 to 16.09.2004	16	67300	35893
24.	इलाहाबाद बैंक के सामने	19.02.2004 to 05.04.2004	47	44777	69224
25.	उच्च न्यायालय के आसपास	01.09.2004 to 31.10.2004 19.02.2004 to 06.04.2004 01.06.2004 to 31.07.2004	61 48 61	67505 73137 51666	135010 115506 103332
26.	दिल्ली हाट	04.03.2004 to 05.04.2004	33	107777	115309
27.	पालिका प्लेस	16.11.2004 to 31.03.2005	136	28000	126000
28.	पालिका भवन	19.02.2004 to 06.04.2004	48	22786	35986
29.	के ब्लाक रेडियल रोड, मस्जिद वाले पार्क के सामने	26.05.05 to 05.07.2005	41	77000	104322
				योग	**7378221**

अनुलग्नक -XIV
पैरा (5.5)

10,000 रुपये से अधिक विज्ञापन कर के बकाया मामलों का विवरण

क्र.सं.	निर्धारणकर्त्ता का नाम	कर का बकाया (रुपयों में)
1.	मै. कैरोना शूज	27270
2.	मै. जीयाजी राव काटन मिल्स	36280
3.	मै. कन्धार रेस्टोरेन्ट	23290
4.	मै. मेगनम मोटर्स	12231
5.	मै. राणा मोटर्स	11398
6.	मै. साहनी आटो	10146
7.	मै. वर्धमान_केमिकल	16810
8.	मै. कोला डे बेवरेज	525805
9.	मै. स्टेडियम सिनेमा	19000
10.	मै. बुश बेरन इंजीनियरिंग कं.	19600
11.	मै. शेरवानी एडवरटाईजमेंट	13065
12.	मै. इण्डिया ऐजूकेशन सेन्टर	25889
13.	मै. टैगोर कालेज	28945
14.	मै. अमेरिकन एक्सप्रैस	34200
15.	मै. पंजाब वूलन स्टोर	11177
16.	मै. ओरियन्टल रेडियो इलैक्ट्रीक स्टोर	14345
17.	मै. ओडियन सिनेमा	342320
18.	मै. ब्लिस एण्ड काटन	11092
19.	मै. मोदी कारपेटस क.	12750
20.	मै. केपीटल स्टोर	14295
21.	मै. ब्रुक बाण्ड लिप्टन इण्डिया लि.	10949
22.	मै. मल्होत्रा एण्ड क.	45889
23.	मै. जगत नारायण खन्ना	20617
24.	मै. भारत सेलस लि0	28120
25.	मै. एडविल एडवरटाइजमेंट सर्विस	2456467
26.	मै. आटो ट्रिम	18915
27.	मै. भारत लाक हाउस	21799
28.	मै. सिटी बैंक सर्विस	162516
29.	मै. काम्पीटीशन रिव्यू (प्रा.) लि.	100954
30.	मै. धवन सलैक्शन	26279
31.	मै. दिल्ली आईसक्रीम कम्पनी	25200
32.	मै. एक्साइड प्रोडेक्टस लि.	54227
33.	मै. ग्वालियर रिआन	31605
34.	मै. गोडफ्रे फूड लि.	13600
35.	मै. जे.बी. मांगा राम एण्ड सन्स	37982
36.	मै. काला टैक्सटाईल्स (प्रा.) लि.	23150
37.	मै. एम आर एफ लि.	42776
38.	मै. महाराजा कारपेट इण्डिया	11400

39.	मै. पाठक	10247
40.	मै. प्योर ड्रिंक्स, ओखला	141078
41.	मै. फोनिक्स इन्डस्ट्रीज	26043
42.	मै. रिलाइन्स टैक्सटाइल्स	10070
43.	मै. स्टैनसिल एप्रेल्स	34285
44.	मै. कुमार कालिज	12010
45.	मै. ईस्ट बंगाल कैमिकल्स कारपोरेशन	19850
46.	मै. चस्का फूड प्रांडेक्टस लि.	16105
47.	मै. लैक्मे इण्डिया लि.	49681
48.	मै. ओल्ड स्ट्रीट	12000
49.	मै. टी.टी. कृष्णामचारी लि.	42000
50.	मै. कोकिता डैलको टैलीकाम	10500
51.	मै. राव ट्रैवल्स	42603
52.	मै. जैडन सैलामिक्स प्रा.लि.	13292
53.	मै. सिटीजन इलैक्ट्रोनिक्स	16817
54.	मै. आर्ट कारत ज्वैल्र्स	48000
55.	मै. एम एम रबर (लि.)	12000
56.	मै. लाइफलाईन हैल्थ क्लब	48767
57.	मै. फोनिक्स इन्डस्ट्रीज लि.	68000
58.	मै. कास्मैटिक स्टोर (प्रा.)लि.	25000
59.	मै. प्रेमनाथ मोटर्स (प्रा.)लि.	43275
60.	मै. फोरमोस्ट डेयरी	39616
61.	मै. एम्बीशियस गोल्ड निब मैन्यू. क.	10108
62.	इण्डियन आयल कारपोरेशन	50002
63.	रिवोली (बोर्ड)	12940
64.	हिन्दुस्तान कोका कोला	10900
65.	कोडेक इंडिया लि.	10938
66.	मोदी फाल	10061
67.	मोदी एडवरटाइजमेंट	10112
68.	लायन ट्रेवल्स	99860
	योग	**5298513**

अनुलग्नक-XV
(पैरा 6.3)

संस्थानों की ओर 11.54 करोड़ रुपये के संपत्ति-कर के बकायों का विवरण

क्रम सं.	संस्थान का नाम	मांग 2004-05	अतिरिक्त मांग	बकाया	स्टे	रिमांड	जुर्माना	एन/एफ	कम प्राप्त राशि	शेष
1	श्री गु.ह.कि. कन्या वरिषठ मा. विद्यालय	6940	-	68618	-	-	5739	45	-	81342
2	सैन्ट्रल अकादमी विद्यालय	118880	-	1188100	-	-	98076	45	-	1405101
3	हरकोर्ट बटलर वरिष्ठ मा. विद्यालय, मंदिर मार्ग	16660	-	164595	-	-	13756	45	-	195056
4	क्रिस्ट राजा स्कूल, बंगला साहिब रोड	70040	-	691645	-	-	57783	50	-	819518
5	कांवेंट आफ जिसस एण्ड मेरी विद्यालय	260325	-	2059354	-	527561	-	30	-	2847270
6	कार्मल कांवेंट विद्यालय, मालचा मार्ग में आवासीय भवन	195040	-	-	-	-	-	10	156222	38828
7	ब्रिटिश स्कूल भवन	456768	-	-	-	-	-	5	342576	114197
8	खालसा बाल प्रा.स्कूल, बंगला साहिब मार्ग	1880	-	18574	-	-	1552	45	-	22051
9	आर.एम.आर्या गर्ल्स वरि. मा. स्कूल	44660	-	441066	-	-	36852	45	-	522623
10	सरोजिनी नगर में एक्स. वाई.ब्लाक के समीप शिशु कल्याण केन्द्र के पीछे खालसा मा. विद्यालय,सरोजिनी नगर	35640	-	240572	111379	-	7128	25	-	394744
11	विधान चन्द्र विद्यालय (सचिव,बंगाल एजूकेशन सोसाइटी)	23920	-	53820	-	-	-	20	-	77760
12	श्यामा प्रसाद मुकरजी वरि.मा. विद्यालय	40160	-	391657	-	-	33144	40	-	465001
13	दिल्ली कन्नड विद्यालय, लोधी एस्टेट	343400	-	3326358	-	-	259659	40	-	3929457
14	लेडी इर्विन स्कूल वि. एफ.एफ, लैब	320	-	640	-	-	-	5	-	965
15	केरला एजूकेशन सोसाइटी, वरि. मा.वि.	88540	-	831225	-	-	66429	30	-	986224

16	स्कूल कैन्टीन के लिए अस्थायी ढांचा	160	-	-	-	-	-	-	-	160
17	लेडी इर्विन वरि.मा. विद्यालय	18500	-	18500	-	-	-	10	-	37010
18	गुरू तेग बहादुर वरि.मा. विद्यालय	14020	-	138521	-	-	11578	45	-	164164
19	निर्मल शिक्षा केन्द्र	55080	-	543915	-	-	45441	35	-	644471
20	मैत्री कालेज	724050	-	5912857	-	-	401791	40	-	7038738
21	जीसस एण्ड मैरी कालेज	208952	-	1521506	-	-	163550	5	-	1894013
22	लेडी इर्विन कालेज	335050	-	3252000	-	-	254141	40	-	3841231
23	लेडी इर्विन कालेज अति. निर्मित फ्लैट	140	-	280	-	-	-	-	-	420
24	लेडी इर्विन कालेज अति. भाग	960	-	-	-	-	-	-	-	960
25	ए.के. गोपालन ट्रस्ट, 27-29 भाई वीर सिंह मार्ग	234525	-	2499536	-	-	-	30	1357737	1376354
26	अखिल भारतीय महापौर परिषद्, 8, भाई वीर सिंह मार्ग	94200	43200	452625	-	-	42075	45	-	632145
27	अखिल भारतीय कौमी एकता ट्रस्ट, 31 भाई वीर सिंह मार्ग	37300	600455	298432	-	-	-	20	335752	600455
28	अखिल भारतीय महिला कान्फ्रेंस, 6, भगवान दास मार्ग	2780730	5621940	669080	-	-	1163822	70	5280730	4954912
29	भारत साधू समाज	155560	-	1586854	-	-	132681	101	-	1875196
30	महिला विकास अध्ययन केन्द्र, 25, भाई वीरसिंह मार्ग	355350	-	3838091	-	-	348621	35	-	4542097
31	दिल्ली स्कूल आफ म्युजिक , 8, न्याय मार्ग स्कूल	10094	-	196632	-	-	27718	124	-	234568
32	डॉ0 मैत्यू मानिद, सेंटर, 26 भाई वीर सिंह मार्ग	342400	-	3709821	-	-	337474	35	-	4389730
33	गढ़वाल हितेशी सभा (पंजीकृत) सिंगल स्टोरी 4 कमरे	140	-	280	121612	-	-	10	-	122042

34	श्री के.टी थॉमस, प्रजीडेन्ट आईपीसी नार्दन रिजन, 14, भाई वीर सिंह मार्ग स्कूल	522270	-	3300303	-	-	72060	45	-	3894678
35	इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट अण्ड कलचर हैरिटैज , 71, लोधी एस्टेट	2871960	-	-	-	-	57969	35	2871960	58004
36	इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड एफेयरस, सप्रु हाऊस, मंडी हाऊस	65580	-	9408214	48338	-	1881643	30	65585	11338220
37	इण्डियन नैशनल थिऐटर ट्रस्ट भवन (एक साइड 8692 सक्वे.फिट	2020050	-	957839	-	-	-	41	142772	2835158
38	इण्डियन अन्तर्राष्ट्रीय सैन्टर, 40 लोधी एस्टेट	3120630	-	560512	-	-	-	15	3146895	534262
39	जवाहर भवन ट्रस्ट, रायसिना रोड	1279770	-	9118505	-	-	-	34	-	10398309
40	मैसोनिक टैम्पल जनपथ	1376370	-	7193722	73375	-	49129	55	-	8692651
41	नैशनल यूथ हास्टल ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, भू-तल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, 5 न्याय मार्ग	241625	-	-	-	-	-	5	-	241630
42	नाट्य बैले सैन्टर, 21 भाई वीर सिंह मार्ग	50420	-	36027	-	-	54202	30	87815	52864
43	शास्त्री इंडो कैनाडियन इन्सटीट्यूट, 5, भाई वीर सिंह मार्ग स्कूल	319925	-	3487276	-	-	318138	35	-	4125374
44	वर्ल्ड वाईड फण्ड नेचर आफ इण्डिया, 172-बी लोधी एस्टेट	409700	-	3010660	-	-	-	25	750000	2670385
45	योगदा सतसंग शाखा केन्द्र, 11,12, भाई वीर सिंह मार्ग	395950	-	945280	-	2848675	-	58	-	4189963
46	काउन्सिल फार सोशियल डेवेलपमेंट, 53, लोधी एस्टेट	3206850	-	6460561	-	-	-	15	-	9667426
47	इण्डियन लॉ इन्सटीट्यूट भगवान दास रोड	2313750	-	6255659	-	-	-	5	-	8569414
48	इण्डियन सोसाइटी आफ अन्तर्राष्ट्रीय लॉ, 9 भगवानदास रोड	1312620	-	3303508	62235	-	135958	10	913580	3900751
	कुल	**26577854**	**6265595**	**88153220**	**416939**	**3376236**	**6078109**	**1563**	**15451624**	**115417892**

अनुलग्नक-XVI
(पैरा 6.4)

करयोग्य मूल्य में संशोधन न करने के कारण 53.41 लाख रुपये की राशि के संपत्ति कर की कम वसूली का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	कर योग्य मूल्य		संपत्ति कर की दर	संपत्ति कर		संपत्ति कर की कम वसूली (रुपये में)
		अन्तिम रूप दिया गया	बकाया (रुपये में)	(प्रतिशत में)	वसूला (रुपये में)	बकाया (रुपये में)	
1.	संपत्ति 'ए', डी.सी.एम. भवन						
	2002-03	9180000	11091600 (15.10.2003 से प्रभावी)	5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत शेष पर 30 प्रतिशत	2704000	2966848	262848
	2003-04	10214900	11091600	5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत अगले 5 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत शेष पर 30 प्रतिशत	2989470	3252480	263010
	2004-05	10214900	11091600	10 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत अगले 10 लाख रु0 पर 25 प्रतिशत शेष पर 30 प्रतिशत	2914470	3177480	263010
				योग	**8607940**	**9396808**	**788868**
2.	संपति 'बी', डी.सी.एम. भवन						
	2002-03	25800	264600 (1.6.2002 से प्रभावी)	20	5160	44960	39800
	2003-04	25800	264600	20	5160	52920	47760
	2004-05	25800	264600	20	5160	52920	47760
				योग	**15480**	**150800**	**135320**
3.	संपति 'सी', कंचनजंगा भवन						
	1998-99	156900	15,96,200	20	31380	319240	287860
	1999-00	156900	1932300	25	39225	483075	443850
	2000-01	156900	1932300	25	39225	483075	443850
	2001-02	156900	1932300	25/30	31380	529690	498310
	2002-03	156900	1932300	5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत शेष पर 30 प्रतिशत	31380	529690	498310
	2003-04	156900	1932300	5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत अगले 5 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत शेष पर 30 प्रतिशत	31380	504690	473310
	2004-05	156900	1932300	10 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत अगले 10 लाख रु0 पर 25 प्रतिशत	31380	433075	401695
				योग	**235350**	**3282536**	**3047186**

4.	संपति 'डी', कंचनजंगा भवन						
	99-2000	215700	780200	25	53925	195050	141125
	2000-01	215700	780200	25	53925	195050	141125
	2001-02	215700	780200	25	53925	195050	141125
	2002-03	215700	527200	5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत शेष पर 30 प्रतिशत	43140	108160	65020
	2003-04	215700	527200	5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत शेष पर 25 प्रतिशत	43140	106800	63660
	2004-05	215700	527200	20	43140	105440	62,300
				योग	**291195**	**905550**	**614355**
5.	संपति 'ई', कंचनजंगा भवन						
	2001-02	54000	248400 (1.10.01 से प्रभावी)	25	13500	37800	24300
	2002-03	54000	248400	20	10800	49680	38880
	2003-04	54000	248400	20	10800	49680	38880
	2004-05	54000	248400	20	10800	49680	38880
				योग	*45900*	**186840**	**140940.**
6.	संपति 'एफ', कंचनजंगा भवन						
	2001-02	170500	317800	25	42625	79450	36825
	2002-03	170500	317800	20	34100	63560	29460
	2003-04	170500	317800	20	34100	63560	29460
	2004-05	170500	317800	20	34100	63560	29460
				योग	**144925**	**270130**	**125205**
7.	संपति 'जी', कंचनजंगा भवन						
	99-2000	101400	152100	25	25350	38025	12675
	2000-01	101400	152100	25	25350	38025	12675
	2001-02	101400	152100	25	25350	38025	12675
	2002-03	101400	152100	20	20280	30420	10140
	2003-04	101400	191900	20	20280	38380	18100
	2004-05	101400	191900	20	20280	38380	18100
				योग	**136890**	**221255**	**84365**
8.	संपति 'एच', अम्बा दीप भवन						
	99-2000	99500	149300	25	24875	37325	12450
	2000-01	99500	149300	25	24875	37325	12450
	2001-02	99500	149300	25	24875	37325	12450
	2002-03	99500	149300	20	19900	29860	9960
	2003-04	99500	149300	20	19900	29860	9960
	2004-05	99500	149300	20	19900	29860	9960
				योग	**134325**	**201555**	**67230**
9.	संपति 'आई', अम्बा दीप भवन						
	99-2000	52000	216000 (w.e.f. 15.11.1999)	25	13000	25125	12125
	2000-01	52000	216000	25	13000	54000	41000
	2001-02	52000	216000	25	13000	54000	41000
	2002-03	52000	216000	20	10400	43200	32800
	2003-04	52000	216000	20	10400	43200	32800
	2004-05	52000	216000	20	10400	43200	32800
				योग	**70200**	**262725**	**192525**

10.	***संपति 'जे', अम्बा दीप भवन***						
	2000-01	49550	158300 (4.10.2000 से प्रभावी)	25	24775	32175	7400
	2001-02	99100	158300	25	24775	39575	14800
	2002-03	99100	158300	20	19820	31660	11840
	2003-04	99100	197900 (4.10.2003 से प्रभावी)	20	19820	35620	15800
	2004-05	99100	197900	20	19820	39580	19760
				योग	**109010**	**178610**	**69600**
11.	***फलेट 'के', खान मार्किट***						
	2002-03	900	126900	20	180	25380	25200
	2003-04	900	126900	20	180	25380	25200
	2004-05	900	126900	20	180	25380	25200
				योग	**540**	**76140**	**75600**
				महा योग	**9791755**	**15132949**	**5341194**